लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

PARLIAMENT LIBRARY
No. 66222
Date 7/1/72

सत्यमेव जयते

Preservation
12-8-97
Fumigated
On ...
Parliament Library

[खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 14 मार्च, 1972/24 फाल्गुन, 1893 (शक)

No. 2, Tuesday, March 14, 1972/Phalguna 24, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन-सम्बन्धी उल्लेख/OBITUARY REFERENCE		1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		2—26
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1. निर्यात के लिये चाय की किस्म में सुधार करने के उपाय	Steps to Improve quality of Tea for Export	2—5
3. पोलैंड के साथ फिल्मों के आदान प्रदान का व्यापार	Barter Trade in Films with Poland ...	5—6
4. मानव केशों के निर्यात में कमी	Decline in Human Hair Export ...	6—8
7. भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on Indian Railways ...	8—12
8. अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा भारतीय रेलवे को दिये गये ऋण	Credits granted to Indian Railways by International Agencies ...	12—14
9. नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट उपरी पुल	Overbridge near Safdarjang Aerodrome New Delhi ...	14—15
10. सुन्दर बन डेल्टा परियोजना संबंधी योजना को अन्तिम रूप दिया जाना	Finalisation of Sundarbans Delta Project Scheme ...	15—16
11. पाकिस्तान द्वारा जब्त की गयी व्यापारिक सामग्री	Commercial Goods Seized by Pakistan ...	16—18

* किसी नाम पर अंकित यह+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
12. दक्षिण पूर्व रेलवे में भुवनेश्वर और बरहामपुर रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ियों में जंजीर खींचने के मामलों की संख्या में वृद्धि	Increase in cases of Chain pulling in trains between Bhubaneswar and Berhampur Railway Stations (South Eastern Railway) ...	18—19
13. भारत-बुलगारिया व्यापार करार	Indo-Bulgaria Trade Agreement	19—20
14. अन्तर्राज्यीय नदियों में बाढ़ नियंत्रण	Flood Control on Inter-State Rivers	20—22
15. पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य में प्रगति	Progress of Western Kosi Canal Project ...	22—25
17. भारतीय रेलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Indian Railways	25—26
18. कलकत्ता भूमिगत रेलवे के लिये रूसी तकनीकी विशेषज्ञ	Soviet Technical Experts for Calcutta Underground Railway ...	26—27

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 27

ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
2. भारत नेपाल व्यापार सन्धि का पुनर्विलोकन	Review of Indo Nepal Trade Treaty	27—28
5. भारतीय रूई निगम द्वारा रूई की असामयिक खरीद से हानि	Loss due to Untimely purchases of Cotton by Cotton Corporation of India ...	28
6. भारतीय निर्यात व्यापार में कठिनाइयां	Difficulties for India's Export Trade	28—29
1 बिहार में पटसन के आधुनिक कारखानों की स्थापना	Setting up Modern Jute Factories in Bihar	29
19. बांगला देश में रेल व्यवस्था को पुन: ठीक करने के लिये सहायता	Assistance for Restoration of Railway System in Bangla Desh ...	29—30
20. ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश करने से भारत के विदेश व्यापार पर प्रभाव	Impact on India's Foreign Trade Consequent upon Britain's Entry into ECM	30—31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1. उत्तर रेलवे में यात्रा भत्ता बिलों की जांच पड़ताल	Scrutiny of Travelling Allowance Bills, Northern Railway ...	31—33
2. टूण्डला गुड्स शेड में चढ़ाया तथा उतारा गया माल	Traffic Handled at Tundla Goods Shed ...	33
3. एच० ओ० आर० कोटे का उपयोग किया जाना	Utilization of H. O. R. Quota (Northern Railway) ...	33—34
4. टूण्डला माल गोदाम (इलाहाबाद डिवीजन) में सहकारी समिति से विलम्ब शुल्क तथा अन्य प्रभारों की वसूली	Recovery of Demurrage and other charges from Cooperative Society Tundla Goods Shed (Allahabad Division) ...	34—35
5. रेलवे सुरक्षा निर्माण निधि से सहायता के लिये केरल सरकार का अनुरोध	Request by Kerala Government for Assistance from Railway Safety Works Fund	35—36
6. केरल में सिंचाई परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त वित्त का आवंटन	Additional Financial Allegation for Irrigation Projects in Kerala ...	36
7. मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश क्षेत्र में नई रेलवे लाइन	New Railway Lines in Vindhya Pradesh Region of Madhya Pradesh ...	36—37
8. सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) के देय राशि के बारे में समझौता	Settlement of Dues of Retired Railway Employees (Northern Railway) ...	37
9. बरबाडीह गोमोह लाइन (पूर्व रेलवे) पर गाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Trains on Barwadih-Gomoh Line (Eastern Railway) ...	37
10. राजधानी एक्सप्रेस के तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने के स्थानों की व्यवस्था	Provision of Third Class Sleeper Berths in Rajdhani Express ...	38
11. भारत में स्वचालित करघे	Automatic Looms in India ...	38
12. मैथिली पेंटिग्स का निर्यात	Export of Maithili Paintings ...	38—39
14. पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई की स्थिति	Position of Power Supply in West Bengal ...	39—40
15. चौथी योजना में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines during Fourth Plan Period	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

16. मलाबार क्षेत्र में कोच फैक्टरी की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal for Setting up Coach Factory in Malabar Area ...	41
17. कन्नानूर रेलवे स्टेशन के प्लेट-फार्म पर छत डालने का प्रस्ताव	Provision for Roofing over the Platform of Cannanore Railway Station ...	41
18. सिंचाई योजनाओं (केरल) के बारे में प्रतिवेदन	Reports on Irrigation Schemes (Kerala) ...	41—42
19. रेलवे में चोरी के मामलों में वृद्धि	Increase in the cases of Thefts and Pilferages on Railways ...	42—43
20. दक्षिण पूर्व रेलवे लाइन की किलोमीटरों में लम्बाई तथा उसकी आय	Total Kilometerage of South Eastern Railway and its Income ...	43—44
21. त्रिवेन्द्रम तिरुनेलवली कन्या-कुमारी रेल लाइन	Trivandrum, Tirunelveli Cape Comorin Railway Line ...	44
22. मद्रास में विग फैक्टरी	Wig Factory at Madras	44—45
23. रेयन नायलान और पोलिएस्टर रेशों का मूल्य निर्धारित करने के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर निर्णय	Decision on Tariff Commission Recommendations Regarding Pricing Formula for Rayon and Polyester Fibre ...	45
24. एसेन्स और कैमिकल्स के लिये आयात लाइसेंस देना	Import Licences for Essences and Chemicals	45—47
25. मद्रासवाल्टेयर रेल लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Madras Waltair Railway Line ...	48
26. रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाना	Conversion of Broad Guage Lines	48—49
27. छोटे काफी उत्पादकों को वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance to Small Coffee Growers ...	49
28. समान सिविल संहिता	Uniform Civil Code ...	49—50
29. रेलवे स्टेशनों में धन का विनियोग रोकने हेतु समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee to check Misappro—priation of Funds at Railway Stations...	50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
30. मतदान के लिये आयु कम करना	Lowering of Voting Age	50—51
31. बरोनी गरहारा परियोजना क्षेत्र के रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देना	Project Allowance to Railway Employees in Barauni Garhara Project Area ...	51
32. दक्षिण रेलवे में एक्सप्रैस मेल रेल गाड़ियों के कंडक्टर गार्डों की नियुक्ति	Posting of Conductor Guards on Express Mail Trains (Southern Railway) ...	51
33. गैर सरकारी निर्माताओं द्वारा बनाए जाने वाले तथा रेलवे वर्कशाप में बनने वाले रेल के डिब्बा की लागत	Cost of Production of Wagons by Private Manufacturers and in Railway Workshops ...	51—52
34. भारतीय रेलवे में हड़ताल	Strikes on Indian Railways	52—53
35. दिल्ली के लिये तीव्रगामी यातायात व्यवस्था का व्यवहार्य अध्ययन	Feasibility Study on Rapid Transport System for Delhi ...	53
36. बड़े पैमाने पर तीव्रगामी यातायात योजनाएं	Mass Rapid Transport Schemes	53—54
37. सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains in Sealdah Division (Eastern Railway) ...	54
38. भारत-पाक युद्ध में मारे गये रेलवे कर्मचारियों को राहत देना	Relief to Railway Employees Killed in Indo-Pak War ...	54—55
39. भारत ब्रिटेन व्यापार करार	Indo-U.K. Trade Agreement	55
40. दिल्ली और तुगलकाबाद के बीच रेल सेवाओं का भंग होना	Disruption of Train Services between Delhi and Tuglakabad ...	55—56
41. सतना जिला (मध्य प्रदेश) में मैयर पर उपरिपुल	Overbridge at Maiyer in Santa District(MP.)	56
42: पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अलीपुरद्वार और न्यू कूच बिहार स्टेशनों के बीच शटल गाड़ी का चलाया जाना	Shuttle Train Service between Alipur duar and New Cooch Behar Stations (North East Frontier Railway) ...	56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
43. न्यू कूच बिहार से रेलगाड़ी परीक्षकों को वापस बुलाना	Withdrawal of Train Examiners from New Cooch Behar ...	56—57
44. भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मध्य वाणिज्यिक सहयोग	Commercial Co-operation between India and European Economic Community ...	57
45. पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में झंझरपुर से लन्काहा तक रेलवे लाइन	Railway Line from Jhanjharpur to Lankaha in Samastipur Division (North Eastern Railway) ...	57—58
46. डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद द्वारा अभ्यावेदन का दिया जाना	Representation from Divisional Railway Employees, Coordination Committee Dhanbad ...	58
47. दानापुर (पूर्व रेलवे) में नई रेलवे कालोनी	New Railway Colony at Danapur (Eastern Railway) ...	58—59
48. नेपाल को सहायता	Assistance to Nepal	59
49. इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन द्वारा अपरिष्कृत पटसन के निर्यात का विरोध	Opposition to Export Raw Jute voiced by Indian Jute Mills Association ...	59—60
50. वीरभूम, पश्चिम बंगाल में बाढ़ और सहायता कार्य	Floods in Birbhum West Bengal and Relief Measures ...	60
51. अन्य रेल मार्गों पर राजधानी एक्सप्रैस जैसी गाड़ियां चलाना	Introduction of Rajdhani Type of Trains on other routes ...	60
52. तोड़फोड़ की कार्यवाहियों और पाकिस्तान द्वारा बमबारी के कारण भारतीय रेलवे को हुई क्षति	Damage to Indian Railways due to Sabotage Activities and Pakistani Bombardment ...	61
53. धाली राजहरा से जगदलपुर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Dhali-Rajhara to Jagdalpur ...	61
54. रेलवे वैगनों का निर्यात	Export of Railway Wagons	61—62
55. उत्तर बिहार में भूताही बालान नदी से होने वाले विनाश को रोकने की योजना	Scheme to check Havoc caused by Bhutahi Balan River in North Bihar ...	62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
56. बिहार के ग्रामों का विद्युतीकरण	Rural Electrification in Bihar	62—63
57. साबुन, रंग, रोगन और वार्निश का निर्यात/आयात	Export Import of Soaps, Paints and Varnishes ...	63—65
58. उत्तर प्रदेश में नई विद्युत परियोजनाओं के लिये प्रस्तावित योजनाएं	Schemes for New Power Projects in Uttar Pradesh ...	65—69
59. निर्यात में वृद्धि के लिए विकासोन्मुख व्यापार नीति	Growth Oriented Trade Policy for Increase in Export ...	69—71
60. लुधियाना में स्टैपल धागे के कारखानों का बन्द होना	Closure of Staple Yarn Units in Ludhiana	71
61. सरकारी कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय और राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने के लिये कानून का बनाया जाना	Legislation to enable Government Employees to seek elections to Central and State Legislatures ...	71—72
62. रेयन यार्न के मूल्यों की पुन: जांच	Fresh Inquiry into Rayon Yarn Prices	72
63. थीनबांध परियोजना के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों में मतभेद	Differences between States over Thien Dam Project ...	72
64. दिल्ली से कन्याकुमारी तक सीधी रेलगाड़ी का चलाया जाना	Introduction of a direct Train from Delhi to Kanyakumari ...	72—73
65. कोचीन से शोरनूर तक (दक्षिण रेलवे) दोहरी रेलवे लाइन का बनाया जाना	Double Railway line from Cochin to Shoranur (Southern Railway) ...	73
65. इटली और कनाडा को भेजी जाने वाली काली मिर्च के निर्यात में कमी	Decline in export of Pepper to Itlay and Canada ...	73—74
67. धागे तथा कपड़े के व्यापार के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का हंगरी का दौरा	Indian Delegation's visit to Hungary regarding trade in Yarn and Cloth ...	74—75
68. संयुक्त अरब गणराज्य से रूई का आयात	Shipment of cotton from UAR ...	75—76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
69. राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects in Rajasthan	76
70. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आरम्भ की गई योजनाएं	Schemes undertaken by Rural Electrification Corporation ...	76—77
71. भारतीय रुई निगम द्वारा रुई व्यापार को अपने अधिकार में लेना	Take over of Cotton Trade by CCI	77
72. अमरीका, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणतंत्र, जापान और फ्रांस के साथ व्यापार संतुलन	Balance of Trade with USA, U.K.F.R.G. Japan and France ...	77—80
73. राजस्थान नहर	Rajasthan Canal	80
75. पश्चिमी बंगाल के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	Plan for Rural Electrification of West Bengal ...	80—81
76. माल्दा और बलूरघाट तथा दोमाहनी और जलपाईगुडी के बीच रेल लाइन	Railway Line between Malda and Bulgurhat and Domohani and Jalpaiguri ...	81
77. हांगकांग में राज्य व्यापार निगम का सहायक निगम	S.T.C. Subsidary in Hongkong	82
78. भारत अमरीकी संबंधों में गतिरोध का व्यापार पर प्रभाव	Freeze in Indo US Relation Extended to Trade ...	82—83
79. न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges	83
80. रेलवे स्टेशनों पर मैसर्स ए.एच. व्हीलर्स एण्ड कम्पनी के बुक स्टाल	Book Stalls Run by M/s. A.H. Wheeler Company at Railway Stations ...	83—84
81. व्यापार तथा विकास विधेयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विकासशील देशों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करना	Fulfilment of Assurances given in Conference of U.N.C.T.A.D. to Developing Countries ...	84—85
82. गोहाना पानीपत रेल लाइन को पुनः चालू करना	Resortation of Gohana Panipat Rail Line	85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
83. बाढ़ों और बाढ़ सहायता के संबंध में मंत्रियों की समिति द्वारा बाढों की पूर्व सूचना देने संबंधी सिफारिशें	Recommendations of Committee on Floods and Flood Relief to forecast Floods ...	85—86
84. सरकारी विभागों द्वारा आयात लाइसेंसों का कथित दुरुपयोग	Alleged Misuse of Import Licences by Govt. Departments ...	86—87
85. रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा, लगाए गए आरोपों की जांच	Enquiry into Allegations made by Former Chairman, Railway Board ...	87
86. पटसन की मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Jute Mills ...	87
87. तमिलनाडु की सूती कपड़ा-मिलों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना	Take over of Cotton Textile Mills in Tamil Nadu ...	87—88
88. केन्द्रीय जल ग्रिड की स्थापना की तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ दल की भारत यात्रा	Visit of U.N. Team of Experts to India to examine Techno-economic feasibility of creation of Central Water Grid ...	88
89. सरकार के पास रबड़ का फालतू स्टाक	Surplus Rubber Stock with Government ...	89—90
90. उड़ीसा में नई विद्युत परियोजनाएं	New Power Projects in Orissa	90—91
91. स्टपल सूत की कमी	Shortage of Staple Yarn	91
92. भारत से निर्यात	Exports from India	91—92
93. बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई और विद्युत विकास के लिये भारत और बांगला देश के बीच समझौता	Understanding between India and Bangla Desh regarding Flood Control, Irrigation and Power Development ...	92
94. मतदात सूचियों का पुनरीक्षण	Revision of Electoral Rolls	92—93
95. समस्तीपुर में वैगम बनाने वाले कारखाने का बन्द होना	Closure of Wagon Manufacturing Unit at Samastipur ...	93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
96. भारत द्वारा ईराक में रेलवे लाइन बनाया जाना	Construction of Railway Line in Iraq by India ...	93
97. तम्बाकू निर्यात में सुधार करना	Promotion of Tobacco Exports	93—94
98. रुपये में भुगतान करने वाले देशों के साथ व्यापार में वृद्धि	Increase in Trade with Rupee payment countries ...	94
99. ब्रिटेन का भारत को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ सहयोग करार करने का परामर्श करने की सलाह	Britain's advice to India for Association Agreement with E.E.C. ...	94
100. बाढ़ों से हुई क्षति	Loss caused by Floods	95
101. निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं पर होने वाला व्यय	Cost of Irrigation Projects under Construction ...	95—96
102. औद्योगिक संगठनों से रेलवे वैगनों की सप्लाई की शिकायतें	Complaints re. supply of Railway Wagons to Industrial Establishment ...	96
103. इलाहाबाद होते हुए जबलपुर से दिल्ली तक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना	Introduction of an Express Train from Jabalpur to Delhi via Allahabad ...	96—97
105. दिल्ली में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा रेल की पटरियों से कोयला इकट्ठा करना	Collection of coal from Rail Tracks by unauthorised persons in Delhi ...	97
106. पाकिस्तानी हमले में मारे गए कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को रोजगार	Employment to Members of Families of Employees killed in Pakistani Aggression	97
107. युद्ध में गुरदासपुर में मारे गए रेलवे कर्मचारियों के परिवारों को विशेष पेंशन	Special Pension to Families of Railway Employees killed in War at Gurdaspur	97
108. उडीसा में आए तूफान के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Reports of Experts Committee on Cyclones in Orissa	98
109. गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण योजन से लाभ उठाने वाले गांव	Villages Benefited by Rural Electrification Scheme in Gujarat ...	98—99

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
110. समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण	Marine Products Export Development Authority ...	99—100
111. हाल के युद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव	Effect of Recent War on India's Trade ...	100
112. पंचवर्षीय योजना के दौरान पारेषण लाइनों और अन्तर-राज्यीय लिंकों के लिये परिव्यय	Outlay for Transmission lines and Inter-State Links during Five Year Plan ...	100
113. भारत अफगानिस्तान व्यापार समझौता	Indo Afghan Trade Agreement ...	101—101
114. डीजल इंजनों का उत्पादन और उनको स्टीम इंजनों के स्थान पर लगाया	Production of Diesel Engines and Replacement of Steam Engines ...	102
115. लेटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार	Trade with Latin American Countries...	103
117. केरल में बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना	Setting up of Weavers Service Centre in Kerala ...	103
118. काजू कारखानों को अपने नियंत्रण में लेने हेतु केरल राज्य के काजू विकास निगम को दी गयी अपर्याप्त सहायता	Inadequate Assistance to Kerala State Cashew Development Corporation for taking over Cashew Factories ...	103—104
119. बांगला देश से पटसन बाहर ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध का हटाना	Withdrawal of Restrictions on Jute Movement from Bangla Desh ...	104
120. भारत तथा ब्रिटेन के 1939 के करार की अवधि बढ़ाया जाना	Extension of 1939 Agreement between India and U.K. ...	104
121. बिजली का अधिक उत्पादन करने की योजना	Scheme for Additional Generation of Power ...	105
122. इंजीनियरी के सामान के निर्यात में कमी	Decline in export of Engineering goods ...	105—106
123. हाल में हुए राज्य विधान सभाओं के चुनावों में एक नई प्रक्रिया का अपनाया जाना	Adoption of new procedure in recent State Assemblies elections ...	106

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
124. बन्द पड़ी कपड़ा मिलों का पुन: खोला जाना	Reopening of closed Textile Mills	107
125. अमरीकी सरकार द्वारा पी.एल. 480 के अन्तर्गत रुई की सप्लाई बन्द करना	Holding back by US Government supply of PL 480 cotton ...	108
126. कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का भारी संकट	Serious power crisis in Calcutta Industrial Area ...	108
127. दिल्ली के न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मामले	Cases pending in Delhi Courts	108—110
128. भारत-रूस व्यापार करार	Indo-Soviet Trade Agreement	110—111
129. विद्युत परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर योजना आयोग की चिन्ता	Concern of Planning Commission of Slow Progress of Power Projects ...	111—112
130. नेपाल के माध्यम से चीन-भारत व्यापार	Sino-Indian Trade through Nepal	112
131. मद्रास सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय में हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र और फोटो लगाना	Placing of portraits and photos of Hindu Gods and Goddesses in Upper class waiting room in Madras Central Railway Station ...	112—113
132. यात्रियों को गाड़ियों में पहले से पकाया और पैक किया खाना सप्लाई करना	Scheme for supply of pre-cooked and pre-packed food in trains to passengers ...	113
133. हवड़ा पुल का निर्माण	Construction of Howrah Bridge	113
134. मंगलौर से मद्रास जानेवाली गाड़ियों के साथ तीसरे दर्जे के शयनयान लगाना	Attaching of third class sleeper coaches with trains running from Mangalore to Madras ...	114
135. पश्चिम बंगाल आसाम तथा बिहार से बंगला देश को सीधी रेलगाड़ियां चलाना	Through Trains from West Bengal Assam and Bihar to Bangla Desh ...	114
136. भारत तथा बंगला देश के बीच जूट समुदाय की स्थापना	Setting up of Jute Community Between India and Bangla Desh ...	114

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
137. भारत-पाक युद्ध के कारण गुजरात राज्य में रेलों को क्षति	Damage to Railways in Gujarat State Due to Indo-Pak War ...	115
138 महाराष्ट्र के बिजली अकाल का गुजरात पर प्रभाव	Effect of Maharashtra Power Famine on Gujarat ...	115
139. प्रभागीय अधीक्षक (उत्तर रेलवे), नई दिल्ली पर हमला	Assault on Divisional Superintendent New Delhi (Northern Railway) ...	115—116
140. सतना रीवां सिंगरोली रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण	Survey for Satna Rewa Singrauli Railway Line ...	116
141. दस्तकारी बोर्डों में अनुसूचित जाति के तकनीकी कर्मचारियों की संख्या	Strength of Scheduled Castes Technical Staff in Handicrafts Board ...	116
142. राजस्थान नहर परियोजना के लिये दी गई आर्थिक सहायता	Financial Aid for Rajasthan Canal Project...	116—117
143. इंजीनियरी निर्यात लाभों में कमी	Reduction in Engineering Export Benefits ...	117—118
144. भूमिगत रेल-कार्य	Underground Railway	118
145. निर्यात और आयात की कीमत	Value of Exports and imports	118
146. सरकारी और गैर-सरकारी विद्युत उपक्रमों द्वारा विद्युत टैरिफ की वसूली	Electricity Tariff charged by Public Sector and Private Sector Electricity Undertakings ...	118—120
148. चाय के निर्यात के सम्बन्ध में केन्या के मंत्री का नई दिल्ली का दौरा	Kenya Ministers Visit to New Delhi regarding Tea Exports	120
149. उड़ीसा में खान मालिकों को माल डिब्बों की अनियमित सप्लाई	Irregular Supply of Wagons to Mine Owners in Orissa	120
150. बंसपाणि-जाखपुरा रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Banspani-Jakhpura Railway Line ...	120—121
151. उत्कल एक्सप्रेस के समय को कम करने के बारे में संसद् सदस्यों द्वारा ज्ञापन	Memorandum from Members of Par iament regarding the Reduction of time taken by Utkal Express	121

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
152. कच्चे रबड़ का उत्पादन	Production of Raw Rubber	121—122
153. अमरीका को पटसन के निर्यात को संरक्षण देने के लिये कार्यवाही	Steps to safeguard Jute exports to USA	122
154. मंगलौर ओलवाक्कोट सैक्शन (दक्षिण रेलवे) पर डीजल से रेलगाड़ियां चलाना	Dieselisation of Mangalore Olavakkot Section (Southern Railway) ...	122—123
155. अल्पसंख्यकों के अधिकारों में संशोधन	Amendment to MinorityRights	123
156. चाय निगम	Tea Corporation	123—124
157. लन्दन टी सेन्टर.	London Tea Centre	124
158. विदेश व्यापार के अधिकारियों द्वारा चाय बोर्ड की गाड़ियों का प्रयोग	Use of Tea Board's Vehicles by Foreign Trade Officials ...	124—125
159. चाय बोर्ड कर्मचारी संघ, दिल्ली द्वारा अभ्यावेदन	Representation from Tea Board Employees Association Delhi ...	125
160. भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशों में पूंजी निवेश	Investment of Capital in Foreign countries by Indian Industrialists	125—126
161. जूट से बने माल के मूल्यों पर टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन	Tariff Commission Report on Jute Goods Prices ...	126
162. एरेलिक प्लास्टिक की चादरों के लिये आयत लाइसेंसों का मूल्य	Va'ue of Import Licences for Acreylic Plastic Sheets ...	126
163. पूर्वोत्तर रेलवे के लिये बड़ी लाइनें	Broad Guage lines for North Eastern Railway ...	127
164. बाढ़ और तूफान के उच्च विशेषज्ञ की उड़ीसा की यात्रा	Visit of Dutch expert on Floods and Cyclones in Orissa ...	127
165. मेरठ नगर स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गबन	Embezzlement of Government cash by Parcel Staff, Meerut City Station ...	127

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
166. गंगा नदी को कावेरी नदी के साथ जोड़ना	Linking of Ganga with Cauvery	128
167. मंगलौर और बम्बई के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Mangalore and Bombay ...	128
168. पटना से धनबाद, रांची और जमशेदपुर तक नई यात्री अथवा एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव	Proposals for Introduction of new Passenger of Express trains from Patna to Dhanbad, Ranchi and Jamshedpur ...	128—129
169. बाड़क बांध परियोजना की प्रगति	Progress of Barak Dam Project	129
170. पाँसकुरा स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर गाड़ियों की टक्कर की जांच के निष्कर्ष	Findings of Enquiry into collision of Trains at Panskura Station (South-Eastern Railway) ...	129
171. उत्तर प्रदेश में बिजली की दर	Rate of Electricity in Uttar Pradesh	129—130
172. केरल में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Kerala	130
173. प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन	Production of Natural Rubber	130
174. उर्वरकों के आयात के लिये रूमानिया से व्यापार समझौता	Trade Agreement with Rumania for Importing Fertilizers	130—131
175. केरल में सरकार द्वारा काजू कारखानों का अपने नियंत्रण में लिया जाना	Taking over Cashew Factories in Kerala	131—132
176. त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय के नये बैंच की स्थापना	Opening of New Bench of Kerala High Court at Trivandrum ...	132
177. भारत पाक सिन्धु जल सन्धि की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् उपलब्ध जल के उपयोग के लिये निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति	Progress of Projects under Construction for Utilisation of Waters available after Expiry of Indo-Pak Treaty ...	132—134
178. चुनावों में अनिवार्य मतदान	Compulsory Voting in Elections	134
179. नेपाल में विद्युत जनन परियोजना का स्थापित किया जाना	Setting up of Power Generating Project in Territory of Nepal ...	134—135

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
180. बिचिया तथा कोरियालाघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच नया रेल मार्ग	New Railway Track between Bichia and Kauriyalaghat (North Eastern Railway)	135
181. मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड से चुराई गई सम्पत्ति	Property stolen from Mughalsarai Maısalling Yard ...	135
182. भारत पाकिस्तान, बंगला देश, सिक्किम, भूटान, नेपाल, बर्मा तथा श्रीलंका के लिये साझा बाजार	Common Market for India, Pakistan Bangla, Desh, Sikkim, Bhutan, Nepal, Burma and Ceylon ...	136
183. एशिया 72 व्यापार मेला	Asia 72 Trade Fair	136
184. कन्या कुमारी से बम्बई तक रेल लाइन	Railway line from Kanyakumari to Bombay	136
185. धागे की कीमत तथा सप्लाई के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन	Tariff Commission's Report on Price and Supply of Yarn	137
186. भारत ईरान व्यापार करार	Indo Iran Trade Agreement	137
187. पटसन तथा चाय उद्योगों में रोजगार में गिरावट	Decline in employment in Jute and Tea Industries ...	137—138
188. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हरियाणा और पंजाब की सरकारों के मध्य विवाद	Dispute between Haryana and Punjab Government over nomination of Judges to Punjab and Haryana High Court , ...	138
189. मार्ग में माल की चोरी के लिये पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा अदा किया गया मुआवजा	Compensation paid by Northeast Frontier Railway for Pilferage of Goods in Transit	138—139
190. इलाइची पुनरोपण वित्त योजना	Cardamom Replanting Finance Scheme ...	139—140
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	140
दिल्ली हवाई अड्डे से एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान का कथित अपहरण	Reported hijacking of an International Plane from Delhi Airport ...	140—141

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
प्रो० मधु दण्डवते	Shri Madhu Dandavate	141
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	141—142
राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अन्तर्बाधाओं के बारे में	Re. Interruptions during President's Address ...	142—143
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	143—144
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	144—146
रेलवे बजट, 1972-73-प्रस्तुत किया गया	Railway Budget, 1972-73—Presented	146
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	146—162
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on President's Address	162
श्री ओ०वी०अलगेशन	Shri O. V. Alagesan	162—165
श्री एच०के एल०भगत	Shri H. K. L. Bhagat	165
श्री ए०के०गोपालन	Shri A. K. Gopalan	170
श्री सी०एम०स्टीफन	Shri C. M. Stephen	172
श्री एच०एन०मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	174
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar	177
श्री के०सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	177
डा० कैलास	Dr. Kailas	178
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	180
श्री श्यामसुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mahapatra	183
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	184
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	184
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	184
श्री पी०गंगा रेड्डी	Shri P. Ganga Reddy	185

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

14 मार्च, 1972 । 24 फाल्गुन, 1893 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
140	नीचे से पंक्ति 18 में 'विभाग' के स्थान पर 'विमान' पढ़िये ।
166	नीचे से पंक्ति 11 'अध्यक्ष' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष' पढ़िये ।
168	नीचे की 6 पंक्तियों को निकाल दीजिये ।
169	ऊपर से 8 पंक्तियों को निकाल दीजिये ।

पृष्ठ 169 पर नीचे से पंक्ति 31 के बाद निम्नलिखित पढ़ें :

'Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I beg to move

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 14 मार्च, 1972/24 फाल्गुन, 1893 (शक)

Tuesday, March 14, 1972/Phalguna 24, 1893(Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*)

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह दुःखद समाचार देना है कि श्री ए० वी० राघवन का देहावसान हो गया है। 10 मार्च 1972 को 47 वर्ष की युवावस्था में केरल के बड़ागरा स्थान पर उनका निधन हो गया। श्री राघवन केरल के बड़ागरा निर्वाचन क्षेत्र से 1962-67 में तीसरी लोकसभा के सदस्य थे। वर्ष 1942 से 1946 तक वे भारतीय नौसेना में थे। वह भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण कार्यों में विशेष रुचि लेते थे। हमें इस मित्र के निधन पर गहरा दुःख है और मुझे विश्वास है कि शोक-संतप्त परिवार को अपनी संवेदनायें भेजने में सदन मेरे साथ है।

परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री, प्रधान मंत्री, तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, आपने श्री राघवन के निधन पर जो संवेदना व्यक्त की है, उसमें मैं भी आपके साथ हूं। जैसा कि आपने कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व वह भारतीय नौसेना में कार्य करते रहे और सार्वजनिक जीवन में पदार्पण करने पर भी मुख्य रूप से वह भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण कार्य से ही सम्बद्ध रहे। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सहकारिताओं का गठन करने में सक्रिय भाग लिया और वह किसानों के कार्यों में भी रुचि लेते रहे। कृपया शोकसंतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचा दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री राघवन के देहावसान पर आपने जो शोक व्यक्त किया है, मैं भी उसमें अपने दल सहित आपके साथ हूं और आप से निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं श्री राघवन को अच्छी तरह जानता था। प्रायः वह सदन में चुप रहते थे और वह काफी निर्लेप वृत्ति के व्यक्ति थे। उस समय सदन में हम दोनों का सम्बन्ध एक ही राजनीतिक दल से था। हम एक ही दल में थे। वह केवल भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के मामलों में ही रुचि नहीं लेते थे अपितु वह उस समय भी अपने असली रूप में आ जाते थे जबकि रक्षा मंत्रालय की अनुदानों पर विचार किया जाता था। वह निश्चय ही इस विषय के विशेषज्ञ थे। भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए वह प्रत्येक वर्ष नये-नये उपाय सुझाया करते थे। उनके असामयिक निधन पर मुझे गहरा आघात पहुंचा है। मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि यह संवेदना शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : द्रमुक दल की ओर से मैं श्री राघवन के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वह सदा ही भूतपूर्व सैनिकों के हितों के पोषक रहे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwaliar) : I associate myself and my party with the other Members who have expressed their condolences on the sad demise of Shri Raghwan.

अध्यक्ष महोदय : शोक व्यक्त करने के लिए सदस्यगण कुछ समय के लिए मौन खड़े हो जायें।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

निर्यात के लिए चाय की किस्म में सुधार करने के उपाय

*1. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय के निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है;

(ख) निर्यात की जाने वाली भारतीय चाय की किस्म में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जो विदेशी चाय बाजारों में भारत के प्रतिस्पर्धी हैं और इस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1971 में चाय के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि 160 करोड़ रु० होने का अनुमान है जब कि 1970 में यह राशि 148.82 करोड़ रु० थी।

बढ़िया चाय के उत्पादन तथा विनिर्माण के उद्देश्य से और अधिक निर्यात-योग्य चाय उपलब्ध करने के लिए, चाय बोर्ड अपनी तीन वित्तीय सहायता योजनाओं अर्थात् (1) चाय पुनर्रोपण इमदाद योजना, (2) चाय रोपण वित्त-पोषण योजना, और (3) चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपकरण किराया खरीद योजना के द्वारा चाय उद्योग को सुधरी हुई किस्मों के क्लोन तथा बीजों से पुनर्रोपण, बदलाव तथा विस्तार करने में और पुरानी किस्म की मशीनों का नवीकरण करने तथा उनके स्थान पर नई तथा सुधरी हुई चाय मशीनें लगाने में सहायता देता रहा है।

विश्व बाजार में भारतीय चाय के मुख्य प्रतियोगी श्रीलंका, इण्डोनेशिया, केनिया, युगांडा, तंजानिया, मलावी, मौजंबिक तथा अर्जनटीना हैं। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सरकार ने जो उपाय किये हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(1) 1 मार्च, 1970 से चाय पर निर्यात शुल्क की समाप्ति ;

(2) 15 अप्रैल, 1970 से निर्यात के समय पर उत्पादन शुल्क में कीमत के अनुसार छूट दिया जाना ;

(3) विभिन्न परम्परागत तथा नये बाजारों में भारतीय चाय के निर्यात की अधिक सम्भावनाएं पैदा करने के लिए लन्दन, न्यूयार्क, ब्रुसेल्स, काहिरा तथा सिडनी में स्थापित चाय बोर्ड के कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक कार्य।

(4) विदेशों में चुने हुए बाजारों में वहां के सम्मिश्रणकर्ताओं/पैककर्ताओं के सहयोग से भारतीय चाय के विशेष पैकों का संवर्धन ;

(5) विदेशों में प्रचार के समुचित माध्यमों से विज्ञापन ;

(6) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

(7) चाय के हित संवर्धन के लिए व्यापारियों तथा चाय विशेषज्ञों का भेजा जाना तथा बुलाया जाना ;

(8) पैकबन्द तथा सम्मिश्रित चाय के निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्र में एक चाय व्यापार निगम की स्थापना।

Shrimati Savitri Shyam : Is it not a fact that the export market for tea is controlled by Britain while India Supplies only the raw material. May I know if it is not the policy of the Government to start packing of tea themselves and export it so as to increase our earnings ?

Shri L. N. Mishra : It is not correct to say that export market is controlled by Britain. As regards packing, the hon. Member knows that a corporation has been

set up foi the purpose. The first meeting of its Directors was held on 15th of the last month. The packing work will also be undertaken in India itself which will add to our earnings.

Shrimati Savitri Shyam : May I know if it is a fact that with the deterioration in quality, the export of tea has also gone down and is it also a fact that the number of women workers employed in this industry is constantly going down ? In 1956, the number of such workers was more than 28 lakhs which has now gone down to about 18 lakhs. Consequently, the work-load has increased. May I know the reason of this decline in the number of women workers ? Is it due to lack of technology or due to the fact that they were untrained ? In case its reason is lack of training, why training is not given to them ? What steps are being taken by the Government to check unemployment among women ?

Shri L. N. Mishra : It is not true that the quality of tea has gone down. There is an increase in its export this year. Last year, we exported tea worth Rs. 148 crores whereas this year its export is worth Rs. 160 crores. As regards the problem of unemployment, I will look into it. There should not be any such problem because they simply work as tea pluckers.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उसमें मंत्री महोदय ने राजकीय सहायता से नये पौधे लगाने की योजना का उल्लेख किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक पुनर्रोपण के लिए कम्पनियों को कितनी धनराशि राजकीय सहायता के रूप में दी गई है और क्या यह आम शिकायत ठीक है कि पुनः पौधे लगाने के लिए आम कम्पनियों और विशेषतया विदेशी चाय कम्पनियों को जो धनराशि दी गई थी, उसका उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है ?

श्री एल० एन० मिश्र : चाय के पौधे पुनः लगाने तथा बागानों का विकास करने के अन्य कार्यों के लिए ऋण दिये जाते हैं । इनमें से अधिकांश धनराशि खर्च नहीं की गई । कई बागानों द्वारा इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया । हमने चाय बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह चाय बागानों के मालिकों और विशेषतया बड़े-बड़े चाय बागानों के मालिकों से यह अनुरोध करे कि वे हमारी सुविधाओं से लाभ उठायें क्योंकि अधिकांश चाय बागान समाप्त होते जा रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह पूछा था कि उन्हें राजकीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है और दूसरे इन शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है कि चाय बागान मालिक इस धनराशि का उपयोग चाय के पौधों को पुनः लगाने के लिए बिलकुल नहीं कर रहे हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस समय ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । गत वर्ष मैंने यह आंकड़े प्रस्तुत किये थे । जिन लोगों ने धन लिया है परन्तु पुनः पौधे लगाने के लिए उसका उपयोग नहीं किया, उनके बारे में जो शिकायत की गई है, मैं उसकी जांच करूंगा ।

Shri Narendra Singh Bisht : Is it not a fact that Indian tea is being sold in foreign countries with Ceylon tea label on it ?

Shri L. N. Mishra : It is not true. Our tea has its own market and Ceylon tea has its own market. Both of us have got our own markets. Mon. Member is also aware of the fact we are governed by international rules. There is no dispute about it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि चाय की किस्म में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में क्या शोध सुविधायें उपलब्ध करवाई गई हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : उन्हें किराये पर लेने तथा खरीदने की सुविधायें दी जा रही हैं ताकि वह पुरानी मशीनों को बदल सकें। चाय बोर्ड द्वारा इसकी देखभाल की जा रही है।

श्री विश्वनाथ राय : विवरण में मंत्री महोदय द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारतीय चाय की किस्म में सुधार हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि गत वर्ष 148 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था और इस वर्ष 160 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है।

श्री जे० एम० गौडर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चाय का निर्यात करने के लिए सरकार ने सोवियत संघ के साथ कोई करार किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक इस प्रकार का करार करने वाली है ?

श्री एल० एन० मिश्र : चाय का निर्यात करने के करार की कुछ शर्तें हैं। हम सोवियत संघ को चाय का निर्यात करते हैं।

पोलैण्ड के साथ फिल्मों के आदान-प्रदान का व्यापार

*3. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड से आये एक शिष्टमंडल ने सुझाव दिया है कि भारत और पोलैण्ड को फिल्मों के आदान-प्रदान का व्यापार करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (**श्री एल० एन० मिश्र**):(क) सरकार को ऐसी किसी प्रस्थापना की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या सरकार पोलैण्ड सहित पूर्वी योरुपीय देशों के साथ फिल्मों के निर्यात के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : सोवियत संघ तथा अन्य पूर्व योरुपीय देशों को फिल्मों का निर्यात किया जा रहा है। पोलैण्ड को फिल्मों का निर्यात करने की व्यवस्था भी है। हम नये बाजारों का पता लगाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। हमारी फिल्मों के निर्यात के लिए पूर्वी योरुप के बाजार बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हैं।

डा० रानेन सेन : क्या यह ठीक है कि फिल्म निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा केवल इसी बात पर ध्यान दिया जाता है कि बम्बई में बनाई गई फिल्मों का ही निर्यात किया जाये और तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या पश्चिमी बंगाल में बनाई गई फिल्मों के निर्यात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्यात किया गया है या सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है कि देश के अन्य राज्यों में बनाई गई अच्छी फिल्मों का भी अन्य देशों में निर्यात किया जाये ?

श्री एल० एन० मिश्र : यदि माननीय सदस्य भारतीय फिल्म निर्यात परिषद के कृत्यों की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने गत वर्ष कहा था कई तेलुगु, बंगाली आदि भाषाओं की फिल्मों का निर्यात किया गया है। परन्तु अभी इसमें कुछ त्रुटियां हैं और हम इसके निर्यात पक्ष का पुनर्गठन करने का विचार कर रहे हैं। मेरा विचार फिल्म-निर्यात को सरकारी क्षेत्र में लेने का है। आज इस क्षेत्र में कई गैर-सरकारी लोग भी कार्यरत हैं, जिससे बहुत गड़बड़ हो गई है। हम सरकारी क्षेत्र के माध्यम से इसे सुव्यवस्थित करना चाहते हैं।

मानव केशों के निर्यात में कमी

* 4. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से निर्यात किये जाने वाले मानव केशों के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात की इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) भारत से मानव केशों के निर्यात में गिरावट का मुख्य कारण यह है कि जापान द्वारा विग के निर्माण के लिए संश्लिष्ट रेशे की पूर्ति किए जाने तथा अमरीका द्वारा चीनी केशों के आयात पर अंकुशों के हटाये जाने के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संश्लिष्ट देशों के आ जाने से कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है।

(ग) 1970 के दौरान, निम्नतम कीमत सम्बन्धी प्रतिबंध हटा लिये गए थे। भुगतान की शर्तें भी शिथिल कर दी गई थीं। निर्यातों में और गिरावट को रोकने के लिए अन्य उपाय अब विचाराधीन हैं।

श्री भानसिंह भौरा : गत तीन वर्षों के दौरान मानव केशों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र): निर्यात की दृष्टि से 1968-69 का वर्ष बहुत च्छा था तथा इसमें 6.82 करोड़ रुपये के मूल्यों के केशों का निर्यात किया गया। वर्ष 1969-70 को 4.82 करोड़ रुपये के मूल्य के केशों का निर्यात किया गया और वर्ष 1970-71 के दौरान 2.008 करोड़ रुपये के मूल्य के केशों का निर्यात किया गया। वर्ष 1971-72 के सितम्बर माह तक 1 करोड़ रुपये के मूल्य के केशों का निर्यात किया गया।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : विवरण में कहा गया है कि जापान तथा अन्य देशों की कड़ी प्रतियोगिता के कारण मानव केशों के निर्यात में कमी हुई है। परन्तु मैं अपने चुनाव क्षेत्र के अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि भारत में राज्य व्यापार निगम या विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा मानव केशों के निर्यात के लिए उचित कार्यवाही नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण मत दीजिये।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मद्रास स्थित विग कारखानों को हम मानव केश सप्लाई किया करते थे। पिलानी में दंडयुथापाणि नाम का एक प्रसिद्ध मन्दिर है जहां पूजा करने वालों द्वारा बड़ी मात्रा में मानव केश चढ़ाये जाते हैं। मद्रास स्थित विग कारखानों में बनाये गए विग अब विदेशों में अधिक लोकप्रिय नहीं हैं। अब विदेशों द्वारा विग की अपेक्षा कच्चे माल की मांग की जा रही है ताकि वह अपनी रुचि के अनुसार विग बना सकें। जापान भी यही कर रहा है। मद्रास तथा अन्य स्थानों पर कर्मचारियों की असावधानी के कारण ही मानव केशों के निर्यात में कमी हुई है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह मानव केशों के निर्यात के लिए कोई कार्यवाही करेगी क्योंकि आजकल विदेशों में विग की अपेक्षा केशों की मांग है। दूसरे यह कि आजकल यह कार्य गैर-सरकारी लोगों द्वारा भी किया जा रहा है। क्या सरकार मानव केशों के निर्यात का राष्ट्रीयकरण करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह कहना ठीक नहीं है कि राज्य व्यापार निगम को इस बात की जानकारी नहीं है कि मानव केश विग और कृत्रिम केश विग में आजकल प्रतियोगिता हो रही है। असली मानव केशों की तुलना में कृत्रिम केश विगों के कुछ अपने गुण होते हैं। कृत्रिम केश विगों के घूंघर स्थायी होते हैं तथा उन्हें बनाना भी आसान होता है इसीलिए औरतों की रुचि कृत्रिम केश विगों में बढ़ती जा रही है। दूसरे इन केशों को धोना तथा उनका रख-रखाव करना अधिक आसान तथा सुविधाजनक होता है। इसके साथ ही एक अन्य बात यह भी है कि कृत्रिम केश विग का रंग स्थायी होने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का भी होता है जबकि भारत में बने विग में हम ऐसा नहीं कर पाते। इसके साथ ही इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि अभी तक अमरीका में चीनी केशों के आयात पर प्रतिबन्ध था परन्तु अब यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। हमें इन सभी समस्याओं का सामना करना करना पड़ रहा है। हम इस समस्या से भलीभांति परिचित हैं तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री जी० विश्वनाथन : जब मंत्री महोदय स्वयं ही कृत्रिम केश विग के गुणों की सराहना में लगे हुए हैं तो फिर भला वह मानव केशों को कैसे बेच सकते हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : जिन लोगों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रतियोगिता है,

उनकी वस्तुओं के गुणों को जाने बिना हम उनके साथ प्रभावशाली ढंग से प्रतियोगिता कैसे कर सकते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चीनी केश भारती केशों से अच्छे नहीं हो सकते ।

अध्यक्ष महोदय : शायद कुछ देश उन्हें पसन्द करते हों ।

श्री जगन्नाथ राव : क्या यह सत्य है कि लोगों के गंजेपन के कारण मानव केशों की मात्रा में कमी होती जा रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : अभी तक मानव केशों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं रही है । कठिनाई तो इसके निर्यात में हो रही है । अतः गंजेपन का हमारे निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : एक मन्दिर के प्रबन्धकों द्वारा यह शिकायत की गई थी कि मानव केशों की कमी का कारण कुशल नाइयों का अभाव है । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या इस प्रकार की शिकायत उनके पास पहुंची है और यदि हां तो क्या कुशल नाइयों की व्यवस्था करने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : क्या मैं नाइयों से सम्बद्ध प्रश्न का उत्तर भी दूं ?

अध्यक्ष महोदय : नाइयों की व्यवस्था इन्हें अपने आप करने दीजिये । अब अगला प्रश्न लीजिये ।

भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा

* 7. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध आरंभ किये गए अभियान की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उसका परिणाम क्या निकला है;

(ख) क्या बिना टिकट यात्रा के उन्मूलन के लिए अन्य रेलों का विचार भी इसी प्रकार के अभियान आरम्भ करने का है; और

(ग) वर्ष 1971-72 में बिना टिकट यात्रा करने के परिणामस्वरूप रेलों को अनुमानतः कितनी हानि हुई है और यह 1970-71 की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय अभी हाल में हरियाणा राज्य में बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध चलाये गये संयुक्त अभियान से है।

रेल मंत्री और हरियाणा के मुख्य मंत्री जी ने संयुक्त रूप से, बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध एक अभियान चलाया था । यह अभियान 8-11-71 को शुरू हुआ और 22-1-72 तक जारी रहा । सभा-पटल पर रखे गए विवरण में मुख्य-मुख्य बातें दिखायी गयी हैं ।

(ख) जी हां।

(ग) रेलों को बिना टिकट यात्रा से होने वाली हानि का अनुमान वर्षानुवर्ष के आधार पर नहीं लगाया गया है और इसलिए 1970-71 और 1971-72 वर्षों के बारे में अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1967-68 के दौरान सभी रेलों पर चलाए गए विशेष जांच-अभियानों के आधार पर प्रतिवर्ष, मोटे तौर पर 20 करोड और 25 करोड़ रुपये के बीच हानि होने का अनुमान लगाया गया था।

विवरण

हरियाणा राज्य में बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) 27-10-71 को चंडीगढ़ में मुख्य मंत्री, हरियाणा और रेल मंत्री द्वारा संयुक्त बैठक में नामित राज्य सरकार एवम् रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा यह अभियान संगठित किया गया था। हरियाणा के गृह सचिव इस समिति के एक सदस्य एवम् अध्यक्ष थे।

(ii) राज्य सरकार ने अपने अंशदान के रूप में पुलिस दल, मजिस्ट्रेटों (रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन के लिए), प्रचार संगठन और शिक्षा विभाग की सेवाएं दीं। इन सेवाओं और पुलिस दल के लिए कोई विशेष प्रभार नहीं लगाया गया। रेलवे ने टिकट जांच कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को एकत्र किया और हरियाणा राज्य में पड़ने वाले विभिन्न रेलवे खण्डों पर बड़े पैमाने पर जोरदार जांच-कार्य संगठित किए एवम् चलाये।

(iii) लगभग 30,000 अनियमित / बिना टिकट के यात्री पकड़े गये जिनसे लगभग 2,82,000 रुपये की आमदनी हुई।

(iv) लगभग 20,00,000 यात्रियों की जाँच की गयी थी। लगभग 6,400 बार विशेष जाँच की गयी।

(v) दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान और भारत में संघर्ष हो जाने के कारण इस अभियान को धक्का पहुंचा।

(vi) टिकट देने की खिड़कियों पर टिकटों की बिक्री और उनसे होने वाली आमदनी के आंकड़े नवम्बर, 71 और जनवरी, 72 के लिए अलग-अलग अभियान की पूरी अवधि के लिए अलग से नीचे दिये गए हैं :—

(क) पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में नवम्बर, 71 और जनवरी, 72 (20-1-72) तक के लिए :—

	टिकटों की संख्या	सीज़न टिकटों की संख्या	आमदनी की रकम
			रु०
चालू वर्ष	50·20 लाख	99,691	91.66 लाख
पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि	4 .0 ,,	8 ,583	70.18 ,,
अन्तर	+8.24 ,,	+13,108	+21.48 ,,
प्रतिशत कमी-वेशी	+9.0	+14.0	+29.0

(ख) पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अभियान की पूरी अवधि के लिए(अर्थात् नवम्बर, 71) से जनवरी, 72 (20-1-72 तक) के लिए :—

	टिकटों की संख्या	सीजन टिकटों की संख्या	आमदनी की रकम
			रु०
चालू वर्ष	75.63 लाख	1.38 लाख	132·67 लाख
पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि	76.92 ,,	1.22 लाख	126.27 ,,
अन्तर	— 2.92 ,,	+0.16 ,,	+6.40 ,,
प्रतिशत कमी-वेशी	— 3.0	+13.0	+5.0

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या इस विशेष अभियान के चलाये जाने के फलस्वरूप 20 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक हुई हानि की राशि पूरी हुई है; यदि हां, तो किस सीमा तक हानि पूरी हुई है और उसकी कितनी राशि है ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य जानते हैं कि यह अभियान अभी तक भारत भर में नहीं चलाया गया। हमने इसे हरियाणा राज्य से शुरू किया है जहां इसके द्वारा काफी सुधार हुआ है। वास्तव में इन थोड़े से सप्ताहों में हमें $6\frac{1}{2}$ लाख रुपये का लाभ हुआ है। यदि अभियान अन्य राज्यों में भी इतना ही सफल रहा जितना यहां है, तो हमें आशा है कि हानि को काफी मात्रा में पूरा किया जा सकेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इन उपायों को अन्य राज्यों में भी शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; यदि हां, तो किन अन्य रेलवे में यह उपाय शुरू किये जाने हैं और उत्तर रेलवे में शुरू किये गये ये उपाय क्यों अधूरे रखे गये हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : जी, नहीं। इस काम को छोड़ा नहीं गया। अभियान वर्ष भर नहीं चलाया जा सकता। इसका उद्देश्य इस काम को गति देना मात्र ही है। अतः हम इस अभियान

को केवल एक या दो महीनों के लिए चलाते हैं। हमने हरियाणा राज्य को इस कारण चुना कि वहां के मुख्य मंत्री बहुत साहसी हैं। उन्होंने हमें पूरा समर्थन तथा सहयोग दिया। मैंने इस प्रकार के पत्र अन्य मुख्य मंत्रियों को भी लिखे हैं और मुझे आशा है कि मैं उन्हें भी सहायता तथा सहयोग प्रदान करने के लिए रज़ामंद कर लूंगा।

श्री अमृत नाहाटा : क्या मंत्री महोदय सदन को बतायेंगे कि बिना टिकट यात्रा के लिये 10 रुपये के निर्मम, अमानवीय तथा असमान दंड द्वारा क्या बिना टिकट यात्रा को कम करने में कोई सहायता मिली है; यदि नहीं, तो क्या इसके स्थान पर किसी अन्य न्यायोचित दंड की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रयुक्त किये गये विशेषणों से सहमत नहीं हूं। दंड बढ़ाने से बिना टिकट यात्रा को कम करने में सहायता मिली है। यदि मैं सदन के सामने कोई सुझाव लेकर आऊंगा तो मैं बिना टिकट यात्रा के लिये कड़े दंड सम्बन्धी सुझावों को ही सामने रखूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : There are so many difficulties faced by the Ticket collectors and T.T. Es. who collect fare and penalty from the ticketless travellers. There is no guarantee for their security. Secondly, there has been demand for taking them in the running stall for the last many years. It has lead to great discontentment among the T. T. Es. Have you taken steps to remove this type of discontentment so that there is provision for their security and they are taken in the running staff so as to enable them to work with more vigour and collect fare from those who travel without tickets ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य टिकट क्लेक्टरों को तंग किये जाने के बारे में चिन्तित हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य तथा उनका दल उचित बात का समर्थन करे तथा उन लोगों की वकालत न करें जो भ्रष्ट हैं और उचित ढंग से अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते।

Shri Hukam Chand Kachwai : I am saying that there is discontentment among T. T. Es and T. Cs. and they are unable to perform their duties properly...

श्री के० हनुमन्तैया : उन्हें तंग नहीं किया जाता।

Shri Hukam Chand Kachwai : There is no specific reply to my question.

अध्यक्ष महोदय : इनके कहने का तात्पर्य यह है कि बिना टिकट यात्रा के कारण टिकट कलेक्टर तंग होते हैं।

श्री के० हनुमन्तैया : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। जब उन्हें तंग किया जाता है तो हम उनकी रक्षा करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उन टिकट कलेक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये जो ईमानदार नहीं हैं। मैं यही कहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रेलवे के किसी कर्मचारी की रक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि किसी बिना टिकट यात्री के पास दस रुपये का नोट नहीं है तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया

जाता है। ऐसी सुविधायें हर रेलवे स्टेशन पर नहीं है। अतः बिना टिकट यात्रा करने वालों को छोड़ दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय ने इस प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री के० हनुमन्तैया : यदि कोई स्टेशन मास्टर तथा टिकट कलेक्टर हमें अपनी कठिनाइयां बताते हैं तो हम उन्हें आवश्यक सुविधायें प्रदान करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I have not received reply to my question. I had asked about the discontentment among the T. T. Es and taking them in the running staff.

श्री ए० पी० शर्मा : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इस कार्य के लिये उत्तर रेलवे को ही क्यों चुना गया ? क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में अन्य रेलवे की अपेक्षा बिना टिकट यात्रा अधिक होती है ? यदि यह सच नहीं है और अन्य रेलवे में बिना टिकट यात्रा अधिक होती है तो इन रेलवे को क्यों नहीं चुना गया ?

श्री के० हनुमन्तैया : जब मैंने अन्य मुख्य मंत्रियों को लिखा तो मुझे उनका पूरा सहयोग नहीं मिला। हरियाणा के मुख्य मंत्री बहुत सहायक सिद्ध हुए और उन्होंने पूरे प्रयत्न किये। इसी कारण हमने हरियाणा को चुना है। माननीय सदस्य कुछ प्रतीक्षा करें। मैं इस सम्बन्ध में नीति के बारे में कुछ कहूंगा।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या बिना टिकट यात्रा साधारणतः कुछ राज्यों में ही होती है और यदि हां, तो इन राज्यों में क्यों नहीं अभियान चलाये जाते ?

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न पहले माननीय सदस्य ने भी पूछा था। इन्होंने इसका उत्तर दे दिया था।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister just now said that he wrote to all the State Governments and the response was only received from Haryana. I want to know the number of Chief Ministers who assured to cooperate ? What are the names of the states where this drive is proposed to be launched.

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय मित्र श्री ए० पी० शर्मा द्वारा पूछे गये प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हमें अब नये मुख्य मंत्रियों की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

Shri Sarjoo Pandey : I asked about the number of States whose Chief Ministers gave assurances about ticketless checking like Haryana ?

अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा भारतीय रेलवे को दिये गये ऋण

*8. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन और विश्व की अन्य एजेन्सियों ने भारतीय रेलवे को अब तक कितने रुपये का ऋण दिया है ;

(ख) इन ऋणों की ब्याज-दरें तथा अन्य शर्तें क्या हैं और इनका उपयोग किन कार्यों में किया गया है ; और

(ग) क्या इन ऋणों का कुछ भाग अभी तक चुकाया जा चुका है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(1) भारतीय रेलों ने अब तक केवल दो अन्तर्राष्ट्रीय संघों, अर्थात् विश्व बैंक और इससे सम्बद्ध संगठन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता प्राप्त की है । 1949 से भारतीय रेलों ने अब तक विश्व बैंक से छः ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से पांच ऋण प्राप्त किये हैं जो कुल मिलाकर 7053 लाख अमरीकी डालर के बराबर हैं ।

(2) बैंक से लिये गये ऋण पर सूद की वार्षिक दर 4 से 6 प्रतिशत के बीच है और इस रकम की अदायगी 15 से 20 वर्ष की अवधि में की जानी है, जब कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था का ऋण सूद से मुक्त है और उस पर 0.75 प्रतिशत वार्षिक दर से केवल सर्विस प्रभार देना है और इस रकम की अदायगी 50 वर्षों की अवधि में की जानी है । ऋण की अदायगी के लिए 10 वर्ष तक की अधिक स्थगन अवधि कर दी गयी है । जिन शर्तों पर और जिन प्रयोजनों के लिए ये उधार और ऋण लिये गये हैं उनका ब्योरा अनुबंध में दिखाया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 1401/72**]

(3) विश्व बैंक का पहला ऋण 1964 में पूरा अदा कर दिया गया और उसके अन्य ऋणों के अंश जब और जैसे दिये हुए अदा कर दिये गये हैं । अब तक की गयी अदायगी की कुल रकम 1576 लाख अमरीकी डालर के बराबर है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के पहले ऋण की अदायगी 10 वर्ष की अवधि अधि स्थगन अवधि के कारण मई, 1973 में ही शुरू होगी ।

(4) उधार और ऋण की ये रकमें विश्व बैंक के सदस्य राष्ट्रों और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था तथा स्विट्जरलैण्ड से चल स्टाक क्रेनपुली और सामान तथा अन्य उपस्करों की खरीद के लिए उपलब्ध होती हैं । खरीद आमतौर पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी दरों के आधार पर करनी होती है ।

श्री एम० कतामुत्तु : विवरण में कहा गया है कि रेल इंजनों को बनाने के लिये उपस्कर और सामान का आयात अभी भी किया जाता है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किस-किस प्रकार के उपस्कर और सामान का आयात किया जाता है और कितना प्रतिशत किया जाता है ।

श्री के० हनुमन्तैया : सारे ऐसे आवश्यक सामान की, जो इस देश में उपलब्ध नहीं, एक लम्बी सूची बन जायेगी । यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें वह सूची दे सकता हूं । वास्तव में

यह एक विस्तृत सूचना है। मैं उन्हें उन उपकरणों की सूचना दे सकता हूं जिसकी साधारणतः आवश्यकता रहती है। उपकरणों का ब्यौरा जब भी वे चाहें, मैं उन्हें दे सकता हूं।

श्री एम० कतामुत्तु : क्या सरकार को आशा है कि ये सब चीजें देश में बनायी जा सकेंगी ?

श्री के० हनुमन्तैया : हमारा लक्ष्य यही है। वास्तव में मैंने रेलवे बोर्ड को एक ऐसे विशेष दल की नियुक्ति करने के लिये कहा है, जिसका उद्देश्य इन सभी वस्तुओं के आयात से छुटकारा पाना है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका निर्माण हम नहीं कर सकते। कुछ वस्तुओं का हमें आयात करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, हम इसी नीति के अनुसार चल रहे हैं।

नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट ऊपरी-पुल

*9. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या रेल मंत्री 23 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1376 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट ऊपरी-पुल बनाने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है ; और

(ग) क्या इस निर्माण-कार्य के लिए पहले मंजूर किये गये प्राक्कलनों को बदला गया है और यदि हां, तो यह संशोधित प्राक्कलन क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे द्वारा बनाये जाने वाले मुख्य पुल के लिए अर्थात् पहुंच मार्गों को छोड़कर, 30-6-1973।

(ग) पूर्व स्वीकृत अनुमान का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

Shri Amar Nath Chawla : The Hon. Minister has said that this over-bridge will be ready by 30th June, 1973 and the approach lines will be constructed by the railways. Should I presume that this bridge is being constructed by a contractor ? Is it a fact that previous estimate amounted to Rs. 11,67,000/- and the contractor is constructing the bridge without any estimate ? How much time will be taken for the prepration of the revised estimates ?

श्री के० हनुमन्तैया : अब अनुमान लगभग 17.2 लाख रुपये का है जिससे पुल पर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें कुछ राशि और बढ़ायी जायेगी।

Shri Amar Nath Chawla : How much time will be taken for the completion of approach lines after the completion of the bridge ?

श्री के० हनुमन्तैया : एप्रोच लाइनों के लिए माननीय सदस्य को दिल्ली नगरपालिका अधिकारियों से बातचीत करनी होगी। मेरा सम्बन्ध केवल पुल बनने से है।

श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी : सम्भवतः यह निर्णय लिया गया है कि सफदरजंग हवाई अड्डे को उड़ानों के लिये बन्द किया जायेगा। क्योंकि अब पुल बन रहा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वहां पर फ्लाइंग क्लब चलाया जायेगा और हवाई अड्डा बना रहेगा ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि सम्बन्धित अधिकारियों के बीच कुछ समझौता हुआ है जिसके अनुसार रेल पुल तथा बिजली की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी जिसका हवाई अड्डे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः फ्लाइंग क्लब वहां रहेगा।

सुन्दरबन डेल्टा परियोजना सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दिया जाना

*10. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरबन डेल्टा परियोजना सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है और इस पर कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) सुन्दरबन डेल्टा परियोजना एक बड़े परिमाण की संश्लिष्ट परियोजना है। अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केवल प्रारम्भिक अनुसंधान ही किया गया है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे विस्तृत अनुसंधान करें और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री माधुर्य्य हालदार : मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया है कि 18 करोड़ रुपये की राशि कार्य के प्रथम चरण के लिये स्वीकृत की गई थी। जब परियोजना को अभी तक अन्तिम रूप ही नहीं दिया गया है, तब प्रथम चरण के ये कार्य क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : पहले केवल प्रारम्भिक अनुसंधान कार्य किये गये थे। प्रारम्भिक रिपोर्ट को हमने उन्हें वापस भेज दिया है और उनसे कहा है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके केन्द्र को भेजें। पहली रिपोर्ट परियोजना निर्माण की सम्भाव्यता के विषय में थी, परन्तु इसके लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री माधुर्य्य हालदार : सुन्दरबन में जल निस्कासन की समस्या बहुत गम्भीर है। इस सम्बन्ध में सरकार कौन से उपायों पर विचार कर रही है ?

डा० के० एल० राव : परियोजना का उद्देश्य 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र को नदी की बाढ़ तथा उसके विध्वंस से मुक्त कराना और 82 ग्रामों को सुरक्षित कराना है। यह प्रथम चरण का कार्य है

तथा सुन्दरबन का पश्चिमी भाग है। इसके साथ ही सुन्दरबन के दूसरे भाग भी हैं जिन्हें दूसरे तथा तीसरे चरण में किया जायेगा।

श्री एस० के० सरकार : मुख्य इंजीनियर ने भी इस योजना का विरोध किया है और इसके विरोध में अपनी टिप्पणी की है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ठीक है ?

डा० के० एल० राव : पश्चिम बंगाल सरकार के इन्जीनियरों ने इसकी पड़ताल की थी। मैंने उनका प्रतिवेदन देखा है। परियोजना कार्य सम्भव है। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। हमें केवल एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की आवश्यकता है जो लागत का पूरा ब्यौरा दे सके। जैसे ही हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी, हम निश्चय ही परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने का प्रयास करेंगे। प्रथम चरण के पूरा होने पर द्वितीय तथा तृतीय चरण का कार्य आरम्भ किया जायेगा जो परियोजना के प्रथम चरण की सफलता पर निर्भर करेगा।

Commercial Goods Seized by Pakistan

***11. Shri C. T. Dhandapani :**

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the quantity and value of Indian commercial goods and ships seized by Pakistan just before or during the last conflict with India ;

(b) the quantity and value of Pakistani goods and ships seized by India during the period; and

(c) the action taken by Government so far in this regard ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) यह पता चला है कि पाकिस्तान सरकार ने दो जहाजों अर्थात् एस० एस० सिटी आफ कोलम्बो तथा एस० एस० सिंगचाउ से भारत के लिए भेजे गए कुछ माल को कब्जे में ले लिया है। समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी कर दिये गये हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रिकों से कहा गया है कि वे तीन महीने के अन्दर अपने दावे शत्रुसम्पत्ति के अभिरक्षक के यहां पंजीकृत करा दें ताकि पाकिस्तान द्वारा कब्जे में लिए गए माल का सही आकलन किया जा सके। अभिरक्षक के यहां अब तक पंजीकृत दावों का मूल्य लगभग 1,39,73,567 रु० है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

विवरण		मूल्य
1. मशीनें तथा उपकरण	—	33,31,668 रु०
2. रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किये गए उत्पाद	—	53,63,931 रु०

3. कच्चा माल (इंजीनियरी, कागज, इस्पात, तांबा आदि)	—	50,90,951 रु०
4. व्यक्तिगत माल	—	1,01,243 रु०
5. उपभोक्ता माल	—	85,774 रु०
योग :	—	1,39,73,567 रु०

(ख) भारत ने चार पाकिस्तानी जहाजों को उनमें लदे माल सहित कब्जे में ले लिया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

जहाज का नाम	माल का विवरण
1. अनवर बख्श	रुई, साल्ट सीमेंट, एम० एस० प्लेटें, रक्षा सम्बन्धी माल, तोरी के बीज, 4 जीपें, 1 एम्बुलेंस।
2. वक़ीर	पटसन, टाट तथा साधारण किस्म का माल।
3. एम० बी० मधुमती	रूई।
4. एम० बी० पसनी	दियासलाइयां, टाट के खाली बोरे, झाड़ू, नारियल आदि।

इसी प्रकार निषिद्ध माल ले जा रहे कतिपय तटस्थ जहाजों को भी अपने कब्जे में लिया गया है और उन पर से माल को उतार लिया गया है। पाकिस्तान के साथ व्यापार पर लगाई गई रोक के अनुसरण में भी माल को कब्जे में लिया गया है।

मात्रा तथा मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने में हजारों पैकेजों का हिसाब लगाना होता है। माल सूचियों, बीजकों और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों के न होने से सीमा-शुल्क, पत्तन न्यास तथा नौ-अधिकारियों द्वारा यह जानकारी संकलित किये जाने में काफी समय लगेगा।

(ग) पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई भारतीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का उल्लेख प्रश्न के भाग (क) में कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा अपने कब्जे में लिए गये अथवा रोके गए माल के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही माल की किस्म, मात्रा, मूल्य तथा स्वामित्व पर निर्भर करेगी। माल को रोकने वाले अधिकारी यह जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण में वह ठोस कार्यक्रम नहीं दिया गया है जिसे इस सम्बन्ध में सरकार कार्यरूप देने जा रही है। मेरी इच्छा है कि मंत्री महोदय इस मामले पर प्रकाश डालें कि क्या सरकार इसके लिए किन्हीं तटस्थ देशों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता लेगी।

श्री एल० एन० मिश्र : पहला प्रश्न हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये जहाजों के मूल्य के विषय में था। दिसम्बर के महीने में युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने हमारे दो जहाज़ पकड़े थे तथा भारत ने पाकिस्तान के चार जहाज़ और हमारी सम्पत्ति का मूल्य 12.39 करोड़ रुपये है तथा पाकिस्तानी सम्पत्ति का मूल्य अभी आंका जाना है। यह शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक के पास है और वही इसकी देख-भाल कर रहे हैं। जहां तक भारतीय सम्पत्ति का प्रश्न है हमने सम्पत्ति के दावेदारों से आवेदन-पत्र मांगे हैं और कुछ समय पश्चात् इस प्रश्न पर समग्र रूप में विचार किया जायेगा तथा निर्णय किया जायेगा।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में भुवनेश्वर और बरहामपुर रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ियों में जंजीर खींचने के मामलों की संख्या में वृद्धि

*12. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के भुवनेश्वर और बरहामपुर रेल स्टेशनों के बीच विभिन्न रेलगाड़ियों में जंजीर खींचने के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र में रेलवे प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे कि रेल यात्री सुरक्षापूर्वक यात्रा कर सकें ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जी, हां ; कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण आमतौर पर उस खण्ड में विद्यार्थी और दैनिक यात्री अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचते हैं। कारण यह है कि कुछ लोग कानून को स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं।

खतरे की जंजीर खींचने की बढ़ती हुई घटनाओं से यात्रियों की संरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ सिवाय इसके कि यात्रियों को असुविधा हुई और गाड़ियां रुकी रहीं। खतरे की जंजीर खींचने की रोक-थाम के लिए रेल प्रशासन द्वारा सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल की सहायता से अचानक जांच का काम तेज कर दिया गया है। राज्य में कानून और व्यवस्था के लिए मुख्यत: उत्तरदायी उड़ीसा की राज्य सरकार से रेल प्रशासन द्वारा निकट सम्पर्क भी रखा जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए रेल प्रशासन द्वारा राज्य सरकार और सरकारी रेलवे पुलिस को लिखा जा रहा है।

श्री अर्जुन सेठी : क्या यह सच है कि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल की कार्य-कौशलहीनता तथा राज्य सरकार के गृह विभाग की उदासीनता के कारण रेलवे के इस खण्ड में खतरे की जंजीरें खींचे जाने की घटनायें बढ़ रही हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य चाहे पुलिस को दोषी ठहरायें, चाहे रेल कर्मचारियों को परन्तु तथ्य यह है कि बहुत बड़ी संख्या में यात्री कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं अतः प्रत्येक वर्ष खतरे की जंजीर खींचे जाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इस मामले में किसी प्रकार भी हम रेल कर्मचारियों तथा रेलवे सुरक्षा दल को पूर्णतया दोषी नहीं ठहरा सकते, न ही वे खतरे की जंजीरें खींचते हैं और न ही वे ऐसा करने वाले व्यक्तियों की सहायता करते हैं। ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को पकड़ना तथा दोषी ठहराना, जो प्रतिदिन ही इस प्रकार का कार्य करते हैं, कठिन कार्य है।

श्री अर्जुन सेठी : सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस इन बातों को प्रकाश में नहीं लाती है तथा उनके द्वारा तुरन्त कार्यवाही नहीं की जाती है। वे ऐसे व्यक्तियों को भाग जाने देते हैं।

श्री के० हनुमन्तैया : कई बार दोषी व्यक्ति का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि यात्रा कर रहे यात्रियों में से ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को पहिचानने तथा उनके विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता।

भारत बुलगारिया व्यापार करार

* 13. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नवम्बर, 1971 में भारत और बुलगारिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रबंधों पर और अपने व्यापार को संतुलित बनाने के बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1972 के लिए व्यापार संलेख पर २९ नवम्बर, 1971 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गये।

इस संलेख में वर्ष 1972 में दोनों देशों के बीच 65 करोड़ रुपये के व्यापार की व्यवस्था है। आयात की मुख्य मदें हैं : उर्वरक, केप्रोलेक्टम, भेषजीय उत्पाद तथा मध्यवर्ती पदार्थ, तथा इस्पात उत्पाद आदि, और निर्यात की मुख्य मदें हैं : पटसन निर्मित वस्तुएं, रासायनिक पदार्थ, कमाई हुई खालें तथा चमड़ियां, लौह अयस्क तथा तेल रहित मूँगफली की खली आदि।

श्री एम० एम० जोजफ : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस करार के परिणामस्वरूप भारत और बुलगारिया में से सर्वाधिक लाभ किसको हुआ है।

श्री ए० सी० जार्ज : ऐसे द्विपक्षीय करारों में यह ध्यान रखा जाता है कि दोनों ही देशों को लाभ हो परन्तु हमारे मस्तिष्क में अपने देश का हित सर्वोपरि होगा ।

अन्तर्राज्यीय नदियों में बाढ़ नियंत्रण

*14. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में बाढ़ के नियंत्रण का यह विचार रहा है कि अन्तर्राज्यीय नदियों का विषय समवर्ती होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात पर विचार किया गया है तथा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) जांच के पश्चात् यह फैसला किया गया है कि सर्वप्रथम नदी बेसिनों में, जहां बाढ़ समस्या बड़ी गम्भीर और जटिल है, बाढ़ नियंत्रण उपायों के समन्वित आयोजन और कार्यान्वयन के लिए, आयोगों के मार्ग-दर्शन के लिए और नीति बनाने के लिए बाढ़ नियंत्रण बोर्डों के साथ बाढ़ नियंत्रण आयोग बनाए जाएं । तदनुसार असम में ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तरी बंगाल की नदियों के लिए बाढ़ नियंत्रण आयोग और बोर्ड स्थापित किए गये हैं । गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर रखे गए विवरण को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन सब आयोगों से किस प्रकार के समन्वय-कार्य की अपेक्षा की जा रही है । केन्द्रीय बोर्ड का तो गठन हो ही चुका है । ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयाग तथा उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण से किस ढंग के समन्वय की अपेक्षा की जा रही है । दूसरे, योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु मंत्री महोदय का क्या कार्यवाही करने का विचार है । तीसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए क्या सरकार ने कुछ धनराशि अलग से रखी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : जहाँ तक समन्वय का सम्बन्ध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है । किसी प्रकार के विलम्ब द्वारा परियोजना को हानि नहीं होने दी जाएगी । मुख्य समस्या, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, वित्त सम्बन्धी है । इस बारे में बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा परामर्शदात्री समिति का विचार है कि परियोजना पर होने वाला व्यय केन्द्र तथा सम्बन्धित

राज्य सरकारों को वहन करना चाहिए । किसी-न-किसी कारणवश हम इस कार्य में सफल नहीं हुए हैं और स्थिति यह है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए धन उपलब्ध कराना अब केवल राज्य सरकारों का ही दायित्व बन कर रह गया है । हम यह देखेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में कोई अग्रिम कार्यवाही करने की आवश्यकता है और क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई और वित्तीय सहायता दी जा सकती है । यह सभी बातें अभी विचाराधीन हैं ।

श्री बी० के० दास चौधरी : अभी कुछ दिन पहले मैं जलपाईगुड़ी स्थित उत्तर बंगाल के बाढ़ नियंत्रण कार्यालय में गया था। मुझे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वहां कार्यालय नाम की कोई चीज़ नहीं है । केवल एक साईन बोर्ड लटका हुआ था जिस पर कार्यालय का नाम "नार्थ बंगाल फ्लड कन्ट्रोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पी० डब्ल्यू० डी० आफिस" लिखा हुआ था । वहां न कोई चपरासी था और न ही अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के लिए कोई पृथक् कमरे की व्यवस्था है । मुझे यह समझ नहीं आता कि उत्तर बंगाल के नाम पर क्यों ऐसी कहानियां गढ़ी जा रही हैं और क्यों वहां के लोगों को कहा जा रहा है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उनके प्रांत में एक आयोग का गठन किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे तथा उत्तर बंगाल की नदियों की बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए धन की व्यवस्था करेंगे और साथ ही आयोग के कार्यालय के सुचारु रूप से कार्य करने देने हेतु उन्हें समय-समय पर जरूरत पड़ने वाली आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे ।

डा० के० एल० राव : बंगाल में जल्दी ही लोकप्रिय सरकार की स्थापना होने वाली है और वह ही इस काम की देखभाल करेगी । मैंने नहीं सुना कि उत्तर बंगाल का बाढ़ नियंत्रण आयोग धन के अभाव से ग्रस्त है । जिस किसी भी परियोजना के बारे में उन्होंने कहा है······

श्री बी० के० दास चौधरी : वस्तुतः वह बहुत कष्ट में हैं !

डा० के०एल० राव : जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बाढ़ नियंत्रण का काम राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । उन्हें ही इस काम की देखभाल करनी है । अब बंगाल में लोकप्रिय सरकार की स्थापना होने जा रही है । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस दिशा में और अधिक सक्रिय कार्यवाही की जाएगी !

श्री० बी० के० दास० चौधरी : यह काम राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए । केन्द्र सरकार को इसे अपने हाथ में लेना चाहिए।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं यह जानना चाहता हूँ कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन गंगा तथा कावेरी नदी को जोड़ने के लिए किया गया है और क्या गंगा को कावेरी नदी से जोड़ने के काम का बाढ़ नियंत्रण आयोग की कार्यवाहियों से कोई सम्बन्ध है ?

डा० के० एल० राव : जी नहीं, गंगा-कावेरी राष्ट्रीय जल क्षेत्र ग्रिड की योजना मुख्यतः सिंचाई की दृष्टि से बनाई गई है । साथ ही यह योजना नौचालन तथा बाढ़ नियंत्रण के काम में भी

सहायक होगी किन्तु अधिक जोर सिंचाई के विकास तथा उन क्षेत्रों के विकास पर दिया जाएगा जहां वर्षा के अभाव में सूखा पड़ता है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर बिहार की बाढ़ों को रोकने के लिए भी किसी बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न अन्तर्राज्यीय नदियों के बाढ़ नियंत्रण के बारे में है। इस प्रश्न के लिए पृथक् सूचना दीजिए।

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य में प्रगति

*15. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने अपने क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर के लिए भूमि उपलब्ध कर दी है;

(ख) क्या परियोजना के लिए भारत में अपेक्षित भूमि अर्जित कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में और 1972-73 की वार्षिक योजना में इस परियोजना के लिए कितनी-कितनी धनराशि रखी गई है; और

(घ) परियोजना में अब तक कुल कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) सभा-पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना पर 37 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसमें से नेपाल में पड़ने वाले निर्माण-कार्यों की लागत लगभग 6.5 करोड़ रुपये है। चौथी योजना में इस परियोजना के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान है। 1971-72 के दौरान 5 लाख रुपये का नियतन है और 1972-73 में राज्य सरकार का इरादा लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च करने का है।

बिहार सरकार नहर के आरम्भिक दो मीलों में कार्य आरम्भ करने का विचार रखती है जहां कोसी परियोजना के अन्य निर्माण-कार्यों के संबंध में पहले ही भूमि अर्जित की जा चुकी थी। इसके बाद नेपाल वाले समस्त भाग में मुख्य नहर के शेष भाग, रजवाहों आदि पर निर्माण-कार्य किया जायगा। फिलहाल, भारत में पड़ने वाले भाग में सिर्फ उन्हीं बड़ी संरचनाओं पर निर्माण कार्य

शुरू करने का विचार है जिनके पूरे होने में 3 या इससे अधिक कार्यकाल लगने की संभावना है। जब नेपाल में पड़ने वाले निर्माण-कार्यों में अच्छी प्रगति हो जाएगी, भारत में पड़ने वाले निर्माण कार्यों को हाथ में लिया जाएगा।

अन्वेषण और निर्माण कार्यों को चलाने के लिए कुछ उपयुक्त स्थानों पर परियोजना भवनों का निर्माण किया जा चुका है और पश्चिमी नहर के पहले दो मील के निर्माण के लिए टेंडर मांगे गये हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : सभा पटल पर रखा गया विवरण काफी निराशाजनक है। पूरी परियोजना पर 37 करोड़ रुपया व्यय होगा जबकि योजना की पूरी अवधि के दौरान इसके लिए केवल 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना का पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए यथेष्ट धन की व्यवस्था की जाएगी। समझौते के दौरान यह कहा गया था कि इस परियोजना के लिए अपेक्षित नेपाली भूमि फरवरी के अन्त तक भारत को दे दी जाएगी। आज 14 तारीख हो गई है और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई है अथवा नहीं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : जहां तक चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना की वित्त व्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक सिंचाई परियोजना है और सिंचाई परियोजनाओं की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर है। मैं कोसी नियंत्रण बोर्ड की बैठक में भाग लेने गया था और मैंने उन लोगों को अत्यंत कठिनाई से इस बात के लिए मनाया कि परियोजना की निर्धारित राशि को इस वर्ष के लिए बढ़ा कर एक करोड़ रुपया कर दिया जाए। मैं जानता हूं कि कोसी परियोजना के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है तथा हमें तीन-चार वर्षों के भीतर इस परियोजना को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन अन्ततः बिहार सरकार को इस मामले को देखना है और मैं आशा करता हूं वहां पर जल्दी ही स्थापित होने वाली लोकप्रिय सरकार इन मामलों पर अधिक ध्यान देगी तथा आगामी वर्षों में परियोजना के लिए वित्त की उचित व्यवस्था भी करेगी। जहां तक भूमि का सम्बन्ध है, यह सच है कि समझौते के अनुसार नहर के निर्माण हेतु नेपाली भूमि फरवरी 1972 तक भारत को दे दी जानी चाहिए थी और हमने भी नेपाल सरकार से वायदा किया है कि 1975 के अंत तक हम नेपाली भूमि पर काम पूरा कर लेंगे। जनवरी के अंत तक बिहार सरकार को नेपाल की भूमि सुपुर्द नहीं की जा सकी। हाल ही में नेपाल सरकार ने हमसे भूमि के उस भाग की निशानदेही करने के लिए कहा है जिस पर नहर का निर्माण किया जाना है। मुझे विश्वास है कि भूमि के अधिग्रहण में हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी क्योंकि नेपाल सरकार ने भूमि देना मंजूर कर लिया है और वह इसके लिए तैयार भी है। हमने हाल ही में उन्हें योजनाओं की रूपरेखा भेजी है। मेरे विचार में एक-दो महीने तक इंतजार करना बेहतर होगा। इस दौरान कार्य रुकेगा नहीं क्योंकि पहले एक-दो मील, जिन पर काम शुरू करना है, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत हैं और हम काम शुरू कर सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : नेपाली तथा भारतीय भूमि के अधिग्रहण पर एक साथ विचार किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय भूमि के अधिग्रहण के लिए कुछ प्रयास किया

गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? नेपाल की ओर नहर बनाने के काम पर लगभग 6 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा और मैं नहीं समझता कि बिहार सरकार से इतना धन व्यय करने की अपेक्षा की जा सकती है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार कम से कम उस भूमि की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेगी । क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है, अतः यह आशा नहीं की जा सकती कि बिहार सरकार उसमें से परियोजना के लिए भी धन दे । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि योजना-काल के लिए पूरी धन-राशि को सुनिश्चित करने के लिए क्या अतिरिक्त धन का नियतन किया जा रहा है ?

डा० के० एल० राव : जहां तक भूमि के अधिग्रहण का प्रश्न है नेपाली भूमि के पहले दो मील भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है किन्तु नेपाल में नहर बन जाने के बाद ही भारतीय भूमि पर काम हो सकता है अतः पहली प्राथमिकता नेपाल के भूमि अधिग्रहण को दी जानी चाहिए और बाद में अपनी भूमि का सवाल आता है । यदि हमारे पास समुचित धन की व्यवस्था हो, तो हम भारत तथा नेपाल दोनों में साथ-साथ काम शुरू करा सकते हैं किन्तु क्योंकि इस स्थिति में हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि हम पहले नेपाल में नहर निर्माण के कार्य पर अधिक ध्यान दें और उस भाग में नहर पूरी करने के बाद और धन उपलब्ध होने पर अपनी भूमि के बाकी काम को लें । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि नेपाल की ओर नहर निर्माण के कार्य पर $6\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का खर्चा आएगा । किन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्र इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकार की जिम्मेदारी हैं । मुझे विश्वास है कि बिहार का भावी मंत्रिमंडल इस विषय पर फिर विचार करेगा ।

श्री भोगेन्द्र झा : किन्तु राज्य अभी राष्ट्रपति शासन के अधीन है ।

डा० के० एल० राव : मुझे विश्वास है कि जब नया मंत्रिमंडल पद ग्रहण करेगा तो सम्बन्धित मंत्री मामले को प्रभावशाली ढंग से केन्द्र के समक्ष रखेंगे और हो सकता है कि केन्द्र सरकार तब इस पर विचार करे ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मंत्री महोदय ने इतना कहने की कृपा की है कि सिंचाई परियोजना पूरी की जानी चाहिए किन्तु विवरण पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि परियोजना को जल्दी से जल्दी पूरा कराने में उनकी विशेष रुचि नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक यह योजना पूरी की जाएगी ?

डा० के० एल० राव : यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है । मेरे विचार में परियोजना तीन-चार वर्षों तक पूरी हो जाएगी । इस पर प्रतिवर्ष 6 से 8 करोड़ रुपये व्यय होगा किन्तु जहां तक धन का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि इस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि, जैसा कि मैंने पहली बार कहा, यह राज्य सरकारों का मामला है और इसकी जिम्मेदारी उन पर ही है । मैं आशा करता हूं कि बिहार की नई सरकार मामले पर एक बार पुनः विचार करेगा और इसके लिए धन की व्यवस्था करेगी । मैं यह मानता हूं कि यह परियोजना पहले ही काफी वर्षों से रुकी पड़ी है ।

डा० हेनरी आस्टिन : जबकि मंत्री महोदय गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने की योजना बना रहे हैं, क्या उनका विचार कावेरी के साथ परियार नदी को भी जोड़ने का है ? मैं जानता हूं कि इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है और मुझे यह प्रश्न पहले पूछना चाहिए था किन्तु यह नहर व्यवस्था सम्बन्धी समेकित चर्चा है अतः यह प्रश्न किसी-न-किसी रूप में इससे सम्बद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Modernisation of Indian Railways

*17. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to modernise the Indian Railways; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) भारतीय रेलों का आधुनिकीकरण-कार्य एक सतत प्रक्रिया है और रेलों की पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख लक्ष्य रेल प्रणाली का उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण करने का रहा है ।

(ख) भारतीय रेलों पर आधुनिकीकरण प्रक्रिया में, गाड़ियों को डीज़ल और बिजली रेल इंजनों द्वारा चलाना, योजनाबद्ध रूप में आमान-परिवर्तन, रेलपथ के अनुरक्षण की सुधरी हुई विधियां अपनाना, सिगनल और दूर-संचार प्रणाली का जाल बिछाना, सुधरे किस्म के माल डिब्बे और सवारी डिब्बे तथा विपणन, आयोजना एवम् प्रबन्ध सम्बन्धी नियंत्रण के आधुनिक सिद्धान्त अपनाना शामिल है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The rate of progress is not satisfactory and as compared with the Railways abroad our progress is very little. May I know from the hon. Minister as to what steps are being taken for speeding up the modernisation of Railways and for establishing rail links between the capitals of all the states with Delhi.

Mr. Speaker : The question relates to modernisation of Railways.

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य ने कई सुझाव दिए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The use of wooden sleepers on our railway line is one of the reasons for which we cannot accelerate the speed of Railways. I want to know whether these wooden sleepers will be replaced by cement concrete ones and if so, the time by which this work is likely to be completed ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य का कहना ठीक है। हम सीमेंट के स्लीपर बनवा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं गत सप्ताह मद्रास गया था और मैंने सीमेंट के स्लीपर बनाने वाली फर्म से बातचीत की थी तथा करार की शर्तों को देखा ताकि यह काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके ।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे के पूर्ण आधुनिकी-किरण पर कितना खर्च आएगा और इस कार्य पर कितना समय लगेगा। इस दौरान वह किन मदों को पूरा करने के लिए ले रहे हैं और किन को छोड़ रहे हैं।

श्री के० हनुमन्तैया : इस बात का उत्तर उन्हें बजट प्रस्तावों में मिल जाएगा। इस प्रश्न के उत्तर के दौरान मेरे लिए व्यय की सभी मदों, उन पर खर्च होने वाली राशि तथा समय आदि के बारे में ब्यौरा बताना अत्यन्त कठिन है।

श्री डी० एन० तिवारी : कुल राशि कितनी है ?

श्री के० हनुमन्तैया : कुल राशि बताना भी संभव नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना भी इस आधुनिकीकरण का अंग है। यदि हां, तो कब तक इस योजना को लिया जाएगा ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य का कहना ठीक है। मेरा उनसे निवेदन है कि वह कुछ देर और इन्तज़ार करें।

कलकत्ता-भूमिगत रेलवे के लिए रूसी तकनीकी विशेषज्ञ

*18 **श्री समर मुखर्जी** :

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमदम को टालीगंज से मिलाने वाली कलकत्ता की प्रस्तावित भूमिगत रेल-व्यवस्था के प्रथम चरण के निर्माण के लिए सोवियत संघ ने सामान और तकनीकी विशेषज्ञ प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : सोवियत रूस सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान यह मालूम हुआ कि कलकत्ता भूमिगत रेलवे के निर्माण में आयातित वस्तुओं का काफी अंश सोवियत रूस की ओर से सहायता के रूप में प्राप्त होगा। इस सहायता के अन्तर्गत कुछ विशेष उपस्कर और सामान और साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त होगी। ज्योंही यह परियोजना स्वीकृत हो जाती है, इस प्रश्न पर आगे कार्रवाई की जायेगी।

श्री समर मुखर्जी : विवरण में कहा गया है कि "सोवियत रूस सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान यह मालूम हुआ..." क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वस्तुतः यह विचार-विमर्श हुआ कब ?

श्री के० हनुमन्तैया : यह केवल कुछ हफ्ते पहले की बात है ।

श्री समर मुखर्जी : विवरण के अन्त में कहा गया है "ज्योंही यह परियोजना स्वीकृत हो जाती है, इस प्रश्न पर आगे कार्रवाई की जाएगी ।" मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक इस परियोजना को स्वीकृति दी जा सकेगी ?

श्री के० हनुमन्तैया : परियोजना को स्वीकृति मंत्रिमंडल को देनी पड़ती है । प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है । मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही इसे स्वीकृति दे दी जाएगी । हमें स्वयं इस बात में रूचि है कि जल्दी से जल्दी कलकत्ता में ऐसी भूमिगत रेल की व्यवस्था हो जाए ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता में भूमिगत रेल व्यवस्था परियोजना कई वर्षों से निलम्बित पड़ी है और परियोजना का लागत व्यय भी बढ़ता जा रहा है । सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने दो बार देश का दौरा किया है तथा कहा है कि भारत के विशेषज्ञ रूसी विशेषज्ञों से कम दक्ष नहीं हैं । मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह काम भारतीय विशेषज्ञों को सौंपेंगे अथवा रूसी विशेषज्ञों द्वारा कराएंगे और किस विशेष तिथि को यह परियोजना प्रारम्भ की जाएगी ?

श्री के० हनुमन्तैया : जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, इस सम्बन्ध में मैं कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता । लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि यह कार्य जितना जल्दी हो सकेगा, प्रारम्भ किया जाएगा और साथ ही जहाँ तक हो सकेगा, यह कार्य अपने देश के ही ठेकेदारों को दिया जाएगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-नेपाल व्यापार संधि का पुनर्विलोकन

*2. **श्री पी० के० देव** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-नेपाल व्यापार संधि के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए भारत और नेपाल के बीच हाल ही में विचार-विमर्श हुआ था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल. एन. मिश्र) : (क) तथा (ख) दोनों देशों के बीच व्यापार तथा परिवहन की नई संधि के उपबन्धों के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए 28 से 29 जनवरी, 1972 तक दिल्ली में भारत-नेपाल संयुक्त पुनर्विलोकन समिति की बैठक हुई थी। नेपाल के श्री 5 महाराजाधिराज महेन्द्र के निधन का समाचार मिलने पर बातचीत स्थगित करनी पड़ी। संयुक्त पुनर्विलोकन समिति की अगली बैठक काठमांडू में होगी।

भारतीय रूई निगम द्वारा रूई की असामयिक खरीद से हानि

*5. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान विदेशी रूई की असामयिक खरीद के कारण भारतीय रूई निगम को भारी हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो निगम को कितनी हानि हुई ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं। रूई निगम 1-9-1970 से ही कार्य करना आरंभ किया है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय निर्यात व्यापार में कठिनाइयां

*6. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा वाणिज्य क्षेत्रों में हाल ही में व्यापार संबंधों के बारे में हुए परिवर्तनों के कारण अमरीका द्वारा उठाये गये कुछ कदमों से भारतीय निर्यात व्यापार के लिए नई कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य की सरकार ने अपने असन्तुलित भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए 15-8-1971 को कतिपय उपायों की घोषणा की जिनमें, आयात की अधिकतम सीमा वाली मदों को छोड़कर सभी शुल्क योग्य मदों पर 10 प्रतिशत के अतिरिक्त आयात शुल्क का लगाया जाना भी शामिल है। इस अधिभार से हमारे

कतिपय अपरम्परागत उत्पादों के निर्यातों पर प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, डालर की परिवर्तनीयता के निलम्बन और फलतः विभिन्न प्रमुख मुद्राओं के अस्थिर हो जाने से विश्व भर के निर्यातकों के सामने उपस्थित अनिश्चितताएं बहुत बढ़ गयीं और इस बात से हमारे निर्यातों पर भी निस्संदेह प्रभाव पड़ा। विश्व की प्रमुख मुद्राओं के पुनर्व्यवस्थित हो जाने के परिणामस्वरूप 20-12-1971 को इस अधिभार को हटा दिया गया। स्थिर विनिमय दरों की प्रणाली के पुनः लागू होने से भी हमारे निर्यातों के सामने विद्यमान अनिश्चितताओं का एक बड़ा कारण समाप्त हो गया।

बिहार में पटसन के आधुनिक कारखानों की स्थापना

* 16. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिहार में पटसन रेशों का सबसे अधिक उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार के कार्पेट बैकिंग और पैकिंग का अन्य सामान बनाने के लिए सहरसा तथा पूर्णिया में पटसन के दो आधुनिक कारखाने स्थापित करने का निर्णय कर लिया है जैसा कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बांगला देश में रेल व्यवस्था को पुनः ठीक करने के लिए सहायता

* 19. **श्री पी० वेंकटासुब्बय :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगला देश सरकार ने अपने देश में रेल-व्यवस्था को पुनः ठीक करने के लिए भारत से सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : बंगला देश की रेल प्रणाली के पुनःस्थापन में भारतीय रेलें सहायता प्रदान कर रही हैं। बड़े और छोटे पुलों का पुनरुद्धार, रेल पथ सम्बन्धी सामान की सप्लाई, निर्मित

पुल गर्डर, इस्पात खण्ड, जहाजी बेड़ा, सिगनल और दूर संचार उपस्कर तथा अन्य रेलवे भण्डार, औजार और संयंत्रों की व्यवस्था की जा रही है।

निम्नलिखित निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं :—

(क) वेनापोल-जैसोर-खुलना खण्ड का पुनःस्थापन।

(ख) गेदे-दर्सना-कुश्तिया-गोआलन्दो खण्ड का पुनःस्थापन।

(ग) मैशासन-लाटू खण्ड का पुनःस्थापन।

(घ) राधिकापुर-विराल-पार्वतीपुर खण्ड का पुनःस्थापन।

(ङ) गीतलदाह-भोगलहाट-लालमनीरहाट खण्ड का पुनः स्थापन।

सिघावाद रोहानपुर-अगनूरा खण्ड के पुनःस्थापन और बड़ी लाइन में उसके आमान परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

उपर्युक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यक्रम। योजना को बंगला देश रेलवे के परामर्श से भारतीय रेलों द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश करने से भारत के विदेश व्यापार पर प्रभाव

* 20. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश करने से भारत के विदेश व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो हमारे निर्यात के किन-किन मदों पर और किस सीमा तक प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) निर्यात को बनाये रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) अनेक अकल्पनीय बातों के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश से हमारे निर्यातों पर कुल मिलाकर कितना प्रभाव पड़ेगा।

परिवर्तित यूरोपीय साझा बाजार में अपने उत्पादों का और अधिक प्रवेश प्राप्त करने के लिए हम अपने प्रयत्न जारी रख रहे है। हम ब्रिटेन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय दोनों को यह समझाने

का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि उन सभी भारतीय उत्पादकों के विषय में, जिनके लिए साझा बाजार में ब्रिटेन की सदस्यता के बाद प्रवेश की परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, बाजार सुरक्षित करने के लिए उनके द्वारा उपाय किये जाने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को एक स्मारक-पत्र 21 फरवरी, 1972 को दिया गया था जिसमें हमारे निर्यात-हित वाली उन महत्वपूर्ण वस्तुओं को अभिज्ञात किया था जिनके संबन्ध में ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश के परिणामस्वरूप कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

उत्तर रेलवे में यात्रा भत्ता बिलों की जांच-पड़ताल

1. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए यात्रा भत्तों के बिलों के दावों की जांच-पड़ताल तथा भुगतान के नियम क्या हैं;

(ख) क्या वास्तविक भुगतान से पूर्व यात्रा भत्ता बिलों की जांच-पड़ताल की जाती है और यदि हां, तो अगर कोई कर्मचारी ऐसा दावा करता है जिसकी नियमों के अनुसार भुगतान की अनुमति नहीं होती तो क्या वह ऐसे अपराध का दोषी होता है जिसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिविजन के जिन कर्मचारियों के विरुद्ध जनवरी, 1970 से दिसम्बर, 1971 तक इस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है उनके नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जो रेल कर्मचारी अपने मुख्यालय से आठ मील से अधिक दूरी पर दौरे पर जाते हैं या उतनी ही दूरी से वापस आते हैं उन्हें यात्रा भत्ता देना होता है।

रेल कर्मचारियों ने जिस महीने में वह यात्रा की हो उसकी अंतिम तारीख से तीन महीने के अन्दर-अन्दर उन्हें अपने यात्रा भत्ते के दावे पेश कर देने चाहिए। यदि कोई दावा इस अवधि के व्यतीत होने के बाद पेश किया जाये तो उसके विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण बताये जाने चाहिए। जब कभी यात्रा भत्ते का कोई बिल जिस महीने में पेश किया जाना चाहिए उससे आगे वाले किसी महीने में पेश किया जाये तो यात्रा भत्ता लेने वाले अधिकारी द्वारा बिल पर निम्नलिखित प्रारूप में में एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए :—

'प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में शामिल किया गया बकाया दावा इससे पहले पेश नहीं किया गया है।'

दौरे पर जाने वाले कर्मचारी को दौरे पर जाने से पहले अपने नियंत्रक अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती है। यात्रा भत्ते के बिलों में अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यालय के चलने का समय, प्रत्येक स्थान पर विराम समय और दौरे का प्रयोजन आदि दिखाया जाता है।

महंगाई वेतन सहित प्रति मास 240 रुपये और इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में दौरा करने वाले कर्मचारियों द्वारा पेश किए जाने वाले यात्रा भत्ता रोजनामे बिलों समेत आंतरिक जांच के लिए लेखा कार्यालय को भेजने होते हैं। जो कर्मचारी 240 रुपये से कम मासिक वेतन पाते हैं उनके मामले में यात्रा भत्ते के रोजनामे बिल तैयार करने वाले कार्यालय अपने पास रखते हैं। लेखा कार्यालय में आने वाले यात्रा भत्ते के रोजनामों की जांच यह देखने के लिए की जाती है कि :—

(क) रोजनामे के प्रत्येक मामले पर सक्षम नियंत्रक अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर हैं।

(ख) विशेष भत्ता दिये जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मौजूद है।

(ग) कार्यक्षेत्र से परे यात्रा करने का प्राधिकार मौजूद है।

(घ) समुद्री/हवाई यात्रा के लिए स्टीमर/हवाई कम्पनियों के प्रमाण पत्र।

(ङ) राजपत्रित अधिकारियों के मामले में यात्रा भत्ता बिल में दिखाया गया वेतन सम्बन्धित वेतन रजिस्टर या वेतन स्लिप के साथ मेल खाता है।

(च) अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में आवधिक निरीक्षणों के समय वेतन बिलों के साथ यात्रा भत्ता बिलों की परीक्षा जांच के अलावा, यह जांच भी की जाती है कि यात्रा भत्ता बिल में दिखाया गया वेतन उस पद के ग्रेड के अधिकतम वेतन से अधिक नहीं है और यात्रा भत्ते के बिल में दी गयी 10 प्रतिशत तक मदों के वेतन की परिशुद्धता की पश्च जांच नियमित वेतन बिलों के साथ की जाये।

(छ) जहां कर्मचारी वास्तविक खर्च लेने का हकदार है वही ब्यौरा दिया गया है।

(ज) जहां व्यावहारिक हो वहां सड़क के फासले का मिलान स्थानीय मार्ग पुस्तक से किया जाये और रेल किरायों का मिलान रेलवे गाइड से किया जाये।

जो कर्मचारी 240 रुपये मासिक तक वेतन पाते हैं उनके मामले में भी यात्रा भत्ते के बिलों की जांच भुगतान किये जाने से पहले बिल पारित करने वाले प्राधिकारी (कार्मिक साखा) द्वारा की जाती है।

अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत जो रकम अग्राह्य पायी गयी हो उसका दावा करना अपराध नहीं माना जाता। केवल ऐसे मामलों में ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिनमें कोई कर्मचारी यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए जान-बूझ कर झूठा बयान देता है। उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मण्डल में जनवरी, 1979 से दिसम्बर 1971 तक की अवधि में ऐसा कोई

मामला नहीं हुआ जहाँ ऐसी रकम का दावा करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी हो, जो नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं था।

टूण्डला गुड्स शेड में चढ़ाया तथा उतारा गया माल

२. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जुलाई, 1970 से दिसम्बर, 1971 तक हर महीने टूण्डला गुड्स शेड में सहकारी समिति द्वारा, जिसको माल उतारने-चढ़ाने का ठेका मिला हुआ है, अनुसूची के अनुसार प्रत्येक वस्तु का कितना-कितना माल उतारा-चढ़ाया गया;

(ख) क्या सरकार को पता है कि रेल कर्मचारियों की सांठगांठ से अनुसूची का कुछ महत्त्व-पूर्ण वस्तुओं के सम्बन्ध में योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार गड़बड़ी की जाती है कि रेलवे प्रशासन को हानि होती है और उक्त समिति को अनुचित वसूली होती है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि में इस प्रकार योजनाबद्ध से गड़बड़ी किये जाने के कारण समिति को माल उतारने-चढ़ाने में कितना अनुचित भुगतान हुआ ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1403/72**]

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एच० ओ० आर० कोटे का उपयोग किया जाना

3. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ रेलगाड़ियों में स्थानों के आवंटन के लिए डिवीजनों को दिये गए एच० ओ० आर० कोटे के उपयोग के बारे में नियम क्या है;

(ख) क्या छुट्टी पर गये रेलवे अधिकारियों को निःशुल्क चैकपासों पर एच० ओ० आर० कोटे का लाभ उठाने की अनुमति है; और

(ग) क्या छुट्टी पर गया कोई अधिकारी अपने ही आदेशों के अ कोटे का लाभ उठा सकता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) 'उच्चाधि वाला स्थान कुछ महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में वातानुकूल और पहले ट धिकारी मांग कोटे के आधार पर आमतौर पर 'पहले आये से'

किया जाता है। यह कोटा एक वरिष्ठ रेल अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि इस कोटे का गाड़ी छूटने से पहले एक निर्धारित समय तक उसके हकदार उच्चाधिकारी द्वारा उपयोग नहीं कर लिया जाता तो कोटे का नियंत्रण करने वाले वरिष्ठ रेल अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थान संसद् सदस्यों, भारत सरकार द्वारा प्रत्याधित पत्र-प्रतिनिधियों, विदेशी पर्यटकों, अन्य अधिकारियों और सामान्य जनता को अलाट कर दिया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि छुट्टी पर रेल अधिकारी मानद चेक पास पाने के पात्र नहीं हैं, बल्कि उन्हें सुविधा पास दिया जाता है। जैसा कि बताया गया है, उपयोग न किये गए उच्चाधिकारी मांग-पत्र कोटे में स्थान अलाट करने के लिए रेल अधिकारियों के अनुरोध पर भी विचार किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

टूण्डला माल गोदाम (इलाहाबाद डिवीजन) में सहकारी समिति से विलम्ब शुल्क तथा अन्य प्रभारों की वसूली

4. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टूण्डला माल गोदाम (इलाहाबाद डिवीजन) में सहकारी समिति से 15 जुलाई, 1970 से जनवरी, 1972 के बीच क्रेन से न उठाये जाने वाले माल के उतारने-चढ़ाने की दर-सूची से संलग्न पाद टिप्पण की मद 9 के अन्तर्गत महीनेवार क्रेन, विलम्ब शुल्क और ढुलाई प्रभारों तथा करार के खंड 10 के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क के रूप में कितनी धनराशि वसूली की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समिति ने क्रेन ड्राइवर तथा अन्य रेल अधिकारियों के साथ साठगांठ करके क्रेन से न उठाये जाने वाले माल के लिए क्रे न प्रभारों का अपवंचन किया है तथा इसके कारण समिति को ठेका दिये जाने के समय के प्रारंभिक अनुमान की तुलना में कितना अन्तर पड़ा है; और

(ग) समिति को पिछले ठेकेदार से 43 प्रतिशत अधिक दर पर भुगतान किये जाने का क्या औचित्य है और क्या रेलवे बोर्ड के दिनांक 13 सितम्बर, 1963 के पत्र संख्या 63 टी० जी०11/6 में उल्लिखित वर्तमान आदेशों के अनुसार दर सूची की प्रत्येक मद की जांच की गई थी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार को ऐसी किसी साठ-गांठ की जानकारी नहीं है। 1971 वर्ष के दौरान 1306 रु० के वार्षिक अनुमान की तुलना में 522·00 रु० क्रेन प्रभार के रूप में वसूल किए गए थे।

(ग) कीमतों और श्रमिकों की दरों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 43 प्रतिशत की वृद्धि उचित समझी गयी। वर्तमान आदेशों के अनुसार दर सूची की प्रत्येक मद की जांच की गयी थी।

विवरण

महीना	क्रेन प्रभार	कर्षण प्रभार	क्रेन विलम्ब शुल्क	विलम्ब प्रभार की राशि जो वसूल की गयी
	रु०	रु०	रु०	रु०
जुलाई, 70				
(ता० 15 से 31 तक)	9 00	—	—	13·20
अगस्त, 70	33·00	—	—	15·90
सितम्बर, 70	18·00	—	—	—
अक्तूबर, 70	24·00	—	—	2·60
नवम्बर, 70	30·00	—	—	1·40
दिसम्बर, 70	33·00	—	—	10 30
जनवरी, 71	42·00	—	—	—
फरवरी, 71	12·00	—	—	—
मार्च, 71	36·00	—	—	—
अप्रैल, 71	68·00	—	—	2·70
मई, 71	44·00	—	—	17·40
जून, 71	44·00	—	—	5·60
जुलाई, 71	60·00	—	—	6·00
अगस्त, 71	76·00	—	—	4·80
सितम्बर, 71	48·00	—	—	6·70
अक्तूबर, 71	24·00	—	—	10·10
नवम्बर, 71	28·00	—	—	9·60
दिसम्बर, 71	40·00	—	—	—
जनवरी, 72	64·00	—	—	3·20

रेलवे सुरक्षा निर्माण निधि से सहायता के लिये केरल सरकार का अनुरोध

5. **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उसको रेलवे सुरक्षा निर्माण निधि से और अधिक सहायता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) रेल मंत्रालय ने केरल सरकार को यह स्पष्ट कर दिया है कि रेल संरक्षा कार्यनिधि से प्रत्येक राज्य का हिस्सा पिछली अभिसमय समिति द्वारा संस्तुत एवं संसद् के दोनों सदनों द्वारा अभि-गृहीत सूत्र के अनुसार निर्धारित किया जाता है। किसी भी राज्य सरकार के हिस्से में वृद्धि करने में रेल मंत्रालय स्वनिर्णय का उपयोग नहीं करता।

उक्त सूत्र को समीक्षा के लिए नयी अभिसमय समिति को भेजने का मुख्य मंत्री का सुझाव मान लिया गया है और मामला समिति के समक्ष रखा जा चुका है।

केरल में सिंचाई परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त वित्त का आवंटन

6. **श्री वयालार रवि :**

श्री रामचन्दन कडनापल्ली :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में निर्माणाधीन सात सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्त केन्द्रीय सरकार से देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं पर राज्य योजनाओं में से धन लगाना पड़ता है। केन्द्रीय सहायता सभी राज्य योजनाओं के लिए इकट्ठी दी जाती है न कि अलग-अलग सैक्टरों अथवा परियोजनाओं के लिए। 1971-72 के लिए केरल की वार्षिक योजना 60 करोड़ रुपये की है जिसमें से 35 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के हैं।

केरल सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए, योजना ढांचे के बाहर विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए प्रार्थना की थी। कठिन वित्तीय स्थिति होने के कारण ऐसी किसी विशेष सहायता पर विचार करना सम्भव नहीं था।

मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश क्षेत्र में नई रेलवे लाइन

7. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश क्षेत्र में रेलवे लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : रीवां के रास्ते सतना से वियोहारी तक एक नयी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण का काम प्रारम्भ करने के बारे में प्रस्ताव पर सक्रिय

रूप से विचार किया जा रहा है। सर्वेक्षण का परिणाम मालूम हो जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) के देय राशि के बारे में समझौता

8. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) को देय राशि के बारे में अन्तिम समझौते के सम्बन्ध में 10 अगस्त, 1971 के अतारांकित **प्रश्न संख्या** 7393 के भाग (ग) के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने इस बीच इस बारे में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) यह विनिश्चय किया गया है कि 1-10-1963 से 30-9-70 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को अन्तिम निपटारे की वह रकम लौटा दी जाये जो क्वार्टर किराये में संभावित वृद्धि वसूल करने के प्रयोजन से रोक ली गयी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वरवाडीह-गोमोह लाइन (पूर्व रेलवे) पर गाड़ियों का देर से चलना

9. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान 21 अक्तूबर, 1971 के 'साप्ताहिक हलधर' में 'पालामऊ वासी लड़ाकू बने, विरोधी बने, अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए' शीर्षक के अन्तर्गत छपी श्री सुग्रीव की उस प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह तथ्य प्रकट किया गया है कि पालामऊ जिले से होकर वरवाडीह-गोमोह लाइन पर चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से चलती हैं और कभी-कभी दो से तीन घण्टे तक लेट हो जाती हैं; और

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। वरवाडीह-गोमोह खण्ड पर गाड़ियों का समय पालन बुरा नहीं हैं क्योंकि समग्र रूप से इस खण्ड पर समयपालन की प्रतिशतता 83 है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी एक्सप्रेस के तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने के स्थानों की व्यवस्था

10. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी एक्सप्रेस के तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने के स्थानों की व्यवस्था करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में स्वचालित करघे

11. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने स्वचालित करघे हैं ;

(ख) क्या देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये वे पर्याप्त हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 31 अगस्त, 1971 को सूती वस्त्र उद्योग में 36,900 स्वचालित करघे थे।

(ख) क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ग) सादे करघों को स्वचालित करघों में बदलने की अनुमति इस शर्त पर है कि मिल के प्रबन्धकों तथा श्रमिक संघ के बीच इस बारे में सहमति हो जाये। चौथी योजना की अवधि के दौरान विस्तार के तौर पर 18000 अतिरिक्त स्वचालित करघे लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

मैथिली पेंटिंग्स का निर्यात

12. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों के साथ 'मैथिली पेंटिंग्स' के निर्यात सम्बन्धी करारों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो जिन देशों ने इन चित्रों के लिये क्रयादेश दिये हैं उनके नाम क्या हैं, क्रयादेश कितने मूल्य के हैं, तथा किन अभिकरणों द्वारा चित्र सप्लाई किये जायेंगे ;

(ग) क्या इससे पूर्व भी पेंटिंग्स अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मैथिली की मांग थी और यदि हां तो गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितनी आय हुई है ; और

(घ) सामान लेने वाले प्रत्येक देश के साथ किये गये करारों को किस तारीख को अन्तिम रूप दिया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) "मैथिली रंग-चित्र" हस्तशिल्प की एक मद है। विभिन्न देशों के साथ समय-समय पर की गयी व्यापार योजनाओं अथवा करारों के अन्तर्गत निर्यात की अन्य मदों के अतिरिक्त 'हस्तशिल्प की वस्तुऐं", अथवा "परस्पर सहमति द्वारा निर्यात की जाने की अतिरिक्त मदों" में मैथिली रंगचित्र अथवा हाथ से बने रंगचित्रों, रेखाचित्रों आदि की अन्य मदें भी शामिल रही हैं।

(ग) मैथिली रंगचित्रों के पृथक् निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, हाथ से बने रंग-चित्रों, रेखाचित्रों आदि के निर्यात इस प्रकार रहे हैं :

1968-69	4.30 लाख रु०
1969-70	4.32 लाख रु०
1970-71	3.03 लाख रु०

पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई की स्थिति

14. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में उद्योगों में प्रयोग के लिए बिजली की सप्लाई के बारे में क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या राज्य में उद्योगों के फिर से चालू न होने तथा निरन्तर बेरोजगारी का एक मुख्य कारण बिजली पर्याप्त रूप में उपलब्ध न होना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल की इस समय तथा आगामी दो वर्षों की मांग को पूरा करने के लिए बिजली की कुल कितनी आवश्यकता होगी; और

(घ) इस समय बिजली की कितनी कमी है और सरकार का विचार इसको किस प्रकार पूरा करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान पश्चिम बंगाल में उद्योगों द्वारा ऊर्जा उपभोग के आंकड़ों से, जोकि नीचे दिए गए हैं, यह पता चलता है कि कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है :—

वर्ष	उद्योगों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट)
1968-69	3276·7
1969-70	3277·9
1970-71	3284·6

(ख) जब से उद्योगों की आवश्यकताएँ साधारणतया पूरी हो गई हैं राज्य में उद्योगों की मन्दी और बेरोजगारी में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पर्याप्त विद्युत् का उपलब्ध न होना नहीं है।

(ग) राज्य की विद्युत् आवश्यकताओं का वर्षवार मूल्यांकन किया जा रहा है जिसमें अगले चार वर्षों के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं शामिल हैं।

(घ) उत्तर बंगाल क्षेत्र को छोड इस समय राज्य में विद्युत् मांगों को पूरा करने के लिए अपेक्षित विद्युत्-उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है। बहरहाल, विद्युत्-उत्पादन संयंत्र अथवा पारेषण लाइन को किसी खराबी के लिए समय-समय पर लोड-शैडिंग की आवश्यकता होती है। व्यस्ततम कार्य-घंटों के दौरान बिजली के खराब हो जाने के परिणामस्वरूप कठिनाइयों से बचने के लिए व्यस्ततम कार्य-भार घंटों के दौरान औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पाबन्दियां लगा दी जाती हैं।

बिहार से उत्तर बंगाल क्षेत्र के लिए 6 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् का पहले ही प्रबंध कर दिया गया है; संतालडीह विद्युत् केन्द्र के प्रथम यूनिट के और इससे संबद्ध पारेषण प्रणाली के चालू होने से, जिसकी संभावना अगले वर्ष है, राज्य में विद्युत् सप्लाई की स्थिति और सुधर जाने की आशा है।

चौथी योजना में नई रेलवे लाइनें

15. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में कौन-कौन-सी नई रेल लाइनें बनाने का विचार है ; और

(ख) क्या इस अवधि में बंगलौर-बम्बई लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) चौथी योजना में निर्माण के लिए प्रस्तावित नयी रेलवे लाइनें इस प्रकार हैं :

(i) दक्षिण रेलवे में तोरनागल्लु-मुदुकुलापेन्टा	24 कि० मी०
(ii) पश्चिम रेलवे में डाबला-सिंहाना—	32 कि० मी०
(iii) मध्य रेलवे में बेसिन रोड-दीवा	42 कि० मी०
(iv) दक्षिण रेलवे में तिरुनेलवेलि-कन्याकुमारी-तिरुअनन्तपुरम—	164 कि० मी०
(v) पश्चिम रेलवे में साबरमती-गांधी नगर—	22 कि० मी०

(ख) मंगलूरु और बम्बई के बीच एक नयी लाइन बनाने की व्यावहारिकता और आर्थिक सक्षमता का निर्धारण करने के लिए एक सर्वेक्षण चल रहा है। सर्वेक्षण के परिणाम मालूम होने पर ही लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई तिनिश्चय किया जा सकेगा।

मलाबार क्षेत्र में कोच फैक्टरी की स्थापना का प्रस्ताव

16. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में रेल डिब्बों के निर्माण के लिए अपेक्षित सागौन की लकड़ी के लट्ठे मुख्य रूप से नीलाम्बुर वन से लाये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मलाबार क्षेत्र में 'कोच फैक्टरी' लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) केवल सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरतें थोड़ी हैं क्योंकि नये सवारी-डिब्बे इंटेग्रल टाइप के तथा इस्पात से बनाये जाते हैं और उनमें सागवान की लकड़ी का थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। सागवान की लकड़ी की जरूरतें जिनमें सवारी डिब्बों के निर्माण की जरूरतें भी शामिल हैं, केरल, मैसूर और मध्य प्रदेश राज्यों के वन विभागों से, संभरण और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से पूरी की जा रही हैं।

(ख) जी नहीं।

कन्नानूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत डालने का प्रस्ताव

17. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कन्नानूर रेलवे स्टेशन के समूचे प्लेटफार्म पर छत डालने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) भारतीय रेलों का आधुनिकीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है और रेलों की पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्यों में से एक यह है कि रेल प्रणाली का उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण किया जाये।

(ख) भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में ये काम शामिल हैं : कर्षण का डीजलीकरण और बिजलीकरण, आमान का योजनाबद्ध परिवर्तन, रेलपथ अनुरक्षण के सुधरे हुए तरीके अपनाना, सिगनल और दूरसंचार व्यवस्था का जाल बिछाना, बेहतर टाइप के मालडिब्बों और सवारी डिब्बों का उपयोग और विपणन, आयोजन और प्रबन्ध सम्बन्धी नियन्त्रण में आधुनिक विचारों को अपनाना।

सिंचाई योजनाओं (केरल) के बारे में प्रतिवेदन

18. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की विभिन्न सिंचाई योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन मंजूरी दिये जाने के लिये मिल गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस स्थिति में है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख): केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित नई सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी जाती है :—

बृहत परियोजनायें	**वर्तमान स्थिति**
एडमलायर	अगस्त, 1971 में केन्द्रीय मंत्री द्वारा दिए गए सुझावों की रोशनी में राज्य अधिकारियों द्वारा स्कीम के आयोजन में संशोधन किया जा रहा है। संशोधित स्कीम प्रतीक्षित है।
बनसुरसागर	टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी जा रही हैं।
तिरुनैल्ली	जांच की जा रही है।
मध्यम परियोजनायें	
करापुझा सिंचाई	5.1.72 को भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्रतीक्षित हैं।
नूलापुझा	टिप्पणियां भेजी जा रही हैं।
मन्नात	—वही—
थन्डर	—वही—
अट्टापड्डी	जांच की जा रही है।

रेलवे में चोरी के मामलों में वृद्धि

19. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे गोदामों और गुड्स शेडों में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में रेल विभाग को चोरियों के कारण प्रति वर्ष कितनी हानि हुई है तथा कितना मुआवजा देना पड़ा और इस हानि को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या चोरी करने वाले समाज विरोधी तत्त्वों की सहायता करने में रेलवे कर्मचारियों को भी दोषी पाया गया है और, यदि हां, तो उन्हें दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां। वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं :—

(I) विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट।

(II) बिजली के ऊपरी तारों की चोरी की रोक-थाम के लिए रेल-पथ का गहन गश्त लगाने, महत्त्वपूर्ण संस्थापनाओं की रक्षा करने और बंदों, हड़तालों, सार्वजनिक आन्दोलनों और पाकिस्तानी हमले के दौरान रेल परिसर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए अत्यधिक संख्या में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों का अपराध विरोध ड्यूटी से हटाया जाना।

(ख) माल की हानि के कारण रेलों द्वारा दी गयी क्षतिपूर्ति की रकम इस लेखे में रेलों को हुई हानि का सही सूचक है।

पिछले दो वर्षों में सभी प्रकार की उठाईगीरी के कारण रेलों द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित भुगतान किया गया।

वर्ष	सभी प्रकार की उठाईगीरी के कारण दी गयी क्षतिपूर्ति की राशि
1969-70	487.20 लाख रुपये
1970-71	535.12 लाख रुपये

रेलों में परेषणों की चोरी और उठाईगीरी रोकने के लिए किये गये सामान्य उपायों के अलावा, अपराधियों के गिरोहों और चोरी की सम्पत्ति खरीदने वालों का सफाया करने के लिए राज्य सरकारों और रेलवे श्रमिक संघों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के स्तर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, रेल अधिकारियों और व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधियों की संयुक्त समितियां बनायी गयी हैं।

(ग) जी हां। जब कभी चोरी और उठाईगीरी में रेल कर्मचारियों की मिलीभगत का पता चलता है, उनके विरुद्ध अदालत में मुकद्दमा चलाया जाता है अथवा उन्हें विभागीय रूप से दण्डित किया जाता है।

दक्षिण पूर्व रेलवे लाइन की किलोमीटरों में लम्बाई तथा उसकी आय

20. **श्री पी० के० देव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे लाइन (राज्य-वार) कुल कितने किलोमीटर लम्बी है और किराये तथा माल भाड़े से (राज्य-वार) उसकी कितनी आय है ; और

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे (राज्य-वार) की प्रस्तावित परियोजनाएं क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 31-3-1971 की दक्षिण-पूर्व रेलवे की मार्ग किलोमीटर लम्बाई और 1970-71 की उसकी आमदनी नीचे दी गयी है :—

31-3-1971 की मार्ग किलोमीटर लम्बाई 6,837.08

1970-71 के लिए आमदनी

	(हज़ार रुपयों में)
यात्री	19,82,34
अन्य कोचिंग	5,98,62
माल	138,22,61
फुटकर	3,74,56
जोड़	167,78,13

प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे की आमदनी और उसके मार्ग किलोमीटरों का ब्यौरा आमान-वार रखा जाता है न कि राज्य-वार। इसलिए अलग-अलग राज्य-वार का जो ब्यौरा मांगा गया है वह उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस समय दक्षिण पूर्व रेलवे पर किसी नयी लाइन/आमान परिवर्तन/परियोजना का प्रस्ताव नहीं है।

त्रिवेन्द्रम-तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी रेल लाइन

21. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम-तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी रेल लाइन बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और नई रेल लाइन पर कार्य के कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : इस बड़ी लाइन की लम्बाई लगभग 164 किलोमीटर है और इस पर लगभग 14.53 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस लाइन के निर्माण के विषय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

मद्रास में 'विग' फैक्टरी

22. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने मद्रास में 'विग फैक्टरी' का कारखाना स्थापित किया है और वह लाभ अर्जित कर रहा है ;

(ख) क्या कारखाने के लिये दिल्ली में बाल एकत्र करने के लिये 21 हजार व्यक्ति लगे हुए हैं ; और

(ग) फैक्टरी के कार्यकरण की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम ने मद्रास में एक विग फैक्टरी स्थापित की है लेकिन यह अभी लाभ पर नहीं चल रही है।

(ख) जी नहीं। फैक्टरी की बालों की आवश्यकता दक्षिण के मन्दिरों से पूरी की जाती है।

(ग) यह कारखाना 1967 में मद्रास (एम्बाट्टूर) में निर्यात हेतु मानव बालों को साधित करने, बालों के उत्पादों जैसे विग, विग्लैट आदि तैयार करने के लिये चालू किया गया था। कारखाने की स्थिर परिसम्पत्तियां लगभग 19.50 लाख रु० मूल्य की हैं। प्रबन्ध सम्बन्धी कार्मिकों सहित इसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 700 है। अन्य उत्पादक देशों और संश्लिष्टों से कठोर प्रतियोगिता के कारण, और परिणामस्वरूप विश्व में मानव बाल और बाल उत्पादों की मांग में गिरावट आ जाने के कारण इस कारखाने की क्षमता को पूरी तरह उपयोग में नहीं लाया गया है। अतः नेत्रलोम, चमड़े के जूते के ऊपरी भागों को तैयार करके और कारखाने के परिसर में चमड़ा विकास एकक की स्थापना करके उपलब्ध सुविधाओं के प्रयोग में विविधीकरण लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

रेयन, नायलन और पोलिएस्टर रेशों का मूल्य निर्धारित करने के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर निर्णय

23. **श्री के० मालन्ना** :

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेयन/नायलोन और पोलिएस्टर रेशों का मूल्य निर्धारित करने का फार्मूला बनाने के बारे में टैरिफ आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) टैरिफ आयोग की सिफारिशों की जांच अन्तिम अवस्था में है।

एसेन्स और कैमिकल्स के लिये आयात लाइसेंस देना

24. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'एसेन्स' के आयात के लिये 'बीवरेज' बारलिंग एण्ड पैकिंग इण्डस्ट्री को आयात लाइसेंस जारी करने के बारे में कोई मापदण्ड निर्धारित किये हैं ;

(ख) ऐसे उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनको एसेन्स और कैमिकल्स का आयात करने के लिये वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस दिये गये हैं और वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के लिये कितने मूल्य के आयात लाइसेन्स जारी किये गये हैं ; और

(ग) क्या ये उद्योग आयात लाइसेन्स उनको मिलने के औचित्य को सिद्ध करने हेतु अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं और यदि हां, तो उन्होंने, अलग-अलग, वर्ष 1970-71 और 1 अप्रैल, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) उन साफ्ट ड्रिंक बोटलिंग एककों की एक सूची संलग्न है जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय के यहां पुस्तकों में चढ़े हुए हैं और जिन्हें कच्चे माल तथा फालतू पुर्जों के आयात हेतु वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस दिये जाते हैं। इन एककों को, कच्चे माल तथा फालतू पुर्जों के आयात हेतु वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस चालू आयात नीति के अनुसार जारी किये जाते हैं। वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों के मदवार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ग) साफ्ट ड्रिंक्स का कोई निर्यात नहीं किया जाता । केवल सन्द्रों का निर्यात किया जाता है और पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत कच्चे माल के आयात हेतु आयात लाइसेंस तभी जारी किये जाते हैं जब कि निर्यात किये जा चुके हों। तथापि, यदि पुख्ता निर्यात आदेशों के क्रियान्वयन हेतु माल की आवश्यकता हो तो अग्रिम लाइसेंस भी जारी किये जा सकते हैं ।

विवरण

डी० जी० टी० डी० के यहां पंजीकृत संगठित क्षेत्र के साफ्ट ड्रिंक बाटलिंग एककों की सूची

क्रमांक	एकक का नाम	स्थान
1.	मै० पियोर ड्रिंक्स लि०, नई दिल्ली ।	नई दिल्ली ।
2.	मै० पियार ड्रिंक्स लि०, बम्बई ।	बम्बई ।
3.	मै० पियोर ड्रिंक्स लि०, कलकत्ता।	कलकत्ता ।
4.	मै० कानपुर बाटलिंग, कं० कानपुर ।	कानपुर ।
5.	मै० साफ्ट बीवरेज़िज कार्पो०, मदुरई ।	मदुरई ।
6.	मै० साउदर्न बाटलर्स लि०, मद्रास।	मद्रास ।
7.	मै० यूनीवर्सल ड्रिंक्स प्रा० लि०, नागपुर ।	नागपुर ।
8.	मै० बीवरेज़िज एंड फूड प्रा० लि०, गुहाटी ।	गुहाटी ।

9. मै० पूना बीवरेज़िज प्रा० लि०, पूना।	पूना।
10. मै० एग्रो बीवरेज़िज कार्पो०, आगरा।	आगरा।
11. मै० कृष्णा बाटलर्स प्रा० लि०।	सिकन्दराबाद।
12. मै० पियोर बीवरेज़िज लि०, अहमदाबाद।	अहमदाबाद।
13. मै० त्रिपति ड्रिंक्स लि०, कटक।	कटक।
14. मै० पाटलिपुत्र ड्रिंक्स प्रा० लि०।	पटना।
15. मै० स्टील सिटी बीवरेज़िज प्रा० लि०।	जमसेदपुर।
16. मै० जय ड्रिंक्स प्रा० लि०, जयपुर।	जयपुर।
17. मै० प्रेमनाथ मोंगा बाटलर्स प्रा० लि०।	मेरठ।
18. मै० पंजाब बीवरेज़िज लि०, चण्डीगढ़।	चण्डीगढ़।
19. मै० साधी बीवरेज़िज प्रा० लि०, इन्दौर।	इन्दौर।
20. मै० सौराष्ट्र बार्टलिंग प्रा० लि०।	राजकोट।
21. मै० बंगलौर साफ्ट ड्रिंक्स प्रा० लि०।	बंगलौर।
22. मै० फाब्रिल गाजुजा।	गोआ।
23. मै० पार्ले बाटलिंग कं० प्रा० लि०।	बम्बई।
24. मै० दिल्ली बार्टलिंग कं० प्रा० लि०।	दिल्ली।
25. मै० जे० बी० बाटलिंग कं० प्रा० लि०।	दिल्ली।
26. मै० ड्यूक एंड संस प्रा० लि०।	बम्बई।
27. मै० रोगर्स एरेटिड वाटर्स प्रा० लि०।	बम्बई।
28. मै० काली एरेटिड वाटर फैक्टरी।	विरुद्धनगर।
29. मै० सिपेंसर एंड कं० लि०।	मद्रास।
30. मै० वींसेंट एंड कं० लि०।	मदुरई।
31. मै० ट्रफ एरेटिड वाटर फैक्टरी।	बम्बई।
32. मै० ब्राउडन एंड कम्पनी।	बम्बई।
33. मै० प्रीमियर एरेटिड वाटर फैक्टरी।	बम्बई।
34. मै० माप्लाई विनागार एरेटिड वाटर वर्क्स।	मदुरई।
35. मै० सिपेंसस एरेटिड वाटर फैक्टरी लि०।	कलकत्ता।

मद्रास-वाल्टेयर रेल लाइन का विद्युतीकरण

25. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास-वाल्टेयर रेल लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है ; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) और (ख) : जी नहीं। लेकिन मद्रास-विजयवाड़ा खंड, जो मद्रास-वाल्लेरू लाइन का भाग है, के बिजलीकरण की मंजूरी दी जा चुकी है और वह काम शुरू किया जा रहा है।

(ग) मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड के बिजलीकरण पर 31.03 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

रल लाइनों कोबड़ी लाइनों में बदला जाना

26. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी मीटर गेज तथा नैरो गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो जिन लाइनों पर कार्य आरम्भ हो गया है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) सम्पूर्ण परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इसमें कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) मीटर लाइन या छोटी लाइन के बड़ी लाइन में समग्र परिवर्तन के सम्बन्ध में इस समय विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए भारी निवेश (2,000 करोड़ रुपये से अधिक) की आवश्यकता होगी, साथ ही इस परियोजना के निष्पादन के समय यातायात अत्यधिक अस्त-व्यस्त हो जाएगा। फिर भी लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से अगले 10-15 वर्षों में देश की प्रमुख घनी आबादी वाली कुछ मीटर लाइनों के लगभग 3,200 किलोमीटर मार्गों का बड़ी लाइन में परिवर्तन की एक संदर्शी योजना बनायी गयी है। जब

अपेक्षाकृत अधिक किफायती उपायों द्वारा लाइन क्षमता की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकतीं तो विशिष्ट छोटी या मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में परिवर्तन प्रत्येक मसले के गुण-दोष के आधार पर किया जाता है। इस बीच, निम्नलिखित मीटर आमान की लाइनों के बड़े आमान में परिवर्तन का काम हाल में प्रारम्भ किया गया है :—

(1) वीरमगाम-ओरवा और कनालुरु-पोरबन्दर (इसमें जामनगर-बेदी तथा कनालुरु-सिका शामिल है)

(2) गुंतकल्लु-बेंगलूरु सिटी

(3) तिरुवनन्तपुरम-कोल्लम-एरणाकुलम

बाराबंकी-समस्तीपुर मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के काम पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

छोटे काफी उत्पादकों को वित्तीय सहायता देना

27. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने छोटे काफी उत्पादकों को अपने काफी बागानों की उत्पादकता में सुधार लाने हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में, राज्यवार, कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1969-70 से 1971-72 (15-2-1972 तक) के दौरान गहन खेती, कार्यकारी पूंजी तथा पुनर्रोपण के लिये लघु काफी उपजकर्त्ताओं को ऋण के रूप में दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

मैसूर	63.50 लाख रु०
केरल	7.49 लाख रु०
तमिलनाडु	6.11 लाख रु०
योग	77.10 लाख रु०

ऋण सहायता के अलावा लघु उपजकर्त्ताओं को किराया खरीद की शर्तों पर आवश्यक उपस्कर तथा मशीनें दी गई हैं जिसका मूल्य उपरोक्त अवधि के लिए लगभग 55.80 लाख रु० है।

समान सिविल संहिता

28. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1971 के अन्त में पूना में हुए महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम महिला सम्मेलन में समान सिविल संहिता बनाये जाने की मांग की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) कुछ प्रेस रिपोर्टों से यह मालूम होता है कि दिसम्बर, 1971 में पूना में हुए मुस्लिम महिलाओं के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ समान सिविल संहिता बनाए जाने की भी मांग की गई थी।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रेलवे स्टेशनों में धन का दुर्विनियोग रोकने हेतु समिति का प्रतिवेदन

29. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों में धन का दुर्विनियोग रोकने हेतु नवीन उपायों का सुझाव देने के लिए गठित तीन अधिकारियों की समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेलवे स्टेशनों पर विधि दुर्विनियोग की रोकथाम के लिए बेहतर उपाय सुझाने के सम्बन्ध में किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया है। लेकिन, स्टेशन रोकड़ भेजने के सम्बन्ध में बेहतर उपाय सुझाने के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक समिति, मध्य रेलवे पर नियुक्त की गयी है ताकि नुकसान से बचा जा सके।

(ख) उपर्युक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की प्रमुख बातें ये हैं :—

(1) स्टेशन की आमदनी भारत के स्टेट बैंक/भारत के रिजर्व बैंक की शाखाओं को सीधा भेजे जाने की प्रणाली का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक स्टेशनों पर किया जाय।

(2) चैक द्वारा भुगतान की सुविधा का विस्तार किया जाय।

(3) रोकड़ कार्यालय में नकदी तिजोरी खोलने से पहले उसकी तोल और स्थिति की जांच करनी चाहिए तथा उसका प्रमाण प्राप्त कर लेना चाहिए।

(4) चल रोकड़ तिजोरी की चाबी को हिफाजत से रखना ; और

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोकड़ कार्यालय से स्टेशनों को रोकड़ के खाली पैसे संरक्षित रूप में वापस किये जाते हैं, उचित प्रलेख रखना चाहिए।

(ग) उपर्युक्त (ख) में की गयी सिफारिशों को सामान्यत: मान लिया गया है और इन पर अमल किया जा रहा है।

मतदान के लिए आयु कम करना

30. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मतदान के लिए आयु कम करके 18 वर्ष करने के सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त प्रस्तावों पर उसने क्या निर्णय किये हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : प्रस्ताव विचाराधीन है ।

बरौनी-गरहरा परियोजना क्षेत्र के रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देना

31. **श्री एम० कतामुतु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी-गरहरा परियोजना क्षेत्र के रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता, जिनके लिए रेलवे कर्मचारियों ने अप्रैल 1971 में हड़ताल की थी, देने की इस बीच मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में किया गया निर्णय क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : बरौनी परियोजना क्षेत्र में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को विवाचन बोर्ड के पंचाट द्वारा प्रदत्त आधार पर परियोजना भत्ता देने के मामले की जांच की गयी है। ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि विवाचन बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होतीं और इसलिए परियोजना क्षेत्रों में काम करने वाले रेल कर्मचारी परियोजना भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं ।

दक्षिण रेलवे में एक्सप्रेस मेल रेल गाड़ियों में कंडक्टर-गार्डों की नियुक्ति

32. **श्री एम० कतामुतु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में यात्रियों की सहायता के लिए सभी एक्सप्रेस और मेल रेल गाड़ियों में कंडक्टर-गार्डों की नियुक्ति की गई है ; और

यदि नहीं, तो किन-किन रेल गाड़ियों में उनकी व्यवस्था नहीं की गई है और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) केवल 12/11 मद्रास-दादर एक्सप्रेस गाड़ियों में कंडक्टरों की व्यवस्था की गयी है क्योंकि दक्षिण रेलवे पर अन्य सभी डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में कंडक्टरों की व्यवस्था करना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं समझा गया है । गाड़ियों के गार्ड, तीसरे दर्जे के शयनयानों में चल टिकट परीक्षक और पहले दर्जे के गलियारेदार सवारी डिब्बों में परिचर यात्रियों की जरूरतों और आराम की देखभाल करते हैं ।

गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा बनाए जाने वाले तथा रेलवे वर्कशाप में बनने वाले रेल के डिब्बों की लागत

33. **श्री एम० कतामुतु :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रेल के डिब्बे बनाने वाले गैर-सरकारी निर्माताओं के साथ कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितने रेल के डिब्बों के लिए करार हुआ है तथा उनकी लागत क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी निर्माताओं को दिये गए माल डिब्बों के मूल्य रेलवे वर्कशाप में बनने वाले डिब्बों की लागत की तुलना में कितने हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, 1971-72 और 1972-73 के कार्यक्रमों से सम्बन्धित माल डिब्बों के निर्माण के ठेके गैर सरकारी क्षेत्र के मालडिब्बा निर्माताओं को दिये गये हैं।

(ख) जितने माल डिब्बों का आर्डर दिया गया, उनकी संख्या और उनका मूल्य नीचे दिया गया है :—

कार्यक्रम	जितने माल डिब्बों का आर्डर दिया गया (चौपहियों के हिसाब से)	आर्डर का अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1971-72	6185.5	14.73 रु०
1972-73	9141.5	22.12 रु०

(ग) एक ही तरह के माल डिब्बों के लिए गैर सरकारी माल डिब्बा निर्माताओं को जो कीमतें दी गयी हैं वे लगभग उतनी ही हैं जितनी कि रेलवे कारखानों में माल डिब्बों के निर्माण पर लागत आती है।

भारतीय रेलवे में हड़ताल

34. **श्री एम० कतामुतु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969, 1970 और 1971 में भारतीय रेलवे में कितनी हड़तालें हुई हैं ;

(ख) ये हड़तालें किन स्थानों में हुई हैं और किस तिथि को हुई हैं ;

(ग) क्या दण्ड के तौर पर हड़तालों से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों की सेवा में अवरोध कर दिया गया था; और

(घ) क्या इन मामलों में दिये गये दंड को बाद में क्षमा कर दिया गया था ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1404/72**]

(ग) और (घ) : जहां काम बन्द कर देने का तात्पर्य अवैध हड़ताल से था, वहां सेवा में व्यवधान का दण्ड दिया गया है। यह उन सभी कर्मचारियों पर लागू किया गया जिन्होंने इस तरह

की हड़ताल में भाग लिया था। सेवा में इस तरह का व्यवधान गुण-दोष के आधार पर तथा सम्बद्ध महा प्रबन्धक की सिफारिश पर माफ कर दिया जाता है और उसे 'छूट का समय' मान लिया जाता है।

दिल्ली के लिए तीव्रगामी यातायात व्यवस्था का व्यवहार्य अध्ययन

35. **श्री अमरनाथ चावला :**

श्री रामसहाय पांडे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने दिल्ली में तीव्रगामी यातायात व्यवस्था का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्य अध्ययन करने के लिए एक कक्ष स्थापित किया है;

(ख) उस अध्ययन कक्ष में कौन-कौन से सदस्य हैं और क्या इस बीच अध्ययन आरम्भ हो गया है ;

(ग) क्या इस मामले में किसी विदेशी एजेंसी अथवा अन्य देश से सलाह ली गई है ; और

(घ) यह अध्ययन कब तक पूरा हो जायेगा तथा सरकार को कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ) दिल्ली में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली का तकनीकी एवं आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन जुलाई, 1971 में रेलों द्वारा अपना महानगर परिवहन परियोजना (म० प० प०) संगठन स्थापित करने के बाद शुरू किया गया। इस अध्ययन का सम्पूर्ण कार्यभार एक मुख्य प्रशासी अधिकारी के पास है जिसकी सहायता इंजीनियरी, बिजली, यातायात, सिगनल और वित्त विभागों से सम्बन्धित अन्य प्रशासी अधिकारी तथा सहायक क्षेत्र कर्मचारी करते हैं।

इस मामले में किसी विदेशी एजेंसी/देश के साथ परामर्श नहीं किया गया है। वर्तमान अध्ययन अप्रैल 1973 में पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है जिसके बाद रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी।

बड़े पैमाने पर तीव्रगामी यातायात योजनाएं

36. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर तीव्रगामी यातायात योजनाओं के कतिपय प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन हैं ;

(ख) ये योजनाएं किन-किन नगरों के लिए बनाई जा रही हैं और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और कब तक पूरा होगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) व्यापक द्रुत पारवहन योजनाओं के बारे में अलग-अलग नगरों की स्थिति इस प्रकार है :—

कलकत्ता : उत्तर में दमदम से लेकर दक्षिण में टालीगंज तक एक भूगत रेलवे बनाने के लिए रेलों द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है। इस काम पर 140 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है जिसमें 23.7 करोड़ की विदेशी मुद्रा शामिल है। इस परियोजना के लिए अभी सरकार की अनुमति प्राप्त करनी है।

बम्बई : व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए सर्वेक्षण तथा अध्ययन किये जा रहे हैं और उनके सितम्बर, 1972 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। चुनी गयी प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं और परियोजनाओं की समय-सारणी के बारे में उपर्युक्त अध्ययनों के पूरा हो जाने के बाद ही पता चल पायेगा।

मदरास और दिल्ली : व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली का तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए जुलाई, 1971 में इन नगरों में रेलों के महानगर परिवहन परियोजना संगठन स्थापित किये गये थे। ये अध्ययन पूरे करने में लगभग 2 वर्ष लगेंगे जिसके बाद इन योजनाओं के अगले ब्यौरे और उनकी समय सारणी के बारे में पता चल पायेगा।

सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना

37. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1971 से सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में कितनी रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : नवम्बर, 1971 से फरवरी, 1972 तक के दौरान सियालदह मंडल में कुल 3115 सवारी गाड़ियां, जिनमें 2497 उपनगरीय गाड़ियां शामिल हैं, रद्द की गयीं जिसका मुख्य कारण है, विद्युतीकृत खंडों पर ऊपरी तारों की चोरियां, बिजली सवारी गाड़ियों के डिब्बों से उपस्करों की चोरियां जिसके कारण अस्थायी रूप से रेलों का संचलन बन्द हो गया, रेल पथ और सिगनल फिटिंगों की चोरियां तथा आपात और आपात के बाद की स्थितियां जिसके कारण भारी संख्या में सैनिक, युद्ध बंदी, शरणार्थी, खाद्यान्न आदि की विशेष गाड़ियां, जिन्हें सर्वोपरि अग्रता प्रदान की गयी, चलानी पड़ीं।

Relief to Railway Employees Killed In Indo-Pak War

38. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of railway employees killed and injured and the extent of damage to their property during the last Indo-Pak War ;

(b) whether Government propose to give any relief to the railway employees who were killed or to award compensation for the damage to their property during the war ; and

(c) if so, the broad outline of the proposal ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Killed—13 ; Injured—38

As regards loss of their property, the Civil authorities are assessing the same.

(b) & (c) : In addition to the settlement dues admissible under the rules and compensation of Rs. 7,000/- under the Workment's Compensation Act, Rs. 2,000/- from Railway Minister's Welfare & Relief Fund, Rs. 500 by the Railway Women's Central Organisation and Rs. 500 as ex-gratia payment has been given as relief to each of the 13 families of the deceased Railway employees. Further, the Government of Punjab have given Rs. 1,000/- each to the 12 families of the deceased and Rs. 1500 to one family. Instructions have also been issued to appoint the widow of a major son/daughter of all the deceased employees in suitable categories.

As regards the Railway employees wounded, 21 who received serious injuries have been paid ex-gratia payment of Rs. 200/- to Rs. 500 each depending upon the nature of injuries sustained. A sum of Rs. :00/- each from the Railway Minister's Welfare & Relief Fund has also been given by way of relief to employees wounded during the Indo-Pak War The question of payment of compensation under the Workment's Compensation Act will be considered after the loss of their earning capacity has been assessed by the Medical authorities.

भारत-ब्रिटेन व्यापार करार

39. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 31 दिसम्बर, 1971 को हुए भारत-ब्रिटेन व्यापार करार को नया रूप देने हेतु उस निर्यात सम्बन्धी धारा को हटाने के लिए सहमत हो गया है जो ब्रिटेन द्वारा भारतीय सूती कपड़े पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के मार्ग में बाधक थी ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात सहायता के सामान्य उपायों को सुदृढ़ बनाने के अलावा, ऐसी कुछ चुनी हुई किस्मों के सूती वस्त्रों को छांटने का कार्य आरम्भ किया गया है जिनकी पूर्ति प्रतियोगी कीमतों पर ब्रिटेन के बाजार में की जा सकती है, ताकि इन किस्मों पर निर्यात प्रयास केन्द्रित किये जा सकें।

दिल्ली और तुगलकाबाद के बीच रेल सेवाओं का भंग होना

40. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के आपसी झगड़े के कारण दिल्ली और तुगलकाबाद के बीच रेल सेवाएँ 31 दिसम्बर, 1971 को दो घंटे तक भंग रहीं ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) 31-12-71 को नयी दिल्ली की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा ब्रह्मानन्द नामक अपराधी जो तुगलकाबाद डीजल शेड में अधिकुशल फिटर के रूप में काम कर रहा था, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353/186 के अधीन गिरफ्तार किया गया था और 31-12-1971 की एफ० आई० आर० नं० 496 के अनुसार एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

सतना जिला (मध्य प्रदेश) में मैयर में ऊपरी पुल

41. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना जिला (मध्य प्रदेश) में मैयर में रेलवे के ऊपरी पुल का निर्माण काय पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह पुल यातायात के लिए कब खोला जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मइहर में ऊपरी सड़क पुल या ऊपरी पैदल पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अलीपुरद्वार और न्यू कूचबिहार स्टेशनों के बीच शटल गाड़ी का चलाया जाना

42. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या रेल मन्त्री 8 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3775 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संख्या 141/142 मिक्स्ड ट्रेन्स को अलीपुरद्वार से न्यू कूचबिहार तक चलाये जाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी क्रियान्विति कब तक की जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) इस प्रस्ताव की विस्तारपूर्वक जांच की गयी थी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इसका औचित्य नहीं पाया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

न्यू कूचबिहार से रेलगाड़ी परीक्षकों को वापस बुलाना

43. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या रेल मन्त्री न्यू कूच बिहार के रेल गाड़ी परीक्षकों की पुन: नियुक्ति के बारे में 8 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3774 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में रेलवे अधिकारियों को अभ्यावेदन प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार न्यू कूच बिहार में रेलगाड़ियों की परीक्षा के लिए पहली व्यवस्था लागू करने तथा कर्मचारियों को वापस उसी स्थान पर बदली करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मध्य वाणिज्यिक सहयोग

४४. श्री बी० के० दास चौधरी :

श्री सी० टी० दंडपाणि :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कमीशन के अध्यक्ष ने यूरोपीय साझा बाजार के देशों को और अधिक भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिये वाणिज्यिक सहयोग द्वारा सम्बन्धी भारतीय प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ख) भारतीय प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा यूरोपीय साझा बाजार में किस सीमा तक भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वाणिज्यिक सहयोग करार हेतु हमारे अनुरोध पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग अपनी प्रस्थापनाओं को मन्त्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अभी अन्तिम रूप देने का कार्य कर रहा है। प्रस्थापित वाणिज्यिक सहयोग करार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही करके भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार के आदान-प्रदान को बढ़ाना है।

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा किये गये उपायों में ये शामिल हैं; चाय, काली मिर्च जैसे भारत के निर्यात हित वाले उष्णकटिबन्धीय उत्पादों पर प्रशुल्कों का निलम्बन ; ईस्ट इंडिया किप्स पर लगा शुल्क समाप्त करना ; सूती वस्त्रों के लिए अधिक कोटा देना ; हथकरघा वस्त्रों तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिये शुल्क मुक्त कोटे देना ; और भारत के निर्यात हित की निर्मित तथा अर्ध-निर्मित वस्तुओं के लिये अधिमानों की सामान्यीकृत योजना लागू करना।

पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में झंझरपुर से लन्काहा तक रेलवे लाइन

45. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में अन्धराथरी और बाबूवराही होते हुए झंझरपुर से लन्काहा तक नई रेलवे लाइन बिछाने का सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं और इसके पूरे होने की अनुमानित तिथि क्या है ; और

(ग) क्या इस लाइन को झंझरपुर से अथवा लकरी से रोसेरा तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) खतौना के रास्ते झंझरपुर से लोकहा-बाजार तक मीटर आमान की रेल लाइन के लिए इंजीनियरी व्यावहारिकता अध्ययन व यातायात सम्बन्धी मूल्यांकन अभी हाल में पूरा हुआ है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इस रेल सम्पर्क की लम्बाई 42.55 कि० मी० और उसके निर्माण की अनुमानित लागत 1.93 करोड़ रुपये है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह लाइन बिल्कुल ही अलाभप्रद है।

(ग) जी, नहीं।

डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद द्वारा अभ्यावेदन का दिया जाना

46. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में भ्रष्टाचार के बारे में डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति से रेलवे प्रशासन को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उपरोक्त समिति द्वारा बार-बार दिये गये उन अभ्यावेदनों की उपेक्षा की गई है। जिनमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए डिवीजनल अथारिटी धनबाद से सहयोग मांगा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों का सार क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दानापुर (पूर्व रेलवे) में नई रेलवे कालोनी

47. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर (पूर्व रेलवे) की नई रेलवे कालोनी में उत्तरी बाउन्ड्री वाल में बनाये गये रास्ते से वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है और इस पानी को निकालने की कोई नियमित निकासी व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने दो वर्ष पूर्व वर्षा के पानी की नियमित निकासी की एक योजना बनाई थी जिसको अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) भारी मूसलाधार वर्षा के समय असाधारण मौकों को छोड़कर, बरसात के दिनों में कालोनी में सामान्यतः पानी जमा नहीं होता। जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है।

(ख) जल निकासी का अपेक्षित काम 1969 में ही पूरा कर लिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल को सहायता

48. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल को उसकी सिंचाई तथा विद्युत् योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहायता देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) भारतीय सहयोग कार्यक्रम के अधीन सिंचाई स्कीमों के कार्यान्वयन में भारत पहले से ही नेपाल को सहायता प्रदान कर रहा है। नेपाल में त्रिसूली जल विद्युत् परियोजना का निर्माण भी भारत ने नेपाल के उपयोग के लिए किया था। चतरा नहर भी जिससे नेपाल के क्षेत्रों की सिंचाई करने का इरादा है, अब लगभग पूर्ण हो चली है। इसके अतिरिक्त, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों की निर्माणाधीन कोसी और गंडक परियोजनाओं से नेपाल को सिंचाई और विद्युत् के लाभ देना परिकल्पित है।

इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन द्वारा अपरिष्कृत पटसन के निर्यात का विरोध

49. **श्री रामावतार शास्त्री** :

डा० रानेन सेन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन ने अपरिष्कृत पटसन का निर्यात किये जाने के सरकारी निर्णय का विरोध किया है :

(ख) यदि हां, तो एसोसियेशन ने इस निर्णय का किस आधार पर विरोध किया है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) पटसन उद्योग के प्रतिनिधियों ने कुछ समय पहले यह शंका व्यक्त की थी कि पटसन के निर्यातों को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इसका आधिक्य नहीं है। इस मौसम में पटसन के सीमित निर्यातों को अनुमति देते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है।

वीरभूम, पश्चिम बंगाल में बाढ़ और सहायता कार्य

50. **श्री गदाधर साहा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की बाढ़ से वीरभूम, पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय संस्थाओं के बहुत से मकानों और भवनों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है;

(ख) मकानों आदि की मरम्मत और उनके निर्माण के लिए इन संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया ;

(ग) वीरभूम में जिन स्कूलों को यह सहायता दी गई उनके नाम, खण्डवार क्या हैं ;

(घ) क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस माफ कर दी गई है ; और

(ङ) क्या इन स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को पेशगी वेतन दिया गया और यदि हां, तो इसके लिए कुल कितना धन मंजूर किया गया ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यह उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Introduction of Rajdhani Type of Trains on other Routes

51. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme to run Rajdhani Express types of trains on certain other routes also ;

(b) the earnings from the present Rajdhani Express during the last two years; and

(c) the number of passengers who travelled by this train during the said period ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) It is proposed to introduce Rajdhani Express between New Delhi and Bombay Central in the new time table to come in force from May, 1972.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) 1,37,333.

Damage to Indian Railways due to Sabotage Activities and Pakistan Bombardment

52. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the details of damage done to the Indian Railways prior to and during the last Indo-Pak war as a result of sabotage activities and Pakistani bombardment ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : The information is being collected and the same will be laid on the table of the Sabha.

Railway Line from Dhalli-Rajhara to Jagdalpur

53. **Shri Hukam Chand Kachwai :** will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a Railway line is proposed to be laid from Dhalli-Rajhara to Jagdalpur via Bhanupratappur, Narayanpur and Modagaon connecting the Jagdalpur district with the rest of the State by rail ; and

(b) if so, the estimated expenditure involved in the project ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b) : A proposal to undertake a traffic-cum-engineering survey for a BG line from Dhalli Rajhara to Dantewara/ Jagdalpur is under consideration. The cost of the suggested line will be known only after the survey is carried out,

Export of Railway Wagons

54. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the quantity of Railway equipment and Railway wagons exported to foreign countries during the last two years ; and

(b) the value of purchase order in terms of rupees, received from foreign countries which are under consideration at present and the amount of foreign exchange likely to be earned therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) A statement showing quantity and value of Railway Equipment and Railway wagons exported during 1969-70 and 1970-71 is attached.

(b) During 1971-72, a total of Rs. 60.20 crores worth of orders including those outstanding from previous years were in hand. Out of these, it is estimated that orders worth Rs. 10.50 crores would be executed by the end of year 1971-72 and the balance would be executed in the coming years.

Statement

(Value : Rs. lakhs)

	1969-70		1970-71	
Items	Quantity	Value	Quantity	Value
Railway Coaches (Nos.)	116	21.93	46	10.19
Railway Wagons (Nos.)	24	9.54	463	187.68

Wagon components	—	17.86	—	13.03
Loco Boilers (Nos.)	4	3.14	—	—
Rly. Track Materials (M/T)	5798	70.55	11415	154.61
Train Lighting and Signalling Equipments	—	3.39	—	9.95
Total		126.41		375.51

Scheme To Check Havoc Caused by Bhutahi Balan River in North Bihar

55. **Shri Jagannath Mishra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether next to Kosi, "Bhutahi Balan" causes greatest havoc in North Bihar ;

(b) whether Government have any scheme to control it ; and

(c) if so, when it will be taken up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) to (c) The Bhutahi Balan river, when in high floods, spill over its banks especially on the right side and inundates an area of about 50,000 hactares. The State Government of Bihar have formulated a scheme for construction of an embankment on the right bank of the river at an estimated cost of Rs. 92 lakhs. The scheme is yet to be considered by the State Flood Control Board and approved by the Planning Commission. The scheme is to be taken up for implementation by the State Government after it is approved by the Planning Commission.

Rural Electrification in Bihar

56. **Shri Jagannath Mishra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have a scheme to electrify every village in the country; and

(b) if so, the time by which the villages of Bihar be electrified ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel): (a) During the Fourth Plan, the emphasis in rural electrification schemes continues on the electrification of pumpsets. Electrification of villages is a subsidiary part of this programme. Outlays in the State Plans provide for the electrification of 7.5 lakh pumpsets. Additive finances are provided by the Rural Electrification Corporation for rural electrification schemes of State Electricity Boards envisaging an outlay of Rs. 150 crores in the Central Sector for electrification of an additional number of 5 lakh pumpsets. It is estimated that the electrification of 12.5 lakh pumpsets during the Fourth Plan period would result in the electrification of about 50,000 villages during the Plan. Out of 5.67 lakh villages in the country, about 74,000 were electrified at the commencement of the Fourth Plan. Of the 50,000 villages anticipated to be electrified during the Fourth Plan, the number electrified so far is 41600. Thus only about 22% of the villages in the country would be electrified by

the end of the Fourth Plan. It is, however, expected that with the availability of additional resources the number of villages electrified by the end of the Fourth Plan might go up significantly.

(b) In Bihar out of 67665 villages, the number electrified as on 31-12-1971 is 8262. With availability of additive finances from the Rural Electrification Corporation and depending upon mobilisation of further resources by the State Electricity Boards from other financing institutions, the number of villages to be electrified by the end of the Fourth Plan is expected to be about 13000, So far the Rural Electrification Corporation has sanctioned 16 schemes in Bihar envisaging loan assistance of Rs. 922 lakhs for electrification of 1930 villages and 26492 pumpsets. The time by which all the villages in Bihar are electrified will depend upon the availability of resources in the Fifth and subsequent Plans.

साबुन, रंग-रोगन और वार्निश का निर्यात/आयात

57. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार साबुन, रंग-रोगन और वार्निश के निर्यात से कितनी धन-राशि अर्जित की गई है तथा इनका किन देशों को निर्यात किया गया है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार क्रमशः साबुन, रंग-रोगन और वार्निश के आयात पर कितनी राशि खर्च की गई है तथा इनका आयात किन देशों से किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1968-1969 से 1970-71 के दौरान, साबुन, रंजकों, रंग-रोगन, वार्निश तथा इससे सम्बद्ध सामग्री का देशवार निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है—विवरण-1

(ख) 1968-69 से 1970-71 के दौरान, साबुन, रंजकों, रंग-रोगन, वार्निश तथा इससे सम्बद्ध सामग्री का देशवार आयात दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है—विवरण-2.

विवरण-1

1968-69 से 1970-71 के दौरान, साबुन, रंजकों, रंग-रोगन, वार्निश तथा सम्बद्ध सामग्री का निर्यात

(मूल्य लाख रु० में)

क्रमांक	पण्य/देश	1968-69	1969-70	1970-71
1.	**साबुन**			
	मलयेशिया	2	2	2
	नेपाल	55	58	44
	सिंगापुर	1	1	1

	थाईलैण्ड	2	4	2
	तंजानिया गणराज्य	3	1	3
	संयुक्त राज्य अमेरिका	2	1	2
	अन्य	7	5	5
	योग-1	72	72	59
2.	**रंजक, रंग-रोगन, वार्निश तथा सम्बद्ध सामग्री**			
	श्रीलंका	3	5	7
	फ्रांस	नगण्य	2	6
	इटली	1	1	1
	इराक	6	6	13
	कुवैत	7	7	10
	नेपाल	16	18	16
	सिंगापुर	2	2	5
	थाईलैण्ड	3	3	4
	सं० अरब गणराज्य	15	27	39
	ब्रिटेन	2	3	7
	सं० राज्य अमरीका	नगण्य	1	11
	सोवियत संघ	140	115	278
	वियतनाम गणराज्य	10	14	15
	अन्य	34	33	38
	योग-2	234	237	450

विवरण-2

1968-69 से 1970-71 **के दौरान साबुन, रंजक, रंग-रोगन, वार्निश तथा सम्बद्ध सामग्री**

(मूल्य लाख रु० में)

क्रमांक	पण्य/देश	1968-69	1969-70	1970-71
1.	**साबुन**			
	सं० राज्य अमरीका	1	2	4
	अन्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
	योग-1	1	2	4

2.	**रंजक, रंग-रोगन, वार्निश तथा सम्बद्ध सामग्री**			
	चेकोस्लोवाकिया	2	5	6
	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	4	2	2
	जर्मन संघीय गणराज्य	20	29	32
	ईरान	3	7	10
	हंगरी	3	3	3
	जापान	5	4	6
	नीदरलैण्ड	4	5	5
	पोलैण्ड	1	1	3
	स्विट्जरलैण्ड	2	2	4
	ब्रिटेन	34	27	40
	सं० रा० अमरीका	16	18	19
	सोवियत संघ	नगण्य	नगण्य	3
	अन्य देश	16	8	8
	योग 2	109	111	141

उत्तर प्रदेश में नई विद्युत् परियोजनाओं के लिये प्रस्तावित योजनाएं

58. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 1043 करोड़ रुपये के लागत की नई विद्युत् परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आठ योजनाएं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा कितनी योजनाएं अनुमोदित की गई हैं ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने नई विद्युत् परियोजनाएं स्थापित करने हेतु 10 स्कीमें प्रस्तुत की हैं जिनमें 741.95 करोड़ रुपये का व्यय होना है। टिहरी परियोजना को सलाहकारी समिति ने स्वीकृति दे दी है। अन्य स्कीमों की जांच हो रही है। उनकी मुख्य-मुख्य बातें उपाबंध-एक और दो में दी गई हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में नई उत्पादन स्कीमों के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में केवल 30.72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विवरण-एक

उत्तर प्रदेश सरकार/बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तावित विद्युत् परियोजनाओं के सम्बन्ध में विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लाभ (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
	स्कीमें जो तकनीकी रूप से संभाव्य पाई गई हैं परन्तु कार्यान्वयन के लिए अभी तक स्वीकार नहीं की गईं।		
1.	ओवरा ताप विस्तार-चरण-दो	600	89.89
2.	टिहरी बांध परियोजना*	600	197.92
		(विद्युत् भाग :	153.91)
	जांचाधीन स्कीमें		
3.	हर्दुआगंज ताप विस्तार-चरण-दो	110	22.60
4.	ऋषिकेश-हरिद्वार जल विद्युत्	100	34.74
5.	लखवर बांध परियोजना *	100	50.00
		(विद्युत् भाग :	25.20)
6.	बियासी जलविद्युत् स्कीम	125	19.40
7.	ओबरा ताप विस्तार चरण-तीन	400	60.13
8.	विष्णु प्रयाग जल विद्युत् परियोजना	262	57.18
9.	गोरखपुर ताप केन्द्र	400	61.84
10.	ओबरा ताप 'बी' विद्युत् केन्द्र	1000	148.25
	कुल :	3697	741.95

विवरण-दो

उत्तर प्रदेश सरकार/विद्युत् बोर्ड द्वारा प्रस्तावित विद्युत-जनन स्कीमों की मुख्य-मुख्य बातें

1. ओबरा ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार चरण दो

इस स्कीम में 8989.92 लाख रुपयों की अनुमानित लागत पर 200-200 मेगावाट के तीन उत्पादन यूनिटों द्वारा ओबरा ताप-विद्युत केन्द्र का विस्तार परिकल्पित है। केन्द्र के लिए संयंत्र और उपस्कर देश के निर्माताओं से ही लिया जाएगा। केन्द्र में उपलब्ध सामान्य सुविधाएं लगभग 1200

* बहूद्देश्यीय परियोजनाएं

मेगावाट की अन्तिम क्षमता के लिए अभिकल्पित की गई हैं। पर्याप्त प्रशीतक जल सुविधाएं सारे साल ओबरा जलाशय झील से उपलब्ध हैं। स्थल सिंगरौली कोयला खानों के बिल्कुल निकट है जहां से रेलवे लाइन का पहले से ही विद्युत् केन्द्र स्थल तक विस्तार कर दिया गया है।

2. टिहरी बांध परियोजना

यह एक बहूद्देश्यीय परियोजना है जिसमें गंगा नदी की सहायक नदियों भागीरथी और भोलन गंगा के संगम के नीचे, टिहरी नगर के अनुस्रोत 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, भागीरथी नदी के ऊपर एक 245.5 मीटर ऊंचा राकफिल बांध का निर्माण परिकल्पित है। 150-150 मेगावाट की क्षमता के 4 उत्पादन यूनिटों, की 600 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ एक भूगत बिजलीघर वाम पार्श्व में बनाने का प्रस्ताव है। टिहरी जलाशय के पानी को अपर गंगा, लोअर गंगा और आगरा नहर प्रणालियों के अधीन सिंचाई का आवर्धन करने के लिए प्रयोग में लाने का विचार है। स्कीम की कुल अनुमानित लागत 19792.34 लाख रुपये है, बिजली पर लगने वाली लागत 15391.24 लाख रुपये बताई गई है।

3. हर्दुआगंज बी० ताप विद्युत् केन्द्र विस्तार —चरण-छः

हर्दुआगंज 'बी' ताप-विद्युत् केन्द्र के चरण-छः विस्तार के अधीन, 2260.54 लाख रुपयों की अनुमानित लागत पर मैचिंग बायलरों और आनुषंगिक उपस्कर के साथ दो 55 मेगावाट टर्बो जनित्र सेटों को प्रतिष्ठापित करने का विचार है। कोयला बंगाल/बिहार कोयला खानों से लेने का विचार है। संयंत्र और उपस्कर देशी स्रोतों से ही उपलब्ध किया जाएगा।

4. ऋषिकेष-हरिद्वार जल-विद्युत् स्कीम

इस परियोजना में 3474.70 लाख रुपयों की अनुमानित लागत पर ऋषिकेश से भीमगोडा में गंगा नहर शीर्ष कार्यों तक गंगा नदी में 97 फुट के पात का प्रयोग करते हुए बाएं किनारे से निकलने वाली 14 किलोमीटर लम्बी विद्युत् चैनल और ऋषिकेश नगर के अनुस्रोत लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के ऊपर एक बराज का निर्माण परिकल्पित है। बिजलीघर की प्रतिष्ठापित क्षमता 99 मेगावाट होगी जिसमें 33-33 मेगावाट के तीन यूनिट होंगे।

5. लखवर बांध परियोजना

लखवर बांध परियोजना में कालसी के प्रतिस्रोत लगभग 13 मीलों की दूरी पर लखवर में यमुना नदी के ऊपर 577 फुट ऊंचे कंक्रीट के बांध का निर्माण तथा बिजलीघर में 21.3 फुट के व्यास की पेनस्टाक पाइप का निर्माण जो कि 10 फुट व्यास के तीन पेनस्टाक पाइपों में विभक्त होगी, और जो कि 400 फुट के औसत शीर्ष के अधीन चल रहे 50-50 मेगावाट के तीन उत्पादन यूनिटों के साथ दक्षिण पार्श्व में भूगत विद्युत् केन्द्र तक पहुचेगी। स्कीम की अनुमानित लागत 50.0 करोड़ रुपये है और इसमें से बिजली के भाग पर 25.20 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस परियोजना के अन्तर्राज्यीय पहलू हैं।

6. बियासी बांध परियोजना

इस परियोजना को लखवर बांध परियोजना के शेष भाग के रूप में हाथ में लेने का विचार किया गया है। इस परियोजना में 111 मीटर (367 फुट) के अभिकल्प शीर्ष के अधीन चलने वाले 37.5/37.5 मेगावाट के दो उत्पादन यूनिटों के प्रतिष्ठापन के साथ वाम पार्श्व में एक भूगत विद्युत् केन्द्र और लखवर बांध स्थल के अनुस्रोत लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर बियासी के निकट यमुना नदी के ऊपर 60 मीटर (197 फुट) ऊंचा कंक्रीट बांध का निर्माण होना है। लखवर विद्युत् केन्द्र में तीसरे 50 मेगावाट उत्पादन यूनिट के प्रतिष्ठापन का प्रावधान भी स्कीम के अन्तर्गत किया गया है। इस यूनिट की भी लागत को नाम लिखते हुए, परियोजना का अनुमानित पूंजीगत परिव्यय 19.40 करोड़ रुपये है।

7. ओबरा ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार चरण-तीन

ओबरा ताप-विद्युत् केन्द्र के चरण तीन विकास के अन्तर्गत परियोजना संपदा में, जिस पर 6013.06 लाख की लागत आने का अनुमान है, ये सम्मिलित हैं : दो 600 मेट्रिक टन/प्रति घण्टा क्षमता बायलरों सहित दो टर्बो जनित्र सेटों का प्रतिष्ठापन सहायक उपस्कर, बाहरी उपकेन्द्र में 400 किलोवोल्ट का विस्तार और मौजूदा समान सुविधाओं में परिवर्द्धन और संशोधन जैसे अन्य सहायक निर्माण कार्य अर्थात् जल अभिक्रिया उपस्कर, ईंधन-तेल की सुविधाएं, कोयला और राख उठाने-धरने के संयंत्र, रेलवे साइडिंग, प्रशीतक जल सप्लाई व्यवस्था आदि। जनित्र ट्रांसफार्मरों के लिए यूनिट प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव है इसलिए 11/400 किलोवोल्ट, 240 एम० वी० ए० के 2 विद्युत् ट्रांसफार्मरों और अन्य बाहरी उपस्कर के लिए प्रावधान किया गया है। कोयला सिंगरौली कोयला-खानों से प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

8. विष्णु प्रयोग जल-विद्युत् स्कीम

परियोजना से विद्युत्-जनन के लिए हनुमान चट्टी से अलकनंदा नदी के साथ विष्णुगढ़ के संगम पर अलकनन्दा नदी के 943 मीटर (3093.8 फुट) के प्रपात का समुपयोजन परिकल्पित है। इस स्कीम में ऋषिकेश नगर से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर अलकनन्दा नदी पर एक बराज, 3.0 मीटर व्यास की 12 किलोमीटर लम्बी एक हेड रेस सुरंग और अन्य सम्बद्ध कार्यों का निर्माण सम्मिलित है। विद्युत् घर में 65.5/65.5 मेगावाट की 4 विद्युत्-जनन यूनिटें होंगी। विद्युत् घर से विसर्जित जल को भूगत ले जाने का प्रस्ताव है और उसे 825 मीटर लम्बी एक टेलरेस सुरंग के जरिए अलकनन्दा नदी में वापस ले जाया जाएगा। इस स्कीम पर 5718.4 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें ऋषिकेश-जोशीमठ मार्ग के नवीकरण के लिए 600 लाख रुपये का प्रावधान सम्मिलित है।

9. गोरखपुर ताप-विद्युत् केन्द्र

स्कीम से दो 600 मेट्रिक टन/प्रति घंटा क्षमता वाले बायलरों सहित दो टर्बो जनित्र सेटों का प्रतिष्ठापन, सहायक उपस्कर 220 किलोवोल्ट का बाहरी उपकेन्द्र और जल जैसे अभिक्रिया-

संयन्त्र, ईंधन-तेल सुविधाएं, कोयला और राख उठाने धरने के संयन्त्र, रेलवे साइडिंग, प्रशीतक टावरों जैसे अन्य सहायक कार्य परिकल्पित हैं, इस पर 6184 लाख रुपये की लागत का अनुमान है। जेनरेटर-ट्रांसफार्मरों के लिए यूनिट प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव है और तदनुसार, दो 11/220 किलोवोल्ट, 240 एम० वी० ए० विद्युत् ट्रांसफार्मरों के लिए प्रावधान किया जा चुका है। इस विद्युत् केन्द्र को गोरखपुर स्थित 220 किलोवोल्ट के ग्रिड उपकेन्द्र से अंत:सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है जहां से बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया और आजमगढ़ जिलों की विद्युत् सम्बन्धी मांगें पूरी करना सम्भव होगा। विद्युत् केन्द्र स्थल और मडुआडीह (मुगल सराय के निकट) दोनों ही जगहों में कोयला और राख उठाने-धरने और रेलवे साइडिंग के लिए भी आवश्यक प्रावधान किया जा चुका है, इस स्थान में ब्राड गेज रेल के वैगनों से उठाकर मीटर गेज रेल वैगनों में कोयला लाने का कार्य करना पड़ता है क्योंकि गोरखपुर में मीटर गेज रेल पर है। प्रस्तावित विद्युत् केन्द्र के लिए 39 प्रतिशत राख के अंश वाले सिंगरौली कोयले का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

10. ओबरा ताप 'ख' विद्युत् केन्द्र

स्कीम से 14825.72 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 5 टर्बो जनित्र यूनिटों की प्रतिष्ठापना परिकल्पित है, जिसमें से प्रत्येक की निर्धारित क्षमता 200 मेगावाट की होगी। प्रत्येक यूनिट का अपना बायलर होगा जिसकी क्षमता 130 वायुमण्डल के दाब और 5600 सेंटिग्रेड तापमान पर प्रति घंटा 600 मेट्रिक टन वाष्प उत्पन्न करने की होगी। जनित्रों को 3 किलोग्राम/सेंटीमीटर दाब पर हाइड्रोजन से ठंडा किया जाएगा। राख और लौह-चूर को आस-पास की तंग घाटियों में इस्पात की पाइप लाइनों के जरिए गारे के रूप में पंप किया जाएगा। 1000 मेगावाट की क्षमता के प्रस्तावित विद्युत् केन्द्र के लिए रेलवे साइडिंग, कोयला के वाहनान्तरण की व्यवस्था, कोयला उठाने-धरने का संयन्त्र, प्रशीतक जल की सप्लाई और अन्तर्ग्राही और निकास-नालियां पर्याप्त होंगी। 11 किलोवोल्ट पर विद्युत् जनित्र की जाएगी और इसे बढ़ाकर 240 एम० वी० ए०, 11/400 के 'वी' ट्रांसफार्मरों के जरिए 400 किलोवोल्ट तक ले जाया जाएगा। स्कीम रिपोर्ट में दिए गए संकेत के अनुसार, कोयले के सिंगरौली कोयला-खानों से प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

निर्यात में वृद्धि के लिये विकासोन्मुख व्यापार नीति

59. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिये विकासोन्मुख व्यापार नीतियां बनाने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) अब तक उनके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य की कहां तक प्राप्ति हो सकी है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करने के लिये सरकार की नीतियों की मोटी मोटी रूप-रेखा, जुलाई 1970 में संसद् में रखे गये निर्यात नीति संकल्प में दी गई है। निर्यातों की प्रवृत्ति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जाती है और जब कभी आवश्यक होता है, निर्यात संवर्धन के लिये कारगर उपाय करने के प्रयत्न किये जाते हैं। विदेशी बाजारों का पता लगाना और निर्यात के लिये माल का उत्पादन सतत प्रक्रिया है। देश की आयात नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, राजस्व-विषयक नीति, विदेशों में विनिधान नीति आदि निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। निर्यातों को बढ़ाने और उनमें विविधता लाने के प्रयास हेतु अनेकानेक उपाय किये गये हैं, उदाहरणार्थ :

(क) **कच्चे माल की पूर्ति** : मुख्यत: प्रतिपूर्ति लाइसेंस योजना के माध्यम से महत्त्वपूर्ण कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। देशी कच्चा माल, जैसे इस्पात और एल्यूमीनियम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। गैर-परम्परागत माल के पंजीकृत निर्माता निर्यातकों को उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर, 'अन्तरिम आयात लाइसेंस, अग्रिम लाइसेंस और अग्रदाय लाइसेंस' प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) **क्षमता अवरोधों को समाप्त करना** : विस्तार क्षमता के लिये लाइसेंस देने, प्रतिस्थापित क्षमता में सुधार करने और अपनी पसन्द के स्रोतों से आयात करने के विषय में निर्यातोन्मुख एककों को अधिमान्य व्यवहार प्रदान किया जाता है।

(ग) **कच्चा माल सहायता केन्द्र** : विपुल मात्रा में आयात करने के लिये राज्य व्यापार निगम का औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र और सरकारी क्षेत्र के अन्य अभिकरणों के ऐसे ही प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं ताकि पंजीकृत निर्यातक, जब कभी आवश्यक हो अपने प्रतिपूर्ति लाइसेंस वापस करके तैयार भंडार से सप्लाई प्राप्त कर सकें।

(घ) **विदेशी सहयोग** : निर्यातोन्मुख एककों के मामले में विदेशी सहयोग के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यापारिक क्रियाकलापों के मामलों में भी विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में, यदि ऐसे सहयोग में निर्यात सम्भाव्यता मौजूद हो, तो गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(ङ) **आयात सम्बन्धी सुविधाएं** : निर्यात उत्पादन में निरन्तरता बनाये रखने के उद्देश्य से निर्यात सदनों को आयात सम्बन्धी सुविधाएं दी जाती हैं। लघु क्षेत्र के उन एककों को, जो अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक निर्यात करते हैं, अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मुक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये पात्र बना दिया गया है।

(च) अन्य सुविधाएं : जो निर्यात क्षमताओं में वृद्धि करने के लिये दी गई हैं, उनमें ये शामिल हैं : चुने हुए निर्यात उत्पादों पर प्रतिकरात्मक समर्थन (यह विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा झेलने, विपणन सक्षमता के विकास हेतु, और अर्थ व्यवस्था के विकास की वर्तमान अवस्था में निहित अलाभों को निष्प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिया जाता है) बाजार सर्वेक्षण, प्रदर्शनियों आदि जैसे निर्यात क्रियाकलापों के लिये वित्तीय सहायता देना, निर्यात उत्पादों पर सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्कों की वापिसी। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक परिस्थितियों को देखते हुए निर्यात/आयात शुल्कों के समायोजन सहित करों में रियायतें और करों में राहत दी जाती हैं।

(छ) प्रशुल्क कटौतियां : व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य करार (गाट) के कैनेडी दौर और अधिमानों की सामान्य योजना के अन्तर्गत विकसित देशों से प्रशुल्क सम्बन्धी कटौतियां प्राप्त की गई हैं।

(ज) संस्थागत प्रबन्धों का सुव्यस्थीकरण : राज्य व्यापार निगम और धातु तथा खनिज व्यापार निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के अभिकरण, पथ-अन्वेषक और उत्प्रेरक के रूप में निर्यात प्रयास की सहायता करने में बड़े पैमाने पर विकासात्मक भाग अदा कर रहे हैं। इनसे यह आशा की जाती है कि वे भारत के निर्यात व्यापार के विविधीकरण में प्रमुख योगदान देंगे।

(ख) तथा (ग) : चौथी योजना के दौरान निर्यातों की वृद्धि का वार्षिक लक्ष्य 7 प्रतिशत है। चाहे निर्यात निष्पादन प्रत्येक वर्ष के लिये भिन्न-भिन्न रहे पर सरकार को विश्वास है कि चौथी योजना के दौरान निर्यात वृद्धि की औसत वार्षिक दर योजना लक्ष्य के आसपास रहेगा। यह आत्मनिर्भर विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

लुधियाना में स्टेपल धागे के कारखानों का बन्द होना

60. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फरवरी के महीने में लुधियाना में स्पेटल धागे के बहुत से कारखाने बन्द हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय और राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने के लिए कानून का बनाया जाना

61. **श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार ऐसा कानून लाने का है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय तथा राज्य विधान मंडलों के लिए चुनाव लड़ सकें ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

रेयन यार्न के मूल्यों की पुनः जांच

62. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन यार्न के मूल्यों के बारे में पुनः जांच करने के लिए एक समिति अथवा एक आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके निदेश पद क्या हैं; और

(ग) समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

थीन बांध परियोजना के संबंध में संबंधित राज्यों में मतभेद

63. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में रावी पर थीन बांध परियोजना के प्रश्न पर सम्बद्ध राज्यों के मतभेद को केन्द्र सरकार ने दूर कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : परियोजना के कुछ अंतर्राज्यीय पहलू हैं जिनको संबंधित राज्यों के बीच तय किया जाना है । अभी इन मामलों पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श हो रहा है।

दिल्ली से कन्याकुमारी तक सीधी रेलगाड़ी का चलाया जाना

64. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से कन्याकुमारी तक सीधे रेलगाड़ी चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) इसके चलने की कब तक सम्भावना है;

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी धन राशि खर्च होगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) : एर्णाकुलम-तिरुअनन्तपुरम मीटर लाइन को बड़ी लाइन (13·60 करोड़ की लागत से) में बदलने के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और तिरुअनंतपुरम-कन्याकुमारी-तिरुनेलवेलि बड़ी लाइन रेल-सम्पर्क (14.53 करोड़ की लागत से) के निर्माण के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। तिरुअनंतपुरम-कन्याकुमारी लाइन के निर्माण के बाद ही सीधी गाड़ी चलाने के बारे में विचार किया जा सकता है, जिसके निर्माण में मंजूरी के बाद लगभग 4 वर्ष लगेंगे।

कोचीन से शोरनूर तक (दक्षिण रेलवे) दोहरी रेलवे लाइन का बनाया जाना

65. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और शोरनूर के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उस पर कितनी लागत का अनुमान है; और

(ग) कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) इस खण्ड पर (1) मुल्लरकरा-वेट्टिटकाट्टेरी और (2) पुदुक्काड-इरिजालक्कुडा के बीच, 18 किलोमीटर में अंशतः दोहरी लाइन बिछाने का विचार है जिस पर लगभग 200 लाख रुपये की लागत का अनुमान है।

(ग) इस निर्माण कार्य के अनुमान स्वीकृत हो जाने के बाद लगभग तीन वर्ष में काम पूरा हो जायेगा।

इटली और कनाडा को भेजी जाने वाली काली मिर्च के निर्यात में कमी

66. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में इटली तथा कनाडा को भेजी जाने वाली काली मिर्च के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को रोकने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान इटली को होने वाली काली मिर्च के निर्यात में कमी आई। 1970-71 के दौरान कनाडा को काली मिर्च का निर्यात 1968-69 के दौरान हुए निर्यात से अधिक था लेकिन 1969-70 में हुए निर्यात से

कम था परन्तु उससे मूल्य प्राप्ति अधिक हुई : 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के सम्बन्ध में इटली तथा कनाडा को काली मिर्च के निर्यातों का विवरण संलग्न है ।

(ख) अन्य प्रतियोगी किस्मों की अपेक्षा भारतीय काली मिर्च की कीमत अधिक है ।

(ग) इटली और कनाडा के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार नहीं है लेकिन काली मिर्च के हमारे निर्यातों में कुल मिला कर वृद्धि करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

विवरण

1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान इटली तथा कनाडा को हुए काली मिर्च के निर्यात के सम्बन्ध में आंकड़े

1. इटली को काली मिर्च के निर्यात

वर्ष	मात्रा मे० टन में	मूल्य (लाख रु० में)
1968-69	1789	97.60
1969-70	1279	82.58
1970-71	751	67.23

2. कनाडा को काली मिर्च के निर्यात

वर्ष	मात्रा मे० टन में	मूल्य (लाख रु० में)
1968-69	854	43.53
1969-70	933	64.08
1970-71	908	75.14

धागे तथा कपड़े के व्यापार के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का हंगरी का दौरा

67. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हंगरी में धागे तथा कपड़े के व्यापार की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु उस देश का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन थे तथा उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया; और

(ग) प्रतिनिधिमंडल के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : औद्योगिक सहयोग के लिए हंगरी सरकार द्वारा दिखाई गई अभिरुचि के फलस्वरूप, जिसके अनुसार भारत में वस्त्र बनाकर हंगरी को ही वापिस भेजने के लिए भारत को रुई की पूर्ति की जाएगी, श्री बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी 1972 के अन्तिम सप्ताह में बुडापेस्ट का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य थे : श्री एस० विश्वनाथ, महानिदेशक, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद और श्री एम० पी० गजेरिया, सहायक सचिव, भारतीय काटन मिल परिसंघ।

जिन आधारों पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद और हंगरोटैक्स के बीच समझौता हुआ है, वे निम्नलिखित हैं :

(1) भारत को सप्लाई की गई रुई के बदले हंगरोटैक्स सूती वस्त्र लेने को सहमत है और वह रूपान्तरण प्रभार का भुगतान करेगा। परिषद अब अपेक्षित विशिष्ट विवरणों के अनुसार सूती वस्त्रों की मात्राओं के बारे में प्रस्ताव करेगा जिसके पश्चात और आगे बातचीत की जाएगी।

(2) ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि भारत से हंगरी को कोरे कपड़े की सप्लाई की जाये और हंगरी उसकी फिनिशिंग करके इनको अन्य देशों में बेचेगा। इस प्रकार वसूल की गई विदेशी मुद्रा दोनों देशों द्वारा उपयुक्त रूप से बांट ली जायेगी। यह व्यवस्था प्रयोगात्मक आधार पर कार्यान्वित की जायेगी और नियमित व्यवस्था के लिए बातचीत इसकी सफलता पर निर्भर करेगी। इस प्रस्थापना का व्यौरा हंगरोटैक्स द्वारा दिया जायेगा।

(3) उपयुक्त आधार पर व्यापारिक संव्यवहार का विस्तार करके उसमें हंगरी से ऊन या संश्लिष्ट रेशे और धागे के आयात और भारत से टायर कार्ड धागे और ऊनी कपड़े के थानों और निट-वियर के निर्यात करने को शामिल किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

संयुक्त अरब गणराज्य से रुई का आयात

68. **श्री एस० आर० दामाणी** :

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भारत द्वारा खरीदे जाने के लिए मिस्र सरकार ने कितनी मात्रा में और कितनी कीमत की रुई मुक्त की है :

(ख) भारतीय रुई निगम और निजी आयातकों ने वास्तव में कितनी रुई खरीदी है और कितनी रुई वास्तव में भारत में आ गई है;

(ग) क्या भारत को रुई के निर्यात में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जाने के कारण भविष्य में उसकी खरीद और सप्लाई में रुकावट आ गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश की मांगों को पूरा करने हेतु आयात की बहाली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 34 करोड़ रु० की प्राक्कलित लागत पर 1.75 लाख गांठें।

(ख) 110414 (इसमें गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई 15414 गांठें शामिल हैं)। 612 गांठें वास्तव में आ चुकी हैं और 1780 गांठें चल चुकी हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Irrigation Projects in Rajasthan

69. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Irrigatiou and Power** be pleased to state :

(a) the names and broad outlines of the irrigation projects in Rajasthan which will be completed by the Central Government during the Forth Five Year Plan;

(b) whether Government propose to complete Girolia and Sindru projects in Pali District this year; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel): (a) Irrigation is a State Subject and irrigation projects are undertaken by the State Governments within the frame-work of their developmental plans. The Fourth Plan of Rajasthan envisages, in the major and medium irrigation sector, work on schemes already in hand like Beas Units I & II, Rajasthan Canal Stage I, Chambal, Gurgaon Canal and 8 medium schemes new schemcs like Mahi Bajajsagar, Bhimsagar, Jakham, Jetpura, Sei Diversion and Meja Feeder have also been taken up in the course of the Fourth Plan. The continuing schemes are all expected to be substantially completed by the end of the Fourth Plan. The Government of Rajasthan have also taken up 351 small works under the centrally sponsored Rural Works Programme of the Ministry of Agriculture, and these works are expected to be completed during the Fourth Plan.

(b) and (c) : The Rajasthan Government have reported that there is still a lot of earthwork and other items of work remaining to be done on these two schemes taken up the Rural Works Programme and that they will be completed during 1973-74.

Schemes Undertaken by Rural Electrification Corporation

70. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the schemes undertaken by the Rural Electrification Corporation so far and the amount of expenditure incurred thereon; and

(b) the criteria by which schemes are selected by the Corporation and how the funds are arranged for the completion of such schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel): (a) The Rural Electrification Corporation since its inception in July, 1969, has so far sanctioned 191 schemes of State Electricity Boards and five pilot rural electric co-operatives involving loan assistance of Rs. 12451.173 lakhs for the electrification of 18491 villages and 2,94,122 irrigation pumpsets. The Corporation has so far disbursed Rs. 4425.55 lakhs to the State Electricity Boards and pilot rural electric co-operatives for these schemes.

(b) In pursuance of the directives issued by the Government of India, the Corporation has worked out norms of economic viability which are required to be satisfied by schemes financed by the Corporation. Such rural electrification sehemes should promote general economic development in an area by stimulating increased agricultural production and growth of rural industries; should be based on the project approach with emphasis on electrification of agricultural pumpsets; should yield an adequate return on investments. In respect of schemes in backward areas and under-developed hill areas, concessions have been allowed in respect of the period by which the returns should accruo. On the sanction of schemes an advance is provided for the implementation of the schemes and further releases of loan asistance are made depending upon the progress of implementation.

भारतीय रुई निगम द्वारा रुई व्यापार को अपने अधिकार में लेना

71. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम की एक वर्ष से अधिक समय की कार्यवाहियों के बावजूद भी रुई आयात का लगभग आधा व्यापार अभी भी गैर-सरकारी हाथों में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि निगम ने संपूर्ण रुई आयात व्यापार को अभी भी अपने अधिकार में नहीं लिया है ; और

(ग) निगम रुई के सम्पूर्ण आयात व्यापार को कब तक अपने अधिकार में ले लेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह बताना बहुत कठिन है कि रुई निगम रुई के सारे आयात व्यापार को अपने अधिकार में कब ले लेगा।

अमरीका, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणतंत्र, जापान और फ्रांस के साथ व्यापार संतुलन

72. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणतंत्र, जापान और फ्रांस के साथ हमारे व्यापार संतुलन की क्या स्थिति है ; और

(ख) आयात और निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणतंत्र, जापान और फ्रांस के साथ व्यापार संतुलन के सम्बन्ध में स्थिति निम्नलिखित है :—

(मूल्य लाख रुपये में)

	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72 (अप्रैल-अगस्त)
सं० रा० अमरीका				
निर्यात, जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है।	23436	23796	20734	12515
आयात	57239	46722	44618	19592
व्यापार संतुलन	—33803	—22926	—23884	—7077
ब्रिटेन				
निर्यात, जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है।	20151	16507	19044	706
आयात	12750	10259	12603	8247
व्यापार संतुलन	+7401	+6248	+4441	—1186
जर्मन संघीय गणराज्य				
निर्यात, जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है।	2650	2989	3231	1516
आयात	12008	8444	10688	4926
व्यापार संतुलन	—9358	—5455	—7457	—3410
जापान				
निर्यात, जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है।	15833	17936	20349	6981
आयात	11539	6741	8330	6594
व्यापार संतुलन	+4294	+11195	+12019	+387

फ्रांस

निर्यात, जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है ।	2005	2172	1798	824
आयात	3650	2373	2129	1689
व्यापार संतुलन	—1645	—201	—331	—865

(ख) निम्नलिखित देशों को निर्यात तथा वहां से आयात की मुख्य मदें :

संयुक्त राज्य अमरीका

निर्यात : पटसन निर्मित वस्तुएं, काजू की गिरी, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प, रत्न तथा आभूषण, चाय, काफी, चीनी, मछली तथा समुद्री उत्पाद, मसाले तथा चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं ।

आयात : कपास, पैट्रोलियम उत्पाद, रासायन, उर्वरक अलोह धातु, मशीनरी की चीजें तथा परिवहन उपकरण ।

ब्रिटेन

निर्यात : चाय, पशुओं के लिए खाद्य-सामग्री, अनिर्मित तम्बाकू, असाधित पशु तथा वनस्पति सम्बन्धी सामग्री, चमड़ा, सूती कपड़े के थान (मिल के बने) ।

आयात : रासायन तत्व तथा यौगिक, परिवहन मशीनें, विद्युतीय मशीनों को छोड़कर मशीनें, वैज्ञानिक तथा नियंत्रण करने के व्यवसाय सम्बन्धी उपकरण तथा फोटोग्राफी सम्बन्धी माल ।

जर्मन संघीय गणराज्य—

निर्यात : चमड़ा, चाय, दस्तकारी तथा कलात्मक वस्तुएं, लौह अयस्क. कयर धागा, सूती वस्त्र, पटसन कपड़ा तथा बोरियां, गोंद, राल तथा लाख, काजू की गिरियां, मूल्यवान तथा कम मूल्यवान रत्न, काफी, हड्डियां, हाथी दांत, तथा खुर ।

आयात : विद्युत् तथा गैर विद्युत् दोनों प्रकार की मशीनें, मूलभूत धातुएं, परिवहन उपस्कर, रासायन तत्व तथा योगिक, उर्वरक ।

जापान

निर्यात : मछली तथा मछली उत्पाद, खली, तम्बाकू, कपास, लौह अयस्क, मूल्यवान तथा अर्द्ध मूल्यवान हीरे।

आयात : रसायन तथा यौगिक, लोहा तथा इस्पात, अलौह धातुएं, मशीनें तथा सहसाधन, विद्युत मशीनें तथा सहसाधन, परिवहन उपस्कर ।

फ्रांस—

निर्यात : कमाई हुई तथा अर्द्ध कमाई हुई खालें, वस्त्र, मोती, हीरे, मूल्यवान रत्न, हस्तशिल्प, अयस्क तथा खनिज पदार्थ, कयर धागा ।

आयात : लोहा तथा इस्पात से बनी वस्तुएं, विद्युत् मशीनें तथा उपकरण, गैर विद्युत् मशीनें तथा उपकरण, उर्वरक, रासायनिक पदार्थ तथा रेल गाड़ियां ।

राजस्थान नहर

73. **डा० कर्णी सिंह** :

श्रीमती कृष्णा कुमारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर का कार्य धन की कमी के कारण अपेक्षित तेजी से नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार काम को शीघ्र पूरा कराने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राजस्थान नहर का कार्य वर्तमान अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा है । परियोजना के चरण-दो पर कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है ।

(ख) राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा राज्य को दिये जाने वाले ब्लाक अनुदानों/ऋणों में से राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अनुसार धनराशि की व्यवस्था की जा रही है । इसके अतिरिक्त, प्रगति में तेजी लाने के लिए, जहां तक संभव होता है, योजनेतर केन्द्रीय सहायता भी दी गई है ।

पश्चिमी बंगाल के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

75. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के सभी गांवों में वर्ष 1974 तक बिजली पहुंचाने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है ; और

(ख) क्या इस योजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है और यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील : (क) और (ख) चौथी योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में पंपसेटों के ऊर्जन पर बल दिया जाना जारी है, ग्रामों का विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक आनुषंगिक भाग है 2410 पंपसेटों के ऊर्जन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य की योजना में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, अनुमान है कि इनके परिणामस्वरूप 500 ग्रामों का विद्युतीकरण हो जाएगा। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में तेजी लाने के लिए योगात्मक धन केन्द्रीय सैक्टर में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा दिया जाता है, जिसने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से कम है, स्कीमों पर विशेष रूप से विचार किया है। राज्य-योजना में धन-राशि से और ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा दी गई धन राशि से और राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा और संसाधनों के प्रयोग पर निर्भर करते हुए राज्य विद्युत् बोर्ड ने यह अनुमान लगाया है कि चौथी योजना के दौरान 35,000 पंपसेटों और 10,000 ग्रामों का विद्युतीकरण हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में लगभग 38454 ग्रामों में से 2435 ग्रामों का विद्युतीकरण चौथी योजना के आरम्भ में किया गया था, 3080 ग्राम 30-11-71 तक विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। योजना के आरम्भ में 1199 पंपसेट ऊर्जित किए गए थे और 30-11-71 को इनकी संख्या 1406 थी। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अभी तक पश्चिम बंगाल में चौदह ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकार की हैं जिनमें 3115 ग्रामों और 12764 पंपसेटों के विद्युतीकरण के लिए 1047 लाख रुपये की ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है।

मालदा और बलूरघाट तथा दोमोहनी और जलपाईगुड़ी के बीच रेल लाइन

76. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अन्तर्गत मालदा और बलूरघाट के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का कार्य कब प्रारम्भ होगा ; और

(ग) क्या दोमोहनी और जलपाईगुड़ी के बीच रेल लाइन बिछाने के प्रश्न पर फिर से विचार करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख): माल्दह से बलूरघाट तक नयी रेलवे लाइन बिछाने के लिए यातायात सर्वेक्षण के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। सर्वेक्षण के परिणाम ज्ञात होने के बाद इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

(ग) जलपाईगुड़ी और न्यू दोमुहानी पहले से सम्बद्ध हैं। न्यू दोमुहानी-दोमुहानी खण्ड चंगराबंधा-लाटागुड़ी लाइन का भाग है जो बह गया था। जब तक अग्रता सम्बन्धी अन्य वचन पूरे नहीं हो जाते तब तक इस लाइन के पुनरुद्धार के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

हांगकांग में राज्य व्यापार निगम का सहायक निगम

77. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में निश्चित कदम के रूप में राज्य व्यापार निगम को हांगकांग में एक संयुक्त कम्पनी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कम्पनी अब बन गई है; और

(ग) क्या दोनों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में प्रोत्साहन के कोई निश्चित संकेत मिले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से, हांगकांग के व्यवसायियों के सहयोग से एक लिमिटेड कम्पनी स्थापित करने के लिए राज्य व्यापार निगम को अनुमति दी गई है। कम्पनी बनाई जा रही है। इसका प्रयोजन किसी खास देश तक सीमित नहीं है और उत्पादों और राज्य क्षेत्रों के विषय में इसके कार्य-चालन की नीति राज्य व्यापार निगम (सुदूर-पूर्व) और राज्य व्यापार निगम (भारत) के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा निर्धारित की जाएगी।

भारत-अमरीकी सम्बन्धों में गतिरोध का व्यापार पर प्रभाव

78. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीकी सम्बन्धों में वर्तमान गतिरोध का दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक लेनदेन पर भी प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या अमरीका को किए जा रहे भारतीय निर्यातों को प्राप्त वे प्राथमिकताएं जो प्राथमिकताओं की सामान्य योजना के अन्तर्गत प्राप्त थीं, 1972-73 के दौरान भी भारतीय निर्यातों को मिलती रहेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो अमरीका को भारतीय निर्यातों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा और भारतीय निर्यातों के किस वर्ग पर अमरीकी उदासीनता का प्रभाव प्रारम्भ हो चुका है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : भारत-संयुक्त राज्य अमरीका के राजनीतिक सम्बन्धों से संयुक्त राज्य अमरीका को होने वाले हमारे निर्यातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा भारत को दी जाने वाली सामान्य आर्थिक सहायता के हाल ही में बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमरीका से होने वाले हमारे आयातों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। अधिमानों की सामान्यीकृत योजना अभी तक संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा आरम्भ नहीं की गई है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

79. **श्री शशि भूषण** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता के हित में कोई ऐसी परम्परा है कि किसी व्यक्ति को सामान्यतया उस राज्य में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता जिस राज्य में वह पहले वकालत करता रहा हो; और

(ख) क्या सामान्यतया इस परम्परा का पालन किया जा रहा है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों पर मैसर्स ए० एच० व्हीलर्स एण्ड कम्पनी के बुक-स्टाल

80. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए० एच० व्हीलर्स एण्ड कम्पनी को रेलवे स्टेशनों पर बुक-स्टाल स्थापित करने के परमिट दिये गये हैं;

(ख) उन्हें यह परमिट कब दिये गए थे और कितने स्टेशनों पर बुक-स्टाल स्थापित करने की अनुमति दी गयी है;

(ग) मैसर्स ए० एच० व्हीलर्स एण्ड कम्पनी के मालिकों के नाम क्या हैं और यह कम्पनी उन्होंने कब खरीदी; और

(घ) क्या सरकार का रेलवे स्टेशनों पर स्टाल लगाने के लिए अन्य पार्टियों को भी परमिट देने का विचार है और यदि हां; तो इस बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां। मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी क्षेत्रीय रेलों के साथ किये गये करारों के अनुसार कुछ रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकों की दुकानें चलाती है।

(ख) मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी, इलाहाबाद भारतीय रेलों पर सन् 1880 से पुस्तकों की दुकानें चला रही है। आजकल भारतीय रेलों के 291 स्टेशनों पर उनकी पुस्तकों की दुकानें हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें ब्यौरा दिया गया है।

(घ) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कं० (प्रा०) लि० के अलावा, लगभग 210 अन्य ठेकेदार भारतीय रेलों के विभिन्न स्टेशनों पर पुस्तकों की दुकानें चला रहे हैं। पद्धति यह है कि जब कभी कोई जगह रिक्त होती है तो सम्बन्धित रेलों द्वारा आवेदन-पत्र मांगे जाते हैं और सबसे उपक्युत पार्टी को लाइसेंस दे दिया जाता है।

विवरण

(ग) मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कं० (प्रा०) लि० के हिस्सेदारों के नाम ये हैं :—

(1) श्री ए० सी० बनर्जी

(2) श्री आर० एन० बनर्जी

(3) श्री प्रदीप बनर्जी

(4) श्री अलोक बनर्जी

(5) श्री प्रबिर कुमार बनर्जी

(6) श्रीमती पुष्पा बनर्जी

(7) श्रीमती देवमायाँ बनर्जी

(8) श्री सुबिर बनर्जी

(9) श्री प्रशान्त बनर्जी

(10) श्रीमती अनुराधा बनर्जी

(11) श्रीमती अलोका बनर्जी

मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कं० (प्रा०) लि० 31 अक्तूबर, 1953 को निगमित हुई थी। इसने मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कं० की भागीदार फर्म से 31 दिसम्बर, 1953 को पुस्तकों की दुकानों का व्यवसाय लिया और 1 जनवरी, 1954 से व्यवसाय शुरू कर दिया। वर्तमान कम्पनी द्वारा फर्म के खरीदे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार तथा विकास विषयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विकासशील देशों को दिये गए आश्वासनों को पूरा करना

81. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुए संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास विषयक सम्मेलन में दिए गए सभी आश्वासन पूरे कर दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस सम्मेलन के उन निर्णयों को कार्यान्वित कर दिया गया है जिनमें विकसित देशों से कहा गया था कि वे विकासशील देशों की सहायता संबंधी आश्वासन पूरे करें; और

(ग) लीमा में हुए सम्मेलन की क्या उपलब्धियां हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सम्मेलन की यह सिफारिश कि आर्थिक रूप में विकसित प्रत्येक देश को चाहिए कि वह प्रतिवर्ष विकासशील देशों को अपने समग्र राष्ट्रीय उत्पादन (जी० एन० पी०) के एक प्रतिशत की न्यूनतम निवल राशि के वित्तीय संसाधन अंतरण विकसित देशों को प्रदान करने का प्रयास करें। वर्ष 1970 के दौरान केवल आस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड द्वारा ही पूरी की गई है। जर्मन संघीय गणराज्य ने भी 1968 और 1969 में तथा स्विट्जरलैंड ने 1968 में अपने लक्ष्य पूरे किए परन्तु बाद के वर्षों में उनके निष्पादन लक्ष्य से कम रहे।

(ग) '77' के समूह द्वारा "लीमा कार्यवाही के कार्यक्रम की घोषणा तथा सिद्धान्त" नामक एक दस्तावेज को स्वीकार किया गया, जिसकी प्रति दिनांक 23 नवम्बर, 1971 को सभा पटल पर रख दी गई है।

गोहाना-पानीपत रेल लाइन को पुनः चालू करना

82. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोहाना-पानीपत रेल लाइन को फिर से चालू करने के बारे में हरियाणा के लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) हाल में किये गए यातायात सर्वेक्षण के अनुसार गोहाना-पानीपत लाइन को फिर से बिछाना अत्यधिक अलाभप्रद होगा, अतएव इस लाइन को फिर से बिछाने का अभी विचार नहीं है।

बाढ़ों और बाढ़ सहायता के संबंध में मंत्रियों की समिति द्वारा बाढ़ों की पूर्व सूचना देने संबंधी सिफारिशें

83. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ों और बाढ़-सहायता के संबंध में मंत्रियों की समिति ने सरकार को यह सिफारिश की है कि संभावित बाढ़ों के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए देश में बाढ़ से प्रभा-

वित होने वाले क्षेत्रों में गांवों में देखे जा सकने वाले सिगनल लगाने और भोंपू बजाने के प्रबन्ध किए जाएं;

(ख) क्या समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि बाढ़ के सिगनल देने के लिए पीली, लाल, और हरी बत्तियों वाले ऊंचे बुर्जों का निर्माण किया जाए; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) बाढ़ों और बाढ़-सहायता संबंधी मंत्रियों की समिति ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है और इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए मार्च, 1972 के अन्त तक तैयार हो जाएगी ।

सरकारी विभागों द्वारा आयात लाइसेंसों का कथित दुरुपयोग

84. **श्री वीरेन्द्रसिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा 5 करोड़ रुपये के मूल्य के उन आयात लाइसेंसों के कथित दुरुपयोग की जांच इस बीच कर ली है जिनके संबंध में दिनांक 4 अगस्त, 1971 के 'इकोनामिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) (क) और (ख) : 'इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 1970 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो के क्रियाकलापों की समीक्षा का एक भाग प्रतीत होती है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट में फर्मों को दिए गए लाइससों के दुरुपयोग के बारे में उल्लेख है, किसी सरकारी विभाग को दिए गये लाइसेंसों के बारे में नहीं । गलत बयानी करके या जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त लाइसेंसों तथा फर्मों द्वारा गलत ढंग से उपयोग किये गए लाइसेंसों के संबंध में इस प्रकार के दुरुपयोग का कुल मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपये है । 1970 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जिसमें सरकारी विभागों द्वारा लाइसेंस के दुरुपयोग किये जाने या गलत बयानी से या जाली दस्तवेजों से लाइसेंस प्राप्त किये जाने का पता लगा हो । इसलिए सरकारी विभागों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जहां तक आयात व्यापार नियंत्रण संगठन का संबंध है आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत अनवरत पुनरीक्षा करते हुए आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग रोकने के लिए सभी संभव

कार्यवाही की जाती है। बहुत से उद्योग निदेशक तथा अन्य प्रायोजक प्राधिकारी वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों के अन्तर्गत आयातित सामग्री के उपयोग पर निगरानी रखते हैं।

रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच

85. **श्री वीरेन्द्रसिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वी० सी० गांगुली ने 1971 के दौरान यह वक्तव्य दिये थे कि मुहानों पर जमा कोयले को वहां से हटाने और अधिकारी वर्ग में से निहित स्वार्थों को समाप्त करने संबंधी उनके प्रयास अन्य लोगों द्वारा निष्फल कर दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा लगाए गए उपरोक्त आरोप के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच कराई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। मुहानों पर कोयले के जमा हो जाने के कारण बहुत अच्छी तरह से मालूम हैं। कोयले के इस अम्बार को भूतपूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में और बाद में भी सतत अभियानों द्वारा हटाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो या किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा और आगे जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

पटसन की मिलों का आधुनिकीकरण

86. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकारी सहायता की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : उद्योग द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। तथापि आधुनिकीकरण के लिए उद्योग को औद्योगिक वित्त निगम के अभिकरण के माध्यम से ऋण सहायता मिल सकती है।

तमिलनाडु की सूती कपड़ा मिलों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना

87. **श्री बालतन्डायुतम :**

श्री भोला मांझी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य की बंद कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु सरकार का कितनी और कौन-कौन सी मिलों को अधिकार में लेने का विचार था और केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। फिर भी, तमिलनाडु सरकार ने यह सिफारिश की थी कि तमिलनाडु में बंद पड़े निम्नलिखित छः सूती वस्त्र मिलों का प्रबंध, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना चाहिए :—

1. दि कोयम्बटूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०, कोयम्बटूर।
2. दि सोमसुन्द्रम मिलस (प्रा०) लि०, कोयम्बटूर।
3. कालेश्वर मिलस लि०, कोयम्बटूर।
4. दि पंकज मिलस लि०, कोयम्बटूर।
5. श्री पलाभलाई रंगनाथर मिलस, पेरियानाइकेनपल्यम्।
6. दि बलराम वर्मा टैक्सटाइल्स लि०, शिकोटा।

(ख) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18 क (1) के अन्तर्गत उपरोक्त (1) तथा (2) मिलों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए तमिलनाडु वस्त्र निगम को प्राधिकृत करते हुए हाल ही में आदेश जारी किए गए हैं। बाकी मिलों के मामलों की जांच हो रही है।

केन्द्रीय जल ग्रिड की स्थापना की तकनी की आर्थिक संभाव्यता की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ दल की भारत यात्रा

88. **श्री बालतन्डायुतम :**

श्री पी० आर० शिनाय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी कावेरी नदी तक की नदियों को मिला कर बनाए जाने वाले केन्द्रीय जल ग्रिड की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ दल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) संयुक्त राष्ट्र दल दूसरे दौरे में अब भारत में है और उसी राष्ट्रीय जल ग्रिड के लिए तैयार किए गए प्रारंभिक प्रस्तावों की अभी भी जांच कर रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

सरकार के पास रबड़ का फालतू स्टाक

89. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास काफी मात्रा में रबड़ का फालतू स्टाक है;

(ख) क्या इससे रबड़ बागान मालिकों, विशेषतया छोटे रबड़ बागान मालिकों के हितों को क्षति पहुंची है; और

(ग) रबड़ उद्योग को सशक्त बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केन्द्रीय सरकार कोई स्टाक नहीं रखती। राज्य व्यापार निगम के पास 4-3-1972 को 2,959 मे० टन का स्टाक था। केन्द्रीय सरकार से ऋण लेकर केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही रबड़ खरीद योजना के अंतर्गत केरल राज्य सहकारी विपणन परिसंघ के पास 4-3 1972 को 670 मे० टन का स्टाक था।

(ख) बागान मालिकों को सहकारी समितियों के माध्यम से अधिसूचित कीमतें दी जाती हैं। अतः उन पर राज्य व्यापार निगम तथा केरल राज्य सहकारी विपणन परिसंघ के पास उपलब्ध स्टाक का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने समय तक ये स्टाक राज्य व्यापार निगम अथवा राज्य विपणन परिसंघ के पास रहेंगे, उतने समय के लिए ये समीकरण स्टाक के रूप में उपयोगी ही रहेंगे।

(ग) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने तथा साथ ही रबड़ उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं :—

(1) रबड़ के कम उपज वाले और पुराने वृक्षों के स्थान पर अधिक उपज देने वाली पुनर्रोपण सामग्री बोने हेतु 2,471 रुपये प्रति हैक्टार (1000 रुपये प्रति एकड़) की दर से उपदान दिया जाना। इस योजना के वर्ष 1957 में शुरू होने के बाद से 29364 हैक्टार क्षेत्रफल में पुनर्रोपण हेतु फरवरी, 1972 के अंत तक 585.7 लाख रुपये की राशि का वितरण किया जा चुका है।

(2) विद्यमान लघु उपजकर्ताओं को नये सिरे से रोपण के लिए 3,459 रुपये प्रति हैक्टार (1400 रुपये प्रति एकड़) और अपने अपरिपक्व रबड़ क्षेत्रों को अच्छी हालत में बनाये रखने के लिए अधिकतम 2,224 रुपये प्रति हैक्टार (900 रुपये प्रति एकड़) तक ऋण का दिया जाना। इस योजना के आरंभ होने के बाद से ऋण के रूप में 49.20 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है और कुल 3,293 हैक्टार के क्षेत्र को इससे लाभ पहुंचा है।

(3) लघु उपजकर्ताओं को रियायती दरों पर उच्च उपज देने वाली रोपण सामग्री की पूर्ति।

(4) सहकारी समितियों के माध्यम से लघु उपजकर्ताओं को इमदादी दरों पर उर्वरकों तथा फफूंदनाशी दवाओं की पूर्ति।

(5) सहकारी क्षेत्र में धूम्रगृहों के निर्माण हेतु उपदान का दिया जाना। 1962-63 में इस

योजना के आरंभ होने के बाद से सहकारी क्षेत्र में 14 धूम्रगृहों का निर्माण किया जा चुका है। इसके लिए 73,688 रुपये की राशि दी गई।

(6) फरवरी, 1972 के अंत तक 1965-66 में शुरू की गई किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत 389 रोलर वितरित किये गये।

(7) सहकारी विपणन समितियों को काम-काज पूंजी ऋणों तथा शेयर पूंजी ऋणों का अंशदान। इस योजना के शुरू होने के बाद से फरवरी, 1972 के अंत तक 22 समितियों को 12.35 लाख रुपये काम-काज पूंजी ऋणों के रूप में और 30 समितियों को 6.55 लाख रुपये शेयर पूंजी ऋणों के रूप में दिए गये।

(8) रबड़ बोर्ड, उपजकर्ताओं को निःशुल्क तकनीकी परामर्श और चुआई के वैज्ञानिक तरीकों के संबंध में च्यावकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(9) रबड़ बोर्ड ने अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में रबड़ की खेती की संभाव्यता सिद्ध करने के लिए इस द्वीपसमूह में एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की और लगभग 200 हैक्टार (500 एकड़) में रोपण के अपने लक्ष्य को पूरा किया।

(10) रबड़ बोर्ड, रबड़ की खेती करने के लिए नये क्षेत्रों की उपयोगिता की संभाव्यताओं का पता लगा रहा है। बोर्ड ने विभिन्न राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे रोपण हितों को रबड़ रोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करें।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त, केरल सरकार ने "केरल बागान निगम लि०" के नाम से सरकारी क्षेत्र में एक उपक्रम की स्थापना की है। 1971 के अन्त तक इस निगम ने 6818 हैक्टार भूमि में रबड़ का रोपण किया है।

पुनःस्थापन योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार ने कच्छल द्वीपसमूह (निकोबार समूह का एक द्वीप) में 6,000 एकड़ (2428 हैक्टर) भूमि में रबड़ लगाने की एक योजना मंजूर की है। रबड़ बोर्ड इस योजना को श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय के पुनर्वास विभाग से प्राप्त धन राशि से चला रहा है।

स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु तमिलनाडु में 800 हैक्टार, मैसूर राज्य में 2023 हैक्टार और केरल राज्य में 2000 हैक्टार भूमि में रबड़ की खेती करने संबंधी योजनाओं को श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय के पुनर्वास विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है।

उड़ीसा में नई विद्युत् परियोजनाएं

90. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने नई विद्युत् परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैंजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट में 120-120 मैगावाट के दो विद्युत्-उत्पादन सेटों से तालचर ताप विद्युत् केन्द्र का विस्तार शामिल है। परियोजना के विस्तार के लिए कोयले की आवश्यकताओं को पड़ोस के उत्तर बलंदा कोयला क्षेत्रों से पूरा किया जाएगा और इसे एक बेल्ट कन्वेयर द्वारा विद्युत् केन्द्र तक ले जाया जाएगा। विद्युत् केन्द्र के लिए प्रशीतक जल ब्राह्मणी नदी से कूलिंग टावरों के साथ एक बन्द सर्किट प्रशीतक प्रणाली में लिया जाएगा। पहला सेट 1976-77 में और दूसरा 1977-78 में चालू करने के लिए आयोजित किया गया है और इसकी अनुमानित लागत 38.2 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से ग्रिड की विद्युत्-उत्पादन क्षमता में 240 मैगावाट की वृद्धि होगी जो कि लगभग 1300 मिलियन यूनिट वार्षिक के बराबर है।

(ग) 1972-77 की अवधि के लिए इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विद्युत् विकास कार्यक्रम में एक 110 मैगावाट यूनिट द्वारा तालचर ताप विद्युत् केन्द्र के विस्तार की व्यवस्था की गई है। राज्य द्वारा प्रस्तुत स्कीम की सरकार इस समय जांच कर रही है।

'स्टेपल' सूत की कमी

91. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'स्टेपल' सूत की बहुत कमी है और कई एककों के बन्द हो जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) स्टेपल रेशे धागे की कमी के सम्बन्ध में सरकार को, उत्तर प्रदेश और पंजाब से कई अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) तथा (ग) इन दो राज्यों को स्टेपल रेशे धागे की नियमित सप्लाई करने के प्रश्न पर वस्त्र आयुक्त ने मैन-मेड फाइबर स्पिनर्स एसोसिएशन से विचार-विमर्श किया है और उ० प्र० वस्त्र निगम तथा उद्योग निदेशक, पंजाब के माध्यम से नियमित सप्लाई की व्यवस्था की गई है।

भारत से निर्यात

92. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक भारत द्वारा कितने मूल्य का निर्यात किया गया है;

(ख) चालू वर्ष में किन-किन नई वस्तुओं का निर्यात पहली बार किया गया है;

(ग) नये बाजारों की खोज करने के प्रयत्नों के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अब तक चालू वर्ष (अप्रैल-जनवरी, 1971-72) के दौरान 1337.9 करोड़ रुपये के निर्यात हुए ।

(ख) तथा (ग) अभी तक पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है । इंजीनियरी क्षेत्र में कुछ नई मदें, जिनका पहली बार निर्यात हुआ है, निम्नोक्त हैं :

(1) कुवैत को पूर्ण सीमेंट प्लांट;

(2) मलयेशिया को केबल मैनुफेक्चरिंग प्लांट;

(3) मिस्र के अरब गणराज्य को आग बुझाने वाली गाड़ियां;

(4) ईरान को फर्नेस स्ट्रक्चर;

(5) ईरान को माइक्रोवेव टावर्स; और

(6) न्यूजीलैंड को पावर स्टेशन स्ट्रक्चर्स ।

बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई और विद्युत् विकास के लिए भारत और बांगला देश के बीच समझौता

93. **श्री रामकंवर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़-नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत् विकास के लिए भारत और बांगला देश के बीच समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की रूपरेखा क्या है और उससे क्या लाभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) जब बांगला देश के कुछ विशेषज्ञों ने इस देश की यात्रा की, तो जनवरी, 1972 में अन्वेषण संबंधी कुछ अनौपचारिक वार्ताओं का आयोजन किया गया । भारत और बांगला देश के प्रधानमंत्रियों ने बाढ़-नियंत्रण की समस्याओं और क्षेत्र में जल और विद्युत् साधनों के विकास संबंधी अन्य समस्याओं के बारे में बातचीत की और यह इच्छा व्यक्त की कि दोनों ही सरकारें विचारों के आदान-प्रदान और सहयोग के क्षेत्रों का निश्चय करने और समुचित कार्य-क्रम के निर्धारण के लिए उपयुक्त मशीनरी गठित करने में लग जाएंगी । ऐसे प्रयासों से दोनों देशों को बहुत लाभ होगा ।

निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

94. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वर्गों द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण की मांग लगातार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) हाल ही में विभिन्न राज्य विधान सभाओं में हुए साधारण निर्वाचनों के लिए उपयोग की गई निर्वाचक नामावलियां 1 जनवरी, 1971 को अर्हता की तारीख मानकर पुनरीक्षित की गई थीं और

अन्तिम रूप से प्रकाशित 1971 की निर्वाचक नामावलि में जहां कहीं भी तात्त्विक दोष बताए गए, निर्वाचन आयोग ने सम्बन्धित नामावलियों के भाग या भागों के विशेष पुनरीक्षण का आदेश भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 (3) के अधीन दे दिया।

समस्तीपुर में वैगन बनाने वाले कारखाने का बन्द होना

95. **श्री सरजू पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर (बिहार) में वैगन बनाने के कारखाने को बन्द करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस निर्णय के विरुद्ध उनके मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Railway Line in Iraq By India

96. **Shri Mohan Swarup :**

Shri Muhammed Sheriff :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether construction of a Railway line in Iraq has been undertaken by Indian Railways ;

(b) if so, a brief outline of the project and the number of Railway employees engaged in the work ; and

(c) the names of other countries which have been provided similar assistance by the Indian Railways ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b) : Feasibility-cum-cost study for a new railway line from Baghdad to Hsaibah (404.4 Km) was carried out by an Indian Team of Railway experts and the Report submitted to the Iraq Government. India's further participation in the Final Location Survey and Economic Study of the project is under consideration in consultation with the Government of Iraq.

(c) For Syria also similar assistance was given for conducting a feasibility study for a new line. Advice in connection with improvement of track standards and increase of speed was given to Syria, Jordan, Saudi Arabia, Thailand and Philippines. Assistance for restoration of railway connection is being given to Bangla Desh also.

Promotion of Tobacco Exports

97. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether tobacco export to foreign countries, particularly to Great Britain,

is on the decrease and the State Trading Corporati on has failed in locating new markets for tobacco ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to improve the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A.C. George) : (a) No, Sir. The exports of tobacco to foreign markets have increased in the period April-December 1971 as compared to the corresponding period in 1970. The value of exports to U.K. has increased in the aforesaid period.

(b) Tobacco Study Team paid a visit to U. K. and other European countries to explore & study new markets.

रुपये में भुगतान करने वाले देशों के साथ व्यापार में वृद्धि

98. **श्री वयालार रवि :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार को अमरीकी खतरे को दृष्टिगत रखते हुए सरकार का रुपये की मुद्रा में भुगतान करने वाले देशों के साथ व्यापार में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार की यह नीति है कि सभी देशों के साथ व्यापार सम्बन्धों का विकास किया जाए और उन्हें बढ़ाया जाए। इस सम्बन्ध में सरकार, सामान्य मुद्रा क्षेत्र वाले देशों से जिनमें सं० रा० अमरीका भी शामिल है तथा रुपये में भुगतान करने वाले देशों से व्यापार बढ़ाने के प्रयत्न कर रही है। तथापि स० रा० अमरीका सहायता के बन्द होने से सं० रा० सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयातों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) सरकार की यह घोषित नीति है कि रुपये में भुगतान करने वाले देशों के साथ हमारे व्यापार के विस्तार हेतु जो गुंजाइश मिली है उसका पूरी तरह से लाभ उठाया जाए। इन देशों के साथ व्यापार संतोषजनक रूप से बढ़ता रहा है और सरकार, ऐसे व्यापार की मात्रा बढ़ाने की संभाव्यताओं पर अनवरत रूप से पुनर्विलोकन करती रहती है।

ब्रिटेन का भारत को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ सहयोग करार करने का परामर्श करने की सलाह

99. **श्री वयालार रवि :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत को यह सलाह दी है कि उसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ सहयोग-करार के लिए प्रार्थना-पत्र देना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ों से हुई क्षति

100. **श्री पम्पन गौंडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को 1969 से 1971 तक के समय में बाढ़ों के कारण कुल कितनी क्षति उठानी पड़ी है ;

(ख) इस अवधि में, राज्यवार फसलों, जान-माल और पशुओं की कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) बाढ़ों से होने वाली तबाही को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1969 से 1971 के वर्षों के दौरान बाढ़ों से हुई क्षति निम्न प्रकार थी :

(1) 1969		333.31 करोड़ रुपये
(2) 1970		307.78 करोड़ रुपये
(3) 1971		631.50 करोड़ रुपये
	कुल	1272.59 करोड़ रुपये

(ख) 1969, 1970 और 1971 के वर्षों के दौरान फसलों, मकानों, पशुओं, मृत मनुष्यों तथा जनोपयोगी सुविधाओं को हुई क्षति को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1405/72]**

(ग) बाढ़ों से हुई क्षति को कम करने के लिए अनेक राज्यों में तटबंधों का निर्माण, मौजूदा तटबंधों को ऊंचा और सुदृढ़ करना, जल-निकास सरणियों का निर्माण, नदी-नियन्त्रण कार्य, नगर-बचाव कार्य और बाढ़-नियंत्रण सहित जलाशयों के निर्माण जैसे उपाय हाथ में लिये गए हैं। अब तक किए गए कार्यों में 7287 किलोमीटर तटबंधों का निर्माण, 10150 किलोमीटर जल-निकास सरणियों का निर्माण, 197 नगर-बचाव-स्कीमें और 4585 ग्रामों को ऊंचा करना सम्मिलित है। इनसे 63 लाख हैक्टेयर भूमि को लाभ पहुंचा है। इस प्रकार के उपाय अभी जारी रखे जा रहे हैं; बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को, जहां बाढ़ से होने वाली क्षति अधिकांशत: होती है, यह सुझाव भी दिया गया है कि वे गत तीन वर्षों में बाढ़ों के अनुभव के आधार पर तैयार किए गए वरीयता वाले कुछ बाढ़ नियन्त्रण के उन निर्माण कार्यों को जहां तक संभव हो शीघ्र कार्यान्वित करें, जिनसे वार्षिक आवर्तक क्षति में कमी करने में पर्याप्त रूप से सहायता मिलेगी।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं पर होने वाला व्यय

101. **श्री एन० इ० होरो** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सिंचाई परियोजनाओं को चालू निर्माण-कार्य के कई चरणों में होने वाला वास्तविक व्यय आरम्भिक प्राक्कलनों से बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने सम्बद्ध राज्य सरकारों को क्या सुझाव दिए हैं ?

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों को उन संतत स्कीमों को पूरा करने के लिए अधिकतम सम्भव आबंटनों की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है जिन पर पर्याप्त प्रगति पहले ही हो गई है । परियोजनाओं की अनुमानित लागत में वृद्धि के कारणों को जांच करने के लिए जिनके परिणामस्वरूप लागत का बार-बार संशोधन करना पड़ता है और परियोजना रिपोर्टों और प्राक्कलनों को अधिक आर्थिक आधार पर तैयार करने के लिए उपाय सुझाने के लिए और परियोजनाओं के कार्यान्वियन की वर्तमान पद्धति में सुधार सुझाने के लिए ताकि उनको स्वीकृत लागतों के भीतर और कार्यान्वियन के अनुसूचित कार्यक्रमों के अनुसार पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके, एक विशेषज्ञ समिति भी स्थापित की गई है ।

औद्योगिक संगठनों से रेलवे वैगनों की सप्लाई के सम्बन्ध में शिकायतें

102 **श्री एन० शिवप्पा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के औद्योगिक संगठनों से यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें अपने उत्पाद भेजने के लिए समय पर रेलवे वैगन प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच की है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां । इस विषय में कुछ शिकायतें मिली थीं ।

(ख) जी हां । विभिन्न समाज विरोधी कार्यवाइयों और पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर व्यापक टूट-फूट के कारण देश के पूर्वी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में माल-डिब्बे रुके रहे साथ ही लाखों शरणार्थियों के लिए खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक माल के परिवहन के लिए भारी संख्या में माल-डिब्बों का उपयोग करने और प्रतिरक्षा के लिए माल-डिब्बों के भारी संचलन के कारण अस्थायी रूप में कठिनाइयां बनी रहीं ।

(ग) औद्योगिक स्थापनाओं के लिए मालडिब्बों की मांग पूरी करने के उद्देश्य से, जिसकी कमी की वे शिकायत कर रहे थे, विशेष कदम उठाये गये हैं । पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थितियों में सुधार और विभिन्न प्रकार के विशेष गाड़ियों के संचलन में कमी के कारण विभिन्न स्थापनाओं को मालडिब्बे की सप्लाई में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है ।

इलाहाबाद होते हुए जबलपुर से दिल्ली तक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

103. **श्री रूप बहादुर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलाहाबाद होते हुए जबलपुर से दिल्ली तक एक एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Collection of Coal from Rail Tracks by unauthorised persons in Delhi

105. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether coal dropped alongwith ash by Railway engines near Minto Bridge (New Delhi) is collected by unauthorised persons ; and

(b) if so, whether Government have taken any measures to check it ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Employment to Members of Families of Employees Killed in Pakistani Aggression.

106. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether an assurance has been given to provide employment so eligible members of the families of Railway employees killed in Pakistani aggression ; and

(b) if so, the number of applications received by the various Zonal Railways and the number of persons appointed so far ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) On the Northern Railway 13 employees were killed. Their dependents have already been interviewed by the Railway Administration to assess their suitability and are being offered appointment to the posts for which they have been found suitable.

Special Pension to Families of Railway Employees Killed in War at Gurdaspur

107. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to give special pensions to the families of those Railway employees who were killed in the last Pakistani attack at Gurdaspur railway station ;

(b) if so, the amount thereof and the number of such employees ; and

(c) whether Railway employees who were killed in the Pakistani attack elsewhere will also receive this benefit ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) to (c) The question of giving liberalised pensions to the families of civil servants killed as a result of enemy action is receiving Government's consideration. These cases will be decided as soon as a decision is arrived at on the general question.

उड़ीसा में आए तूफान के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

108. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जान और माल की तूफानों से रक्षा के लिए उपाय सुझाने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर देगी ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) चक्रवातों के आने पर मानव के कष्ट और प्राणों तथा सम्पत्ति की हानि को कम करने के विभिन्न उपायों की जांच करने हेतु उड़ीसा के लिए एक चक्रवात संकट-शमन समिति का गठन किया गया है । समिति को अपनी रिपोर्ट मार्च, 1972 के अन्त तक देने के लिए कहा गया है ।

गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण योजना से लाभ उठाने वाले गांव

109. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में ग्राम विद्युतीकरण योजना से लाभ उठाने वाले ग्रामों की जिले-वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार राज्य में इस योजना का और विस्तार करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे विवरण में दी गई है :—

क्रम संख्या	जिला		जनवरी, 1972 तक विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या
1.	बुलसर	...	257
2.	सूरत	...	304
3.	डांग्स	...	9
4.	बरोड	...	252

5.	बरौडा	...	422
6.	पंचमहल	...	169
7.	कैरा	...	513
8.	अहमदाबाद	...	216
9.	गांधी नगर	...	58
10.	साबरकांता	...	274
11.	महसाना	...	305
12.	बंसकंठा	...	133
13.	कच्छ	...	177
14.	राजकोट	...	312
15.	सुरेन्द्र नगर	...	136
16.	भावनगर	...	212
17.	अमरैली	...	176
18.	जामनगर	...	162
19.	जूनागढ़	...	340
		कुल :	4427

(ख) तथा (ग) भारत सरकार द्वारा 1969 में स्थापित ग्राम विद्युतीकरण निगम, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के लिए राज्य विद्युत् बोर्डों को योगात्मक धन देता है। अब तक निगम ने गुजरात में 13 स्कीमों को स्वीकृति दी है जिसमें एक पाइलट ग्राम विद्युत्-सहकारिता स्कीम सम्मिलित है और जिसमें 661 ग्रामों और 21412 पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए 792 लाख रुपये की ऋण सहायता परिकल्पित है ।

समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण

110. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पादों के निर्यात का विकास और उनको संगठित करने के लिए एक सांविधिक निकाय की स्थापना करने के प्रस्ताव के बारे में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कच्चे माल की क्वालिटी, साधित करने सम्बन्धी कार्य, संवेष्टन, भंडारण, परिवहन, लदान, विपणन तथा अनुवर्ती अन्वेषणों पर विशेष बल देते हुए समुद्री उत्पाद निर्यात उद्योग के संगठन, समन्वयन, विनियमन तथा विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यह प्राधिकरण तट-दूर तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जिम्मेवार होगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों तथा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अन्य अधिकरणों के सहयोग और सहायता से निर्यात अभिमुख उद्योग के विभिन्न क्षेत्र संगठित करेगा।

हाल के युद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव

111. **श्री सी० टी० दंडपाणि** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और उन देशों के बीच व्यापार में जिन्होंने पाकिस्तान के साथ हाल के युद्ध में भारत का समर्थन नहीं किया, हाल ही में गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) दिसम्बर, 1971 के बाद की अवधि के व्यापार सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पंचवर्षीय योजना के दौरान पारेषण लाइनों और अन्तर्-राज्यीय लिंकों के लिए परिव्यय

112. **श्री निहार लास्कर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पंचवर्षीय विद्युत् योजना में प्रस्तावित पारेषण लाइनों और अंतर्राज्यीय लिंकों को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त परिव्यय के बारे में कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी धनराशि का है; और

(ग) मार्च, 1971 तक देश में पारेषण लाइनों की लम्बाई कितनी थी और मार्च, 1972 तक यह कितनी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) जी हां। 110 के० वी० और इससे ऊपर का पारेषण लाइनों के लिए तथा उन अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों के लिए धन की आवश्यकताओं का एक मोटा प्राक्कलन तैयार किया गया है जिन्हें 1976-77 को समाप्त होने वाली पंचवर्षीय अवधि में पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) पारेषण पथों के लिए 501 करोड़ रुपये और अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों के लिए 42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

(ग) मार्च, 1971 में देश में 110 के० वी० और इससे ऊपर के पारेषण पथों की कुल लम्बाई का अनुमान 52,000 सर्किट किलोमीटर लगाया गया है। 1972 के लिए अनुरूप लम्बाई 56,000 सर्किट किलोमीटर होने की सम्भावना है।

भारत-अफगानिस्तान व्यापार समझौता

113. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1972 में भारत और अफगानिस्तान के बीच किसी व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें व्यापार करार की मुख्य-मुख्य बातें दी गई हैं।

विवरण

भारत में अफगानिस्तान से ताज़े फलों तथा मेवा आदि के आयात की अनुमति केवल उस व्यक्ति को होगी जिसके आयात भारतीय वस्तुओं के निर्यातों से प्रति-संतुलित हों।

अफगानिस्तान को भारतीय वस्तुओं के निर्यात की अनुमति उस व्यक्ति को होगी जिसके निर्यात अफगानिस्तान से ताजे फलों तथा मेवा आदि के आयातों से प्रति संतुलित हों, शर्त यह है कि 50% से अन्यून निर्यात गैर परम्परागत मदों के हो।

प्रति संतुलित व्यवस्था के अन्तर्गत न आने वाली वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के सम्बन्ध में भुगतान, अपरिवर्तनीय अमरीकी डालर तथा पौंड-स्टर्लिंग में साख पत्रों की व्यवस्था करके किये जाएंगे।

(2) दोनों देशों के बीच आयात तथा निर्यात सीधे खरीद के आधार पर होंगे।

(3) दोनों देश, अन्य देश से आयातित माल को तीसरे देश को भेजे जाने को रोकने के लिए प्रभावकारी कार्यवाही करेंगे।

(4) बैंक माध्यमों से व्यापार विनिमयों के भेजने को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे पहले इन माध्यमों से ही अफगानिस्तान से हींग के आयात करने की अनुमति दी जायेगी। दोनों सरकारें अपने-अपने केन्द्रीय बैंकों को भुगतान की तथा व्यापार के निर्देशन के लिए बैंक माध्यमों से निर्यात/आयात दस्तावेजों के भेजने के लिए सहमत क्रियाविधि घोषित करने के लिए निदेश देंगी। पर्याप्त अनुभव प्राप्त होने के बाद बैंक प्रणाली दोनों देशों के बीच व्यापार का व्यापक क्षेत्र शामिल करने के लिए बढ़ाई जाएगी।

(5) दोनों देशों की सरकारें, अफगानिस्तान में उगने वाली औषधि वनस्पतियों तथा पौधों के सार का उत्पादन करने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के संबंध में सुविधा देने के लिए सहमत हो गई हैं। बीस वर्ष की अवधि के लिए अफगानिस्तान से भारत में इन सारों के आयात की अनुमति पर भी सहमति हो गई है। यह दोनों देशों में बनी दवाइयों तथा औषधियों के व्यापार विनिमयों को सुविधा देने के लिए यह सहमति हो गई है कि दोनों देशों में उनकी अपनी

नेशनल फार मुलरी में बनी दवाइयों के, अगर कोई है, शुद्धता और क्वालिटी के निर्धारित मानकों का समाधान होने पर, पंजीकरण की अनुमति दी जाये ।

(6) किसी भी प्रकार की कठिनाई को, जो उसके कार्यान्वियन में उत्पन्न हो, दूर करने के लिए व्यापार करार के कार्यचालन की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी ।

डीजल इंजनों का उत्पादन और उनको स्टीम इंजनों के स्थान पर लगाना

114. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में स्टीम इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन लगाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है;

(ग) देश में डीजल इंजनों का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(घ) उनको स्टीम इंजनों के स्थान पर कब तक लगा दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी-हां, यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय रेलों पर क्रमशः डीजल और बिजली कर्षण चालू किया जाय ।

(ख) भाप रेल इंजनों का निर्माण बंद करना और डीजल तथा बि ली कर्षण को चरणबद्ध रूप में चालू करना ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) लगभग 40 साल में जबकि वर्तमान इंजनों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जायेगा ।

विवरण

भाग ग का उत्तर : चौथी योजना-अवधि के पहले तीन वर्षों में उत्पादन यूनिटों अर्थात् चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना और डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में डीजल रेल इंजनों का वार्षिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

डीजल रेल इंजन

वर्ष	मुख्य लाइन के डीजल-बिजली (डी० रे० इं० का० वाराणसी को छोड़कर) बड़ी लाइन	मीटर लाइन	बड़ी लाइन के डीजल शंटिंग इंजन (चि० रे० इं० का० चित्तरंजन को छोड़कर)	छोटी लाइन के डीजल रेल इंजन
1969-70	58	24	22	—
1970-71	57	11	35	5
1971-72	65*	35*	35*	5*

*प्रत्याशित

लेटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार

115. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री हरी सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1972 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें पेरू के राजदूत ने इस बात का उल्लेख किया है कि भारत और लेटिन अमरीकी देशों के बीच व्यापार की बहुत गुंजायश है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त देशों से व्यापार बढ़ाने अथवा सहयोग समझौते करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि लेटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार के आदान-प्रदान में वृद्धि की गुंजाइश है। जबकि दूरी तथा समुचित नौवहन सुविधाओं के अभाव से बाधा उत्पन्न होती है, सरकार ने व्यापार संबन्धी दौरों सहित प्रतिनिधिमण्डलों के भेजने व बुलाने मेलों/प्रदर्शनियों में भारत के भाग लेने, व्यापार करार करने आदि जैसे अनेक संवर्धनात्मक उपाय किये हैं और कर रही है। इस समय, राज्य व्यापार निगम के एक सहायक निगम अर्थात् परियोजना तथा उपस्कर निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में उच्च शक्ति प्राप्त एक प्रतिनिधिमण्डल इन देशों का दौरा कर रहा है।

केरल में बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना

117. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री 23 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1326 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस पर कब तक निर्णय किया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से कोई नया अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

काजू कारखानों को अपने नियंत्रण में लेने हेतु केरल राज्य के काजू विकास निगम को दी गई अपर्याप्त सहायता

118. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा दस और काजू कारखानों को अपने नियन्त्रण में लेने हेतु ऋण के रूप में कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने कहा है कि निर्धारित राशि, कारखानों को दुबारा खोलने के लिए अपर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 20 लाख रु० ।

(ख) जी हां।

(ग) किन्तु तब से और बातचीत करके एक समझौता हो गया है ।

बांगला देश से पटसन बाहर ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध का हटाना

119 **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगला देश सरकार ने बांगला देश से पटसन को बाहर ले जाने पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत तथा ब्रिटेन के 1939 के करार की अवधि बढ़ाया जाना

120. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत तथा ब्रिटेन के बीच व्यापार में किसी प्रकार की भी रुकावट न डालने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 1939 में हुए द्विपक्षीय करार की अवधि अग्रेतर बढ़ा दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) ब्रिटिश सरकार ने 1939 के भारत-ब्रिटेन व्यापार करार को दिनांक 1 जनवरी, 1972 से समाप्त करने के लिए भारत सरकार को जो नोटिस दिया था, वह वापिस ले लिया गया है । इसके फलस्वरूप, सूती वस्त्रों के अलावा, जिनके सम्बन्ध में भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को पहले ही छूट दे दी है, भारतीय निर्यातों के सम्बन्ध में वही सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी जो उन्हें करार के अन्तर्गत उपलब्ध थीं । तथापि, कतिपय अन्य बातें भी हुई हैं जैसे कि अधिमानों की सामान्य योजना में ब्रिटेन का शामिल होना और यूरोपीय आर्थिक समुदाय में उनका प्रवेश, जिनका प्रभाव सम्भवतः इन सुविधाओं से प्राप्त होने वाले लाभ पर पड़ सकता है ।

बिजली का अधिक उत्पादन करने की योजना

121. **श्री डी० के० पंडा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972-77 में 177 लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस योजना के लिए सरकार ने विदेशी सहयोग प्राप्त किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां। विद्युत् विकास का एक कार्यक्रम, जिसमें 1972-77 की अवधि में 17.7 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त विद्युत्-जनन क्षमता का योग परिकल्पित है, तैयार कर लिया गया है।

(ख) 17.7 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त विद्युत्-जनन क्षमता में 11.3 मिलियन किलोवाट तापीय, ·8 मिलियन किलोवाट परमाणु और 5.6 मिलियन किलोवाट जलसंयन्त्रों से परिकल्पित है। 8.5 मिलियन किलोवाट विद्युत् स्वीकृत कार्यान्वियनाधीन स्कीमों से प्राप्त होगी और 9.2 मिलियन किलोवाट विद्युत्-जनन की नई स्कीमों से प्राप्त होगी। 9.2 मिलियन किलोवाट में से 5.5 मिलियन किलोवाट विकसित स्थलों पर संयन्त्रों के विस्तार के रूप में और शेष 3.7 मिलियन किलोवाट नए स्थलों से प्राप्त होगी।

(ग) कोई विदेशी सहयोग नहीं मांगा गया है। कितनी क्षमता अन्य स्रोतों से प्राप्त की जानी है और किस विधि से प्राप्त की जानी है, इस सम्बन्ध में मूल्यांकन करने के उद्देश्य से इस आशय का एक सघन अध्ययन किया जा रहा है कि देश में मौजूदा देशी निर्माताओं द्वारा उपर्युक्त कार्यक्रम के सम्पादन के लिए कितने संयन्त्र और उपस्कर की सप्लाई की जा सकेगी।

इंजीनियरी के सामान के निर्यात में कमी

122. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 के दौरान इंजीनियरी के सामान के निर्यात में कमी होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अप्रैल-नवम्बर, 1971 में लगभग 82.29 करोड़ रुपये मूल्य की इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात हुआ जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान इनका निर्यात मूल्य 66.39 करोड़ रुपये था। अनुमान है कि गत वर्ष में 116.58 करोड़ रुपये के निर्यातों की तुलना में, 1971-72 के पूरे वर्ष में 130 करोड़

रुपये के निर्यात होने का अनुमान है । अतः इसमें किसी प्रकार की कमी होने की सम्भावना नहीं है।

(ग) इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए निरन्तर किये जाने वाले उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयातित कच्चे माल की व्यवस्था करना ।

(2) इस्पात और एल्यूमीनियम जैसे देसी कच्चे माल की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर करना ।

(3) निर्यात हेतु सामान तैयार करने के लिए सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा कतिपय कच्चे माल का विपुल मात्रा में आयात की व्यवस्था करना ।

(4) हाल में स्थापित किए गए व्यापार विकास प्राधिकरण को निर्यात उत्पादन में वृद्धि करने और कुछ चुनी हुई वस्तुओं का विदेशों में विपणन करने का कार्य सौंपा गया है ।

(5) इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए परियोजना तथा उपस्कर निगम अपने कार्यकलाप बढ़ा रहा है ।

(6) विपणन सामर्थ्य विकसित करने के लिए चुने हुए उत्पादों के निर्यातों पर और अर्थ-व्यवस्था के विकास की वर्तमान अवस्था में होने वाले अलाभों को निष्प्रभावित करने के लिए क्षतिपूरक समर्थन दिया जाता है ।

(7) कई निर्यात उत्पादों पर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वापिसी की जाती है और रेलवे भाड़े में रियायत भी दी जाती है ।

हाल में राज्य विधान सभाओं के चुनावों में नई प्रक्रिया का अपनाया जाना

123. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में हाल में विधान सभाओं के चुनावों में निर्वाचन आयोग ने एक नई प्रक्रिया अपनाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-सी नई प्रक्रिया अपनाई गई और वह कहां तक सफल सिद्ध हुई ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराजसिंह चौधरी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य विधान सभाओं के हाल ही के साधारण निर्वाचनों में प्रतिपर्ण वाले मतपत्रों की पद्धति अपनाई गई है । पद्धति की उपयुक्तता की जांच सम्यक् अनुक्रम में निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी ।

बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः खोला जाना

124\. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री पम्पन गोंडा :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितनी-कितनी सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं और उनसे प्रभावित कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या इन बन्द पड़ी मिलों को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) इन मिलों को फिर से चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या सहायता देगी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) समाप्त करने योग्य समझी जाने वाली मिलों को छोड़कर जनवरी, 1972 के अन्त में बन्द पड़ी सूती वस्त्र मिलों की संख्या 52 थी जिनसे लगभग 53,528 कर्मचारी प्रभावित हुए। इन मिलों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

आंध्र प्रदेश	—	5
आसाम	—	1
बिहार	—	1
गुजरात	—	6
केरल	—	3
महाराष्ट्र	—	2
मैसूर	—	1
पंजाब	—	2
राजस्थान	—	2
तमिलनाडु	—	12
उत्तर प्रदेश	—	3
पश्चिम बंगाल	—	13
पांडिचेरी	—	1
		52

(ख) तथा (ग) : बन्द पड़ी मिलों के मामलों की जांच की जाती है और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। आवश्यक समझे जाने पर प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ले लिया जाता है और कार्यकारी पूंजी, आधुनिकीकरण आदि के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य वस्त्र निगमों द्वारा संयुक्त रूप में प्रदान की जाती है।

अमरीकी सरकार द्वारा पी० एल० 480 के अन्तर्गत रूई की सप्लाई बन्द करना

125. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत को रूई की सप्लाई बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इससे भारत में रूई की अत्यधिक कमी हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) 1-4-1971 को हस्ताक्षरित पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत सं० रा० अमरीका से रूई की सप्लाई पूरी तरह प्राप्त हो चुकी है । तथापि, सं० रा० अमरीका की सरकार द्वारा भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के हाल ही में बन्द किये जाने के बाद, पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत रूई की सप्लाई के बारे में सं० रा० अमरीका से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया है ।

कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का भारी संकट

126. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में फिर से बिजली का भारी संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में बिजली की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सम्भावित संकट का सामना करने के लिए यदि कोई कार्रवाई की गई है तो वह क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) से (ग) जी, नहीं। किसी भी मजबूरन शट-डाउन के परिणामस्वरूप सम्भावित कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रणाली में स्पिनिंग रिजर्व की व्यवस्था करने के उद्देश्य से व्यस्ततम भार घंटों के दौरान कुछ औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पाबन्दियों के अतिरिक्त कलकत्ता उद्योगिक क्षेत्र में कोई भी गम्भीर विद्युत संकट प्रत्याशित नहीं है। संतालडीह विद्युत केन्द्र और इसकी आनुषंगिक पारेषण प्रणाली के चालू होने से जिसकी सम्भावना अगले वर्ष हैं, कलकत्ता क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति में और सुधार होने की सम्भावना है ।

दिल्ली के न्यायालयों में लम्बित मामले

127. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1972 तक दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में कितने मामले लम्बित थे ; और

(ख) लम्बित मामलों को निबटाने के लिए क्या कार्रवाई करने का सुझाव है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 31 दिसम्बर, 1971 तक दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में लम्बित मामलों

की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 31 जनवरी, 1972 को लम्बित मामलों से सम्बन्धित जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) राज्य प्राधिकारियों को बकाया मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई थी :—

(i) मामलों का संस्थित किया जाना और उनका निपटाना और निपटाने के लिए लम्बित बकाया मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सीमा तक न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ;

(ii) उच्च न्यायालयों में रिक्तियां अविलम्ब भरी जानी चाहिए ;

(iii) जब कभी सेवारत न्यायाधीश को अन्य कर्तव्य दिए जाएं और उसकी उच्च न्यायालय में छह मास के भीतर वापस आने की सम्भावना न हो, तो उसके स्थान पर कोई अपर या तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि उच्च न्यायालय के कार्य में बाधा न पड़े।

उपर्युक्त उपायों के अनुसरण में गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 245 से बढ़ाकर 318 कर दी गई है।

विशिष्टतया उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और अन्य उपचार सुझाने के लिए अक्टूबर, 1969 में न्यायाधीशों की एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और विचाराधीन है। बकाया मामलों को कम करने और न्याय में विलम्ब को कम करने के लिए अतिरिक्त उपायों के बारे में निश्चय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

विधि आयोग ने अपनी सत्ताईसवीं रिपोर्ट में सिविल मुकदमों में विलम्ब को कम करने या समाप्त करने और इस प्रकार खर्चों को कम करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कतिपय विनिर्दिष्ट संशोधन करने के सुझाव दिए हैं। सुझाव विचाराधीन हैं। पुनर्गठित विधि आयोग से भी सिविल प्रक्रिया संहिता में और संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए निवेदन किया गया है।

विधि आयोग ने दाण्डिक मामलों में प्रक्रिया सम्बन्धी विधि के संशोधन के लिए भी बहुत सी सिफारिशें की हैं। उनमें से अधिकांश सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता के पुनरीक्षण के लिए अब एक विधेयक संसद् की प्रवर समिति के समक्ष है।

विवरण

1971 के अन्त में विभिन्न उच्च न्यायालयों में निपटाने के लिए लम्बित मामलों की संख्या

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय का नाम	1971 के अन्त में लम्बित मामले
1.	इलाहाबाद	71,722
2.	आन्ध्र प्रदेश	15,648
3.	आसाम और नागालैंड	5,057
4.	बम्बई	39,296
5.	कलकत्ता	77,360
6.	दिल्ली	15,067
7.	गुजरात	13,906
8.	हिमाचल प्रदेश	1,544
9.	जम्मू और कश्मीर	1,605 (जो जून, 1971 के अंत में थे)।
10.	केरल	34,433
11.	मध्य प्रदेश	17,401
12.	मद्रास	33,673
13.	मैसूर	13,870
14.	उड़ीसा	6,866
15.	पटना	19,422
16.	पंजाब और हरियाणा	24,302
17.	राजस्थान	11,125

भारत-रूस व्यापार करार

128. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा रूस के बीच 1971-75 के लिए हस्ताक्षरित व्यापार करार के अंतर्गत होने वाले व्यापार की प्रगति से भारत सन्तुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1971 में दिये गये सभी वचनों को रूस ने पूरा किया है ; और

(ग) क्या भारत ने, अमरीका द्वारा भारत को सहायता बन्द किये जाने के कारण, व्यापार में वृद्धि करने के लिए रूस से अनुरोध किया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) प्राप्य अनन्तिम व्यापार आंकड़ों (अगस्त 1971 तक) के आधार पर यह आशा है कि 1971 के लिए निर्धारित लक्ष्य संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित हो जायेंगे।

(ग) भारत-सोवियत संघ व्यापार संतोषप्रद ढंग से प्रगति कर रहा है और जब कभी कोई अवसर आता है, सरकार इसके आकार को बढ़ाने की संभावना और क्षमता के बारे में बराबर पुनरीक्षा करती है।

विद्युत् परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर योजना आयोग की चिन्ता

129. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विद्युत् परियोजनाओं की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग बिजली की समस्या के समाधान के लिए एक बहुमुखी योजना तैयार कर रहा है ;

(ग) क्या यह विभिन्न क्षेत्रों की बिजली सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकता पर आधारित है, किसी एक राज्य की आवश्यकता और विद्युत् प्रजनन क्षमता पर नहीं ; और

(घ) क्या राष्ट्रीय विद्युत् ग्रिड बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) योजना आयोग ने अपने मध्यावधि मूल्यांकन में इस बात का उल्लेख किया है कि निर्माण-कार्यों की धीमी गति और देशी निर्माताओं द्वारा संयन्त्र और उपस्कर की डिलिवरी में विलम्ब के कारण चौथी योजना के अन्त तक सिर्फ 2112 मिलियन किलोवाट की प्रतिष्ठापित विद्युत जनन क्षमता उपलब्ध होने की संभावना है जबकि निर्धारित लक्ष्य 23 मिलियन किलोवाट क्षमता का है। योजना आयोग ने (जैसा कि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने किया है) विद्युत् की संभावित कमी को कम करने के लिए निम्नलिखित उपचारी कार्रवाइयों पर जोर दिया है।

(1) सभी स्तरों पर अधिक अच्छा समन्वयन लाकर परियोजनाओं के निर्माण की गति तेज करना।

(2) अन्तर्राज्यीय पारेषण सम्पर्कों के निर्माण और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के प्रतिष्ठापन की गति तेज करके क्षेत्रीय ग्रिड तार-जालों के समेकित प्रचालन की गति तेज करना

(3) विद्युत् के विनिमय के लिए अन्तर्राज्यीय करार पूरे करना और क्षेत्रीय आधार पर विद्युत्-जनन क्षमता के योजनाबद्ध अनुपयोग काल का कार्यक्रम बनाना ;

(4) ऊपर की जिम्मेदारियों को केन्द्रीय स्तर पर हाथ में लेने और उन्हें निपटाने के लिए एक पूर्णकालिक निकाय के रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का पुनर्गठन करना।

(5) निम्नलिखित कार्रवाइयों का भी सुझाव दिया जाता है।

(1) आगामी दस वर्षों के लिए निश्चित परियोजनाओं के अन्वेषणों को शीघ्र पूरा करना ताकि यथार्थवाही परियोजना प्राक्कलन को तैयार किया जा सके ;

(2) आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर यथार्थवादी निर्माण अनुसूचियों का एक कार्यक्रम तैयार करना;

(3) संयंत्र और उपस्कर का निर्माण और अनुसूची के अनुसार उनकी सुपुर्दगी की देखभाल करना ; और

(4) प्रत्येक क्षेत्र में बृहत विद्युत् जनन स्कीमों और बहुत सी पारेषण लाइनों का निर्माण केन्द्रीय सरकार करे और राज्य के विद्युत् सप्लाई अधिकारी केन्द्रीय पूल से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीद करें ।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद के सुझावों के अनुसार चतुर्थ योजना विद्युत के आयोजन सम्बन्धी क्षेत्रीय विचार पर ही आधारित रही है जिसके अनुसार विद्युत-जनन की स्कीमों के शयन का आधार समूचे क्षेत्र की आवश्यकताएं रही हैं, न कि किसी एक राज्य की आवश्यकताएं ।

(घ) आशा है, ऊपर सुझाई गई कार्रवाइयों के फलस्वरूप एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का निर्माण हो जाएगा ।

नेपाल के माध्यम से चीन भारत व्यापार

130. **श्री सी०टी० दण्डपाणि :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' (अहमदाबाद संस्करण) में 'नेपाल के माध्यम से चीन-भारत व्यापार' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या नेपाल के माध्यम से भारत के साथ निर्यात-व्यापार करने के नेपाली सुझाव पर चीन सहमत हो गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने भारत में नेपाल के राजदूत द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में समाचार देखा है ।

(ख) तथा (ग) यह समाचार वैयक्तिक मत के बारे में है ।

मद्रास सेण्ट्रल रेलवे स्टेशन के उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र और फोटो लगाना

131. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सेण्ट्रल रेलवे स्टेशन के उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र और फोटो लगाए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको वहां लगाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यात्रियों को गाड़ियों में पहले से पकाया और पैक किया खाना सप्लाई करना

132. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की गाड़ियों में यात्रियों को पहले से पका और पैक किया खाना सप्लाई करने की कोई मार्गदर्शी परियोजना चालू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसका भोजन यानों के कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, 3 अप/4 डाउन फ्रंटियर डाक गाड़ियों पर।

(ख) योजना की मुख्य बातें ये हैं कि यात्रियों को उचित समय पर परोसने के लिए रास्ते के सुविधाजनक स्टेशनों पर खाना स्वास्थ्यप्रद ढंग से पकाया जायेगा तथा पैक किया जायेगा। परोसे जाने वाले भोजन की किस्म आम पसंद और आवश्यक भोजन तत्वों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है। यह सेवा स्थान-आरक्षण के समय से लेकर यात्रा-समाप्ति तक अग्रिम आदेश प्रणाली पर आधारित होगी जिससे भोजन नष्ट होने की गुंजाइश समाप्त हो जायेगी।

(ग) इस परियोजना के लागू होने पर खाना पकाने और बर्तन धोने का काम भोजनयानों से पूर्णतः समाप्त हो जायेगा। इसके फलस्वरूप ऐसी संभावना है कि भोजनयान में कुछ स्थान तो यात्री यातायात के लिए उपलब्ध हो जायेगा और शेष स्थान पहले से पके-पकाये और पैक किये हुए भोजन को रखने के लिए और पूरी मात्रा में यात्रियों के लिए अल्पाहार एवं पेय पदार्थों के परोसने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

हावड़ा पुल का निर्माण

133. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में दूसरे हावड़ा पुल के निर्माण कार्य को गति देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) हावड़ा के पास हुगली नदी पर किसी रेल पुल के बनवाने का विचार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर से मद्रास जाने वाली गाड़ियों के साथ तीसरे दर्जे के शयनयान लगाना

134. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर से मद्रास जाने वाली गाड़ियों के साथ दिल्ली, बम्बई अथवा हावड़ा के लिए तीसरे दर्जे के शयनयान नहीं लगाये जाते; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) तीसरे दर्जे का एक शयनयान मंगलूर और बम्बई के बीच चलता है। मंगलूर और दिल्ली के बीच पहले और तीसरे दर्जे का एक संयुक्त सवारी डिब्बा सप्ताह में पांच दिन चलता है। मंगलूर और हावड़ा के बीच कोई सीधा सवारी डिब्बा नहीं चलता।

(ख) पहले और तीसरे दर्जे के संयुक्त सवारी डिब्बों में तीसरे दर्जे का सोने के लिए स्थान नहीं होता और पूरा शयनयान लगाने के लिए यातायात पर्याप्त नहीं है, इसलिए मंगलूर और दिल्ली तथा मंगलूर और हवड़ा के बीच तीसरे दर्जे का शयनयान नहीं चलता।

पश्चिमी बंगाल, असम तथा बिहार से बंगला देश को सीधी रेलगाड़ियां चलाना

135. **डा० रानेन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिमी बंगाल, असम तथा बिहार से कलकता, गोहाटी, सिलीगुड़ी तथा अन्य महत्त्वपूर्ण स्टेशनों को बंगाल देश के महत्त्वपूर्ण नगरों तथा शहरों के साथ मिलाने वाली सीधी रेल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत तथा बंगला देश के बीच जूट समुदाय की स्थापना

136. **डा० रानेन सेन** :
श्री बी० वी० नायक :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के सम्पूर्ण पटसन व्यापार को विनियमित करने के विचार से दोनों देशों के बीच 'पटसन-समुदाय' बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाक युद्ध के कारण गुजरात राज्य में रेलों को क्षति

137. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत-पाक युद्ध में गुजरात राज्य में रेल को कुल कितनी क्षति हुई ; और

(ख) इस क्षति की मरम्मत करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) केवल 30/- रुपये की मामूली क्षति हुई थी ।

(ख) चूंकि यह क्षति मामूली थी इस लिए विभाग द्वारा ही इसकी मरम्मत कर दी गयी थी ।

महाराष्ट्र के बिजली अकाल का गुजरात पर प्रभाव

138. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **सिंचाई और बिद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1972 के महाराष्ट्र के बिजली अकाल का गुजरात पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात में इस अभूतपूर्व बिजली अकाल से उद्योग और कृषि पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस समस्या की उपेक्षा का सारा दोष केन्द्र पर डाला है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात को महाराष्ट्र में स्थित तारापुर परमाणु विद्युत् केन्द्र से 200 मेगावाट सामान्य सप्लाई की तुलना में सिर्फ 55 मेगावाट विद्युत् उपलब्ध होने के कारण दिसम्बर 1971 के अन्त से ही विद्युत की भारी कमी महसूस होती रही है। स्वभावतः इससे गुजरात में उद्योग कृषि आदि को विद्युत् की सप्लाई प्रभावित हुई है।

(ग) और (घ) सहायता के लिए गुजरात के अनुरोध पर, केन्द्र ने धवरन ताप विद्युत् केन्द्र में विद्युत् जनन की गति में तेजी लाने के लिए अपेक्षित शुल्क-मुक्त मिट्टी के तेल की अतिरिक्त सप्लाई की व्यवस्था की और जहां तक सम्भव हो गुजरात के लिए अधिक से अधिक विद्युत् बचाने के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों के साथ व्यवस्था की है। विद्युत् की कमी की स्थितियां कम करने के लिए केन्द्र द्वारा की गई समय पर सहायता की व्यवस्था की गुजरात राज्य ने प्रशंसा की है।

प्रभागीय अधीक्षक (उत्तर रेलवे), नई दिल्ली पर हमला

139. **श्री हरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के प्रभागीय अधीक्षक पर एक भूतपूर्व रेलवे कर्मचारी ने 1 फरवरी, 1972 को उनके पहाड़गंज, नई दिल्ली कार्यालय में हमला किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली पुलिस के भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/506/353/332/186 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अधीन 1-2-1972 को एफ० आई० आर० नं० 91 के अनुसार एक मामला दर्ज किया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय ने उसे जमानत पर छोड़ दिया था।

Survey for Satna-Rewa-Singrauli Railway Line

140. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether any preliminary survey is being made for laying Satna-Rewa-Singrauli railway line in Madhya Pradesh : and

(b) if so, the time by which the aforesaid survey would be completed ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b) A proposal to carry out a traffic survey for a B. G. line from Satna to Beohari (on the newly opened Katni-Singrauli line) via Rewa, is under consideration. The report of the survey would be available about a year after the survey is sanctioned.

दस्तकारी बोर्डों में अनुसूचित जाति के तकनीकी कर्मचारियों की संख्या

141. **श्री हरी सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के अनुसूचित जाति के तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या यह संख्या निर्धारित कोटे से कम है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के निर्धारित कोटे को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की सेवाओं के वर्गीकरण में उप-निदेशक (प्रौद्योगिकी) का केवल एक पद 'तकनीकी' घोषित किया गया है। यह पद रिक्त पड़ा है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित व्यक्ति को भाफर भेजा गया है ! यह पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है।

राजस्थान नहर परियोजना के लिए दी गई आर्थिक सहायता

142. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के लिए अब तक कुल कितनी आर्थिक सहायता दी है ;

(ख) सम्पूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) परियोजना के निष्पादन में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यह कब तक पूरी होगी ; और

(घ) कार्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी और आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मार्च, 1969 के अन्त तक केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 57 करोड़ रुपये दिए थे। चौथी योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों/ऋणों के रूप में रही है। बहरहाल, योजना के दौरान परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये का एक परिव्यय पृथग् रक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित योजनेतर सहायता भी दी गई/दी जा रही है :—

1969-70	3.2 करोड़ रुपये
1971-72	3.0 करोड़ रुपये

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत, पोंग बांध, हरिके शीर्ष कार्यों आदि के हिस्से की लागत को छोड़कर, 207.67 करोड़ रुपये है (चरण-एक 118.55 करोड़ रुपये और चरण-दो 89.12 करोड़ रुपये)।

(ग) इस समय, चरण-एक के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है। 214 किलोमीटर लम्बी फीडर नहर और 195 किलोमीटर मुख्य नहर का 134 किलोमीटर लम्बा भाग पूर्ण किया जा चुका है। 50 प्रतिशत से अधिक वितरण प्रणाली भी पूर्ण हो गई है। परियोजना के चरण-एक के चौथी योजना के अन्त (1973-74) तक काफी हद तक तथा चरण-दो के अगली योजना अवधियों में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(घ) परियोजना के चरण-एक को पूर्ण करने तथा चरण-दो के संबंध में प्रारम्भिक कार्य करने के लिए योजना प्रावधान के अतिरिक्त और अधिक सहायता की व्यवस्था करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

इंजीनियरी निर्यात लाभों में कमी

143. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मामलों में बिना किसी पूर्व सूचना के इंजीनियरी निर्यात लाभों तथा शुल्क-वापसी आयात का अधिकार और नकद सहायता में अचानक ही कमी आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं और निर्यात पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नकद क्षतिपूरक सहायता में कोई कमी नहीं आई है। आयात प्रतिपूर्ति में कमी केवल घड़ियों के मामले में ही की गयी है और शुल्क वापसी दरों में कमी का भी केवल दो मदों अर्थात् साइकिलों व उनके पुर्जे और स्टेनलैस स्टील उत्पादों पर ही प्रभाव पड़ा है।

(ख) आयात प्रतिपूर्ति वास्तविक आयात माल पर आधारित है। जब कभी भी स्वदेशी उपलब्धता के कारण कोई परिवर्तन होता है तो आयात प्रतिपूर्ति दरों में समुचित संशोधन कर दिया

जाता है । इसी प्रकार, आयातित माल तथा आयात प्रतिस्थापन की लागत, बीमा, भाड़ा सहित कीमतों में हर परिवर्तन के साथ शुल्क वापसी दरें भी बदलती रहती हैं ।

इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप निर्यातों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

भूमिगत रेल कार्य

144. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 अगस्त, 1971 के 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड', कलकत्ता के (पृष्ठ 7) पर 'भूमिगत रेल कार्य के वर्ष 1973 से पूर्व आरम्भ न होने के 'शीर्षक' के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट में जो अनुमान लगाया गया है वह ठीक ही प्रतीत होता है ।

निर्यात और आयात की कीमत

145. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1968-69 से 1970-71 तक वर्षवार क्यूबा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम से कितनी कीमत का निर्यात और आयात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(मूल्य लाख रु० में)

देश	वर्ष	निर्यात	आयात
क्यूबा	1968-69	नगण्य	—
	1969-70	1	—
	1970-71	16	नगण्य
वियतनाम गणराज्य	1968-69	65	नगण्य
	1969-70	97	नगण्य
	1970-71	268	नगण्य
वियतनाम का लोकतंत्रीय गणराज्य	1968-60	—	नगण्य
	1969-70	नगण्य	नगण्य
	1970-71	7	नगण्य

सरकारी और गैर सरकारी विद्युत् उपक्रमों द्वारा विदयुत् टैरिफ की वसूली

156 **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी यथा छोटे उद्योग, मझले उद्योग, बड़े

उद्योग और बहुत बड़े उद्योग के लिए सरकारी और गैर-सरकारी विद्युत् उपक्रमों द्वारा अलग-अलग रूप से वसूल किये गये विद्युत् टैरिफ की औसत दरें क्या हैं ;

(ख) क्या छोटे उद्योग के मामले में पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड और कलकत्ता विद्युत् सप्लाई निगम की टैरिफ दरें बहुत अधिक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) लघु, मध्यम, बृहत् तथा बहुत बड़े उद्योगों के लिए राज्य विद्युत् बोर्डों और कुछ महत्त्वपूर्ण लाइसेंसदारों द्वारा ली जा रही औसत विद्युत् दरें उपबन्ध-एक पर विवरण में दी गई हैं। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.** (140-1672)

(ख) और (ग) पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड तथा कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन द्वारा ली जा रही दरें आन्ध्र प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों/क्षेत्रों, जहां विद्युत ताप केन्द्रों से ली जाती है, द्वारा ली जा रही दरों से अधिक नहीं है।

आंध्र प्रदेश में एकाधिकारी क्रेताओं द्वारा तम्बाकू के मूल्य में कमी

147. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खरीद के मामले में चार कम्पनियों का एकाधिकार है;

(ख) क्या इन चार कम्पनियों ने हाल ही में आपस में समझौता करके तम्बाकू के मूल्य को 500 रुपये से घटा कर 250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है ;

(ग) क्या इस कार्यवाही के कारण आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में तम्बाकू उत्पादकों की हड़ताल हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जी नहीं। आंध्र प्रदेश में तम्बाकू खरीदने वाली तीस (30) से अधिक कम्पनियां हैं।

(ख) तम्बाकू के गुण के अनुसार इसके मूल्य हाल में 250 रुपये से 550 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे हैं।

(ग) तम्बाकू उत्पादकों को जो मूल्य दिए जा रहे थे, उनसे वे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए चिलाकालुरिपेट के क्षेत्र में कुछ तनाव तथा असंतोष था।

(घ) स्थिति की जांच करने के लिए विदेश व्यापार मंत्रालय का एक अधिकारी आंध्र प्रदेश भेजा गया था। तम्बाकू की खरीद में अपेक्षाकृत अच्छी प्रतियोगिता प्रदान करने के लिए राज्य व्यापार नियम को क्रय बाजार में प्रवेश करने का निदेश दिया गया है और इसके फलस्वरूप मूल्यों में सुधार हुआ है।

चाय के निर्यात के सम्बन्ध में केन्या के मंत्री का नई दिल्ली का दौरा

148. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्या के मंत्री डा० रोबर्ट जे० औके ने नई दिल्ली का दौरा किया था;

(ख) क्या चाय के निर्यात के बारे में उनके और डा० औके के मध्य चर्चा हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो चर्चा का क्या परिणाम रहा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए. सी. जार्ज): (क) से (ख) पूर्वी अफ्रीका समुदाय में साझा बाजार और आर्थिक मामलों के मंत्री ने फरवरी 1972 में भारत के अपने दौरे के दौरान भारत और पूर्वी अफ्रीका समुदाय के देशों के बीच वाणिज्यिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। चाय निर्यात के सम्बन्ध में कोई भी सारभूत विचार-विमर्श नहीं किया गया।

उड़ीसा में खान मालिकों को माल डिब्बों की अनियमित सप्लाई

149. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खान मालिकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि माल डिब्बों की अनियमित सप्लाई के कारण क्रोम, लोहा तथा अन्य अयस्कों के निर्यात में बाधा आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पर्यन्त रेलवे स्टेशनों से बंदरगाहों को लोह-अयस्क, मैंगनीज़-अयस्क और क्रोम अयस्क के पर्याप्त प्रेषण के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं।

(ख) इस मंत्रालय को बन्दरगाहों पर अपर्याप्त स्टाक के कारण अयस्क के निर्यात में कोई वास्तविक कमी होने की जानकारी नहीं है। लेकिन विभिन्न असामाजिक गतिविधियों, तटवर्ती क्षेत्रों में तूफान और रक्षा-सम्बन्धी अत्यधिक यातायात के कारण पूर्वी क्षेत्र में संचलन अस्तव्यस्त हो जाने से पारादीप और कलकत्ता बन्दरगाहों को लोह अयस्क के परिवहन में कुछ कमी हुई है। क्रोम अयस्क और मैंगनीज अयस्क की ढुलाई से सम्बन्धित शिकायतों का मुख्य कारण यह था कि समय पर पर्याप्त स्टाक इकट्ठा करने के बजाय ऐन जहाजों के पहुंचने से थोड़ा पहले बहुत अधिक मांगें पेश की गयीं। फिर भी, निर्यातकों की जहाजरानी सम्बन्धी वचनबद्धताओं को पूरा करने के निमित्त माल-डिब्बे सप्लाई करने के लिए हमेशा विशेष प्रयास किये जाते हैं। उड़ीसा से निर्यात के लिए मैंगनीज अयस्क की ढुलाई पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक रही है।

बंसपाणि-जाखपुरा रेलवे लाइन का निर्माण

150. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस बीच बंसपाणि-जाखपुरा रेलवे लाइन के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब से आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में योजना आयोग के विचारार्थ तब तक कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक मलंगटोली निक्षेप के विकास के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो जाती।

उत्कल एक्सप्रैस के समय को कम करने के बारे में संसद् सदस्यों द्वारा ज्ञापन

151. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल एक्सप्रैस द्वारा लिये जा रहे समय को कम करने के बारे में उड़ीसा के संसद् सदस्यों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या उन्होंने उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के संसद् सदस्यों को यह आश्वासन दिया है कि यदि उक्त गाड़ी निजामुद्दीन से चलाई जाय तो इस समय इसके द्वारा लिये जा रहे समय में पांच से छः घण्टे की कमी हो सकती है ; और

(ग) उत्कल एक्सप्रैस को दैनिक गाड़ी में कब परिवर्तित कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) मध्य रेलवे के खण्डों पर क्षमता बढ़ाने से सम्बन्धित कुछ काम हो रहे हैं। इन कामों के पूरा हो जाने पर ही इस गाड़ी के फेरे बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

कच्चे रबड़ का उत्पादन

152. **श्री सी० एम० स्टीफन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में टायर कारखानों और रबड़ उत्पादों के अन्य कारखानों को कितने रबड़ की आवश्यकता थी और रबड़ का उत्पादन आवश्यकता से कितना अधिक हुआ ;

(ख) अधिसूचित न्यूनतम मूल्य और बाजार मूल्य के बीच कितना अन्तर रहा और इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की तो वह क्या है ; और

(ग) औद्योगिक कारखानों, राज्य व्यापार निगम और सहकारी समितियों के लेखे के अनुसार अधिसूचित मूल्य पर रबड़ की कुल कितनी मात्रा खरीदी गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1971-72 के दौरान टायर तथा गैर-टायर विनिर्माता फैक्टरियों की प्राकृतिक रबड़ की खपत का अनुमान 96,500 मे० टन लगाया जाता है। मार्च, 1972 के अन्त में आगे ले जाये गये स्टाक का अनुमान 44,000 मे० टन है।

(ख) अपेक्षाकृत उच्च ग्रेडों की रबड़ जैसे आर० एम० ए० 1 तथा 2, पेल लेटेकस, क्रेपस तथा गाढ़े लेटेकस की अधिसूचित कीमतों तथा कथित बाजार कीमतों के बीच कोई अन्तर नहीं है। तथापि, निम्न ग्रेडों वाली शीट रबड़ जैसे आर० एम० ए० 3,4 तथा 5 और एस्टेट ब्राउन क्रेपस् की अधिसूचित कीमतों और बाजार कीमतों में अन्तर है। निम्न ग्रेड की शीट रबड़ के मामले में दिनांक 7 मार्च, 1972 को औसत अन्तर प्रति 100 कि० ग्रा० 45 रु० से 60 रु० तक रहा। उपजकर्ताओं को अधिसूचित कीमतों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) राज्य व्यापार निगम ने अक्तूबर, 1970 में रबड़ बाज़ार में प्रवेश किया और लघु उपजकर्ताओं से अधिसूचित कीमतों पर रबड़ खरीदा। 4 मार्च, 1972 तक राज्य व्यापार निगम ने 17, 924 मे० टन रबड़ खरीदा।

(2) दिसम्बर, 1971 में केरल सरकार को रबड़ की खरीद के लिए 2.5 करोड़ रु० का ऋण दिया गया और पचास-पचास लाख रु० की दो किस्तें दी जा चुकी हैं। ४ मार्च, 1972 तक उस सरकार द्वारा 670 मे० टन प्राकृतिक रबड़ खरीदा गया। राज्य व्यापार निगम और केरल राज्य सहकारी विपणन परिसंघ, लघु उपजकर्ताओं से रबड़ की खरीद सहकारी समितियों तथा रबड़ से सम्बन्धित अन्य समितियों के माध्यम से कर रहे हैं।

(3) विदेश व्यापार मंत्रालय ने लघु उपजकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में रबड़ खरीदने की आवश्यकता के सम्बन्ध में उद्योग पर जोर डालने के लिए रबड़ माल विनिर्माता एककों और टायर तथा गैर-टायर विनिर्माता एककों की दो बैठकें बुलाईं। यह सहमति व्यक्त की गयी कि टायर एककों और मैसर्स बाटा कम्पनी के गैर-टायर एककों को अपने गोदामों तथा पाइपलाइनों में प्राकृतिक रबड़ का ३.५ महीने का स्टाक बनाए रखना चाहिए।

(4) सरकार भी प्राकृतिक रबड़ के निर्यात की संभाव्यताओं का पता लगा रही है।

(ग) रबड़ की खरीदारियों के सम्बन्ध में रबड़ बोर्ड द्वारा किये गए निरीक्षणों के परिणामस्वरूप पता चला कि विनिर्माताओं तथा व्यापारियों ने रबड़ की खरीद सामान्यतः अधिसूचित कीमतों पर की। इस सम्बन्ध में उल्लंघन के बहुत कम मामले देखने में आये हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गयी है।

और अन्य गैर टायर रबड़ माल विनिर्माताओं को 2.5 महीने का स्टाक बनाये रखना चाहिए।

अमरीका को पटसन के निर्यात को संरक्षण देने के लिए कार्यवाही

153. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि अमरीका इस प्रकार की धमकी दे रहा है कि वह पटसन का आयात समाप्त कर भारत से बदला लेगा :

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पटसन निर्यात को संरक्षण देने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को ऐसी किसी धमकी की जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मंगलौर-ओलवाकोट सैक्शन (दक्षिण रेलवे) पर डीजल से रेलगाड़ियां चलाना

154. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मंगलौर-ओलावाकोट बड़ी लाइन पर डीजल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या कितनी है तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) रेलवे का विचार इस मार्ग पर चलने वाली सभी एक्सप्रैस तथा महत्वपूर्ण मालगाड़ियों को कब तक डीजल से चलाने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) ओलवाकोट-शेरुवण्णूर-कोच्चिन हार्बर खंड पर तीन मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों और अनेक मालगाड़ियों में डीजल इंजन लगते हैं। डीजलीकरण के चरणबद्ध कार्यक्रम के एक अंश के रूप में चौथी योजना के दौरान केरल में और अधिक गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाने का कार्यक्रम है। डीजल इंजनों का आबंटन उनकी उपलब्धता तथा विभिन्न खण्डों/रेलों के लिए तुलनात्मक परिचलन सम्बन्धी अग्रताओं पर निर्भर होगा।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों में संशोधन

155. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान में दिये गये अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में उन्होंने केरल में कोई वक्तव्य दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में केरल से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) कथन का सार निम्नलिखित है :—

"संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रबन्ध करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। कुछ अल्पसंख्यक संस्थाएं सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति के भाग रूप राज्य द्वारा अधिरोपित विनियामक अनुशासन के अधीन रहने से इंकार करके इस संरक्षण का दुरुपयोग कर रही हैं। इस मामले की जांच करनी होगी।"

(ग) विधि और न्याय मन्त्रालय को केरल से इस विषय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चाय निगम

156. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री 16 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय निगम का इस बीच पंजीकरण हो गया है :

(ख) यदि हां, तो इसके गठन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप चाय बोर्ड कर्मचारियों को कोई लाभ पहुंचेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारतीय चाय व्यापार निगम लि० को एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी के रूप में दिनांक 21.12.1971 को कलकत्ता में पंजीकृत किया गया है। इसका प्रबन्ध एक संचालक मण्डल द्वारा चलाया जाएगा जिसमें 3 गैर-सरकारी और 6 सरकारी सदस्य होंगे। यह निगम मुख्यत: भारत तथा विदेशों में चाय के विपणन हेतु वाणिज्यिक कार्य करेगा और इसका उद्देश्य चाय उद्योग को लाभ पहुंचाना और निर्यात आय को बढ़ाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'लन्दन टी सेन्टर'

157. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे 'लन्दन टी सेन्टर' लन्दन को भारी हानि उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इसे कितनी हानि हुई तथा इसकी सजावट पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त हानि को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) ब्रिटेन में चाय संवर्धन के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में लन्दन में चाय केन्द्र की स्थापना की गई है। गत 3 वर्षों में इस केन्द्र को चलाने के लिए किया गया व्यय बिक्री से हुई आय से अधिक है। गत 3 वर्षों में बिक्री से ऊपर जितना अधिक व्यय हुआ और सजावट पर जितनी राशि खर्च की गई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	बिक्री से ऊपर अधिक व्यय	सजावट पर खर्च की गई राशि
1968-69	5.33 लाख रुपये	शून्य
1969-70	3.93 ,, ,,	945 रुपये
1970-71	7.07 ,, ,,	7320 रुपये

(ग) चाय केन्द्र के अधिक अच्छे प्रबन्ध की प्रस्थापना विचाराधीन है।

विदेश व्यापार के अधिकारियों द्वारा चाय बोर्ड की गाड़ियों का प्रयोग

158. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चाय बोर्ड की गाड़ियां उनके मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन गाड़ियों का प्रयोग करने का उन्हें अधिकार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी, हां,

परन्तु जब मन्त्रालय की स्टाफ गाड़ियां आसानी से नहीं मिलतीं तब कभी कभी इनका प्रयोग किया जाता है ।

चाय बोर्ड कर्मचारी संघ, दिल्ली द्वारा अभ्यावेदन

159. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड कर्मचारी संघ, दिल्ली से 27 दिसम्बर, 1971 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में उठाये गये मुख्य विषय ये हैं :

(1) चाय बोर्ड के दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से दो निरीक्षणों का दिल्ली के चाय बार/बुफे में तबादला करना ।

(2) विभिन्न चाय बारों/बुफों में प्रदर्शकों के रिक्त पदों को उन परिचारकों की प्रोन्नति करके भरा जाये जो पहले से स्थानापन्न रूप से प्रदर्शकों के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

(3) प्रधान लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक ग्रेड-3 के पद कलकत्ते से दिल्ली को पुनः अन्तरित किये जाएं और इस क्षेत्र में कार्य-भार को देखते हुए उच्च श्रेणी लिपिकों के दो और पद बनाये जाएं ।

(4) मकान किराया भत्ता अन्य उपक्रमों के बराबर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाये ।

(5) चाय बोर्ड द्वारा अपने अमले के लिए क्वार्टर खरीदे जाएं और कर्मचारी को आबंटित किये जाएं ।

इन मांगों पर विचार किया गया है पर इन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है ।

भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशों में पूंजी निवेश

160. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय उद्योगपति देश के बाहर संयन्त्रों और कारखानों की स्थापना के लिए पूंजी लगा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विदेशों में पूंजी लगाने से उन उद्योगपतियों को रोक रही है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उपक्रमों की स्थापना के लिए भारतीय उद्योगपतियों से अनुरोध प्राप्त होते हैं । चूंकि ये संयुक्त उपक्रम निर्यात संवर्धन तथा व्यापार विस्तार करने के साधन होते हैं अतः इन अनुरोधों के सम्बन्ध में गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है । यदि प्रस्थापनाएं, भारतीय

भागीदारी सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप होती है तो सरकार द्वारा उन्हें अनुमोदित कर दिया जाता है । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि भारतीय भागीदारी सामान्यत: अल्पमात्रा में होगी, इक्विटी पूंजी स्वदेशी संयत्र तथा मशीनों व उपस्कर के निर्यात से पूरी की जाएगी, इक्विटी आदि को पूरा करने के लिए कोई नकद राशि नहीं भेजी जायेगी । इस प्रकार विदेशों में संयुक्त उपक्रमों में भारतीय निवेश को निर्यात हितों की सहायतार्थ विनियमित किया जाता है ।

जूट से बने माल के मूल्यों पर टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

161. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट से बने माल के मूल्यों पर टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी और यदि हां, तो कब ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग); जैसे ही रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय कर लिए जाएगे, आयोग की रिपोर्ट सरकार के निर्णयों सहित सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

एरेलिक प्लास्टिक की चादरों के लिये आयात लाइसेंसों का मूल्य

162. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान एरेलिक प्लास्टिक की चादरों के लिए दिये गये आयात लाइसेंसों का कुल मूल्य क्या था और उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें ये लाइसेंस दिये गये थे :

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान कितने एरेलिक प्लास्टिक की चादरों के देशी निर्माताओं को रद्दी (स्क्रैप) कच्चा माल के आयात के लाइसेंस नहीं दिये गये थे;

(ग) क्या इनमें से कुछ देशी निर्माताओं ने कच्चे माल की कमी और इसके उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन-कार्य बन्द कर दिया है :और

(घ) प्लास्टिक की चादरों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बहुत से मामलों में वास्तविक उपभोक्ताओं को लाइसेंस की समग्र कीमत के भीतर एक बड़ी संख्या में मदों का आयात करने के लिए समेकित लाइसेंस जारी किये जाते हैं । ऐसे मामलों में एक्रिलिट प्लास्टिक की चादरों जैसी किसी एक विशेष मद का मूल्य पृथक् करना संभव नहीं है ।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वोत्तर रेलवे के लिए बड़ी लाइनें

163. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसको बदलने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे पर मुजफ्फरपुर के रास्ते बाराबंकी और समस्तीपुर के बीच मीटर लाइन खंड की बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

(ख) बदलाव के लिए मंजूरी मिलने के बाद यह निर्माण कार्य छह वर्षों की अवधि में पूरा कर लिया जायेगा।

बाढ़ और तूफान के डच विशेषज्ञ की उड़ीसा की यात्रा

164. **श्री राजदेव सिंह :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तटीय क्षेत्रों में तूफानों की समस्या का अध्ययन करने हेतु बाढ़ और तूफान के एक डच विशेषज्ञ को उड़ीसा की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह विशेषज्ञ उड़ीसा की यात्रा कब करेंगे और वह सम्भवतः कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) डा० एच० ए० फर्गुसन, निदेशक, डेल्टा परियोजना, नीदरलैंड, ने जिनकी सेवा ज्वारीय बाढ़ों के विरुद्ध उपयुक्त उपाय निकालने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति को सहायता करने के लिए प्राप्त की गई थी, 16 और 20 फरवरी 1972 के बीच उड़ीसा राज्य में समस्या वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है।

मेरठ नगर स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गबन

165. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या रेल मन्त्री मेरठ नगर स्टेशन (उत्तर रेलवे) के पार्सल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गबन करने के बारे में 23 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में प्रतिवेदन की जांच इस बीच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त दो पार्सल बाबुओं में से एक की वेतन-वृद्धि इकट्ठे एक वर्ष के लिए रोक कर उसे दण्डित किया गया है। प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध अपने बचाव के लिए दूसरे पार्सल बाबू द्वारा दिये गये बयान पर सम्प्रति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा रहा है।

गंगा नदी को कावेरी नदी के साथ जोड़ना

166. **श्री पी० आर शिनाय** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नदी के साथ जोड़ने की प्रस्तावित परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मानसून के समय पटना के निकट गंगा नदी में बहुत अधिक जल-प्रवाह होता है, जिसका उपयोग बेसिन में लाभकारी रूप में नहीं किया जा सकता । उसी समय दक्षिण बिहार के क्षेत्रों और पश्चिम और दक्षिण भारत के भागों में सिंचाई की बड़ी आवश्यकता होती है । इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में नदियों के प्रवाह में बड़ी घट-बढ़ होती रहती है ।

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में किये गये प्रारम्भिक कार्यालय अध्ययनों से यह पता चलता है कि जहां कहीं व्यवहार्य हो प्राकृतिक जलमार्गों और मौजूदा या प्रस्तावित जलाशयों का उपयोग करते हुए, गंगा का कुछ जल पंपकृत और ग्रेविटि नहरों को मिलाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है । ऐसे एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड से पेयजल की आपूर्ति को स्थायित्व मिलने और एक बहुत उपयोगी नौवहन-संपर्क की भी संभावना है।

उन बड़ी विस्तृत परियोजनाओं के मामले में, जिनमें वे निर्माण कार्य सम्मिलित हैं, जो देश में पहले नहीं किये गये हैं, किसी विस्तृत अन्वेषण-कार्य को प्रारम्भ करने से पहले यह आवश्यक है कि जो विशेषज्ञ अन्य स्थानों में इसी तरह की समस्याओं से अवगत है, उनका समर्थन प्राप्त कर लिया जाए। इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के एक दल ने भारत की यात्रा की । इस समय वे दूसरी यात्रा पर हैं ।

मंगलौर और बम्बई के बीच रेलवे लाइन

167. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंगलौर और बम्बई के बीच रेलवे लाइन बिछाने की व्यवहार्यता पर जिसके लिए समय सर्वेक्षण किया जा रहा है, निर्णय लेते समय हमारे देश के पश्चिमी तट के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू को भी ध्यान में रखा जायेगा ?

रेल मंत्री (श्रीके० हनुमन्तैया): यद्यपि मंगलूर से आप्टा (आप्टा पहले से ही बम्बई से जुड़ा हुआ है) तक रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से नहीं किया गया है, फिर भी यदि ऐसी कोई बात होगी तो सर्वेक्षण करते समय प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर यथावत् ध्यान रखा जायेगा ।

पटना से धनबाद, रांची और जमशेदपुर तक नई यात्री अथवा एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

168. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और धनबाद, पटना और रांची तथा पटना और जमशेदपुर के बीच प्रातः चल कर सायं को पहुंचने वाली नई यात्री अथवा एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) केवल पटना और धनबाद के बीच एक गाड़ी चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस समय धनबाद-गया खंड पर लाइन क्षमता नहीं है । लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं।

(ख) इन निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने पर पटना और धनबाद के बीच गाड़ी चलाने के संबन्ध में निर्णय किया जा सकेगा ।

बाड़क बांध परियोजना की प्रगति

169. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाड़क बांध परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या परियोजना की नींव रखने के लिए स्थान का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब निर्णय किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) नारायण-धर स्थल पर बरक नदी के ऊपर एक बहुद्देशीय बांध के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई थी परन्तु इस स्थल पर बांध के निर्माण से मणिपुर में कृष्य भूमि पानी में डूब जाती और एक बड़ी संख्या में व्यक्ति विस्थापित हो जाते । इसलिए नारायणधर की प्रतिप्रवाह दिशा में भूबंधर में एक वैकल्पिक स्थल चुना गया था जहां पर बांध से मणिपुर में अपेक्षाकृत कम क्षेत्र जलमग्न होगा । इस स्थल पर अनुसंधान कार्य अधिकतर पूर्ण हो गया है और एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। असम राज्य सरकार द्वारा, मणिपुर राज्य सरकार के साथ नए स्थल पर प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् परियोजना पर निर्णय लिया जाना है।

पांसकुरा स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर गाड़ियों की टक्कर की जांच के निष्कर्ष

170. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 दिसम्बर 1971 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के पांसकुरा स्टेशन पर गाड़ियों की टक्कर की जांच के अस्थायी निष्कर्ष प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) जी हां । दक्षिण-पूर्व क्षेत्र कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, जिन्होंने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी, के अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की दर

171. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश स्थिति रेणुकूट का हिंडलको प्लांट अपने द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली की दर में कमी करने के लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप का अनुरोध कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान अल्युमीनियम कार्पोरेशन लि० ने उत्तर प्रदेश में अपने संयन्त्र के लिए बिजली की सप्लाई के सम्बन्ध में उनके सामने आई कुछ समस्याओं को सुलझाने में सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; इनमें ये शामिल हैं—80,000 मेट्रिक टन से 1,20,000 मेट्रिक टन तक के विस्तार कार्यक्रम के लिए विद्युत् सप्लाई, उत्तर प्रदेश ग्रिड से आपात-स्थिति में ली गई विद्युत् सप्लाई के लिए उचित दर और रेणुसागर में अपने केप्टिव प्लांट पर विद्युत्-जनन पर लगाए गए शुल्क की छूट। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सलाह करके इन मामलों की जांच की जा रही है।

केरल में नई रेलवे लाइनें

172. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के विचार से अब तक किन-किन रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण किया गया ;

(ख) वित्त वर्ष 1972-73 के दौरान कौन-कौन-सी मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में पारवर्तित करने का विचार है ; और

(ग) इसके लिये क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) एर्णाकुलम तिरुअनन्तपुरम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और बदलाव के लिए मंजूरी दे दी गयी है। केरल में आमान परिवर्तन के लिए किसी अन्य लाइन के लिए मंजूरी नहीं दी गयी है इसलिए, इस सम्बन्ध में अग्रता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

173. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1972-73 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात उद्देश्यों के लिये इस में से कितना रबड़ प्रयुक्त किया जा सकेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972-73 के दौरान अनुमानतः प्राकृतिक रबड़ का उत्पाद 1,12,000 मे० टन होगा।

(ख) विदेशों में प्राकृतिक रबड़ के लिए बाजारों का पता राज्य व्यापार निगम द्वारा लगाया जा रहा है। यह अभी बताना संभव नहीं है कि निर्यात के लिए कितना प्राकृतिक रबड़ उपलब्ध है।

उर्वरकों के आयात के लिए रूमानिया से व्यापार समझौता

174. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के और अधिक आयात के लिये रूमानिया से कोई व्यापार समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार ने वर्ष 1972 के लिए भारत-रूमानिया व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें भारत में उर्वरकों के आयात की भी व्यवस्था है। 1972 के व्यापार संलेख के आधार पर पूर्तियों के लिए संविदाओं को खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

केरल में सरकार द्वारा काजू कारखानों का अपने नियंत्रण में लिया जाना

175. **श्रीमती भार्गव तनकप्पन : क्या विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1971 राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं ने कौन-कौन से काजू कारखानों का नियन्त्रण अपने हाथ में लिया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने काजू कारखानों की छानबीन की जा रही है और उन्हें कब तक पुनः खोला जायेगा; और

(ग) ऐसी क्या कार्यवाही की गई है कि अब और कारखाने बन्द न हों ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(ख) तीन कारखाने, वे मार्च, 1972 के दौरान सरकार के नियन्त्रण में लिए जाएंगे।

(ग) भारत सरकार केरल सरकार के साथ परामर्श करके उपयुक्त कदम उठा रही है। भारतीय काजू निगम सभी साधनों से कच्चे काजू की गिरियों की अधिकतम उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है।

विवरण

जुलाई 1971 से केरल राज्य सरकार की सहायता से केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा नियन्त्रण में लिए गए काजू कारखाने

1. अयाथिल—मैसर्स कैश्यू एण्ड स्पाइसेज एक्सपोर्ट कारपोरेशन, अयाथिल।
2. नूरनाद—मैसर्स वाल्टरस ट्रेडिंग कम्पनी, किलोन।
3. पुथूर—मैसर्स हिन्दुस्तान कैश्यू प्राडक्टस प्रा० लि०, किलोन।
4. किपिलीनानूर—जुपिटर कैश्यू कं०, किलोन।
5. इरिनजलकुदा—डिलेश्यिस कैश्यू कं०, इरिनजलकुदा।
6. इदामुलकल—मैसर्स राम सन्स एंड कं०, किलोन।
7. चथानूर—श्री टी० बदरुदीन मुसालियार, कैदम्चलील हाउस, किलीकुलूर, किलोन-4
8 तेलीचेरी—मैसर्स यूनाइटिड टिम्बर एण्ड कैश्यू प्राडक्टस (प्रा०) लि०, तेलीचेरी।
9. भरानीकबु—मैसर्स मुसालियार इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, किलोन।
10. चितूपाला—मैसर्स इंडियन कैश्यू कम्पनी, किलोन।

जुलाई, 1971 से केन्द्रीय सरकार की सहायता से केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा नियन्त्रण में लिए गए काजू कारखाने :

1. अथिनाद—मैसर्स असन कैश्यू, कारखाना।
2. कनानालूर—एन० ए० एन० आर० कैश्यू कारखाना।
3. पेकोन—के० एम० के० कैश्यू कारखाना।
4. एझूकोन—मैसर्स मुसालियर इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०।
5. एलमपलुर—के० एम० के० कैश्यू कारखाना।
6. पालकलगरा—एम० पी० जी० हैड आफिस।
7. नेदपपैकुलम—एस० वी० कैश्यू कारखाना।

त्रिवेन्द्रम में केरल उच्चन्यायालय के नये बैंच की स्थापना

176. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में केरल उच्चन्यायालय का नया बैंच स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसे अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) इस पर कितने व्यय का अनुमान है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) त्रिवेन्द्रम में केरल उच्चन्यायालय का बैंच स्थापित करने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) राज्य पुनर्गटन अधिनियम, 1956 की धारा 51 (2) के अनुसार, जिसके अधीन बैंच का प्रस्ताव किया गया है, उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और राज्यपाल से परामर्श अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में मुख्य न्यायाधिपति और राज्यपाल से अपने विचार प्रकट करने के लिए निवेदन किया गया है और उनके विचार जानने के पश्चात् ही मामले पर आगे विचार किया जाएगा।

(ग) इस प्रस्ताव के अन्तर्गत सम्भाव्य व्यय का कोई प्राक्कलन भारत सरकार को नहीं दिया गया है।

भारत-पाक सिन्धु जल सन्धि की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् उपलब्ध जल के उपयोग के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति

177. **श्री बी० वी० नायक** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-पाक सिंधु जल-सन्धि की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भारत को उपलब्ध अतिरिक्त जल के उपयोग के लिये जो परियोजना में इस समय निर्माणाधीन है, उनके कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत-पाक सन्धि के खत्म होने के पश्चात् उपलब्ध जल के समुपयोजन के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति

परियोजना का नाम	कार्य	प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4
व्यास नदी के ऊपर पोंग पर जल संचय बांध	(1) खुदाई	लगभग पूर्ण हो गई है।	स्वीकृत अनुसूची के अनुसार, पोंग बांध का जून, 1973 तक पूर्ण होना अनुसूचित है और विद्युत् संयन्त्र के प्रथम यूनिट का दिसम्बर, 1974 तक चालू होना अनुसूचित है और शेष विद्युत् यूनिटों का उसके पश्चात् चालू होना अनुसूचित है ।
	(2) बांध का फिल प्लेसमेंट	51%	
व्यास-सतलज सम्पर्क परियोजना	**खुदाई :**		
	(1) उमड़मार्ग	88%	स्वीकृत अनुसूची के अनुसार व्यास के जल का सतलज में व्यपवर्तन दिसम्बर, 1973 में होने का अनुमान है, प्रथम विद्युत् यूनिट की मार्च, 1974 तक और शेष यूनिटों की इसके पश्चात् चाल होने की सम्भावना है।
	(2) पंडोह बांध	12%	
	(3) पंडोह बग्गी टनल	77%	
	(4) सुन्दर नगर जल विद्युत् चैनल	16%	
	(5) सुन्दरनगर सतलज टनल	62%	
	(6) देहर विद्युत् संयंत्र की खुदाई पूर्ण		
	कंक्रीट कार्य		
	(1) व्यपवर्तन सुरंग पूर्ण		
	(2) पंडोह बग्गी सुरंग का अंतिम कंक्रीट कार्य	25%	
	(3) सुन्दरनगर सतलज सुरंग का अन्तिम कंक्रीट कार्य	8%	

1	2	3	4
राजस्थान नहर परियोजना चरण-1	**राजस्थान फीडर** (1) मिट्टी का कार्य पूर्ण (2) पलस्तर का कार्य पूर्ण **राजस्थान मुख्य नहर** (1) मिट्टी का कार्य 85.7% (2) पलस्तर का कार्य 69.32% **वितरण प्रणाली** मिट्टी का कार्य 50.69%		राजस्थान नहर (चरण-1) का 1973-74 तक काफी हद तक और चरण-2 का इसके बाद पूर्ण होना अनुसूचित है।

चुनावों में अनिवार्य मतदान

178. **श्री शशि भूषण** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में उच्चाधिकारी और अमीर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते;

(ख) क्या कुछ देशों में सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करना होता है; और

(ग) क्या मतदान अनिवार्य करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) 'उच्चाधिकारी' और 'अमीर लोग' पद अस्पष्ट हैं। किन्तु जनता के किसी वर्ग के बारे में ऐसे किसे निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण मालूम नहीं देता है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

नेपाल में विद्युत जनन परियोजना का स्थापित किया जाना

179. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल सहयोग के अन्तर्गत बहराईच तथा खेरी-लखीमपुर (उत्तर प्रदेश) जिलों के निकट कोरियाला नदी के ऊपर नेपाल क्षेत्र में एक विद्युत् जनन परियोजना स्थापित करने का मामला विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : करनाली नदी की विद्युत् शक्यता के समुपयोजन के लिए नेपाल द्वारा लगभग 10 लाख किलोवाट क्षमता की एक जल-विद्युत् उत्पादन परियोजना प्रस्तावित की जा रही है। मालूम हुआ है कि तकनीकी बातों तथा सहयोग आदि के संबंध में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

बिछिया तथा कोरियालाघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच नया रेल मार्ग

180. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहराइच और खेरी-लखीमपुर (उत्तर प्रदेश) जिलों में शारदा सहायक परियोजना के अधीन बने बांध के ऊपर बिछिया तथा कोरियालाघाट रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन बनाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक रेलवे लाइन बन जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके पूरा होने में क्या मुख्य बाधायें हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) कतरनियांघाट (बिछिया के पास) और कौड़ियालाघाट के बीच मीटर लाइन रेल सम्पर्क के लिए इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इस रेल सम्पर्क के निर्माण के बारे में शीघ्र ही विनिश्चय किये जाने की सम्भावना है।

मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड से चुराई गई सम्पत्ति

181. **श्री उस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड से कितनी कीमत की सम्पत्ति चुराई गई और 1970-71 में चुराई गई सम्पत्ति की तुलना में यह कितनी है; और

(ख) क्या उक्त यार्ड में चोरियों को रोकने के लिए आरम्भ किए गए अभियान को और अधिक जोरदार बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो किस रूप में ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1971-72 में (फरवरी तक) मुसलसराय विन्यास यार्ड से 75,365 रुपये मूल्य की सम्पत्ति चुरायी गयी थी जबकि 1970-71 में चुरायी गयी सम्पत्ति का मूल्य 73,113 रुपये था।

(ख) मुगलसराय यार्ड से चोरी और उठाईगीरी रोकने के लिए चलाये गये अभियान को पहले ही 26 जनवरी, 1972 से तेज़ कर दिया गया है। इसके लिए रेलवे सुरक्षा दल के कार्मिकों द्वारा गश्त के काम में कड़ाई लायी गयी है और यार्ड से चोरी और उठाईगीरी करने वाले अपराधियों के गिरोहों और चोरी की सम्पत्ति खरीदने वालों का पता लगाने / सफाया करने के लिए राज्य सरकारों और श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों की सहायता ली जा रही है।

भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, सिक्किम, भूतान, नेपाल, वर्मा तथा श्रीलंका के लिए सांझा बाजार

182. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय साझा बाजार के नमूने पर भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, सिक्किम, भूटान, नेपाल, वर्मा तथा श्रीलंका के लिए एक साझा बाजार बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

'एशिया 72' व्यापार मेला

183. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय 'एशिया 72' व्यापार मेले का आयोजन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर होगा और इसमें भाग लेने के लिए किन-किन देशों को आमंत्रित किया गया है; और

(ग) वहां पर प्रदर्शित की जाने वाली भारतीय वस्तुओं के विषय-वस्तु का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) मेला नई दिल्ली में मथुरा रोड पर स्थित प्रदर्शनी मैदान में आयोजित किया जाएगा । मेले में भाग लेने के लिए भारत के साथ राजनयिक व्यापारिक संबंध रखने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है ।

(ग) मेले की विषय-वस्तु 'आर्थिक सहयोग के माध्यम से एशिया के लिए शांति तथा प्रगति' है । भारत का विषय-वस्तु पंडाल दृश्य-श्रव्य प्रचार के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगा ।

कन्याकुमारी से बम्बई तक रेल लाइन

184. **श्री के० गोपाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी से बम्बई तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) तिरुनेलवेलि—कन्याकुमारी—तिरुअनन्तपुरम बड़ी लाइन रेल सम्पर्क के निर्माण के बारे में विचार किया जा रहा है और तिरुअनन्तपुरम-एर्णाकुलम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है । एर्णाकुलम और मंगलूर बड़ी लाइन से पहले से ही जुड़े हुए हैं । मंगलूर से आप्ता (बम्बई के पास) तक बड़ी लाइन के लिए शेष भाग के लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है । सर्वेक्षण के परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही इस परियोजना के बारे में विचार किया जायेगा ।

धागे की कीमत तथा सप्लाई के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

185. **श्री वरके जार्ज** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैरिफ आयोग के धागे की कीमत और सप्लाई से संबंधित प्रतिवेदन, जो जून 1970 में सरकार को प्रस्तुत किया गया था, सरकार द्वारा प्रकाशित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) प्रतिवेदन के कब तक प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

14 मार्च, 1972 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 185 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) तथा (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य विस्कोज/एसिटेट फिलामेंट यार्न पर टैरिफ आयोग की रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं । आयोग की रिपोर्ट सरकार को अप्रैल, 1970 में प्राप्त हुई थी । रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार के विचारों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि अन्तिम निर्णय की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी ।

भारत-ईरान व्यापार करार

186. **श्री वरके जार्ज** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1971 में ईरान से कोई व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आया था; और

(ख) क्या दोनों देशों के बीच हाल ही में कोई व्यापार करार हुआ है और यदि हां, तो उसमें क्या-क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत और ईरान के बीच 11 मार्च, 1964 को एक व्यापार करार सम्पन्न हुआ था, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है । अंतिम बार उसकी अवधि 10 मार्च, 1972 तक बढ़ायी गयी थी । इस करार की अवधि और बढ़ाने से प्रश्न पर ईरान सरकार के साथ सलाह करके विचार किया जायेगा । इस करार की एक प्रति संसद पुस्तकालय में पहले ही रख दी गई है ।

पटसन तथा चाय उद्योगों में रोजगार में गिरावट

187. **श्री नागेश्वर राव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अगस्त, 1971 में प्रकाशित रिजर्व बैंक की उस बुलेटिन रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सन् 1951 से पटसन तथा चाय उद्योगों में रोजगार में गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । वह रिपोर्ट, रिजर्व बैंक बुलेटिन के जुलाई 1971 के अंक में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) सितम्बर, 1969 में पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों तथा चाय उद्योग के बीच एक करार हुआ, जिसमें, 1 जनवरी, 1969 के स्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों के अलावा, पश्चिम बंगाल, में चाय उद्योग में, 7000 कर्मचारियों को नया रोजगार देने की व्यवस्था है। ऐसा ही एक करार अक्तूबर, 1969 में आसाम में दिया गया, जिसमें 31 मार्च 1972 तक 15000 कर्मचारियों के अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था थी। पटसन उद्योग में, विद्यमान उद्योग में और अधिक रोजगार क्षमता के लिए गुंजाइश नहीं है। फिर भी, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए पटसन उगाने वाले राज्यों में नई पटसन मिलें स्थापित करने की एक प्रस्थापना विचाराधीन है। जब इसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तब अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हरियाणा और पंजाब की सरकारों के मध्य विवाद

188. **श्री नागेश्वर राव मेदुरी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चार न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रश्न पर हरियाणा और पंजाब के मध्य कोई विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (**श्री एच० आर० गोखले**) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मार्ग में माल की चोरी के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अदा किया गया मुआवजा

189. **श्री नागेश्वर राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की विभिन्न पार्टियों को वर्ष 1970 और 1971 में मार्ग में माल की चोरी के लिए उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे द्वारा कितना मुआवजा अदा किया गया ;

(ख) उन्होंने अपने बजट भाषण में जिन कार्यवाहियों के करने की घोषणा की थी उनके फलस्वरूप इस दिशा में कितना सुधार हुआ है;

(ग) क्या चोरी के ऐसे मामलों में रेलवे के कर्मचारियों का हाथ होने का पता लगा है और यदि हां, तो वर्ष 1970 और 1971 में इसमें उनका कहां तक हाथ था ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि कुछ ऐसे गिरोह हैं जो रेलवे के कर्मचारियों के साथ मिल कर विभिन्न बहानों से मुआवजे की मांग करते रहे हैं ?

रेल मंत्री (**श्री के० हनुमन्तैया**) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने 1970 और 1971 में उठाईगीरी के कारण असम, पश्चिम बंगाल और बिहार की विभिन्न पार्टियों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्रमशः 72.66 लाख रुपये और 90.31 लाख रुपये का भुगतान किया। उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के क्षेत्र में नहीं आता।

(ख) विभिन्न उपायों के बावजूद पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सुधार नहीं किया जा सका क्योंकि अप्रैल, 1971 में बरौनी में हड़ताल के कारण माल डिब्बों को असामान्य रूप से रुके रहना पड़ा था और जुलाई से सितम्बर 1971 के बीच पश्चिम बंगाल और बिहार में बाढ़ और लाइन की टूट-फूट की गम्भीर घटनाएं हुई थीं। चोरी और उठाईगीरी रोकने के लिए 26 जनवरी, 1972 से एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। इस दिशा में जो विभिन्न उपाय किये गये हैं, उनमें राज्य सरकार के अधिकारियों, रेल अधिकारियों और राज्य स्तर पर व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधियों की समितियां बनाया जाना शामिल है। सरकारी प्रतिनिधियों और परिचालन की महत्वपूर्ण इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की भी ऐसी ही समितियां बनायी गयी हैं। ये समितियां चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम के काम में रेल कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करेंगी और उन्हें प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सूचना एकत्र करेंगी और उपाय सुझायेंगी। लेकिन दावों की संख्या और उनकी राशि में कमी के रूप में इस अभियान के परिणामों का अनुमान कुछ समय बाद ही लगाया जा सकेगा क्योंकि बुकिंग की तारीख से 6 महीने बाद तक दावे पेश किये जा सकते हैं।

(ग) जी हां। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 1970 और 1971 में माल की उठाईगीरी के मामलों में क्रमश: 74 और 84 रेल कर्मचारी शामिल थे।

(घ) जी नहीं।

इलायची पुनर्रोपण वित्त योजना

190. **श्री नागेश्वर राव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों के दौरान इलायची पुनर्रोपण वित्त योजना का कितना उपयोग किया गया ; और

(ख) योजना के अधीन विपणन उपायों को सुव्यवस्थित करने के लिए कितने लाइसेंसों की मंजूरी दी गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान इलायची पुनर्रोपण वित्त योजना का जिस सीमा तक उपयोग किया गया, उसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	ऋण देने वालों की संख्या, जिन्हें ऋण दिया गया	कितनी भूमि पर इसका उपयोग किया गया	इलायची बोर्ड द्वारा वितरित किए गए ऋण की राशि
1969-70	12	117	70,200
1970-71	32	238	* 1,75,800
1971-72	28 (पहली किस्त)	187	1, 58,250
(29-2-1972)	(दूसरी किस्त)	60	

* इसमें विगत वर्ष के ऋणियों के ऋण की दूसरी किस्त भी शामिल हैं।

नीलाम-कर्ताओं, दलालों तथा व्यापारियों को दिये गये लाइसेंस और प्रमाण-पत्र निम्न-लिखित हैं :—

वर्ष	नीलामकर्ता	दलाल	व्यापारी
1968-69	53	84	763
1969-70	45	125	1046
1970-71	54	109	993
1971-72 (6-3-72)	45	80	895

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली हवाई अड्डे से एक अन्तर्राष्ट्रीय विभाग का कथित अपहरण

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमान, मैं पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

"दिल्ली हवाई अड्डे से फरवरी, 1972 को एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान के प्रस्थान करने के तुरन्त बाद उसका अपहरण किये जाने के समाचार तथा हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही।"

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : लुफ्थांसा का एक बोइंग 747 विमान टोकियो से फ्रैंकफर्ट के लिए एक अनुसूचित उड़ान के दौरान टोकियो से हांगकांग और बैंकाक होता हुआ 21 फरवरी, 1972 को 23·59 बजे, 130 यात्रियों तथा 15 कार्मिकों सहित, पालम पहुंचा। पालम पर छः यात्री उतरे जबकि 48 यात्री उड़ान में शामिल हुए जिनमें तीन ओमन राष्ट्रिक भी थे। पालम में विमान में चढ़ने वाले सभी यात्रियों की विमानक्षेत्र के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा शस्त्र इत्यादि के लिए शरीर तथा दस्ती सामान की तलाशी ली गयी।

2. विमान दिल्ली से भारतीय समय के अनुसार 01.08 बजे एथेंस के लिए रवाना हुआ और उसने 01·39 बजे लंकारणसर के ऊपर, जोकि भारतीय क्षेत्र में है, अपनी स्थिति सूचित की। उसके बाद विमान से 02'09 बजे एक संदेश प्राप्त हुआ जोकि निम्न प्रकार से है :—

"मैं दुहराओ मैं फिर उत्तर नहीं दूंगा, नई दिल्ली से यात्रा कर रहा विमान एल० एच० 649 अब विजयी जेड्डा के नियन्त्रण में है। नया कप्तान यूसफ अलसिन।"

3. विमान स्थानीय समय 06.30 बजे (भारतीय समय के अनुसार 09.00 बजे) अदन में उतरा और इसकी सूचना दिल्ली स्थित लुफ्थांसा कार्यालय ने 22 फरवरी, 1972 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 10·00 बजे प्राप्त की। लुफ्थांसा एयरलाइन्स, दिल्ली, के स्टेशन मैनेजर के अनुसार विमान के कप्तान ने मुक्त होने के बाद फ्रैंकफर्ट में यह रहस्य प्रकट किया कि विमान का पांच फिलसतीनी गुरीलाओं ने अपहरण किया था जिन्होंने हथगोलों और पिस्तौलों का प्रयोग किया था और जो अपने साथ विमान में बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी लाये थे। उसके अनुसार एक गुरीला विमान में हांगकांग में चढ़ा था, तथा एक बैंकाक और तीन दिल्ली में चढ़े थे। प्रत्यक्षत:, ऐसा प्रतीत होता है कि अपहरणकर्त्ता विस्फोटक तथा आग्नेयास्त्र विमान पर दिल्ली से किसी पहले स्टेशन पर लाये थे। अब तक की गई जांच-पड़ताल से पालम विमानक्षेत्र के सुरक्षा अधिकारियों की किसी प्रकार की उपेक्षा का पता नहीं चलता। उक्त घटना की सूचना अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को तथा जर्मन संघीय गणराज्य के वैमानिक प्राधिकारियों को भी तार द्वारा दे दी गई थी।

4. हमारे सभी विमान क्षेत्रों पर सुरक्षा सम्बन्धी उपायों की व्यवस्था लागू है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या मंत्री महोदय इस तथ्य को जानते हैं कि लुफ्थांसा बोइंग 747 जम्बो जेट विमान अपहरण की घटना पहली नहीं है ? इससे पहले भी एक विमान को काश्मीर से अपहरण करके लाहौर ले जाया गया था।

सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के प्रति की गई यह लापरवाही कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व भी कुख्यात तस्कर बालकाट द्वारा विमान ले जाने के निष्फल प्रयास के बारे में भी निंदात्मक प्रस्ताव रखा गया था। मैं समझता हूं कि इस कार्य में विमान अपहरणकर्त्ताओं का राजनैतिक उद्देश्य भी हो सकता है क्योंकि पश्चिम जर्मनी ने इसरायल को वित्तीय सहायता प्रदान की थी और मिस्र जोर्डन के प्रधान मंत्री के हत्यारों पर मुकदमा चला रहा था।

क्या विमान अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार का विचार ऐसे कार्य में संलग्न व्यक्तियों और इसमें सहायता देने वाली सरकारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ? हवाई अड्डे के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी इस कांड में कहां तक उत्तरदायी है ? सुरक्षा व्यवस्था का अभाव यात्रियों का जीवन खतरे में डाल देता है। क्या सरकार का विचार भविष्य में इस कमी को दूर करने का है ?

डा० कर्ण सिंह : विमानों के अपहरण की घटना एक अन्तरराष्ट्रीय समस्या है। एक सभ्य और संगठित विमान यातायात के लिए यह संकट का कारण है। विमान अपहरण के पीछे भिन्न-भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं।

मैंने अपने वक्तव्य में यह बता दिया था कि हमने इस बारे में पूर्ण जांच की थी और इन तीन व्यक्तियों की पूरी तरह से छान-बीन की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें विस्फोटक पदार्थ अन्य हवाई जहाजों पर से रखे गये थे। कोई भी देश अभी तक विमान अपहरण के कांड को रोकने हेतु शत-प्रतिशत सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सका है।

माननीय सदस्य ने यात्रियों की सुविधा का प्रश्न भी उठाया है। वस्तुत: जितनी कठोर जांच कार्यवाही होगी उतनी ही यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। हम इस समस्या से

अवगत हैं। हमने जांच करने के विभिन्न तरीके निकाले हैं और धीरे-धीरे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने पूछा था कि क्या विमान अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जा रहा है।

हवाई अड्डे के अधिकारियों के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। चीनी आक्रमण के दौरान यह ठोस साक्ष्य उपलब्ध थे कि गोला-बारूद के स्थान पर रेत और बुरादा पाया गया था। यह संभव है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। इस मामले में उन्होंने यह नहीं कहा है कि सरकार ने कठोर जांच की है।

डा० कर्ण सिंह : इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में मेरा यह कहना है कि इण्टर-नेशनल सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन और इण्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इस ओर सक्रिय रूप से ध्यान दे रही है। हमारे प्रतिनिधियों ने उनके सम्मेलनों में भाग लिया है। इण्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन के अधिकारियों का एक दल समूचे विश्व में अपने मुख्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने भेज रखा है। उनका एक दल हमारे देश में भी आ रहा है।

जहां तक घूसखोरी और भ्रष्टाचार का प्रश्न है, हमारी जांच कार्यवाही से पता चलता है कि ऐसी कोई बात अभी विद्यमान नहीं है फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि हम सतर्कता बरत रहे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अन्तर्बाधाओं के बारे में

RE. INTERRUPTIONS DURING PRESIDENT'S ADDRESS

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं इस मान्य सदन के ध्यान में उस घटना को लाना चाहता हूं जो संसद् के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान घटित हुई थी। यह एक अशोभनीय घटना है। इसको सभी सदस्यों ने बुरा कहा है, हम इस मामले में आपकी राय जानना चाहते हैं, गत वर्ष आपने ऐसी एक समस्या का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। मुझे आशा है कि आप इस घटना को भी समिति को अध्ययन के लिए भेजेंगे। मुझे आशा है कि समिति इस घटना की जांच करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस घटना पर कल से विचार कर रहा हूं, गत वर्ष की घटना की जांच करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी, उसने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, राष्ट्रपति जब अभिभाषण करते हैं तो वह भारत के राष्ट्रपति की हैसियत से ऐसा करते हैं। किसी भी देश में राष्ट्रपति का इस तरह अपमान नहीं किया गया है। इसके लिए हम सभी लज्जित हैं क्योंकि उस दिन विभिन्न देशों के राजनयिक और महत्वपूर्ण व्यक्ति उनका अभिभाषण सुनने के लिए आते हैं, भारत के राष्ट्रपति के प्रति इस प्रकार की अभद्रता निश्चय ही शर्म की बात

है, पहले राज्यपालों के साथ ऐसी बातें होती थीं और अब यह संसद् में भी होने लग गयी हैं। निश्चय ही यह शर्म की बात है, हमें अभी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होना है। मुझे आशा है कि समिति कल की घटनाओं के संदर्भ में भी इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मैं अपने मित्र श्री पाणिग्रही के कथन से पूर्णतया सहमत हूं, यह वास्तव में ही चिन्ता का विषय है। मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की अभद्रता प्रदर्शित करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि आयोग का 44वां तथा 45वां प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी, : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में विधि आयोग के 44वें प्रतिवेदन की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1389/72]

(2) संविधान के अनुच्छेद 133 के अन्तर्गत, योग्यता-प्रमाण-पत्र पर उच्चतम न्यायालय में सिविल अपीलों के बारे में विधि आयोग के 45वें प्रतिवेदन की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1390/72]

निर्यात संबंधी आंकड़ों का विवरण—1970-71

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं 1970-71 के निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1391/72]

निर्यात निरीक्षण परिषद् और अभिकरणों का वार्षिक प्रतिवेदन और म्योर मिल्स लिमिटेड कानपुर का प्रबन्ध तथा निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 आदि।

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) निर्यात निरीक्षण परिषद् और अभिकरणों के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1392/72]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर, के प्रबन्ध के बारे में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5535 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1393/72]

(3) निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों) की एक-एक प्रति :—

(एक) पारेषण लाइन टावरों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5577 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1394/72]

(दो) पटसन उत्पादों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 303 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1395/72]

(तीन) नारियल-जटा उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 38 ङ में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1396/72]

(चार) नारियल-जटा रेशा निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 38 क (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1396/72]

(पांच) नारियल-जटा उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 855 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1397/72]

(छः) नारियल-जटा रेशा निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 856 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1398/72]

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित नौ विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी (आय-कर पर अधिभार) विधेयक, 1971

(2) भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1971

(3) आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक, 1971

(4) उत्तर प्रदेश छावनियां (भाटक नियंत्रण और बेदखली) (निरसन) विधेयक, 1971

(5) राष्ट्र-गौरव-अपमान-निवारण विधेयक, 1971

(6) न्यायालय अवमान विधेयक, 1971

(7) संघ राज्यक्षेत्र कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971

(8) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1971

(9) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1971

(दो) मैं पिछले सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 27 विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1971

(2) भारत रक्षा विधेयक, 1971

(3) अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकार विधेयक, 1971

(4) आपात संकट (माल) बीमा विधेयक, 1971

(5) आपात संकट (उपक्रम) बीमा विधेयक, 1971

(6) छोटे सिक्के (अपराध) विधेयक, 1971

(7) अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1971

(8) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक, 1971

(9) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) विधेयक, 1971

(10) विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक, 1971

(11) नौसैनिक और वायुयान प्राइज विधेयक, 1971

(12) जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक, 1971

(13) कोक कोयला खानें (आपात उपबंध) विधेयक, 1971

(14) एशियन रिफ्रेक्टरीज़ लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) विधेयक, 1971

(15) दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971

(16) उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 1971

(17) वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक, 1971

(18) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन विधेयक, 1971

(19) मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषदें विधेयक, 1971

(20) संविधान (26वां संशोधन) विधेयक, 1971

(21) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1971

(22) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1971

(23) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक, 1971

(24) दिल्ली सिख गुरुद्वारा विधेयक, 1971

(25) संविधान (27वां संशोधन) विधेयक, 1971

(26) संघ राज्यक्षेत्रों का शासन (संशोधन) विधेयक, 1971

(27) पूर्वोत्तर परिषद् विधेयक, 1971

रेलवे बजट—1972-73

RAILWAY BUDGET—1972-73

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : संविधान में संसद् के प्रति विहित उत्तरदायित्व के कारण मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं रेलों का वार्षिक वित्तीय विवरण माननीय सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत करूं। इसी से संसद् के प्रति रेल प्रशासन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।

मैं सदन के संम्मुख वित्तीय विवरण को यथासम्भव व्यापक रूप में और समुचित क्रम में प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं 1970-71 के लेखे का ब्यौरा देना चाहूंगा; फिर 1971-72 के संशोधित अनुमान का लेखा-जोखा पेश करूंगा। उसके बाद 1972-73 के बजट अनुमान की रूप-रेखा का उल्लेख होगा।

1970-71 का लेखा

मैं 1970-71 का लेखा प्रस्तुत कर रहा हूं। सदन में प्रस्तुत 1970-71 के बजट अनुमान में 22.38 करोड़ रुपये के अधिशेष दी प्रत्याशा की गयी थी। बजट में निर्धारित 13 करोड़ रुपये के राजस्व को सदन की इच्छा के अनुसार त्याग दिया गया था और अधिशेष की यह राशि घटाकर 9.38 करोड़ रुपये कर दी गयी थी। लेकिन स्थिति बिगड़ गयी और संशोधित अनुमान 23.69 करोड़ रुपये कम रहा। कुल मिलाकर इस कमी का मुख्य कारण यह था कि यातायात से प्राप्तियों में लगभग 5 करोड़ रुपये की कमी हुई और रेल कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के रूप में लगभग 36 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा, जिसकी क्षतिपूर्ति कुछ बचतों द्वारा हो गयी। संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक आंकड़ों से कुछ सुधार परिलक्षित हुआ है।

यातायात से कुल प्राप्ति वास्तव में 1006.69 करोड़ रुपये रही जो 1004.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 2,69 करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि मुख्यत: "अन्य कोचिंग" और "माल यातायात" शीर्षकों के अन्तर्गत हुई। इन दोनों से न केवल यात्री यातायात से आमदनी की कमी

पूरी हो गयी बल्कि और अधिक प्राप्ति हुई। "साधारण संचालन व्यय" 732.34 करोड़ रुपये रहा, जबकि संशोधिन अनुमान 731.76 करोड़ रुपये का था। लेकिन, सामान्य राजस्व को प्रदत्त लाभांश के अन्तर्गत 1.24 करोड़ की बचत हुई। अन्तिम वास्तविक आंकड़ों से पता चलता है कि घाटा 23.69 करोड़ रुपये के बजाय, 19.84 करोड़ रुपये का ही हुआ है। लेखे का संतुलन सामान्य राजस्व से ऋण लेकर किया गया।

इससे पहले कि मैं आपके सम्मुख 1971-72 के संशोधित अनुमान का लेखा-जोखा प्रस्तुत करूं, मुझे 1971-72 की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करना है जिनका राजस्व और व्यय पर प्रभाव पड़ा है। रेलों की वित्तीय स्थिति को इन पिछली घटनाओं और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में ही परखना होगा; क्योंकि ये दोनों बातें परस्पर आबद्ध हैं और इन्हें अलग-अलग नही किया जा सकता।

1971-72 का वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इस वर्ष की शीर्ष घटना निस्संदेह पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी सफलता है। इससे न केवल हमारे राष्ट्र की शक्ति और नैतिकता का प्रमाण मिला है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इसकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ा है। यह शानदार सफलता हमें हमारी प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व और हमारी सशस्त्र सेनाओं के शौर्य के कारण ही मिली है। मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि इस सफलता में रेलों का योगदान भी कम नहीं रहा है। स्वतन्त्रता के बाद के हमारे इतिहास में रेलों को कभी भी इतना कठिन और निष्ठापूर्ण कार्य नहीं करना पड़ता जितना कि हमने इस प्रसिद्ध 14 दिवसीय युद्ध से पहले, युद्ध के दिनों में और उसके बाद किया है। रेलों ने रक्षा सेनाओं और उपस्कर के संचालन के लिए 2000 से भी अधिक स्पेशल गाड़ियां चलायीं। लड़ाई बन्द होने से ही रेलों का काम तुरन्त हल्का नहीं हो गया। उन्हें युद्ध-बन्दियों और शरणार्थियों को ले जाने का काम भी करना था जिसके लिए 800 से भी अधिक स्पेशल गाड़ियां चलायी गयीं। मुझे कुछ संतोष के साथ खासतौर पर यह कहना है कि ये सभी गाड़ियां इतने निर्बाध रूप से और कुशलता से चलीं कि कोई रेल दुर्घटना या पटरी से उतरने की घटना नहीं हुई। इससे यह सिद्ध हो गया कि रेल कर्मचारी देश-भक्ति की भावना से प्रेरित होकर कार्यकुशलता में कितना ऊंचा उठ सकता है। रेल प्रशासन द्वारा किये गये इस विशाल कार्य की जनता द्वारा प्रशंसा की गयी है। लेकिन, इससे रेलों को राजस्व के रूप में कुछ हानि भी उठानी पड़ी है तथा जनता को असुविधा हुई है। जनता ने इस प्रकार हुई असुविधा की जरा भी परवाह नहीं की। मैं आशा करता हूं कि सदन इन हानियों पर ध्यान नहीं देगा।

सीमा क्षेत्रों में अपना सामान्य कर्त्तव्य पालन करते हुए 13 रेल कर्मचारियों ने ड्यूटी पर ही अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया और 26 रेल कर्मचारी घायल हुए। मैं आपकी अनुमति से सभी कोटियों के रेल कर्मचारियों द्वारा दिखायी गयी कर्त्तव्यनिष्ठा के लिए उनकी महत्तम अनुशंसा अंकित करना चाहता हूं। मैं उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सफलता के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया।

लगभग नौ हजार रेल कर्मचारियों को, जो कि प्रादेशिक सेना यूनिटों के सदस्य हैं, दुर्गम क्षेत्रों में गाड़ियों के संचलन में सहायता करने और क्षतिग्रस्त लाइनों को फिर से बिछाने के लिए भेजा गया।

बंगला देश में रेल संचार व्यवस्था बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गयी थी। वहां क्षतिग्रस्त रेल प्रणाली को फिर से पूर्ववत् बनाने का एक समग्र कार्यक्रम आवश्यक हो गया था। बंगला देश की सरकार ने सहायता के लिए अनुरोध किया था जिसमें अनेक पुलों की अस्थायी और स्थायी मरम्मत और लाइनों को फिर से बिछाने के लिए सामान की पूर्ति भी शामिल है। हमारे रेल कर्मचारियों ने बंगला देश के रेल अधिकारियों के सहयोग से इतनी शीघ्रता से काम किया कि कुछ सप्ताहों के भीतर ही महत्वपूर्ण खंडों पर यातायात की पूर्ववत् व्यवस्था करना संभव हो गया। जिन चार बड़े पुलों को पाकिस्तानी फौजों ने उड़ा दिया था, उनमें फिर से गर्डर लगाकर उनकी मरम्मत की जा रही है।

सदन को मालूम है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा की तलहटी में बाढ़ की विभीषिका अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गयी थी और इससे लोगों को भारी हानि और कष्ट का सामना करना पड़ा। उन क्षेत्रों में रेल प्रणाली को टूट-फूट और बाढ़ से क्षति पहुंची। क्षति-ग्रस्त रेल-पथ और पुलों के कारण यातायात अस्त-व्यस्त हो गया जिसके फलस्वरूप राजस्व की हानि हुई और साथ ही उनकी मरम्मत और पुनरुद्धार पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। एक दूसरी बड़ी दैवी विपत्ति उड़ीसा क्षेत्र में समुद्री तूफान था।

केवल प्रकृति ही कभी-कभी रेलों की वित्तीय व्यवस्था में गड़बड़ पैदा करती हो ऐसा नहीं है। अपराधियों और बदमाशों ने भी विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में पिछले वर्ष समय-समय पर भारी हानि पहुंचायी ; ऊपरी तारों, दूर-संचार केबुलों और रेल उपस्कर की चोरी के कारण यातायात का संचलन अस्त-व्यस्त हो गया। माल और पार्सलों की चोरी और उठाईगीरी के कारण पिछले वर्ष लगभग 13 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के भुगतान का बोझ आ पड़ा।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि राजनीतिक आंदोलनों और बंदों ने भी रेलों को अपना शिकार बनाया जिसके कारण राजस्व की हानि और जनता को असुविधा हुई। मैं आशा करता हूं कि ऐसे आंदोलनों और बंदों के लिए उत्तरदायी राजनीतिक दल यह महसूस करेंगे कि इस सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम की कार्यकुशलता और लाभदायिता को गड़बड़ में डालकर वे अनिवार्यतः राष्ट्र की आर्थिक प्रगति धीमी कर रहे हैं। मैं उन सबसे यह अपील करता हूं कि वे अपने आक्रोश और आंदोलनों से रेलों को बख्शें। रेलें उनका कुछ नहीं बिगाड़तीं। किसी और के दोष के लिए रेलों को दण्डित करना न न्यायसम्मत है और न उचित ही; और न अनपकारी को हानि पहुंचाना कोई बड़े साहस का ही कार्य है।

वर्ष की इन घटनाओं ने रेलों की वित्तीय व्यवस्था पर भारी बोझ डाल दिया है।

संशोधित अनुमान, 1971-72

सदन को स्मरण होगा कि 24 मई 1971 को अपने बजट भाषण में 1971-72 के राजस्व और व्यय के आकलन के बाद मैंने यह बताया था कि 6.87 करोड़ रुपये का घाटा अप्राविहित रह जायेगी। मैंने 90 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त माल यातायात की प्रत्याशा की थी। किन्तु यह प्रत्याशा पूरी नहीं हुई, क्योंकि निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के उद्योग उत्पादन और ढुलाई के संबंध में अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सके। इस्पात उत्पादन ही, मुख्य रूप से निजी और सरकारी क्षेत्र

में प्रत्याशित स्तर तक नहीं पहुंचा। मेरे विचार में श्रमिक उपद्रवों और संयंत्रों की खराबी से उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में भी इसी प्रकार की बाधा पहुंची। कोयला, उर्वरकों तथा अन्य वस्तुओं का भी लदान पिछड़ा रहा।

चालू वर्ष में यात्री यातायात से होने वाली आमदनी का अनुमान 316 करोड़ रुपये लगाया गया है जो मूल अनुमान से 2.75 करोड़ रुपये कम है। "अन्य कोचिंग" से होने वाली आमदनी सौभाग्यवश 6.5 करोड़ की वृद्धि प्राप्त करके 66 करोड़ रुपये हो गयी है।

यद्यपि माल यातायात की मात्रा आशा से कम रही, लेकिन उससे प्राप्त राजस्व 6 करोड़ रुपये की वृद्धि पाकर 665 करोड़ रुपये हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि माल की वहन दूरी बढ़ गयी और पेट्रोल, तेल और स्नेहक जैसे उच्च वर्ग के यातायात का अनुपात अधिक रहा। परिणामस्वरूप यातायात से कुल प्राप्ति 1070.25 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 1078.00 करोड़ रुपये हो रही है।

"साधारण संचालन व्यय" शीर्षक के अन्तर्गत संशोधित अनुमान 784.32 करोड़ रुपये रखा गया है जबकि बजट अनुमान 765.44 करोड़ रुपये का था। इसका अर्थ है, 18.88 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च। इसका मुख्य कारण है, अतिरिक्त अन्तरिम सहायता जो रेल कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी कर्मचारियों के साथ 1 अक्तूबर, 1971 से दी गयी थी। वेतन बिल में इस लेखे में पूरे वर्ष के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये और बढ़ जाते, लेकिन चूंकि यह सहायता १ अक्तूबर, 1971 से लागू हुई, इसलिए खर्च की यह राशि 6.6 करोड़ रुपये रही। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के दैनिक भत्ते की दरें १ जनवरी, 1971 से बढ़ा दी गयी थीं जिसके परिणामस्वरूप रेल कर्मचारियों की कुछ कोटियों के रनिंग भत्ते भी बढ़ाने पड़े। इसके लिए बजट अनुमानों में व्यवस्था कर दी गयी थी लेकिन वास्तविक खर्च बजट व्यवस्था से 3 करोड़ रुपये अधिक होने वाला है। इसी वर्ष यह विनिश्चय किया गया कि कुछ नगरों में रेल कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ प्रतिकर और मकान किराया भत्ता दिया जाये क्योंकि उन नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी थी और उसके फलस्वरूप उनके वर्गीकरण में परिवर्तन हो गया था। एक निर्णय पंचाट न्यायाधिकरण ने रात्रि ड्यूटी भत्ते पर दिया। सरकार ने 'ट्रेड एप्रेंटिसों' को उच्चतर दरों पर वजीफा देना मंजूर किया। इन तीन मदों पर चालू वर्ष में १.३ करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। बाढ़ों और तूफानों से हुई क्षति की मरम्मत पर ३.१० करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। क्षति-पूर्ति के बकाया दावों के भुगतान के लिए हमें २.२ करोड़ रुपये की व्यवस्था और बढ़ानी पड़ी। 1.20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था डीजल तेल की कीमत बढ़ जाने के कारण करनी पड़ी। नागरिक रक्षा उपायों और पूर्वी क्षेत्र में रेल-पथ पर गश्त लगाने के काम पर भेजी गयी विशेष रेलवे सुरक्षा दल की यूनिटों पर एक करोड़ और अतिरिक्त खर्च हुआ है। इन समस्त अतिरिक्त खर्चों का, जिनमें कुछ मामूली मदें भी शामिल हैं कुल परिणाम 18.88 करोड़ रुपये हुआ। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंश-दान वही 105 करोड़ रुपये रहा। पेंशन निधि के विनियोग में 3.50 करोड़ रुपये की कमी की गयी है। "चालू लाइन निर्माण राजस्व और अन्य विविध खर्च" शीर्षक के अन्तर्गत हम लगभग 2 करोड़ रुपये की बचत करने में सफल हुए हैं।

रेलवे वित्त को मुख्य राहत संसद् द्वारा गठित रेलवे अभिसमय समिति से मिली। इस समिति

ने शीघ्रता से कार्य किया। इसने वर्ष 1971-72 और 1972-73 के सम्बन्ध में एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस अभिसमय समिति की सिफारिशें ये थीं :

(i) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के असामरिक भाग और अलाभप्रद शाखा-लाइनों की ब्याजदेय पूंजी तथा अतिपूंजीकरण पर लाभांश के भुगतान की छूट ;

(ii) चालू निर्माण-कार्यों के सम्बन्ध में तीन वर्ष के लिए पूंजी परिव्यय पर लाभांश के भुगतान में प्रति वर्ष 25 प्रतिशत तक की छूट ; और

(iii) सामान्य राजस्व के पास रखे गये निधि अवशेषों पर रेलों को चालू लाभांश दर पर ब्याज का भुगतान।

इन सिफारिशों से रेलों को 1971-72 में 21.53 करोड़ रुपये और 1972-73 में 22.19 करोड़ रुपये तक की राहत मिली है। समिति की सिफारिशों को दिसम्बर 1971 में संसद् के दोनों सदनों ने स्वीकार कर लिया था। रेलवे वित्त व्यवस्था को यह सामयिक और समुचित राहत प्रदान करने के लिए मैं समिति और संसद् के दोनों सदनों के प्रति आभारी हूं।

इस प्रकार परिणामतः जो वित्तीय स्थिति उभरी है, वह भयावह नहीं है, जैसा कि प्रायः कहा जाता है। 1971-72 के संशोधित अनुमानों में 9.08 करोड़ रुपये का शुद्ध अधिशेष दिखाया गया है, जबकि बजट अनुमानों में 6.87 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान था।

रेलों का तुलनात्मक कार्य

नौ रेल प्रशासनों में से पांच ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। इनमें पहला स्थान मध्य रेलवे का है जिसने अपनी प्राप्तियां बढ़ायी हैं और खर्च घटाया है और इस तरह अपने बजट लक्ष्यों में 8.15 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। दूसरा स्थान है, पश्चिम रेलवे का जिसने अपनी स्थिति में 7.80 करोड़ रुपये का सुधार किया है। दक्षिण रेलवे ने 2.27 करोड़ रुपये का सुधार किया है उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों ने क्रमशः 39 लाख रुपये और 10 लाख रुपये की वृद्धि करके अपनी स्थिति थोड़ी-सी सुधारी है। जिन रेलों में स्थिति प्रतिकूल रही है, उनमें से पूर्व रेलवे की स्थिति सबसे खराब रही जिसमें 19.21 करोड़ रुपये की कमी हुई है और इस तरह इसने उपयुक्त पांचों रेल प्रशासनों द्वारा किये गये वित्तीय सुधारों का अधिहरण कर दिया है। बजट लक्ष्य से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आंकड़े 4.75 करोड़ रुपये कम, दक्षिण मध्य रेलवे के 3.19 करोड़ रुपये कम और दक्षिण-पूर्व रेलवे के 2.69 करोड़ रुपये कम रहे हैं। इस प्रकार माननीय सदस्य देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्र की अवैधानिक और आपराधिक गतिविधियों का रेलवे वित्त और उसकी कार्य कुशलता पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ा है। यदि दो रेलों ने सामान्य काम भी किया होता तो हमारे पास अधिशेष के रूप में बहुत अधिक राशि होती।

बजट अनुमान, 1972-73

महोदय, अब मैं 1972-73 के बजट अनुमान की रूप-रेखा प्रस्तुत करूंगा। यहां भी आंकड़ों को सूचित करने से पहले मैं एक बार फिर प्रत्याशाओं को तौलना चाहूंगा। 1972-73 का वर्ष शांति और तीव्र प्रगति का वर्ष सिद्ध हो सकता है। मुझे आशा है कि देश को उन कठिनाइयों और परेशानियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा जिनसे होकर वह गत वर्ष गुजरा है। बाढ़ और

तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के उसी मात्रा में इस वर्ष आने की सम्भावना नहीं है और सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान को सम्भवतः सबक मिल गया होगा और वह शायद फिर सैनिक अभियान का दुस्साहस न करे। रेलों पर होने वाले अपराधों का मुकाबला करने के लिए दृढ़ कदम उठाये जा रहे हैं।

1972-73 के वर्ष की प्रत्याशा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता हमारी अर्थ व्यवस्था का ऊर्ध्वगामी रुख है। इस्पात और कोयले के उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना है, जिससे रेलों को काफी यातायात मिलेगा। खाद्यान्नों, उर्वरकों और पैट्रोलियम उत्पादनों के यातायात में भी वृद्धि की सम्भावना है। आर्थिक भविष्यवाणियां देश में कृषि, उद्योग और खदान सम्बन्धी गतिविधियों में वृद्धि की ओर संकेत करती हैं जिससे रेलों को अधिक आमदनी हो सकेगी। आशाजनक लक्षण पहले से ही दिखायी दे रहे हैं। हमारे निर्यात में भी सुधार की आशा है। इन सभी कारणों से रेलों को काफी यातायात मिलने की सम्भावना है, जिसके फलस्वरूप उनकी आमदनी बढ़ेगी।

किराये और भाड़े के वर्तमान स्तर पर 1972-73 के वर्ष में 1126.10 करोड़ रुपये 'कुल प्राप्ति' होने का अनुमान है। यह चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 48.10 करोड़ रुपये अधिक है। 'यात्री यातायात से आमदनी' में 10.50 करोड़ रुपये की वृद्धि की आशा है। अगले वर्ष आमदनी में मुख्य वृद्धि 'माल यातायात' से होगी जिसमें मात्रा और गुण दोनों दृष्टियों से सुधार की आशा है। इस्पात का उत्पादन अधिक होने और पूर्वी क्षेत्र में पुनः सामान्य स्थिति आ जाने से, मुझे आशा है, रेलें 95 लाख मीटरिक टन राजस्व-उपार्जक यातायात अधिक ढो सकेंगी। सीमेंट, उर्वरक, पैट्रोलियम उत्पादन, लोहा और इस्पात, मशीन और बिसातखाने के सामान जैसे माल का और अधिक संचलन होगा। इन सभी वस्तुओं से प्रति माल डिब्बा अपेक्षाकृत अधिक आमदनी होती है। अतः माल यातायात से प्राप्ति को 704.00 करोड़ रुपये रखा गया है जो संशोधित अनुमानों से 39 करोड़ रुपये अधिक है।

'साधारण संचालन व्यय' भी बढ़कर 809.14 करोड़ रुपये हो जायेगा, अर्थात् चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 24.82 करोड़ रुपये अधिक होगा।

चालू वर्ष के छः महीनों के बजाय पूरे वर्ष के लिए अंतरिम सहायता के भुगतान की व्यवस्था करने के कारण 6.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। सेवा-निवृत्तियों आदि के कारण खर्च में होने वाली कमी को घटाने के बाद कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियों के लिए 3.5 करोड़ रुपये की रकम और रखी गयी है। कारखाना कर्मचारियों को नैमित्तिक छुट्टी देने के बारे में हाल के पंचनिर्णय को लागू किये जाने के कारण खर्च में २ करोड़ रुपये की और वृद्धि हो गयी। परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन बिल में अगले वर्ष 12 3 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। शेष 12.52 करोड़ रुपये की रकम में 95 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त यातायात के कर्षण के लिए ईंधन की बढ़ी हुई लागत, मरम्मतों के लिए कारखानों पर अधिक खर्च और रेल-पथ के बेहतर अनुरक्षण का खर्च शामिल है। क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान के लिए मैंने 3.6 करोड़ रुपये की कम व्यवस्था की है, क्योंकि मुझे आशा है कि इस वर्ष 26 जनवरी को इस सम्बन्ध में जो विशेष अभिमान शुरू किया उससे कम से कम इतनी बचत हो जायेगी। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग की रकम ५ करोड़ रुपये बढ़ा

कर ११० करोड़ रुपये कर दी गयी है। पेंशन निधि में विनियोग की रकम १६ करोड़ रुपये निश्चित की गयी है। अन्य विविध खर्चों के साथ-साथ चालू लाइन निर्माण-कार्यों पर खर्च की १५.७३ करोड़ की लगभग उतनी ही व्यवस्था रखी गयी है जितनी चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में की गयी थी। इन सभी मदों का कुल खर्च 950.87 करोड़ रुपये होता है जबकि संशोधित अनुमानों में यह खर्च 916.77 करोड़ रुपये था। अतः शुद्ध रेलवे राजस्व 175.23 करोड़ रुपये होगा।

हमारे ऊपर ये तीन देयताएं हैं जिन्हें पूरा करना है :—

(क) सामान्य राजस्व को 159.70 करोड़ रुपये का लाभांश; इसका पूरा भुगतान कर दिया जायेगा;

(ख) विकास निधि में 20.00 करोड़ रुपये का अन्शदान; पूरा अन्शादन किया जायेगा।

(ग) सामान्य राजस्व से ऋण की अदायगी की वार्षिक किस्त, जो 1971-72 के संशोधित अनुमानों में प्रत्याशित 9.08 करोड़ रुपये के अधिशेष के विनियोजन के बाद अब 106.22 करोड़ रुपये है। हम किस्तों के लेखे में 11.26 करोड़ और बकाया ऋण पर ब्याज के 0.77 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे।

इन भुगतानों की कुल रकम 191.73 करोड़ रुपये बनती है।

इस प्रकार 175.23 करोड़ रुपये की शुद्ध आमदनी और 191.73 करोड़ रुपये की देयताओं के बीच अन्तर के कारण 16.50 करोड़ रुपये का घाटा रह जाता है। पिछले पांच वर्षों में बजट को संतुलित करने के लिए घाटे की रकम सामान्य राजस्व से ऋण लेकर पूरी की जाती थी। लेकिन इस वर्ष मैं ऋण लेने का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। ऋण लेने पर ब्याज के भुगतान की हमारी देयता बढ़ जाती है। यह कोई अच्छी वित्तीय नीति भी नहीं है। मेरा प्रस्ताव भाड़े और किराये के वर्तमान ढांचे को युक्तिसंगत बना कर ही इस रकम को अधिकांशतः प्राप्त करने का है।

प्रस्ताव

बड़े आकार वाली कुछ वस्तुओं की भाड़ा-दरें, उन पर आने वाले परिचालन सम्बन्धी खर्च को भी पूर्णतः पूरा नहीं करतीं। वास्तव में उनका परिवहन सहायकी दरों पर किया जा रहा है। यह आर्थिक सहायता ऊंची दर वाली वस्तुओं से होने वाली आमदनी से प्राप्त होती है। परिचालन सम्बन्धी लागत स्थिर नहीं रहती; वेतन और भत्ते लगातार बढ़ते जाते हैं। सामानों की कीमतें भी सदा बढ़ती जा रही हैं। ये अपरिहार्य वृद्धियां भाड़ा-दरों को स्थिर रखना असम्भव बना देती हैं। अतः परिवहन की लागत और उससे होने वाली आमदनी के बीच कोई युक्तिसंगत सम्बन्ध स्थापित करना होगा। मैं जो प्रस्ताव रखना चाहता हूं, वह भाड़ा-दरों में किसी तदर्थ वृद्धि का नहीं है, बल्कि भाड़ा संरचना को युक्तिसंगत बनाने का है।

निम्न दर वाली वस्तुओं का पुनर्वर्गीकरण

वर्तमान भाड़ा संरचना में कोयले और कोक, अनाज और दालों को छोड़ कर, माल डिब्बा भार में ढोई जाने वाली सभी वस्तुओं को 31 वर्गों में रखा गया है जो वर्ग 27.5 से वर्ग 130 तक हैं। वर्ग 52.5 सहित इस श्रेणी तक की वस्तुओं के वर्गीकरण के स्तरों को एक-एक सीढ़ी ऊपर

उठाने का प्रस्ताव है। इस समय जिन वस्तुओं का भाड़ा (माल डिब्बा भार के लिए) वर्ग 27.5 की दर पर लिया जाता है, उनपर अब आगे वर्ग 30 की दर पर लिया जाया करेगा; जो वस्तुएं इस समय वर्ग 30 में शामिल हैं, वे अब वर्ग 32.5 में आ जायेंगी और इसी प्रकार जो वस्तुएं इस समय वर्ग 52.5 में दर्ज हैं, वे अब वर्ग 55 में उठ जाएंगी। 'फुटकर' परेषणों अर्थात् माल डिब्बा भार से कम भार वाले परेषणों का वर्गीकरण भी फिर से किया जायेगा, ताकि 'माल डिब्बा भार' और फुटकर परेषणों के वर्गीकरणों के बीच वर्तमान सापेक्षता में गड़बड़ न हो। मोटे तौर पर प्रस्तावित वर्गीकरण का अर्थ यह होगा कि जिन वस्तुओं का भाड़ा वर्ग 27.5 की दर के अनुसार लिया जाता है, उनके भाड़े में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। यह वृद्धि कम होते-होते उन वस्तुओं के लिए 4.6 प्रतिशत रह जायेगी जो इस समय वर्ग 52.5 में शामिल हैं।

कोयला, कोक, अनाज और निर्यात अयस्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा

प्रस्तावित पुनर्वर्गीकरण से अनाज जिनमें दालें भी शामिल हैं और निर्यात वाले लोह और मैंगनीज अयस्कों के वर्तमान माल भाड़ा-दरों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोयले और कोक की माल भाड़ा दरों में भी कोई वृद्धि नहीं होगी।

बड़े आकार वाली वस्तुएं

(i) **प्रभार के लिए वजन** : कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसे प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बे, एल्यूमीनियम के बर्तन, इस्पात की अलमारियां जो अपने आयतन के कारण अपने वज़न के अनुपात की अपेक्षा अधिक स्थान घेरती हैं। चूंकि ऐसी वस्तुओं पर माल भाड़े की दरें वज़न के आधार पर होती हैं, इसलिए ऊपर लगाये गये प्रभारों से उनके परिवहन का खर्च पूरा नहीं होता। अब यह प्रस्ताव है कि इन वस्तुओं के लदान के प्रभार के लिए न्यूनतम वज़न को बढ़ा कर बड़ी लाइन के चौपहिये माल डिब्बे के लिए 45 क्विंटल से 60 क्विंटल, मीटर लाइन के चौपहिये माल डिब्बे के लिए 30 क्विंटल से 40 क्विंटल और छोटी लाइन के चौपहिये माल डिब्बे के लिए 30 क्विंटल से 35 क्विंटल कर दिया जाये।

(ii) **वर्गीकरण का पुनरीक्षण** : कुछ अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान माल हैं जैसे फर्निचर, रेफ्रिजिरेटर और ग्लासऊल, जिनकी लदान योग्यता कम होने के कारण प्रति माल डिब्बा पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिलता। अब उनके वर्गीकरण को ऊंचा करने का प्रस्ताव है।

इन पुनर्वर्गीकरणों के सम्मिलित प्रभाव से प्रति वर्ष 12.67 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

पार्सल और सामान यातायात

पार्सल और सामान यातायात के वर्तमान मापमान 1-4-1970 से लागू किए गये थे। पिछले वर्ष के परिवर्तनों द्वारा इस कोटि के यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। परिचालन की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए इस यातायात पर 5 प्रतिशत पूरक प्रभार लगाने का प्रस्ताव है। इससे पूरे वर्ष में 2.5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

यात्री किराये

जहां कुछ वस्तुओं का परिवहन सहायकी दरों पर किया जा रहा है, वहाँ तीसरे दर्जे के यात्रियों सहित सभी यात्री भी प्रति वर्ष लगभग 61 करोड़ रुपये की सहायकी का लाभ उठाते हैं— गैर-उपनगरीय यात्रा पर 49 करोड़ और उपनगरीय यात्रा पर 12 करोड़। पिछले वर्ष यात्री किराया दरों में बहुत मामूली वृद्धि की गयी थी। लेकिन इससे होने वाली आमदनी केवल 13.20 करोड़ रुपये रही। अब भी लगभग 48 करोड़ रुपये के अन्तर को पूरा करना है। लेकिन मैं यह सारी कमी एक बार में ही पूरी नहीं कर लेना चाहता। मैं तीसरे दर्जे के यात्रियों को इस वर्ष अप्रभावित छोड़ देना चाहता हूं। फिर भी मैं जो प्रस्ताव कर रहा हूं, वह यह है कि ऊंचे दर्जे के यात्री और सीजन टिकटधारी रेलवे राजस्व में थोड़ा अधिक अंशदान करें। दूसरा दर्जा साधारण के किराये में 20—50 किलोमीटर क्षेत्र की दूरी के लिए प्रति टिकट 25 पैसे की बढ़ती से लेकर 1500 किलोमीटर से आगे की दूरी के लिए 1 रुपये 50 पैसे तक की बढ़ती होगी। दूसरे दर्जे के मेल/एक्सप्रेस किराये में तदनुरूपी वृद्धि प्रति टिकट 1500 किलोमीटर दूरी से आगे के लिए 50 पैसे से 2 रुपये तक होगी। तदनुरूपी वृद्धि अन्य ऊंचे दर्जों के बारे में भी होगी। 1500 किलोमीटर से आगे वातानुकूल कुर्सीयान, पहले दर्जे और वातानुकूल दर्जे के किराये में प्रति टिकट क्रमशः 3 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये की वृद्धि होगी।

अन्य एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों की तुलना में हावड़ा और नयी दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अपनी यात्रा के समय में 7 घंटे से अधिक समय की बचत करती है। अधिक तेज रफ्तार से चलाने के उद्देश्य से राजधानी एक्सप्रेस में नियमित मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की अपेक्षा कम डिब्बे लगाने होते हैं और इनमें कम यात्री ढोये जाते हैं। राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार और उसमें आराम को ध्यान में रखते हुए उसके किराये में थोड़ी वृद्धि की जा सकती है। इसलिए, मेरा प्रस्ताव है कि नयी दिल्ली और हावड़ा के बीच बुनियादी किराये में वातानुकूल दर्जे में प्रति टिकट 30 रुपये और वातानुकूल कुर्सीयान के लिए प्रति टिकट 10 रुपये की वृद्धि की जाये। कुर्सीयान के लिए तदनुरूपी वृद्धि नयी दिल्ली और कानपुर के बीच 4 रुपये और कानपुर और हवड़ा के बीच 7 रुपये होगी।

ऊंचे दर्जे के बढ़े हुए किराये से वर्ष में 1.63 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

सीजन टिकटों का किराया

1970-71 में भारतीय रेलों ने 24,310 लाख यात्रियों का वहन किया। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरीय क्षेत्रों के उपनगरीय यात्रियों की संख्या 12,200 लाख थी। उपनगरीय यात्रियों की संख्या कुल यात्रियों का लगभग 50 प्रतिशत है। लेकिन, उनसे प्राप्त होने वाली आमदनी केवल 10 प्रतिशत है। कुल उपनगरीय यात्री यातायात का लगभग 71 प्रतिशत यातायात मासिक त्रैमासिक सीजन टिकटधारियों का होता है। मोटे तौर पर, एक मासिक सीजन टिकट की लागत एक ओर की यात्रा के किराये की केवल 10 से 15 गुना तक होती है, यद्यपि वह टिकट असीमित उपयोग के लिए उपलब्ध होता है और उसका उपयोग एक औसत सीजन टिकटधारी द्वारा एक महीने में कम से कम 50 यात्राओं के लिए किया जाता है। यह रियायत किस सीमा तक है, इसका

हिसाब एक किलोमीटर दूरी की यात्रा के लिए किसी सीजन टिकटधारी से हुई औसत अल्प वसूली से लगाया जा सकता है, जैसे एक यात्री एक ओर की यात्रा के लिए 2 रुपये 61 पैसे देता है जबकि एक सीजन टिकटधारी केवल 80 पैसे देता है ।

मैं सदन का ध्यान उपनगरीय यात्रा के एक अन्य पहलू की ओर दिलाना चाहूंगा । पिछले दो वर्षों में हमने अनुपनगरीय क्षेत्रों में तीसरे दर्जे और अन्य दर्जों के यात्री किरायों और उपनगरीय क्षेत्रों में एक ओर की यात्रा के टिकटों के किरायों में वृद्धि की है । तीसरे दर्जे के उपनगरीय मासिक सीजन टिकटों को हमने 1968 से नहीं छुआ है, जबकि उस समय इसमें प्रति सीजन टिकट केवल 25 पैसे की मामूली-सी वृद्धि की गयी थी । तब से तीसरे दर्जे और ऊंचे दर्जे के एक ओर के यात्री किरायों में एक बार वृद्धि की गयी है और ऊंचे दर्जे के एक ओर के यात्री किरायों और पहले दर्जे के सीजन टिकट के किरायों में दो बार संशोधन करके वृद्धि की गयी है । रेलों को चल-स्टाक में वृद्धि करने, रेल पथ का विस्तार करने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था पर विपुल धनराशि खर्च करनी पड़ी है । इस वर्ष के बजट में, अकेले बम्बई क्षेत्र में उपनगरीय सेवाओं में प्रस्तावित सुधार के लिए सिविल इंजीनियरिंग, सिगनल व्यवस्था और बिजली इंजीनियरिंग के निर्माण-कार्यों पर कुल मिला कर लगभग 31.3 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है । निश्चय ही हम एक अलाभप्रद सेवा पर इतना भारी पूंजी खर्च उठाने की स्थिति में नहीं हैं ।

यद्यपि एक ओर की यात्रा का किराया समस्त भारत में समान दूरी के लिए एक जैसा है, चाहे उपनगरीय हो या अनुपनगरीय, लेकिन तीसरे दर्जे का मासिक सीजन टिकट का किराया एक उपनगरीय क्षेत्र से दूसरे उपनगरीय क्षेत्र में भिन्न है । कभी-कभी, एक ही नगर में भी बराबर दूरी के दो जोड़े स्टेशनों के बीच के मासिक सीजन टिकटों के किराये में अन्तर रहता है । इसके अलावा, तीसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट के किराये बम्बई क्षेत्र में निम्नतम हैं, कलकत्ते में कुछ अधिक हैं और मद्रास में सबसे अधिक हैं । इस असमानता को दूर करने की आवश्यकता है और इन तीनों बड़े नगरों के साथ एक-सा व्यवहार किया जाना चाहिए । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि पहले कदम के रूप में बम्बई और कलकता में तीसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकटों का किराया मद्रास उपनगरीय क्षेत्र में लिये जाने वाले किराये के बराबर स्तर पर लाया जाना चाहिए । लेकिन ये वृद्धियां बम्बई के लिए प्रति टिकट 2 रुपये 15 पैसे और कलकता के लिए प्रति टिकट 1 रुपया 15 पैसे तक सीमित होंगी । ऐसा करने पर भी बम्बई और कलकत्ता में लम्बी दूरी के संशोधित किराये मद्रास और अनुपनगरीय क्षेत्रों में लिये जाने वाले किराये से कम ही रहेंगे । तीसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट किराये इस युक्तिकरण के बाद पूरे वर्ष में 60 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होगा ।

पहले दर्जे के उपनगरीय और अनुपनगरीय मासिक सीजन टिकटों के किरायों में पिछले तीन वर्षों में दो बार वृद्धि की जा चुकी है । इतने पर भी अब इनमें संशोधन करके और वृद्धि करने का औचित्य है । तदनुसार, मैं पहले दर्जे के उपनगरीय और अनुपनगरीय मासिक सीजन टिकट के किरायों में 10 रुपये तक की कीमत के टिकटों पर 1 रुपया, 10 रुपये और 20 रुपये के बीच के टिकटों पर 1 रुपया 50 पैसे और इसी तरह 40 रुपये से ऊपर के पहले दर्जे के मासिक सीजन टिकटों पर 3 रुपये तक की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं । इसी प्रकार तीसरे दर्जे के अनुपनगरीय मासिक सीजन टिकटों के किराये में वृद्धि 5 रुपये तक के प्रति टिकट पर 25 पैसे से लेकर 15 रुपये से अधिक के

टिकटों पर 1 रुपया तक है । इसी तरह दूसरे दर्जे के मासिक अनुपनगरीय सीजन टिकट के लिए यह वृद्धि 5 रुपये तक के टिकटों के लिए 50 पैसे और 15 रुपये से अधिक के टिकटों के लिए 1 रुपया 50 पैसे है । पहले दर्जे के उपनगरीय और अनुपनगरीय मासिक सीजन टिकटों के किराये में वृद्धि से वर्ष में 14 लाख रुपये और तीसरे दर्जे के अनुपनगरीय तथा दूसरे दर्जे के सीजन टिकटों के किराये में वृद्धि से 14 लाख रुपये की और आमदनी होने का अनुमान है ।

प्रस्तावों का वित्तीय परिणाम

इन सब प्रस्तावों से कुल वार्षिक आमदनी 17.68 करोड़ रुपये होगी । 1972-73 के वर्ष में अतिरिक्त आमदनी केवल 17 करोड़ रुपये होगी, क्योंकि संशोधित दरें 15 अप्रैल, 1972 से ही लागू होंगी । बजट की जो तस्वीर खींची गयी है, उसके परिणामस्वरूप आधे करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी ।

चौथी योजना

मई, 1971 में मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि चौथी योजना में 250 करोड़ रुपये की कटौती अन्तरिम है और स्थिति की समीक्षा की जा रही है । मैंने यह भी कहा था कि यह कटौती जैसे ही देश के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र में सुधार होगा, अंशतः या पूर्णतः वापस ले ली जायेगी । यातायात की मांग में वृद्धि के साथ-साथ रेलवे की योजना को भी बढ़ाना पड़ता है ।

सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने उस समय इस बात पर जोर दिया था कि योजना में जो मूल व्यवस्था थी, उसे पूर्ववत् कर दिया जाये । उन्होंने यह भी कहा था कि रेल प्रणाली का विस्तार किया जाये ताकि देश के विभिन्न भागों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक निम्नाधार की व्यवस्था हो सके । चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में रेलवे की योजना के परिव्यय में 125 करोड़ रुपये की वृद्धि करके उसे 1,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिससे रेलें इस स्थिति में हो गयी हैं कि योजना की शेष अवधि में वे 37 करोड़ रुपये के मूल्य का अतिरिक्त चल-स्टाक प्राप्त कर सकें और लाइन क्षमता सम्बन्धी निर्माण कार्यों और कुछ नई लाइनों के बनाने पर 60 करोड़ रुपये और अधिक खर्च कर सकें ।

एक आमान में परिवर्तन

हम एक आमान वाली प्रणाली की नीति पर आरूढ़ हैं, जो सोत्साह किन्तु क्रम से लागू की जा रही है । पिछले दिसम्बर में पूरक मांगों के माध्यम से संसद् द्वारा अनुमोदित आमान परिवर्तन की तीन परियोजनाएं 1057 किलोमीटर की दूरी के लिए हैं जिन पर 63.53 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । इन तीनों परियोजनाओं पर काम प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं ।

अब कुछ और लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए मेरा प्रस्ताव है । मुजफ्फरपुर के रास्ते बाराबंकी से समस्तीपुर तक की मीटर लाइन का आमान परिवर्तन एक बहुत बड़ी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में पड़ती है । यह लाइन 572 किलोमीटर लम्बी है और इसके आमान परिवर्तन की लागत 46.80 करोड़ रुपये आयेगी । आमान परिवर्तन की चालू परियोजनाओं

में यह सबसे बड़ी है । मीटर आमान की वर्तमान लम्बाई 25,847 किलोमीटर है और इन चारों परियोजनाओं से यह दूरी 6.3 प्रतिशत कम हो जायेगी ।

बड़े आमान द्वारा उत्तर-दक्षिण का सीधा सम्बन्ध

पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में यह विचार होता रहा है कि एक सीधी बड़ी लाइन बनायी जाये जो कन्याकुमारी से दिल्ली तक और हिमालय का स्पर्श करती हुई सुदूरतम उत्तरी सीमा तक जाये । सदन के माननीय सदस्यों ने इस विचार का अभिनन्दन किया है । वर्तमान रेल सम्बन्ध चक्करदार और वेतुके हैं । उनमें बहुत से यानान्तरण स्थल हैं और लाइनों की मील दूरी भी अधिक लम्बी है ।

हमें कन्याकुमारी को भारत के रेलवे मानचित्र पर लाकर लगन के साथ यह काम आरम्भ करना है । एक नयी लाइन बनायी जायेगी जो तिरुवनन्तपुरम से नागरकोइल होती हुई कन्याकुमारी तक और वहां से तिरुनेलवेलि तक जायेगी । यह लाइन 164.02 किलोमीटर लम्बी होगी और इसकी लागत 14.53 करोड़ रुपये होगी । हम तिरुनेलवेलि से मणियाच्चि तक और तूतीकोरन से मदुरै तक मीटर लाइन के बदलाव और मदुरै से डिंडिगल तक समानान्तर बड़ी लाइन और डिंडिगल से करूर तक एक बड़ी लाइन के निर्माण पर विचार कर रहे हैं । बेंगलूरू-गुन्तकल्ल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम पहले ही हाथ में लिया जा चुका है । गुन्तकल्ल से सिकन्दराबाद और सिकन्दराबाद से वर्धा तक बड़ी लाइन के लिए यातायात-सर्वेक्षण के आदेश दिये जा चुके हैं । इन प्रस्तावों का आशय यह है कि उत्तर से दक्षिण तक एक सीधी बड़ी लाइन का सम्बन्ध संभव हो सके ।

भारत में रेलों का वर्तमान ढांचा इसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है । अधिक संख्या में मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने और नयी बड़ी लाइनों का निर्माण करने का काम अनिवार्य रूप से शुरू करना होगा । मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1121.25 किलोमीटर और नयी बड़ी लाइनों के 1520 किलोमीटर के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का प्रारम्भिक काम शुरू किया जा रहा है ।

अन्य नई लाइनें

महाराष्ट्र में लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत पर बसीन से दिवा तक एक नयी लाइन बनायी जायेगी । इस लाइन की लम्बाई 42 किलोमीटर होगी और यह मध्य तथा पश्चिम रेलों को जोड़ेगी, जिससे दोनों रेल प्रणालियों के अन्तर्गत माल यातायात की शीघ्र अदला-बदली की सुविधा हो जायेगी । इससे दादर तथा बम्बई नगर के अन्य स्टेशनों को यातायात के बोझ से राहत मिलेगी और उपनगरीय रेल सेवा में सुधार होगा ।

एक और छोटी-सी नयी लाइन है जो 30 किलोमीटर लम्बी है और इस पर लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । यह गुजरात में साबरमती तथा गांधीनगर को बड़े आमान वाले रेल सम्पर्क से जोड़ेगी । इससे गुजरात की नयी राजधानी को रेल प्रणाली की सेवा प्राप्त होगी जिससे कलोल में स्थापित होने वाले नये उर्वरक कारखाने और गांधीनगर के पास बनाये जाने वाले थर्मल बिजलीघर को भी सहायता मिलेगी । गुजरात सरकार इसके लिए जमीन मुफ्त दे रही है और गुजरात

राज्य बिजली बोर्ड तथा भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समितियों ने इस लाइन को लाभप्रद बनाने के लिए अधिक माल भाड़ा देना स्वीकार कर लिया है।

निर्माण कार्यक्रम

चालू लाइन निर्माण-राजस्व सहित निर्माण, मशीन, संयंत्र और चल-स्टाक के लिए बजट अनुमान, जो 1971-72 के लिए 280 करोड़ रुपये था, अगले वर्ष के लिए 301.50 रुपये निश्चित किया गया है। महानगर परिवहन परियोजना के लिए भी 4.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि के बजट में वृद्धि की गयी है ताकि मध्यावधि मूल्यांकन के बाद चौथी योजना में अब शामिल किये गये रेलों के विकास कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा सके। अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण सम्बन्धी बजट में शामिल खर्च इस प्रकार हैं— चल-स्टाक पर 124 करोड़ रुपये, रेल-पथ के नवीकरण पर 48 करोड़ रुपये, यातायात सम्बन्धी सुविधाओं पर 51 करोड़ रुपये, सिगनल और दूर-संचार सम्बन्धी कामों पर 15 करोड़ रुपये, विद्युतीकरण योजनाओं पर 16 करोड़ रुपये, रेल उपयोगकर्ताओं की सुविधाओं पर लगभग 4 करोड़ रुपये और कर्मचारियों के लिए मकान तथा कर्मचारी कल्याण के कामों पर 10 करोड़ रुपये। 1972 73 के चल स्टाक कार्यक्रम में 11,000 माल डिब्बे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन उनकी संख्या बढ़ाकर अब 14,000 कर दी गयी है जिस पर इस वर्ष कुल 41.00 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। इससे माल डिब्बा तथा रेलों की परिवहन क्षमता को भी सहायता मिलेगी।

उत्पादन की नयी मदें

देशी स्रोतों से रेल-पथ की फिटिंग के सामानों की पूर्ति की अत्यन्त कमी है जिसके कारण कार्यक्रम के अनुसार रेल-पथ के अनुरक्षण के काम में बाधा पड़ती है। अनिश्चित पूर्ति और अनियमित अनुरक्षण के कारण रेल-पथ की संरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि पूर्व रेलवे के जमालपुर कारखाने में रोलिंग-मिल सुविधाओं को बढ़ाया जाये और उसमें प्रतिवर्ष लगभग 25,000 मीटरिक टन रेल-पथ की फिटिंग के सामानों का उत्पादन किया जाये। इस काम के लिए बजट अनुमान में 1.36 करोड़ रुपये शामिल किये गये हैं।

कुछ देशों से तथाकथित विदेशी सहायता मिलना बंद हो जाने या बंद कर देने की धमकी के बाद भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता की नीति को नयी स्फूर्ति दी है। रेलें इस नीति पर पूरी तत्परता के साथ अमल करना चाहती हैं। पहियों और धुरों तथा कर्षण गियरों के निर्माण के लिए हम दो नयी परियोजनाएं शुरू करना चाहते हैं। देशी उत्पादन से पहियों और धुरों की हमारी जरूरतें आंशिक रूप में ही पूरी होती हैं और शेष हम विदेशों से खरीदा करते थे जिसका मूल्य प्रति वर्ष 5.8 करोड़ रुपये होता था। पहियों और धुरों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। प्रस्तावित कारखाना रेलवे का एक और उत्पादन यूनिट होगा और इसमें लगभग 20,000 पहिया-सेट और 25,000 खुले पहिये प्रति वर्ष बनाये जायेंगे जिससे रेलें वस्तुतः आत्मनिर्भर हो जायेंगी।

डीज़ल तथा बिजली रेल इंजनों और बिजली गाड़ी के स्टाक के लिए कर्षण गियरों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे डीजलीकरण और विद्युतीकरण का काम आगे बढ़ता

जायेगा वैसे-वैसे आयात माल की मात्रा, जो इस समय 50 लाख रुपये वार्षिक है, बढ़कर अधिक होती जायेगी। इसलिए आयातित माल पर अपनी निर्भरता दूर करने के लिए वाराणसी के डीज़ल रेल इंजन कारखाने के साथ एक कर्षण गियर संयंत्र बनाने का हमारा प्रस्ताव है।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी जरूरतें; अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण

पिछले दो दशकों में कुल खरीद बढ़कर लगभग चार गुणा हो जाने के बावजूद, आयातित भण्डार जो लगभग 30 प्रतिशत होता था, घटकर 9 प्रतिशत से भी कम रह गया है। अब चल स्टाक आदि के निर्माण के लिए केवल ऐसे कच्चे माल, स्वामित्वाधिकार वाली मदों और अन्य पुर्जों का ही आयात किया जा रहा है जिसके लिए देश के अन्दर देशी क्षमता या प्रौद्योगिक योग्यता उपलब्ध नहीं है। इनके आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की जरूरत विशिष्ट ऋणों से पूरी की जाती है जो विदेशों के साथ किये जाने वाले द्विपक्षीय समझौतों के अधीन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था) से मिलती है।

24 जनवरी, 1972 को किये गये एक समझौते के अधीन भारतीय रेलों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से 750 लाख डालर का एक ऋण मिला है। इसका उपयोग आवश्यक कच्चा माल और पुर्जे खरीदने के लिए किया जायेगा। यह ऋण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की सामान्य शर्तों के अधीन मिला है और इसकी अदायगी 50 वर्षों में की जायेगी। पहले 10 वर्षों तक इसकी अदायगी नहीं होगी। इस पर कोई ब्याज नहीं है लेकिन इसके लिए $\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से केवल सेवा प्रभार देना होगा।

महानगर परिवहन परियोजना

कलकत्ता की महानगर परिवहन परियोजना में टालीगंज से दमदम तक, जिसकी दूरी 16.43 किलोमीटर है और जिसमें 16 स्टेशन होंगे, एक भूमिगत बिजली चालित रेलवे के निर्माण का विचार है। इसकी लागत लगभग 140 करोड़ रुपये होगी, जिसमें लगभग 23.7 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के खर्च की आवश्यकता होगी। इस परियोजना को रूस की तकनीकी विशेषज्ञता और योजना आयोग की सहमति का समर्थन मिला है। अब यह स्वीकृति के लिए सरकार के समक्ष पेश है।

बम्बई, दिल्ली और मद्रास के नगरों में द्रुत-व्यापक परिवहन प्रणाली के लिए व्यावहारिकता अध्ययन शुरू किये गये हैं। मैं समझता हूं कि बेंगलूरू, हैदराबाद, पूना, कानपुर और अहमदाबाद जैसे नगरों के विकास की रफ्तार से यह आवश्यक हो गया है कि इनके लिए भी ऐसे अध्ययन शुरू किये जायें। मैं आशा करता हूं कि योजना आयोग और सम्बद्ध राज्य सरकारें इस संबंध में पहल करेंगी।

बिना टिकट यात्रा

बिना टिकट यात्रा के परिमाण का अनुमान लगाने के लिए 1967-68 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे मालूम हुआ था कि बिना टिकट यात्रा से प्रति वर्ष लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये तक की हानि होती है। तब यह राशि यात्री यातायात से होने वाली रेलवे की वार्षिक आमदनी का

लगभग 10 प्रतिशत बनती थी। बिना टिकट यात्रा के लिए कम से कम जुर्माना 50 पैसे से बढ़ा कर 10 रुपये कर दिया गया था और इसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा। बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने और उन्हें जुर्माना करने के लिए मजिस्ट्रेटों और पुलिस दल की सहायता से समय-समय पर व्यापक छापे मारे जा रहे हैं। लाउड स्पीकरों और समाचार-पत्रों के माध्यम से शिक्षाप्रद प्रचार भी किया जा रहा है। शिक्षा संस्थाओं, ग्राम प्रधानों और समाज सेवा में लगे स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि इन सभी कार्रवाइयों का केवल मामूली-सा प्रभाव पड़ा है। बिना टिकट यात्रा उत्तरी क्षेत्र में अत्यधिक व्यापक है। हमें और कारगर उपाय निकालने होंगे। राज्य सरकारों और पुलिस दल को इसमें निर्णायक भूमिका निभानी होगी। बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध चलाये गये अभियान में हरियाणा के मुख्य मंत्री, श्री बंसी लाल ने जो सहयोग दिया है, उसे मैं कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूं। उनके और उनके सहयोगियों के साथ एक सम्मेलन करने के बाद अक्तूबर, 1971 में हरियाणा राज्य में एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए हरियाणा के गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यह अभियान $2\frac{1}{2}$ महीने तक चला। इसमें असाधारण सफलता मिली। 30,832 मामले पकड़े गये और उनसे 2,81,783 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। कुल 20,09,000 यात्रियों की जांच की गयी। विशेष जांच 6,396 मामलों में की गयी। इस अभियान के फलस्वरूप टिकटघरों से टिकटों की बिक्री में 9,06,000 रुपये की वृद्धि हुई। सीज़न टिकटों की भी बिक्री बढ़ी। इसके परिणाम कहीं अधिक प्रभावशाली होते, यदि दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान द्वारा शत्रुता की स्थिति पैदा न हो जाती।

बाद में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से उनके राज्य में भी ऐसी ही कार्रवाई करने की अपील की थी। मेरा इरादा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में नये मंत्रिमंडल बन जाने के बाद उनसे भी ऐसी ही अपील करूं। मुझे विश्वास है कि यदि राज्य सरकारें जमकर सहायता करें तो बिना टिकट यात्रा बन्द हो जायेगी और उसके द्वारा रेलों को अधिक मात्रा में राजस्व मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन राज्यों की महान् प्रतिष्ठा को इस अपराध द्वारा कलंकित न होने दिया जाये।

क्षतिपूर्ति के दावे

मैं देखता हूं कि रेलवे राजस्व के अपक्षय का एक बड़ा स्रोत बुक किये गये परेषणों की चोरी, उठाईगीरी, क्षति आदि के कारण दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकम है। पिछले वर्षों से दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकम में लगातार वृद्धि होती रही है। इस वर्ष यह 13.25 करोड़ की अधिकतम राशि तक पहुंचने वाली है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 लाख रुपये अधिक है। पांच क्षेत्रीय रेलों, जैसे मध्य, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण-मध्य और उत्तर रेलों ने इस संबंध में सुधार दिखाया है और उनके संशोधित बजट अनुमानों में दावों के भुगतान में 1.19 करोड़ रुपये की कमी दिखायी गयी है। लेकिन अन्य चार रेलों—खासकर पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों के दावों के भुगतान में 1.28 करोड़ की अनुमानित वृद्धि द्वारा उक्त राशि से अधिक का अधिहरण हो जायेगा। पुनः, पूर्वी क्षेत्र ही ऐसा है जो इससे सबसे अधिक कुप्रभावित है और उसमें कुछ स्थानों पर भयंकर अपराधी शरण पा रहे हैं।

मैंने इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। मुझे विश्वास है कि सभी स्तर के रेल कर्मचारियों के सक्रिय और देशभक्तिपूर्ण योगदान और राज्य सरकारों के सहयोग से काफी सुधार

किया जा सकता है। अतएव चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम के लिए मैंने इस वर्ष गणतंत्र दिवस से एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। यथावश्यक, राज्यपालों या मुख्य मंत्रियों के पास सहायता और सहयोग के लिए पत्र भेजे गये हैं। मैंने प्रत्येक रेल कर्मचारी से व्यक्तिगत अपील की है। मजदूर यूनियनों के नेताओं ने इस अभियान में योगदान करने का वचन दिया है। मैं आशा करता हूं कि उठाये जा रहे सम्मिलित और समन्वित उपायों से रेलों पर व्याप्त बुराई का मुकाबला हो सकेगा। गत कुछ सप्ताहों में जांच और रोकथाम के कार्य को एक नयी स्फूर्ति प्राप्त हुई है। मैं राज्य सरकारों और विशेष रूप से राज्य पुलिस के सहयोग के लिए आभारी हूं। मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि जब तक यह अभियान सफल नहीं होगा और उल्लेखनीय परिणाम सामने नहीं आयेंगे तब तक रेल प्रशासन जनता का पूर्ण विश्वास प्राप्त नहीं कर सकेगा।

रेलवे की भूमि का उत्पादक उपयोग

मैं समझता हूं कि भारत में रेलवे लाइनों के दोनों तरफ की भूमि 1,20,000 एकड़ से अधिक है। दुर्भाग्य से हमारे इंजीनियरों ने भूमि के उपयोग का विस्मरण कर रखा था और भूमि को इतना विकृत कर दिया है कि वह अब उपयोग में आने लायक नहीं है। आबादी के दबाव के कारण इस देश में भूमि बहुत कीमती हो गयी है। हमें भूमि के प्रत्येक इंच का उपयोग उत्पादक प्रयोजनों के लिए करना है। मैंने एक बार स्वयं देखा था कि रूस में लाइन के दोनों तरफ भूमि का खेती के लिए उपयोग होता है। इस आशय की हिदायतें जारी की गयी हैं कि जहां कहीं संभव हो, भूमि का खेती या मत्स्यपालन के लिए उपयोग किया जाये।

श्रमिक सम्बन्ध

मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि वर्ष के दौरान श्रमिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है। कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस प्रकार सहयोग और एक-जुट भावना से काम किया है कि देश को जितने लाभ हुए हैं, उनमें से एक प्रत्यक्ष लाभ है, गाड़ियों का ठीक समय पर चलना। उनके प्रशंसनीय कार्य ने अपने तरीके से पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा प्राप्त महान् विजय में सहायता पहुंचायी। श्रमिक संघों के सहयोग से रेलों पर चोरी और दावों की घटनाएं रोकने का काम शुरू हो चुका है। दो मान्यता-प्राप्त संघ अच्छा काम कर रहे हैं और वे कार्य संचालन में कुशलता बढ़ाने में प्रशासन को सहयोग दे रहे हैं। जहां तक गैर-मान्यताप्राप्त संघों का प्रश्न है, सरकार के सामने मान्यता की कसौटी निर्धारित करने का प्रश्न समग्र रूप से विचाराधीन है। इसके अलावा, मैं समझता हूं कि एक नयी श्रम नीति सामने आने वाली है।

कर्मचारी और सामान ही रेल प्रणाली के आधार हैं। सामानों का पुनर्नवीकरण और आधुनिकीकरण करना पड़ता है। कर्मचारियों को अपने सेवाभाव का नवीकरण और पुनः अनुप्राणन करना है। रेल कर्मचारियों के समय-पालन और सुरक्षा प्रयासों के कार्य से प्रेरित होकर मुझे यह विश्वास करना पड़ता है कि वे ऐसा कर रहे हैं। मैंने जिन अभियानों को प्रारम्भ किया है, उनसे तथा प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन से रेल कर्मचारियों के सेवा-भाव का आगामी

महीनों में परीक्षण हो जायेगा। मुझे आशा है, हम परीक्षा में सफल होंगे और आगामी बजट के समय सदन के सम्मुख अपने वित्त और कार्यकलापों का अपेक्षाकृत सुन्दर रूप प्रस्तुत करेंगे।

महोदय, मैं आपको और सदन को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : रेल मन्त्री द्वारा रेलवे बजट पेश कर देने के पश्चात् हम 2 15 बजे तक के लिए मध्याह्न भोजन के लिए बैठक स्थगित करते हैं।

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for Lunch till quarter past Fourteen of the Clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर अठारह मिनट पर पुन: समवेत हुई।)

(The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Eighteen minutes past Fourteen of the Clock)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

श्री ओ० वी० अलगेशन (तिरुत्तनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 13 मार्च, 1972 को एक-साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यधिक आभारी हैं।"

सबसे पहले मैं सम्पूर्ण सदन की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हुई घटना के लिए क्षमा चाहता हूं। कल की घटना हमारे प्रजातान्त्रिक संस्थानों के संचालन की प्रक्रिया पर गम्भीर आक्षेप है। राष्ट्रपति दलगत राजनीति से परे होता है और एक राजनैतिक पार्टी को दूसरी पार्टी से बदला लेने के लिए ऐसे अवसर पर राष्ट्रपति के प्रति असम्मान प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होगी।

हम इस समय इतिहास के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहे हैं। जुलाई, 1969 के निर्णायक मास से 3 वर्ष से भी कम की अवधि में हमारी नेता और प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी

इतिहास का निर्माण कर रही हैं। एक के बाद दूसरी घटना इतनी तेजी से घटी कि स्तम्भित दर्शकों को सोचने का भी अवसर नहीं मिल पाया। प्रत्येक कदम सही समय पर और सोच-समझकर उठाया गया। देश के अन्दर और बाहर विरोधी शक्तियों को तीव्रता और दक्षतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है।

इस नाटक की सबसे बड़ी घटनायें सैनिक तानाशाह के हिंसक अत्याचारी शासन से बंगला देश की मुक्ति और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की दुर्भावना की पराजय है। अगर बंगबन्धु शेख मुजीबुर्रहमान स्वाधीन बंगला देश के निर्माता हैं, तो श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने भारतीय जनता और भारतीय सेना के पूर्ण सहयोग से इसे वास्तविक रूप प्रदान किया है। गान्धी के नाम में ही जादू है—महात्मा गान्धी ने भारत को स्वतन्त्रता दिलाई, तो श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने बंगला देश को आजाद किया।

बंगला देश को स्वतन्त्रता दिलाने और पाकिस्तान के साथ विगत युद्ध में भारत की विजय के दौरान देश को जो नेतृत्व प्राप्त हुआ है, गत चुनाव के दौरान उसके महत्त्व को यह कहकर कम किया जा रहा है कि यह एक राष्ट्रीय विजय थी और इसका श्रेय सेनाओं को मिलना चाहिए। जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है, सेनायें अपनी वीरता और साहस के लिए हमारी श्रद्धा की पात्र हैं, परन्तु अन्ततोगत्वा राजनैतिक निर्देशन ही सैनिक और राजनयिक क्षेत्रों में हमारी सफलता का महान् कारण है।

क्या इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण मिलता है कि कभी एक करोड़ व्यक्तियों ने अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ली हो और उस देश ने उनका भरण-पोषण किया हो? क्या कभी किसी देश की सेना ने किसी अन्य देश को अत्याचारी शासकों से मुक्ति दिलाई है और तीन महीने की अवधि में वापस भी लौट आई हो?

राष्ट्रपति ने हमारी सेनाओं की वीरता के लिए उन्हें समुचित श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस सेना ने पाकिस्तानी सेना को चौथी बार रणक्षेत्र में निर्णायक पराजय तो दी है इसके साथ-साथ $7\frac{1}{2}$ करोड़ लोगों के लिए एक नये स्वतन्त्र देश का निर्माण करके इतिहास को भी बदला है। देश के कोने-कोने से वीर योद्धाओं ने अपने जीवन की उच्चतम आहुति दी है और दो सप्ताह के थोड़े समय में ही हमारी सेनाओं ने सैन्य इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

इस सप्ताह बंगबन्धु शेख मुजीबुर्रहमान और हमारी प्रधान मन्त्री के बीच जो बातचीत होगी, वह केवल दो देशों के नेताओं के बीच ही बातचीत नहीं होगी, बल्कि भारत की 50 करोड़ जनता और बंगला देश की $7\frac{1}{2}$ करोड़ जनता के हृदय की बात होगी। जहाँ हम नव-स्वाधीन बंगला देश का स्वागत करते हैं, वहीं हम पाकिस्तान की जनता के प्रति भी भ्रातृत्व की भावना रखते हैं। पाकिस्तान के साथ सीधी वार्ता करने की जो अपील राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की है, हमें आशा है कि पाकिस्तान उस पर ध्यान देगा।

इतिहास के इस संकटकालीन समय में रूस के साथ शान्ति, मित्रता और सहयोग की सन्धि एक शक्ति स्रोत के रूप सिद्ध हुई है। संकटकाल के दौरान हमारी प्रत्येक कार्यवाही और विचार के

प्रत्येक पहलू के दौरान जो सहानुभूति दिखाई है, उसके लिए हम रूस के अत्यंत आभारी हैं। हम अमरीका और चीन के एक दूसरे के साथ पारस्परिक समझौते का भी स्वागत करते हैं, परन्तु हमें इसके लिए सजग रहना होगा कि ये दोनों देश इसी उप-महाद्वीप की शान्ति भंग करने के लिए पाकिस्तान का उपयोग न करें। अमरीकी प्रशासन और जनता को भी सोचना पड़ेगा कि क्या भारत की मित्रता की बलि देकर उन्हें चीन से समझौता करना चाहिए ?

16 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के लिए अभी हाल में हुए चुनावों को सामान्य नहीं माना जा सकता। पिछले वर्ष देश से गरीबी हटाने के कार्यक्रम के लिए जनता ने संसद् के मध्यावधि चुनावों में भारी बहुमत प्रधान मन्त्री को दिया था। अब राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच निकट सम्पर्क और प्रधान मन्त्री की प्रगतिशील नीतियों के क्रियान्वयन एवं राज्यों में स्थिरता के लिए जोरदार समर्थन दिया है। हिंसा, राजनैतिक प्रतिक्रिया और क्षेत्रीयता के लिए अब कोई स्थान नहीं है। अब पंजाब के अकाली दल, महाराष्ट्र की शिव सेना जैसे क्षेत्रीय राजनैतिक दलों को जनता ने समर्थन नहीं दिया है। पांडिचेरी के उप-चुनाव से भी इसी प्रवृत्ति का पता चलता है।

आर्थिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता 'आर्थिक' स्वराज की प्राप्ति के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण की मुख्य बात है। आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता पर निर्भरता और अधिक आन्तरिक संसाधनों को जुटाने पर बल दिया गया है।

चौथी योजना में विदेशी सहायता को तीसरी योजना की विदेशी सहायता की तुलना में आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की विभिन्न परियोजनाओं में विनियोजित प्रत्येक 12 रुपये में से केवल एक रुपया विदेशी सहायता का होता है। कुछ सहायता देने वाले देशों द्वारा हमारी नीतियों पर दबाव डालने की प्रवृत्ति से हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या विदेशों से सहायता लेना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा ? राष्ट्रपति के अभिभाषण से पर्याप्त संकेत मिलता है कि विदेशी सहायता पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए विशेष उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अधिक आत्म-निर्भरता को प्राप्त करने के लिए हमारे कार्यक्रम में आयात-प्रतिस्थान और निर्यात प्रोत्साहन प्रमुख तत्त्व हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि आज खाद्यान्न का आयात बन्द कर दिया गया है और लाखों टन खाद्यान्न भण्डारों में सुरक्षित है।

यदि इस्पात और उर्वरक कारखानों की पूरी क्षमताओं का उपयोग किया जाय, तो इनका आयात न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है। देश के इस्पात कारखानों की केवल दो तिहाई क्षमता का ही उपयोग हो रहा है, इसीलिए वर्ष 1970-71 में 150 करोड़ रु० मूल्य के इस्पात का आयात किया गया था। इसी प्रकार उर्वरक कारखानों की आधी क्षमता का उपयोग हो रहा है। कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग करने पर विदेशों और विशेषकर अमेरिका से आयात को समाप्त किया जा सकेगा।

पिछले दशक में हमारा 1040 करोड़ रुपये का निर्यात व्यापार बढ़कर 1535 करोड़ रुपये का हो गया है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लक्ष्यों को भी लगभग प्राप्त किया जा चुका है। 1970 में 4772.1 करोड़ रुपये की बैंकों में जमा राशि वर्ष 1971 में बढ़कर 5742.0 करोड़ रुपये हो गई है। इससे पता चलता है कि जनता का राष्ट्रीयकृत बैंकों में विश्वास बढ़ा है। जुलाई, 1969 से वर्ष 1971 के अन्त तक बैंकों की 4047 नई शाखायें खोली गई हैं जिनमें से 2655 अर्थात् 65% शाखायें देहाती क्षेत्रों में थीं। इसी प्रकार कृषि, लघु उद्योगों, परिवहनचालकों और खुदरा व्यापारियों आदि को दिये जाने वाले ऋण की राशि 760 करोड़ रु० से बढ़कर 960 करोड़ रुपये हो गई।

Shri H. K. L. Bhagat(East Delhi) : Mr. Dy. Speaker, Sir I congratulate the President his Address to the joint sitting of Parliament. The policies and achievements have been stated in the right perspective.

Only a year ago, some of the opposition parties had created a Grand Alliance to come to power in some states and in the centre. There was a general impression that the central Government would be a very weak Government, but the people proved all the predictions wrong. A moment comes in the history of every country, when it has to go through a test. Now our victory has proved beyond any doubt the success of our secular democracy over communal dictatorship and foreign dependence of Pakistan. Shri Vajpayee had congratulated the Prime Minister for having treaty of friendship and co-operation with Russia. Later in he started criticizing this treaty. But this test has proved that we were pursuing the right policies. If we would have followed the policies adopted by Jan Sangh, the country would have faced the same crisis as Pakistan is facing today. Jan Sangh leaders had thought that refugees would not go back, but their apprehensions have proved wrong. Now all of us seen that Jan Sangh has been wiped out in Delhi.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मन्त्री महोदय गलत जानकारी दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको समय मिले तब आप अपनी बात कह सकते हैं।

Shri H. K. L. Bhagat : I am not misquoting Sir. I am speaking the truth. These Jan Sangh people when they were defeated in the last elections, put forth so many baseless charges like chemical treatment of Ballot Papers. Now they say that their defeat is due to personality cult. I tell you that they themselves are the victims of personality worship and have no democratic functioning among them.

But, we know that our Prime Minister could gather this massive support of the people only because of her policies and not due to any personality cult. Mr. Vajpayee delivered a speech in Delhi which was more strong than that of the Prime Minister but still his party was routed. This was simply because of the fact that crores of people had faith in the one word of Shrimati Gandhi whereas people had no belief in the thousands of words of Mr. Vajpayee.

The Presidential address mentions all those things which need improvement. It also gives an account of an objective perusal of the situation in the country along with varous improvements needed to be taken in respect of Public Undertakings. Besides a comprehensive analysis has also been made in the address in regard to the economic burden on the country and also in regard to various national problems like price rise, unemployment etc.

Although some parties have been bitterly criticising our foreign policy, but they can now see that it has always been successful. We were victorious because we were on the right path and we fought for truth. This address also stresses upon strong cordial relations with our neighbouring countries. Some people say that India became a powerful and great country now and that she would suppress the small countries around her. It is entirely wrong and we know that our greatness lies in our love and affection with others and in our determination to build our nation in accordance with our principles and notions.

Some people allege that Congress party believes in slogans. It is not true. The progress made by the country in the last two decades is not because of slogans, it is the result of sincere and hard work put in by the Congress and the Government. Our beloved Prime Minister late Pt. Nehru believed and planned step-by-step development with hard and sincere dedication and labour and our present Prime Minister has also been following the same path.

My colleague Shri Jyotirmoy Basu threatened of adopting some extra-parliamentary methods if the people do not hear him and his party. I feel due to this people of Bengal have rejected them.

The Presidential Address, therefore, points out that our country is going towards a very right direction. I offer my thanks to the President for this.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

लन्दन के पत्र "**इकोनोमिस्ट**"ने लिखा है कि "इन्दिरा ने पश्चिम" बंगाल में पुनः विजय प्राप्त करने के लिए गुण्डों को बुलाया है।" इससे स्पष्ट है कि चुनाव कितना हास्यास्पद है।

श्री एच. के. एल. भगत : वह ऐसी स्थिति को पहुंच चुके हैं कि लन्दन के समाचार पत्रों का हवाला देते हैं। कल को वह संभवतः निक्सन के पत्रों का हवाला देंगे। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ;

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 13 मार्च, 1972 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यधिक आभारी हैं।"

श्री शिब्बन लाल सक्सेना (महाराज गंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

1. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में देश की जनता के सभी वर्गों में विद्यमान बेरोजगारी को दूर करने के लिए व्यावहारिक योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।"

2. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को दूर करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

3. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में देश में विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

4. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि की अधिकतम सीमा कम करने और भूमिहीन लोगों को भूमि बांटने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।"

5. कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"कि अभिभाषण में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए किसी उपाय का कोई उल्लेख नहीं है।"

6. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तीसरा चीनी मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।"

7. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गन्ना उत्पादकों के प्रति किये जा रहे घोर अन्याय का कोई उल्लेख नहीं है जिन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम केवल 10 रुपये दिया जा रहा है कि जबकि चीनी प्रति किलो 3 रुपए से ऊपर दाम पर बिक रही है।"

8. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगों में आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए किए जाने वाले किसी ठोस उपाय का उल्लेख नहीं किया गया है।"

9. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि गोरखपुर जिले में 27 जनवरी से 27 फरवरी, 1972 त.. एक महीने के शिविरों में जबरदस्ती नसबन्दी आप्रेशन करने के कारण एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नही किया गया है जबकि इस अवधि के दौरान जिले का समस्त सामान्य प्रशासनिक कार्य ठप्प हो गया था और पटवारियों, लेखपालों, ग्रामसेवकों, कुर्क-अमीनों, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों को मुअत्तली और बर्खास्तगी की धमकी देकर यह आदेश दिया गया था कि वे 10 से लेकर 20 व्यक्ति नसबन्दी आप्रेशन के लिए उपस्थित करें।"

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

10. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि गरीबी को मिटाने के लिए किन्हीं प्रभावकारी उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"

11. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए,. अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि केरल को, जिसकी आनुक्रमिक योजनाओं में सरकारी क्षेत्र में और रेलवे लाइनों तथा कर्मशालाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी निवेश के मामले में घोर उपेक्षा की गई है, कोई महत्व नहीं दिया गया है।"

12. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल के नारियल-जटा, काजू और हथकरघा आदि परम्परागत उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए कोई कारगर पग नहीं उठाए हैं।"

13. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि केरल के नारियल, काली मिर्च और अन्य उत्पादों के मूल्यों की गिरावट को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रभावकारी उपाय नहीं अपनाये गए हैं।

श्री खेमचन्द भाई चावड़ा (पाटन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

14. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि समस्त देश में लाटरियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

15. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि समूचे देश में नशाबन्दी लागू करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

16. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में छोटे सिक्कों की कमी दूर करने के लिए की जाने वाली किसी कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

17. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश में जीवन निर्वाह व्यय को कम करने तथा लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिए की जाने वाली किसी कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

18. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि जिन राज्यों में प्राय: बिजली की सप्लाई कम रहती है, उनमें बिजली की सप्लाई को बढ़ाने के लिए की जाने वाली किसी कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I beg to move

19. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the miserable economic condition and the state of unemployment on account of lock-outs among the labourers engaged in various factories and industries in Madhya-Pradesh."

Shri Atal Bihari Vajpayee : (Gwalior) **Shri Jagannathrao Joshi :** (Shajapur) **Shri Hukam Chand Kachwai :** (Morena) **Shri R. V. Bade :** (Khergove) **Shri B. S. Chowhan :** (Dhor) **Shri R. R. Sharma :** (Banda) **Shri Mukhtiar Singh Malik :** (Rohtak) **Shri Lamb.dar Baliyar :** (Bastar)	I beg to move.

20. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any specific assurance to arrest the rising prices."

21. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address neither contains any specific scheme nor any target date for removing large scale unemployment prevalent in the country."

22. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance as to the date from which the Central Government employees hard pressed under the present economic distress, would get relief under the recommendations of the Third Pay Commission."

23. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no specific mention of any steps in the Address for effecting increase in the pay scales of defence personnel and the railway employees."

24. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the misuse of administrative machinery and the political murders commited during the recent elections."

25. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the problems of the displaced persons from Chhachhro (Sindh) and Chhamb (Jammu) areas and any effective steps being taken in this regard."

26. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no assurance has been given in the Address to liberate the territory of Kashmir, which is under forcible occupation of Pakistan."

27. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of the implementation of the resolution adopted by Parliament to get back the Indian territories occupied by China in 1962."

28. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no indication that the Pakistani

territories conquered by the Indian Army during the recent Indo-Pak war would not be returned and of any Government policy in that regard."

29. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any shift in the foreign policy consequent upon the experience of the attitudes of the world nations on the issue of Bangla Desh and Indo-Pak war."

30. That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address no assurance has been given in regard to the manufacture of Atom Bomb and nuclear weapons for the defence of India in view of the increasing danger from China in the continent of Asia."

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ संशोधन आज प्रातः 10 बजे सभा पटल पर रखे गये थे। वे कदाचित् प्रचारित नहीं हुए होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन कल सायं 5 बजे तक रखे जाने थे। अब क्योंकि चर्चा पन्द्रह दिन पश्चात् आरम्भ होगी अतः माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के साथ बात कर लें। मैं अब इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन नहीं करता क्योंकि इस अभिभाषण में देश की वास्तविक स्थिति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है अपितु यथासंभव असत्य बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि भूमि-सुधार संबन्धी गतिविधियों में तेजी आई है और इस संदर्भ में केरल का उदाहरण दिया गया है। केरल सरकार के बजट से स्पष्ट हो जाता है तथा स्वयं वहां के राजस्व तथा वित्त मंत्रियों ने बताया भी है कि उक्त कार्य-क्रम का केवल एक तिहाई भाग ही लागू किया गया है। उन्होंने योजना आयोग से धन मांगा जो कि नहीं दिया गया और इसी कारण उसकी क्रियान्विति अभी तक संभव नहीं हुई है।

मुझे खेद है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि देश भर के 16 राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाव पूर्णतया शान्तिपूर्ण ढंग से हुआ तथा लोगों की विचार-परिपक्वता का तथा लोकतन्त्र के प्रति उनके विश्वास का प्रमाण मिला। जब किसी चुनाव के दौरान अनेक लोग मारे जायें, यहां तक कि चुनाव अधिकारियों का भी खून कर दिया जाये, तब भी उन चुनावों को अभिभाषण में शान्तिपूर्ण कहना क्या उचित है ? मैं लन्दन अथवा अमरीकी अखबार का हवाला देकर नहीं बल्कि एक भारतीय समाचार पत्र **इकोनोमिक टाइम्स** (12 मार्च, 1972) में दिये गये तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। उसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के 20 चुनाव क्षेत्रों में लोगों को सशस्त्र गिरोहों द्वारा अपने वोट डलवाने का अनुभव हुआ है। टोलीगंज में दो महिला मतदाता गोली का शिकार हुईं और चुनाव अधिकारी के साथ से मत-पत्र छीनकर स्वयं मोहर लगा कर मत डाले गये। उत्तर बलियाघाट में श्री के० पी० घोष के चुनाव एजेन्ट को गोली मार दी गई। हर चुनाव केन्द्र को गुण्डों ने घेर रखा था तथा पुलिस उनसे लोगों की रक्षा करने में असमर्थ थी।

उसी प्रकार इस पत्र के संवाददाता का यह भी कहना है कि बैरंगपुर में प्रायः 2 बजे अपराह्न ही मतदान समाप्त हो गया था। गलियों में भारी भीड़ ने इस संवाददाता की कार रोकी तथा शिकायत की कि सशस्त्र गिरोहियों के भय के कारण वे अपना वोट नहीं डाल सके हैं।

यह रिपोर्ट ऐसे समाचार पत्र की है जो प्रायः सरकार का ही समर्थन करता है। फिर भी राष्ट्रपति कहते हैं कि चुनाव बड़े शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने इस प्रकार की किसी बात का जिक्र तक नहीं किया। क्या यही शांतपूर्ण तरीके हैं? क्या यही लोकतंत्र की रक्षा है? मैं कहता हूं कि वस्तुतः तो प्रधान मंत्री ने ही देश में लोकतंत्र की हत्या करके उसे दफन कर दिया है। देश की स्वाधीनता से आज तक मैंने नहीं सुना कि चुनाव के दौरान इतने व्यक्तियों की हत्या हुई हो। मतदाताओं को मतदान केन्द्रों से खदेड़ा गया। हमारी पेटियों को लोग समर्थन नहीं देते ऐसी बात नहीं है। यह सब तो मतदाताओं को डराने-धमकाने तथा मत पार्टी में गड़बड़ी के कारण हुआ है। यह तो लोकतंत्र का मजाक किया गया है और इस प्रकार के चुनावों को शांतिपूर्ण चुनाव कहना राष्ट्रपति की मर्यादा अथवा लोकतंत्र की मर्यादा की बात नहीं है।

चुनाव के पूर्व 35 लोग मारे गये। केवल 24 परगना में 17 व्यक्ति मारे गये। वहां कामरेड निर्मल चैटर्जी को गोली मार दी गई तथा उनकी विधवा जोकि चार बच्चों की मां है, के साथ बलात्कार किया गया।

ऐसी घटनाएं केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं प्रत्युत बिहार और आंध्र प्रदेश में भी हुई। अनेक कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई जो कि अब अस्पतालों में पड़े हुए हैं। हरिजनों के घर जला दिये गये क्योंकि उन पर कांग्रेस को मत न देने का सन्देह था। चुनाव के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और अब स्थिति यहां तक पहुंची हुई है कि चुनाव के बाद भी लोगों का विश्वास संसदीय लोकतन्त्र में नहीं रह गया है क्योंकि वहां के लोग पूरी तरह से जानते हैं कि उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है। लोगों के नाम तक मतदाता सूची से निकाल दिये गये हैं।

10 मार्च, 1972 को प्रायः रात्रि के 10 बजे जिगरी मुहल्ला, बलुआटोला तथा बातिना बाजार आदि में 100 मुसलमानों को, जिनमें चुनाव एजेण्ट भी थे, गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन पुलिस ने हमारे समर्थकों को भी बन्दी बना लिया और पुलिस तथा कांग्रेसी गुण्डों ने मतदाताओं को मतदान केन्द्रों से खदेड़ दिया और फिर बोगस वोट डाले गये।

इसी प्रकार पुलिस तथा कांग्रेसी गुण्डों ने मिलकर खूब मनमानी की। इस पर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि चुनाव बड़े शांतिपूर्ण रहे।

ऐसी स्थिति में यह कहना कि लोग कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करते हैं, तो यह एक विडम्बना है।

अब, दो बातें स्पष्ट हैं। प्रधान मन्त्री ने देश में संसदीय लोकतन्त्र की हत्या की है। लोगों का संसदीय लोकतन्त्र से विश्वास जाता रहा है। सारे विश्व को मालूम हो गया है कि हमारी प्रधान मंत्री एक तानाशाह महिला हैं।

शेष देश की तो बात क्या, वर्ष 1953 से काश्मीर में भी चुनाव निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ नहीं कराये गये हैं। वहां विपक्षी दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। उनके सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। यह कैसा चुनाव है? एक ओर तो हम याह्या खां को इल्जाम देते रहे कि वह लोगों को चुनाव में जीतने पर भी सरकार नहीं गठित करने देते परन्तु

यहां हम लोगों को चुनाव में खड़े होने तक का अवसर नहीं दिया गया। हम मतदाताओं को पीटते हैं तथा उन्हें जान से मार डालते हैं। उन्हें मतदान केन्द्रों से बम और बन्दूकें दिखाकर भगा देते हैं। और फिर कहते हैं कि हमारी विजय हुई है, लोकतन्त्र की विजय हुई है। हमें इतने स्थान मिले हैं।

इन चुनावों के बारे में लोग खूब जानते हैं कि ये चुनाव कितने स्वतन्त्र और सच्चे रहे हैं। केवल एक-दो लोग ही विपक्ष में आने दिये गये हैं ताकि संसदीय लोकतन्त्र का ढांचा दिखाई देता रहे। यह एक भयंकर षड्यन्त्र चल रहा है और प्रधान मन्त्री ने इसकी रचना की है। राज्यपाल तथा अधिकारियों ने इसमें उनकी सहायता की है। यह एक पूर्व नियोजित षड्यन्त्र था।

प्रधान मन्त्री का यह नारा था कि विपक्ष को समाप्त करो, सभी राज्यों में कांग्रेसी शासन जमाओ।

उपरोक्त वस्तुस्थिति में मेरा सुझाव है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में से 'शान्तिपूर्ण चुनाव' शब्द निकाल दिये जायें क्योंकि वस्तुत: ऐसा नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। मैं जानता हूं कि यहां हमारी आवाज नहीं सुनी जायेगी फिर भी मेरा इतना कहना जरूर है कि ये चुनाव न्यायपूर्ण नहीं हुए हैं और हम इनका विरोध करते हैं। अब तो जनता ही यह निश्चय करेगी और अपने ढंग से बतायेगी कि ऐसे संसदीय लोकतन्त्र में उनका कितना विश्वास है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का बड़े हर्ष तथा अनुग्रह के साथ समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्र के लिये बड़ा पवित्र अवसर होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। वह सारे वर्ष की स्थिति का मूल्यांकन करता है तथा सारे राष्ट्र को राष्ट्र की प्रगति की कमियों के बारे में बताता है और आगामी वर्ष के लिये मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का राष्ट्र को संबोधित करना एक पावन पवित्र अवसर है और यह बड़े दु.ख की बात होती है जब ऐसे अवसर पर जनता द्वारा ठुकराये गये कुछ लोग, राष्ट्र द्वारा अयोग्य समझे गये कुछ लोग अनावश्यक रूप से गलत बयानी करते हैं, राष्ट्रपति के विरोध में चिल्लाते हैं।

उन्होंने राष्ट्रपति तथा समूचे सदन को चुनौती दी तथा फिर शोर मचाते रहे और बाद में एक-एक करके सदन से चले गये।

जब मैं श्री गोपालन का भाषण सुन रहा था तो मुझे 1967 का स्मरण हो आया जब उन्होंने कहा था कि वे 1972 में दिल्ली के लाल किले पर लाल झंडा फहरायेंगे परन्तु हुआ क्या? श्री नम्बूदरीपाद और मार्क्सवादी साम्यवादी दल की बातें निरर्थक सिद्ध हुईं।

केरल के लोगों ने चुनावों में अवांछनीय तत्वों को हटा दिया। क्या केरल के चुनावों में कोई अनियमितता हुई थी? ऐसी कोई बात नहीं थी। वहां के लोगों ने न्याय किया और उन्हें हटा दिया।

पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? वहां हिंसा की पूजा किसने आरम्भ की और हिंसा के रूप में नक्सलवाद को किसने जन्म दिया? उन्होंने किया········· (**व्यवधान**) क्या यह सर्वविदित सत्य नहीं है।

मार्क्सवादी समाजवादी दल अहिंसा के लिये विख्यात नहीं है। वह शर्मनाक ढंग से हिंसा का उपदेश देता है। उसने माओ के सिद्धान्त की शपथ ली हुई है। कल सेन्ट्रल हाल में क्या हुआ। मार्क्सवादियों ने चिल्लाना आरम्भ कर दिया और फिर वे जत्थों में बाहर चले गये। समूचे राष्ट्र ने उनकी भार्त्सना की। यदि वे ऐसा ही करते रहे तो कल की घटना में जैसा उनके साथ हुआ वैसा ही आगे भी होगा।

श्री गोपालन कह रहे थे कि चुनावों में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक फासिस्ट महिला बताया। वह सबकी भर्त्सना कर रहे हैं। चुनावों में हुए मतदान में कोई मामूली अन्तर नहीं था। केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि काश्मीर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक प्रत्येक राज्य में जनता ने अपना मत व्यक्त किया। 1967 से 1971 तक विरोधी दलों का बोलबाला रहा।

क्या 1971 के चुनावों में अनियमितताएं हुई ? क्या चुनावों के दिनों में कोई हिंसात्मक घटना हुई ? नहीं। 1971 में और इसके बाद हमारा एक नया विचार रहा है और वह है एक राष्ट्र का।

राष्ट्र की एकता ऐसे शिखर पर कभी नहीं पहुंची है जैसी कि 1971-72 में। सैनिक शक्तियों और नागरिकों, किसानों और जवानों में इस वर्ष जैसा समन्वय रहा है वैसा पहले कभी नहीं रहा। आर्थिक क्षेत्र में भी इस वर्ष जैसा आत्म-विश्वास पहले कभी नहीं था। वर्ष 1971 में एक करोड़ शरणार्थी आये और उसकें पश्चात् युद्ध हुआ। इतने शरणार्थियों का आकर वापस चले जाना विश्व के इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है। प्रधान मन्त्री ने कह दिया था कि एक भी शरणार्थी इस देश की धरती पर नहीं रहेगा। उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। देश के साथ विश्वासघात नहीं किया और आज एक भी शरणार्थी यहां नहीं रहा है।

हमारे देश को अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का सामना करना पड़ा है। मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने चीन के प्रति वफादारी से जन्म लिया है, उन्होंने कहा, "यद्यपि चीन ने आप पर आक्रमण कर दिया है तथापि यह आक्रमण नहीं है क्योंकि एक समाजवादी देश आक्रमण कभी नहीं करेगा।" चीन, पाकिस्तान और अमरीका ने मिलकर भारत के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा है। भारत-रूस संधि हुई जिसके अन्तर्गत समूचे विश्व की समाजवादी शक्तियां इस अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का सामना करने के लिये तत्पर हो गई हैं। जो वर्ष व्यतीत हो चुका है, वह बड़ा कठिन वर्ष था। चुनौतियों के बावजूद भी मूल्य नहीं बढ़े, अनुशासन बना रहा और हमारी सेनाओं का हौसला बना रहा। ऐसे समय में क्या हमें इन बातों के लिये राष्ट्रपति को धन्यवाद नहीं देना चाहिये। अत: मैं सभा में प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

भविष्य में भी हमारे लिये कुछ समस्याएं हैं। वे समस्याएं साम्प्रदायिक शक्तियों की हैं जो शक्तियां अभी भी हमारे समक्ष हैं। गत वर्ष के अभिभाषण में राष्ट्रपति ने इस बात का उल्लेख किया था परन्तु इस वर्ष ऐसा कोई उल्लेख उन्होंने अपने अभिभाषण में नहीं किया है। यह नहीं समझा जाना चाहिये कि साम्प्रदायिक शक्तियां समाप्त हो गई हैं। मैं खुला आरोप लगाता हूं कि जिस

राज्य से मैं आता हूं वहां चाहे तेल्लीचेरी हो अथवा पूवर, वहां ये शक्तियां साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाती हैं और मार्क्सवादी साम्यवादी दल के कुछ सदस्य यह घृणित कार्य करते समय रंगे हाथों पकड़े गये हैं। उन्होंने सब कुछ खो दिया है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश को प्रगति की ओर अग्रसर कर रहा है। साम्प्रदायिकता के खतरे से हमें चौकस रहना है। भारत में दो दल हैं, उनमें से एक कहता है कि वे हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरा कहता है कि वे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनावों में लोगों ने यह दिखा दिया है कि वे धर्मनिरपेक्ष राज्य में विश्वास रखते हैं। सरकार को चाहिये कि वह इन घृणित गतिविधियों पर नज़र रखे।

हम चुनौतियों का आत्म-विश्वास से सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति के समूचे अभिभाषण की प्रमुख बात आत्म-विश्वास है। 1971-72 की घटनाओं से हमने यही सबक लिया है।

इस प्रकार उसी विश्वास के साथ अमरीका और पाकिस्तान के बारे में कुछ वाक्य कहे गये हैं कि यदि अमरीका चाहे तो हम अब भी उसके साथ मैत्री के लिए तैयार हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसी कोई सहायता नहीं ली जायेगी जिसमें कोई शर्त हो।

हड़ताल और ताला-बन्दी का विवरण में उल्लेख किया गया है . औद्योगिक विवादों के लिये केवल श्रमिक दोषी नहीं हैं। सरकार को निर्णय करना चाहिये कि यदि प्रबन्धक औद्योगिक विवादों के लिये उत्तरदायी हैं तो उनके साथ कठोरता से व्यवहार किया जायेगा। हड़तालें अध्यादेशों आदि से नहीं टाली जा सकती हैं। यह समन्वय और औद्योगिक श्रम नीति के प्रतिपादन से ही टल सकती हैं।

गरीबी के साथ लड़ाई उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी शत्रु के साथ लड़ाई महत्त्वपूर्ण होती है।

श्री ए० के० गोपालन ने, जिनके दल को जनता द्वारा पीछे धकेल दिया गया है, कहा है कि वह संसद् को कार्य नहीं करने देंगे। श्रीमन् संसद् का कार्य अवश्य चलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता, उत्तर-पूर्व) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे यह शिकायत है कि गत चुनावों में इस सभा में सत्तारूढ़ दल को भारी बहुमत मिला है परन्तु अभी तक उसकी नीतियों और कार्यक्रमों की क्रियान्विति का कोई सबूत नहीं मिला है।

शुभ कामना से कांग्रेस के सदस्य प्रभावित हैं और उनके लिये हर्ष का विषय है परन्तु निकट भविष्य में जनता के लिये व्यावहारिक रूप से कुछ कार्य होना चाहिये।

श्री अलगेशन ने कहा कि महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद करवाया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने बंगला देश को आज़ाद करवाया। इस सम्बन्ध में सभा के सभी वर्गों ने प्रधान मंत्री को श्रेय प्रदान करने में कोई कंजूसी नहीं बरती है। परन्तु भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्री का यह कहना कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बंगला देश को आज़ाद करवाया, थोड़ा सीमा से बाहर है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री अपनी समझदारी से इस चापलूसी को दबायेंगी। वह इस बारे में कुछ करेंगी।

मेरे मित्र श्री ए० के० गोपालन का आज यह कहना कि इस देश में सब कुछ दूषित हो गया है, निरर्थक है।

चुनावों के सम्बन्ध में कहा गया है कि काफी हिंसात्मक घटनाओं के कारण चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। यह ठीक नहीं है। कलकत्ता नगर के एक भाग में जब मैं चुनाव-सभा मे बोल रहा था तो वहां भी बम फेंके गये परन्तु मैं इस सदन में रोता-पीटता नहीं आया, क्योंकि वह घटना उस समय वहां की परिस्थितियों के अनुकूल थी।

इस बार पश्चिम बंगाल में चुनावों के पहले दिन 10 मार्च को मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नेता श्री ए० के० गोपालन ने वक्तव्य दिये कि निश्चय ही उनके दल को बहुमत मिलेगा परन्तु उनकी ये बातें गलत निकलीं। मेरे ये मित्र स्वयं को मार्क्सवादी बताते हैं परन्तु ऐसा करके वे मार्क्सवाद को बदनाम करते हैं। आज उन्हें मत प्राप्त नहीं हुए तो वे यहां कुछ और ही बात कहते हैं। बड़ा नगर निर्वाचन क्षेत्र में श्री शिवपद भट्टाचार्य बाल-बाल बचे जिन्हें कार से बाहर खींच लिया गया था... (**व्यवधान...**)।

श्री ज्योति बसु ने अपने शासन काल में अपने दल के उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया था जिन्होंने श्री शिवपदा भट्टाचार्य की हत्या का षड्यंत्र रचा था। मैं चुनावों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता था परन्तु जब ये लोग संसद् में बोलते हैं तो देश और इसके हितों के सम्बन्ध में बोलने में कुछ औचित्य होना चाहिये। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का साक्षी हूं कि इस दल ने तथाकथित बिहारी मुसलमानों के घृणित प्रश्न को लेकर पश्चिम बंगाल में वातावरण दूषित कर दिया था। इनके कोई सिद्धान्त नहीं हैं।

1967 में हमारे दल ने कई राज्यों में कांग्रेस को हरा दिया था। 1969 में पश्चिम बंगाल में हमारे दल ने संयुक्त मोर्चा सरकार का स्वागत किया परन्तु धन्य हैं मार्क्सवादी दल की घृणित गतिविधियां, जिनके कारण हमारे लोगों को वामपंथ से नफरत हो गई है। यह कैसा मार्क्सवाद है जो देश की वर्तमान स्थिति को ठीक ढंग से समझने का प्रयास नहीं करता है, जो यह नहीं समझता कि हमारे देश के लोग पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं, जो बंगला देश की मुक्ति की ओर नहीं देखता और जो यह नहीं समझता है कि हमारा देश समाजवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ रहा है।

श्री गोपालन अपने भाषण में यही कहते रहे कि किस प्रकार उनके दल के साथ सरकार द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। हम जानते हैं, इस बार क्या हुआ।

मैंने इस प्रकार से कभी नहीं कहना चाहा था परन्तु कम से कम उन्हें यह भान होना चाहिए कि जब वे हार गये हैं तो निश्चय ही उनके दल में कोई न कोई त्रुटि होगी अन्यथा आज जो ये लोग जीत कर आये हैं, वे नहीं आते। इस बार कांग्रेस को बहुमत मिल गया है तो बाद में यदि कांग्रेस ने आशातीत कार्य नहीं किया, तो स्थिति बदल भी सकती है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बंगला देश का उल्लेख किया, यह अच्छी बात है। परन्तु उन्होंने, उनकी सरकार ने जरा सा भी इस बात की ओर संकेत नहीं किया है कि समाजवादी

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जा सकता है अथवा क्या किया जाना चाहिये । इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और ऋणग्रस्तता आदि के बारे में क्या किया जाना है ।

अभिभाषण में, योजना के बारे में पृष्ठ ४ पर ही उल्लेख है कि एक योजना निवेश बोर्ड की शीघ्र ही स्थापना की जायेगी जो संयुक्त चर्चा के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के निवेश के प्रमुख प्रस्तावों की जांच करने के लिए फोरम की व्यवस्था करेगा । यह आश्चर्यजनक बात है । इस समय औद्योगिक विकास मंत्री, ब्रिटिश पूंजीपतियों के साथ बातचीत करके हमारी औद्योगिक नीति के संकल्प के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ।

भूमि सुधारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

राष्ट्रपति ने कहा है कि चालू वर्ष में कलकत्ता महानगरीय विकास हेतु जल सप्लाई, परिवहन, आवास एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की संभावना है । यह सही है कि प्रशासनीय कठिनाइयों के कारण राशि व्यय नहीं की जा सकती है परन्तु गत वर्ष जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन था तब भी क्या वहां यह कार्य नहीं किया जा सकता था । सरकार संसद् को विश्वास में नहीं लेती है और संसद् की राय नहीं लेती है कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिए ।

जर्मन जनवादी गणतन्त्र को पूर्ण राजनयिक मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । गत सत्र की समाप्ति पर लगभग 500 संसद् सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें जर्मन जनवादी को पूर्ण राजनयिक मान्यता प्रदान किये जाने की मांग की गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है ।

राष्ट्रपति का यह कहना कि अमरीका द्वारा बंगला देश के लोगों की जनतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई के प्रति सहानुभूति न रखने से हमारे देश को अत्यधिक निराशा हुई है, ढीला रवैया अपनाने वाली बात है । यह उसी प्रकार की बात है जैसा कि 1966 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जान्सन के लिए कहा था कि वे शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं ।

हमें आशा है कि अब वैसा रवैया नहीं अपनाया जायगा । हमें प्रसन्नता है कि अब प्रधान मंत्री राष्ट्रपति निक्सन की नीतियों के प्रति कड़ा रुख अपनाती हैं ।

वियतनाम में अमरीकी कार्यवाहियों के बारे में अभिभाषण में जो कुछ कहा गया है वह सन्तोषजनक नहीं है । वहां आजादी का गला घोंटने के लिए षड्यन्त्र किया जा रहा है ।

इस सभा में बार बार यह कहा जाता है कि सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किये हैं, और वह बात अब भी कही गई है । जब कि बंगला देश अस्तित्व में आ गया है; जबकि हमें यह ज्ञात हो गया कि कौन हमारा शत्रु है और कौन मित्र; जबकि अब हम अपना सिर गर्व से ऊंचा उठा सकते हैं तब भी राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य हमें सुनने को मिलेगा ?

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आत्म-निर्भरता की बात कही गई है पर उसमें यह कहां बताया गया है कि हम आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर होंगे, एकाधिकारों को समाप्त किया जायेगा, कृषि क्षेत्र

में सुधार किया जायेगा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जायेगा। मैं इस समय राष्ट्रपति से इस प्रकार की आशा नहीं करता था।

हमारी जनता चाहे कितनी हो अनपढ़ हो, परन्तु वह यह जानती है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या ग्राह्य है। पर हमें निष्ठापूर्वक जनता से किये गये अपने वायदों को पूरा करने के लिए कार्य अवश्य करना चाहिए।

उपरोक्त बातों को दृष्टि में रखने पर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण अधूरा सा है।

* **श्री शक्ति कुमार सरकार** (जयनगर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें स्थिति का सही-सही मूल्यांकन किया गया है तथा कोई भी बात बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कही गई है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

अतः मैं कह सकता हूं कि अभिभाषण की आलोचना में कोई सार नहीं है तथा वह मिथ्या है और राजनीतिक स्वार्थों के कारण की गई है। जनता ने पूरी परख के बाद कांग्रेस का पूर्ण समर्थन किया है।

श्री गोपालन ने जो आरोप लगाया है कि सोनारपूर क्षेत्र में एक मार्क्सवादी की हत्या कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने की और उसकी बीवी के साथ बलात्कार किया, पूर्णतः निराधार है।

चुनावों में कांग्रेस को जनता ने भारी समर्थन दिया है। इस कारण हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। हमने जनता को जो वचन इस दौरान दिये हैं उन्हें पूरा करना है। गरीबी आदि की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो जाने के पश्चात् हममें आत्म-तुष्टि की भावना नहीं आनी चाहिए।

हमें अपनी योजनाओं में परिवर्तन करने होंगे। हमें प्रादेशिक आधार पर योजनाएं बनानी होंगी। जब तक हम अपनी इन योजनाओं के प्रति जनता में विश्वास पैदा नहीं करते तब तक ये योजनाएं सफल नहीं हो सकतीं। हमें इस बात को सदैव ध्यान में रखना है कि जनता सर्वोपरि है और उसका सहयोग योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरू) : मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वर्तमान तथा 1971 के चुनावों में हमारे दल कांग्रेस को जनता का समर्थन मिलने के कारण हमारे ऊपर अत्यधिक जिम्मेदारी आ गई है। हमने वायदा किया है कि हम गरीबी हटाने के लिए कानून बनाएगे और उन्हें लागू करेंगे।

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

भूमि के सुधार के सम्बन्ध में यह कहना सही है कि कई राज्यों ने भूमि सम्बन्धी विधान बनाए हैं पर हमें यह सुनिश्चित करना है कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले विधानों को भली भांति कार्यान्वित किया जाये । अपने देश की 80 प्रतिशत जनता जिनमें 90 प्रतिशत भूमिहीन है और जो कृषि पर निर्भर है, की भलाई के लिए ऐसा करना नितान्त आवश्यक है । क्योंकि इसके बिना गरीबी नहीं हटाई जा सकती । इन भूमि सुधारों के लिए हमें पूर्ण रूप से राज्यों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसे कार्यान्वित करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है ।

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हम सोचते थे कि अब किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए धन मिलेगा, पर यह आशा भी पूरी नहीं हुई । गरीब किसानों तथा अन्य लोगों को इन बैंकों से मदद नहीं मिली है । सरकार को बैंकों के ऋण देने सम्बन्धी कार्य की जांच करनी चाहिए । उनके कार्यकरण में सुधार होना चाहिए तथा गरीब और जरूरतमन्द लोगों को आवश्यक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ।

सभी राज्य सरकारें और दल भूमि सुधार कार्यक्रम से सहमत हैं अतः प्रत्येक दल को चाहिए कि वह इस दिशा में सरकार को सहयोग दे और गरीबी को दूर करने के लिए एक होकर प्रयत्न करें । भूमि सुधार समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं और अब क्योंकि लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं अतः अब उसे उन्हें लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर भूमि सुधार योजनाओं को लागू करने के लिए जोर डाले । हमने गरीब लोगों से जो वायदे किये थे उन्हें पूरा किया जाये । एक साल निकल गया है और कुछ नहीं हुआ है । इसमें ढील नहीं होनी चाहिए । ऋण सम्बन्धी सुविधाओं का सारा लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलता है जो राज्य सरकार, मंत्रियों अथवा बैंकों में कुछ प्रभाव रखते हैं और आम आदमी को न तो राज्य सरकार से और न ही राष्ट्रीयकृत बैंकों से कोई सुविधा प्राप्त होती है । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सभापति महोदय, इस समय सदन में मंत्रिमंडल स्तर का कोई भी मन्त्री उपस्थित नहीं है ।

सभापति महोदय : मैं यह बात सरकार के ध्यान में लाऊंगा ।

Dr. Kailash (Bombay South) : I rise to support the Motion of Thanks. To-day our country is facing a number of problems. These problems relate to varied matters such as land, Industry and Trade, unemployment, eradication of poverty and attainment of self-sufficiency. All these problems have been mentioned by the President in his Address.

It has rightly been said by the President that the Central Government have started making efforts to solve some of these problems.

India is a country of villages and when we talk of progress we have to understand that our country can only progress if there is progress in our villages. If we electrify our villages, it can solve the problem of irrigation and small scale industries can be set up there. All this would lead to progress. Government has earmarked Rs. 106 crores for Rural Electrification Schemes, out of which an amount of Rs. 43 crores has to be spent on rapid electrification of villages. I have met the Chief Ministers of Maharashtra, U. P. and Rajasthan and requested them to expedite electrification of villages. I had an occassion to meet the chairmen of the Electricity Boards of these three States. They have assured that the work would be expedited. There are Electric Supply Companies in certain States. Government should see to it that present agreements with these companies are not extended and these are taken over by the Government. Power is essential not only for raising production and achieving self-sufficiency, it is also essential to check unemployment.

From the point of view of self-sufficiency, it is necessary that our Industries in both Private Sector as well as in Public Sector, should function smoothly. Last year the President while addressing the joint session advised the workers not to resort to strikes and instead bring their demands to the notice of the Government, so that efforts could be made to solve them. He also advised them not to resort to lock-outs.

Factories in our country are not working to their installed capacity. In this regard, the President has mentioned that it would be the endeavour of the Central as well as the State Governments to see that our factories should run to their full installed capacity. All these point to one thing that our Government is making serious efforts to solve the problem of unemployment and for the eradication of poverty.

There are about 109 Public undertakings in our country. These undertakings suffer from problems such as shortage of funds, lack of technical know-how, etc. But the root cause of all the problems being suffered by our public sector lies in private sector. This sector does not want the progress of public sector, hence it is putting obstacles in its way. In order to remove the short-comings of the Public Sector, the President has mentioned that a task force would be created in each Ministry, which would attend to their short-comings.

The President has also mentioned that amendments in Industrial Development Act are contemplated. It is being done in order to take over the closed Mills. He also mentioned that in order to encourage trade and industrial activity in West Bengal, the Government is thinking of implementing a 16 point programme. All this leads to one conclusion and that is that serious efforts are being made to check unemployment and achieve self-sufficiency.

Iron and steel is the back-bone of a country. Our C. P. M. Comrades were trying to disrupt the production of three Steel Plants of the country. But now election results have curtailed their strength.

We have achieved self-sufficiency in the field of food production. But in order to raise it further, the Government propose to set up a fertilizer Plant, which would meet the demands of our farmers.

We should be very cautious about our foreign policy. Our diplomats and Foreign Service personnel have not done much in order to raise the respect of our country.

It has rightly been asked as to why we are not giving recognition to East Germany. This demand has been supported by 500 Members and Government should adopt a correct attitude in this regard.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हर साल मैं यह निश्चय करता हूं कि अगले वर्ष मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन सदन में उपस्थित नहीं हूंगा परन्तु अगले वर्ष मैं निराश होने के लिए फिर से सदन में आ जाता हूँ। पिछले वर्ष संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता, श्री राजनारायण ने बहुत ही अनुचित** व्यवहार किया था।

परन्तु इस बार राष्ट्रपति की इस कारण वाहवाह की गई है कि**

सभापति महोदय : श्री मोदी जी, आप राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार के शब्द नहीं कह सकते।

श्री पीलू मोदी : मैंने नियम देख लिये हैं और आप भी नियम देखकर जो ठीक समझें करें...... (व्यवधान)

श्री आर० एस० पाण्डे (राजनन्द गांव) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने श्री राजनारायण के व्यवहार की आलोचना की।** इसका यह अर्थ है कि वह राष्ट्रपति के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं (व्यवधान)। उन्हें सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिये।

सभापति महोदय : वाद-विवाद के उस भाग को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री पीलू मोदी : मेरा आपसे यह कहना है कि आप फिर से नियम देखें। इस बात** के लिए राष्ट्रपति की वाहवाह की गई है। ऐसा करने वाले 30-40 लोग थे।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : यह भी गलत है।

श्री पीलू मोदी : जो राष्ट्रपति ने कहना था, मैंने वह भी नहीं सुना और जो मार्क्सवादियों को कहना था वह भी नहीं सुना। घर आकर मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ कर यह देखा है कि दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति को सरकार द्वारा पिछले वर्ष के दौरान किए गये अभूतपूर्व कार्यों की प्रशंसा करनी होती है और साथ ही अगले वर्ष के लिए आश्वासन देने होते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पिछले 25 वर्षों से इस प्रकार की बातें ही होती हैं। परन्तु वास्तविकता कुछ भिन्न होती है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रगति और विकास का क्रम जारी रहा। परन्तु यदि हम चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन और आर्थिक समीक्षा को देखें तो राष्ट्रपति जी के

****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।**
Expunged as ordered by the Chair.

अभिभाषण के इस अंश की पुष्टि नहीं होती। अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए रोजगार के और अवसर जुटाने की दिशा में भी कुछ प्रगति हुई। यदि हम पिछले वर्षों के कार्यों पर दृष्टि डालें तो स्थिति इससे भिन्न ही प्रतीत होती है। पिछले से पिछले वर्ष में सरकार ने इस प्रयोजन के लिए बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की पर उसमें से सात करोड़ भी खर्च न किया जा सका और पिछले वर्ष में इस प्रयोजन के लिए जो 50 करोड़ की व्यवस्था थी उसमें से भी अधिक धनराशि खर्च नहीं की जा सकी है। इसमें से गुजरात का भाग 2.5 करोड़ रुपये था जिसमें से करीब 10 लाख खर्च हुए हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रपति द्वारा इस दिशा में प्रगति की बात के कहे जाने का अर्थ समझ में नहीं आता।

अभिभाषण में कहा गया है कि मूल्यों के सम्बन्ध में स्थिति नियन्त्रण से बाहर नहीं हुई। समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की बात किस आधार पर कही गई है। पिछले 10 वर्षों में हर वस्तु के मूल्य में 100 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है, कुछ मामलों में तो यह वृद्धि 200-300-400 प्रतिशत तक हुई है। अभिभाषण में यह स्वीकार किया गया है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं को कम प्राथमिकता मिली। प्रचार के लिए तो इन योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाती है पर जब वास्तविक कार्यान्वयन की बात आती है तो यह पीछे रह जाती हैं।

चुनावों के संदर्भ में कहा गया है कि लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जो सरकारें विभिन्न राज्यों में स्थापित हो रही हैं उनसे केन्द्रीय सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। क्या यह कहा जाए कि अब तक जो सरकारें बनती थीं वे लोगों की इच्छाओं के अनुरूप न होकर किन्हीं अन्य की इच्छाओं के अनुरूप होती थीं ?

अन्त में यह भी कहा गया है कि गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में भी मिलिटरी की लड़ाई के समान शौर्य की अपेक्षा होती है। समझ में नहीं आता कि शौर्यता के बारे में सरकार की क्या कल्पना है। परन्तु इससे इतना अवश्य स्पष्ट है कि अभिभाषण में गरीबी हटाने के लिए ठोस कार्यक्रम बताने के स्थान पर केवल थोथी बातें ही हैं।

मध्यावधि मूल्यांकन को देखने से भी कुछ विशेष बातें ध्यान में आती हैं। इस मूल्यांकन में कहा गया है कि उद्योग के जिन क्षेत्रों पर कर-भार कम है वे क्षेत्र अधिक गति से पनप रहे हैं। स्पष्ट बात है कि कम कर लगेगा तो फिर से पैसा लगाने के लिए पैसा बचेगा, इसे समझने के लिए किसी विशेष बुद्धि की अपेक्षा नहीं है।

मूल्यांकन में स्वीकार किया गया है कि १५ वर्षों से सरकारी क्षेत्र में जो धन लग रहा था उस पर उचित लाभांश नहीं मिल रहा। और हम यह बात कई वर्षों से बताते आ रहे हैं कि यदि हमारे देश को उन्नति करनी है तो इसे कुछ क्षेत्रों को सुधारना होगा और उनमें सबसे अग्रणी है सरकारी क्षेत्र। यह बात कहने पर हमारे ऊपर दोषारोपण किया जाता रहा है। विडम्बना यह है कि देश ने 3000 से 4000 करोड़ रुपया भविष्य सुधारने के लिए लगा रखा है और यदि हम उससे लाभ उठाने के प्रति उदासीन हो जाएं तो हमारे देश का भविष्य स्पष्टतया अन्धकार में है। अतः देश के विकास का मूल यह है कि इस सरकारी क्षेत्र से उचित लाभ प्राप्त किया जाये जो कि

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में जहां पर अपेक्षा हो, पुनः लगाया जा सके। इस सीधी सी बात को कहने पर हमारे ऊपर आक्षेप लगाये गये। फिर भी मुझे यही कहना है कि यदि हम देश का विकास चाहते हैं तो अर्थ-शास्त्र का यह सीधा सिद्धांत समझना चाहिए कि संसाधनों से ही लाभ होता है और उसी लाभ से विकास होता है। "गरीबी हटाओ" एक आकर्षक नारा हो सकता है परन्तु हमें वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। रिजर्व बैंक ने अपने आंकड़ों में बताया है कि इस देश में पिछले छह वर्षों में 22 प्रतिशत गरीबी बढ़ी है।

हमें गरीबों के बारे में केवल चिल्लाना मात्र नहीं चाहिए। हमें उनके लिए काम करना चाहिए और उसके लिए यह जानना है कि उनके लिए क्या किया जाए। आज की सरकार यह नहीं जानती कि उनके लिए क्या किया जाए और देश के लिए यह बहुत ही दुखदायी बात है। यही स्थिति बेरोजगारी की है। दिन-प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और उसके नियन्त्रण के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया जा रहा। उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है, उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

मूल्यों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है परन्तु राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा है कि मूल्य स्तर पर नियन्त्रण रखा गया। हमें यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि इस देश के गरीब लोगों के लिए मुद्रा-स्फीति सबसे कठोर कर है। इस बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि का कारण श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार है। इसका कारण है इस सरकार की मुद्रा स्फीति सम्बन्धी नीतियां।

गांवों के किसान की सबसे बड़ी आवश्यकता है सिंचाई के लिए पानी। किसान को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा तो वह उत्पादन बढ़ायेगा, जिससे उसे धन प्राप्त होगा और वह अपनी अन्य आवश्यकताएं पूरी कर सकेगा। परन्तु 25 वर्षों के अथक प्रयत्नों के बावजूद यह सरकार किसान को पानी उपलब्ध नहीं करवा सकी है। इसका कारण यह नहीं कि यह समस्या हल नहीं की जा सकती। देश में 50,000 से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के लिए साफ पानी नहीं। यह है हमारी सरकार की उपलब्धि। उत्तर में कह दिया जाता है कि इसके लिए पैसा नहीं है। गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पैसा नहीं, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए पैसा नहीं, ग्रामीण विकास के लिए पैसा नहीं। परन्तु जब उद्योगों की बात आती है तो पैसा है।

इस्पात को राष्ट्र का दिल कहा गया है, परन्तु मैं इसे नहीं स्वीकार कर सकता। किसी राष्ट्र की जान तो खेती के लिए पानी है। परन्तु सरकार के पास उसकी व्यवस्था करने के लिए तो पैसे नहीं परन्तु बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अवश्य ही 1,500 करोड़ रुपये हैं।

पिछले 25 वर्षों से सरकार का स्तर भी लगातार गिर रहा है। जिस किसी को भी सरकार के किसी विभाग के सम्पर्क में आने का अवसर प्राप्त होता है, वही सरकार से विक्षुब्ध हो उठता है। परन्तु इसके विपरीत महान जनतन्त्र तथा लोगों के परिपक्व होने की बात की जाती है। सरकार आज जो रूप धारण करती जा रही है, परिपक्व लोगों को उसके प्रति चेतना चाहिये।

हिंसा बुरी है और समय के बाद हमारा समाज बदला है। ऐसा न हो कि लोकतंत्रीय समाजवाद का स्थान लोकतंत्रीय हिंसा ले ले।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बालासोर) : सभापति महोदय, श्री मोदी ने कांग्रेसी मंत्रियों की तो आलोचना की है परन्तु उनके दल के मंत्रियों ने उड़ीसा राज्य को तबाह करके रख दिया है।

[**श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुई**
Smt. Shiela Kaul in the Chair]

देश परिवर्तन-काल से गुज़र रहा है और उसे एक महान नेता की आवश्यकता थी जो हमारी प्रधान मंत्री हैं। भारत के इतिहास में पहली बार सेना के तीनों अंगों ने अभूतपूर्व समन्वय का परिचय दिया, जिसका कारण प्रधान मंत्री का नेतृत्व ही था। इतिहास में इटली और जर्मनी के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। इसी प्रकार भारत ने भी जब बंगला देश में नर-संहार, व्यापक शीलभंग और बर्बरता का राज्य देखा तो मानवता और लोकतंत्र के हित में उनकी सहायता की। इसलिये राष्ट्रपति के अभिभाषण में सेना का उल्लेख बड़ा उचित है।

यद्यपि मार्क्सवादी साम्यवादियों को दुःख हो रहा है परन्तु आज बंगाल की उनसे मुक्ति के अवसर पर हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। 1967 में जब इन्होंने पहली बार राज्य का शासन संभाला तो आशा थी कि वहां जनता का राज्य होगा परन्तु वहां तो श्री ज्योति बसु और उनके दल की तानाशाही आरंभ हो गई। वहां आतंक का राज्य स्थापित हुआ और मार्क्सवाद की धज्जियां उड़ गईं। यह अच्छा ही हुआ कि इन्हें उनके अपने ही भूतपूर्व सहयोगी प्रो० मुकर्जी ने उत्तर दे दिया।

आज, हमारा देश भयानक गरीबी और बेरोज़गारी के दौर से गुज़र रहा है। 40 लाख पढ़े-लिखे लोग बेकार हैं। मेरे अपने राज्य, उड़ीसा में ही 1,40,000 लोग बेकार हैं और यह भी ठीक है कि सरकार इतने लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती क्योंकि 3 करोड़ रुपये पहले ही प्रति दिन बंगला देश के विस्थापितों पर खर्च हो रहे हैं।

हम शायद पहली बार इन चुनावों के बाद केन्द्र और राज्यों के बीच इतने मधुर संबंध बना पाएंगे। सिंचाई, जल-साधनों और बिजली उत्पादन की बात भी गांधी जी के आर्थिक स्वराज्य को साकार रूप देने के उद्देश्य से कही गई है ताकि गांवों का शहरों द्वारा और भारतीयों का विदेशों द्वारा शोषण न हो।

अब समय आ गया है जबकि हमें अमरीका की सहायता के बिना आगे बढ़ना होगा और जर्मनी तथा जापान की भांति, आत्मनिर्भर बनकर प्रगति करके दिखानी होगी। मुझे आशा है कि यदि हमें 15 वर्ष और प्रधान मंत्री गांधी का नेतृत्व प्राप्त होता रहा तो हम बड़े-बड़े देशों को सहायता देने योग्य हो जायेंगे।

मुझे डर है कि ये नौकरशाह हमें समाजवाद की ओर बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि ये ब्रिटिश राज की देन हैं और यदि पुराने आई० सी० एस० अफसर हमारे सरकारी क्षेत्र के कारखानों के प्रबन्धक बनेंगे तो पुराने दृष्टिकोण वाले इन्हीं लोगों के सहारे समाजवाद कहां से आ पायेगा ?

राष्ट्रपति के अभिभाषण में तालाबन्दी और हड़तालों पर रोक लगाने की जो बात कही गई है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। मैं श्रमिक संघ-कार्यकर्ता हूं और हम श्रमिक चाहते हैं कि प्रबन्धक हमारे साथ मानवीय व्यवहार करें। हम अपने प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति की वन्दना करते हैं और

उनका कहा अवश्य मानेंगे परन्तु यह तभी संभव है जब नौकरशाह जनता के प्रति अपने रवैये में परिवर्तन करें।

कार्य मंत्रणा समिति
Business Advisory Committee

आठवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी
Motion of Thanks on President's Address—Contd.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): The President's Address has reflected truly the mood of the nation today. It makes a mention of last 12 months, achievements as well as the tasks ahead as also our ultimate goal. The speeches delivered by Marxists and Shri Piloo Mody clearly showed frustration at the latest turn of events. The people have rejected the views of the opposition expressed by it after the last Parliamentary Poll.

The emergence of a free Bangla Desh is a very significant event for our country. The manner in which Government, under the leadership of Smt. Gandhi handled the situation and people rallied round it was really appreciable and heart-warming. The expert handling of the Bangla Desh issue and the ensuing war by Smt. Gandhi has received the unstinted praise of all. This has resulted in the liberation of Bangla Desh which has emerged now as the biggest Muslim State and has sounded the death-knell of Two-nation Theory. It has also exposed some of the big powers like the U. S. and China who bragged themselves as the biggest champions of democracy, freedom and humanity. So much so that today they talk of disturbed balance of power. This shows that India has now emerged a big power in the world today.

During the last few months we had to incur huge expenditure, first, on the sustenance of nearly 10 million refugees and then because of war. But despite this, we have fared exceedingly well in the field of agricultural production. This is due to increased irrigation facilities, rural electrification and improved seeds etc. But the rate of growth of industrial production is causing legitimate concern. Steps shall have to be taken in this regard also.

There is much scope for improvement in the performance of Public Sector Undertakings. First step in this direction would be to create a special cadre for management personnel. Efficiency in management would usher in smooth working and full utilisation of capacity. We shall have to take up this issue in right earnest and in all seriousness.

In the field of agriculture, cotton and sugar-cane shortage have attracted Government's attention and a Commission on Agriculture has already submitted an interim report on some of the important points. Recommendation of such expert bodies should receive serious consideration for speedy and effective implementation.

As the Address reflects the achievements and aspirations of the nation in full measure, I, therefore thank the President for his Address. With these words, I support the motion.

Shri P. Ganga Reddy (Adilabad): While Supporting the Motion of Thanks to President's Address, I may submit that the Prime Minister deserves all the credit for the overwhelming mandate given to her by the people last year as well as now. Her creditable role in liberating Bangla Desh and making 10 million refugees return to their motherland willingly made her a world leader. This event is unprecedented in the entire history of mankind.

It is alleged that 'Garibi Hatao' is only an election stunt—an empty slogan. But that is not a fact. The purses and privileges of princes were abolished and right to property were amended at a time when the U. S. 7th Fleet was moving closer to India. Provision of land to the landless, credit facilities for house building and easy loans for industrial growth etc. are positive measures taken in this direction. Crash programme for rural employment and measures taken to end unemployment among the educated are concrete steps in this direction.

Land reforms are a must today, but it would not be fair to leave the fate of the farmer in the hands of bureaucracy in the matter of assessing his income for the purpose of taxation. I am sure the difficulties of agriculturists would be accounted for while determining their income in the context of taxing him in the near future.

There is much unrest among students. Government should pay more attention towards them as they are our future citizens. Corruption is rampant and deep-rooted in the country. It needs to be eradicated.

I was surprised to find that in the U. S. A., our currency was available in plenty at the rate of 10 rupees per dollar. How so much Indian currency found its way there? Our ancient sculptures and the hides, skins and horns of some rare species of wild life are finding their way abroad. If this is not checked these species would become extinct.

Instead of taxing poor farmers, it would be more proper to call for the accounts of all those who have become millionaires during the last 5-10 years and their source should be tapped.

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 15 मार्च, 1972/25 फाल्गुन, 1893 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, the 15th March 1972/Phalguna 25, 1893 (Saka)

Printed at : Shahdara Printing Press, K-18, Navin Shahdara, Delhi-32 14-3-72—490